षोडश माला, खंड 6, अंक 19 **गुरुवार, 18 दिसंबर, 2014**

27 अग्रहायण, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

(खंड 6 में अंक 11 से 22 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 2014/1936 (शक)

अंक 19, गुरुवार, 18 दिसंबर, 2014/ 27 अग्रहायण, 1936 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 361 से 364	18-39
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**40**
तारांकित प्रश्न संख्या 365-380	
अतारांकित प्रश्न संख्या 4141 से 4370	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

अध्यक्ष द्वारा बधाई 41

श्रीहरिकोटा से जी.एस.एल.वी एम.के 3 के सफल प्रक्षेपण पर
भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई

सभा पटल पर रखे गए पत्र 42-65

लोक लेखा समिति 64

11वें से 13वां प्रतिवेदन

आचार समिति 65

पहला प्रतिवेदन

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति 65

कार्यवाही सारांश

कृषि संबंधी स्थायी समिति **66**

पहले से तीसरा प्रतिवेदन

रेल संबंधी स्थायी समिति 67

(एक) पहले से तीसरा प्रतिवेदन 67

(दो) विवरण 68

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति 69

पहले से तीसरा प्रतिवेदन

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति 70

तीसरा प्रतिवेदन

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति 71

181वां प्रतिवेदन

'महिला न्यायाधीशों के लिए आरक्षण'' के बारे में दिनांक 24.11.2014 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा 72

मंत्री द्वारा वक्तव्य

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'ऊर्जा के अभिज्ञात गैर-परंपरागत संसाधनों की उपलब्धता-उपयोगिता की तुलना में उनकी संभावना' के बारे में उर्जा संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री पीयूष गोयल 74-75

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 76

जीवन रक्षक औषधियों की कीमतों में वृद्धि और नकली दवाओं की मौजूदगी के कारण हो रहे गंभीर स्वास्थ्य संकट से उत्पन्न स्थिति

श्रीमती रंजीत रंजन 76

श्री अनंत कुमार 79

कुमारी सुष्मिता देव 85

श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी 87

श्री जगत प्रकाश नड्डा 98

सरकारी विधेयक- पुरःस्थापित

(एक) लोकपाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 101

(दो) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014 103

नियम 377 के अधीन मामले **104-120**

(एक) मुसहर अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय 101-103

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, पुणे की तर्ज पर बी.जे. मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद, गुजरात में एक प्रयोगशाला स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री नारणभाई काछड़िया 103-104

(तीन) उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रहने वाले अनुसूचित जाति बंगाली समुदाय से संबंधित लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री भगत सिंह कोश्यारी 105

(चार) दिल्ली और मथुरा के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 64904 को भरतपुर राजस्थान तक चलाये जाने की आवश्यकता

श्री बहादुर सिंह कोली 106

(पाँच) देश में भिन्न रुप से समर्थ लोगों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री महेश गिरी 107

(छ:) देश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में समान शैक्षणिक मानक सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. सत्यपाल सिंह 108

(सात) राजस्थान के जालौर जिले में स्वर्णगिरि तक एक एप्रोच रोड का निर्माण किए जाने कि आवश्यकता

श्री देवजी एम. पटेल 109

(आठ) तमिलनाडु में पालर और पेन्नाईयार नदियों को जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री बी. सेनगुट्टुवन 110

(नौ) पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी सड़कों की

मरम्मत और रखरखाव के लिए निधियाँ प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री तापस पॉल 111

(दस) देश में जूट क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. रत्ना डे (नाग) 112

(ग्यारह) औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संभाजीनगर में 300 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रकांत खैरे 113

(बारह) खडूर साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, पंजाब में घेरी मंडी जंडलालगुरु समपार पर एक ऊपरिपुल अथवा अंडरपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रनजीत सिंह ब्रह्मपुरा 114

(तेरह) धौरहरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रेखा वर्मा 115

(चौदह) अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों को नौकरियों, पदोन्नति और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने और इन लोगों से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए एक अलग मंत्रालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री नाना पटोले 116

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2014 121-162

श्रीमती अनुप्रिया पटेल 121-123

श्रीमती मीनाक्षी लेखी 124-126

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन 127-129

श्री प्रहलाद सिंह पटेल 130-131

श्री राजेश रंजन 132-134

श्री नाना पटोले 135

श्री दुष्यंत चौटाला 136-137

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा 137-141

श्रीमती रंजीत रंजन 141-143

श्री अनिल शिरोले 143

श्री पी.पी. चौधरी 144

श्री नितिन गडकरी 145-161

खंड 2 से 5 और 1 161

पारित करने के लिए प्रस्ताव 161-162

नियम 193 के अधीन चर्चा **163-665**

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कथित तौर पर निष्प्रभावी बनाए जाने के बारे में

श्री प्रहलाद सिंह पटेल 163-167

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे 168-157

श्री कडियम श्रीहरि 158-160

श्री धनंजय महाडीक 161-163

श्री प्रहलाद जोशी 164-167

श्री राजीव सातव 168-170

श्री राजेश रंजन 171-174

श्री धर्म वीर गांधी 175-176

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर 177-179

श्री हुकुम सिंह 180-182

श्री सी.एन. जयदेवन 183-185

श्रीमती अनुप्रिया पटेल 201-203

कर्नल सोनाराम चौधरी 204-206

श्री एस. राजेन्द्रन 207-209

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

माननीय उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

गुरुवार, 18 दिसंबर, 2014/27 अग्रहायण, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, मैं आपकी परमिशन लेकर अपनी बात रखना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : आप प्रश्न काल के बाद बोलिएगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : दूबे साहब, अगर आप मेरी जगह होते तो मुझ से ज्यादा आप बोलते। लेकिन बदकिस्मती से आपको चांस भी नहीं मिल रहा है।

महोदया, सदन में दो-तीन बिल लाए गए हैं, जिनको पास करने का प्रयास हो रहा है। हमारा यह कहना है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन्स रूल्स के मुताबिक आज तक कोई भी बिल रेअरैस्ट ऑफ द रेअर केस में आपकी पर मिशन से ही यहां आता है और सदन से पास होता है। लेकिन अब सप्लीमेंटरी बिजनेस के रूप में बिल को लाया जा रहा है। उस बारे में बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में डिसकस नहीं होता है। सड्नली बिल को सप्लीमेंटरी के रूप में लाया जाता है और उसे पास करने के लिए कहा जाता है। यदि यह रुख रहा तो यह ठीक नहीं है। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, आप हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय कीजिए। आप जो भी तय करेंगी, हम उसको मानेंगे।

माननीय अध्यक्ष : हम आज दोपहर में बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में तय करेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : लेकिन इसको ओवरराइड करके।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): नहीं कर रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : ऐसा हो रहा है। आप इसको मान रहे हैं। आपके पास फुल मैजोरिटी है, इसलिए कुछ भी चलता है, यह ठीक नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : हम बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में इस पर बात करेंगे। आप अभी प्रश्न काल चलने दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं नायडू साहब से बोल रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : उन तक बात पहुंच गयी है।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : मैडम, हम खड़गे जी की बात का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हर कोई इस पर नहीं बोलेगा। यह कोई विषय नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : एक चींटी भी शक्तिमान हाथी को परेशान कर सकती हैहै, इसलिए हम लोगों को कमजोर मत समझिए। कुछ भी होता है, यह ठीक नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, आप सभी मत बोलिए। मैंने आप सभी की भावना को समझ लिया है। हम इस पर बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में बात कर लेंगे।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : महोदया, हम लोगों को आपका संरक्षण मिलना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सदन की भावना को समझ गयी हूं।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

*प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 361, श्री कोडिकुन्नील सुरेश।

(प्रश्न संख्या 361)

श्री कोडिकुन्नील सुरेश : माननीय अध्यक्ष महोदया, केरल के कुट्टनाड तालुका में तीन लाख लोगों की पेयजल समस्या अत्यंत दयनीय है। कुट्टनाड क्षेत्र समुद्र तल से नीचे स्थित एक निचली भूमि है, जो वेम्बनाड झील से घिरा हुआ है। यह वह स्थान है जहाँ अचन्कोविल, पंबा, मणिमला और मीनाचिल जैसी चार नदियाँ आकर मिलती हैं। स्थिति ऐसी है – "चारों ओर पानी ही पानी है, पर पीने को एक बूँद भी नहीं।"

कुट्टनाड क्षेत्र में कुल 13 ग्राम पंचायतें हैं और इस क्षेत्र को प्रतिदिन 26.7 एम.एल.डी. जल की आवश्यकता है। क्षेत्र में किए गए विभिन्न अध्ययनों से यह पता चला है कि वेम्बनाड झील का पानी प्रदूषित हो चुका है, क्योंकि कुट्टनाड के धान क्षेत्रों में कीटनाशकों का लगातार उपयोग किया जा रहा है और झील में पर्यटन गतिविधियाँ भी तेजी से बढ़ी हैं। इस कारण विभिन्न जलजनित बीमारियाँ, विशेष रूप से कैंसर, आम हो गई हैं। जल प्रदूषण के कारण वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए एक समग्र पेयजल आपूर्ति योजना ही एकमात्र समाधान है। इस संदर्भ में केरल सरकार के अंतर्गत कार्यरत केरल जल प्राधिकरण ने ₹204 करोड़ की एक समग्र जल आपूर्ति योजना तैयार की है और इसे जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी(जेआईसीए) के माध्यम से केंद्रीय सरकार को सहायता हेतु प्रस्तुत किया गया है। लेकिन जेआईसीए इस परियोजना को सहायता देने के लिए तैयार नहीं है।

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या भारत सरकार विश्व बैंक या किसी अन्य वित्तीय स्रोत की वित्तीय सहायता से इस परियोजना को शुरू करने पर विचार करेगी? मैं एक और बात कहना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको याद दिला दूं कि दूसरा पूरक प्रश्न भी है।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा):महोदया, 15वीं लोक सभा में आप ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति की अध्यक्ष थीं। उस स्थायी समिति ने कुट्टनाड के लिए एक व्यापक जल आपूर्ति योजना की भी सिफारिश की थी। यह तो आप जानते ही हैं।

माननीय अध्यक्ष: हाँ, मुझे याद है कि मैं आपके अनुरोध पर वहाँ गई थी।

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बिलकुल सही कहा है कि कुट्टनाड में जल समस्या है। यह क्षेत्र एक प्रकार से बैकवाटर क्षेत्र है। एक परियोजना प्रस्तुत की गई थी, लेकिन वह भारत सरकार को नहीं, बल्कि जापान से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की गई थी अर्थात, यह परियोजना जापान और केरल सरकार के बीच की थी। हमने उस प्रस्ताव को प्रक्रिया में लेकर संबंधित जापानी एजेंसी को भेजा था, लेकिन अंततः उन्होंने उस परियोजना को स्वीकृति नहीं दी।

वर्तमान में एक परियोजना प्रगति पर है, जो 14 ग्राम पंचायतों को कवर करती है। इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 2.5 लाख है। कवलम पंचायत में पेयजल की समस्या है, और वहां टैंकरों के माध्यम से जल की आपूर्ति की जा रही है। वहां 13,000 घरेलू कनेक्शन हैं और 2,600 सार्वजनिक स्टैंडपोस्ट हैं, जहाँ से लोग पानी प्राप्त करते हैं। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, केरल सरकार इस परियोजना को जेआईसीए के माध्यम से क्रियान्वित करना चाहती थी। जेआईसीए जापान की एक वित्त पोषण एजेंसी है। उन्होंने कुछ अन्य परियोजनाओं के लिए सहायता दी थी, लेकिन इस विशेष परियोजना के संबंध में उन्होंने सहमति नहीं दी। परिणामस्वरूप, हमें यह परियोजना केरल सरकार को वापस भेजनी पड़ी।

माननीय अध्यक्ष: अब, सदस्य द्वारा दूसरा पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश : मेरा प्रश्न कुट्टनाड के लिए एक व्यापक जल आपूर्ति योजना के संबंध में है। मुझे पता है कि जे.आई.सी.ए. ने प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी है। लेकिन इसका विकल्प क्या है? मैं आपका ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आप स्वयं कुट्टनाड की समस्या के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। आप वहाँ अनेक कार्यक्रमों में उपस्थित रहे हैं और आपने लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जाना है।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा स्वच्छता से संबंधित है। कुट्टनाड में स्वच्छता की कोई सुविधा नहीं है। केरल सरकार ने दो परियोजनाएं तैयार की हैं – एक पेयजल परियोजना और दूसरी स्वच्छता परियोजना। लेकिन स्वच्छता परियोजना भी केंद्र सरकार के पास लंबित है। कुट्टनाड के लोगों के लिए पेयजल और स्वच्छता दोनों ही अत्यंत आवश्यक हैं, इस बात से आप भलीभांति परिचित हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार ने कुट्टनाड के लिए एक व्यापक पेयजल आपूर्ति योजना तथा एक व्यापक स्वच्छता योजना पर विचार किया है?

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह: जहाँ तक पेयजल का सवाल है, यह भारत सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य है। वर्ष 2022 तक हम कम से कम 90 प्रतिशत ग्रामीण घरों को पाइप से जल आपूर्ति के माध्यम से लाभान्वित करेंगे और 80 प्रतिशत घरों को जल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। जहाँ तक कुट्टनाड के लिए व्यापक पेयजल आपूर्ति योजना का प्रश्न है, उसे केरल सरकार को वापस भेज दिया गया है। लेकिन यह संभावना है कि विश्व बैंक इस परियोजना को स्वीकृति दे सकता है। अतः यदि यह प्रस्ताव हमारे मंत्रालय को फिर भेजा जाता है, तो हम इसे अवश्य विश्व बैंक को सिफारिश के रूप में भेजेंगे।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपकी तरफ से भी कुछ ऐसी पहल हो जाए, मैंने खुद यह देखा हुआ है, वास्तव में पूरा इलाका संकटग्रस्त है। इस एरिया में दोनों तरफ से कुछ पहल हो जाए।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैंने पहले ही कहा कि इस क्षेत्र में वाकई ऐसी स्थिति है और वहां पीने के पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रयत्न किया और यह चाहते थे कि जापान से उनका एग्रीमैन्ट हो, हमने भी कोशिश की, दो बार इसका रिव्यू भी किया गया।

माननीय अध्यक्ष : वहां सेनिटेशन की भी प्रॉब्लम है, सारा एरिया घिरा रहता है।

[अनुवाद]

श्री चौधरी वीरेंद्र सिंह: जब हम पेयजल उपलब्ध कराने की स्थिति में होंगे तो स्वच्छता भी अपने आप सुनिश्चित हो जाएगी।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने फॉरेन एडेड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के बारे में काफी डिटेल में जवाब दिया है। मैं मंत्री जी का इस अवसर पर धन्यवाद करता हूं। मैं राजस्थान से आता हूं और राजस्थान में भी बीकानेर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं यह एनक्शर-1 देख रहा था, जिसमें अभी हमारे मित्र सुरेश जी बता रहे थे कि केरल के इसमें तीन प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा मैं जो एनक्शर-2 देख रहा था, इसमें एक प्रोजेक्ट पंजाब से रिलेटिड है - पंजाब रूरल वाटर एंड सेनिटेशन इम्प्रूवमैन्ट प्रोजेक्ट, इसके हल होने से बीकानेर संसदीय क्षेत्र का भी कुछ हल निकलने की संभावना है, जिसमें नहर का पानी आता है, जो गंगानगर, हनुमान गढ़ होते हुए बीकानेर तक आता है। लेकिन नहर में सेफ वाटर नहीं आता है, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर होते हैं। इस प्रोजेक्ट से कुछ उसका हल निवलने की संभावना है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फॉरेन एडेड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, इसमें यदि आप एनक्शर-1 देखेंगे तो केरल जैसे राज्य के लिए तीन और कुछ अन्य राज्य भी हैं, जिनमें एक या दो हैं तो राजस्थान में ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जबकि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। इसलिए फॉरेन एडेड प्रोजैक्ट में जो प्रोजैक्ट आलरेडी चल रहा है फ्लोराइडयुक्त जायका वाला,

जो नागौर से संबंधित है, क्या उसका एक्सटेंशन होगा या इसका आपने जो ऑनगोइंग प्रोजैक्ट बताया है, क्या आप इसकी कोई कम्पलीशन डेट बता सकेंगे? यही आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : महोदया, जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि पंजाब में पीने के पानी की समस्या को हल करने का बहुत बड़ा प्रोजैक्ट है, जिससे 74 लाख की आबादी को उस प्रोजैक्ट से लाभ होगा। यह भी सही है कि उसमें राजस्थान के बॉर्डर को टच करती हुई आबादी है। यह 1280 करोड़ का प्रोजैक्ट है, इसमें 154 मिलियन यू.एस. डालर्स वर्ल्ड बैंक से लिये गये हैं और भारत सरकार का इसमें 15 प्रतिशत का अंशदान है, बाकी राज्य सरकार देगी।

जहां तक इन्होंने राजस्थान की बात कही, राजस्थान में नागौर में एक बहुत एम्बिशियस, बहुत बड़ा प्रोजैव्ट है, जिसका 22 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। यह राजस्थान वाटर सप्लाई एंड फ्लोरोसिस मिटिगेशन प्रोजैक्ट नागौर है, इसमें दस अलग-अलग छोटी स्कीम्स हैं और इस प्रोजेक्ट में खर्चा 2938 करोड़ है। माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि इसका समय निर्धारण क्या है। मैं बताना चाहता हूं कि जनवरी, 2013 में इसकी शुरूआत की गई थी और जनवरी, 2020 तक यह प्रोजेक्ट पूरा होने की संभावना है। इसमें अभी तक सेनिटेशन का कोई कम्पोनैन्ट नहीं है, इसमें अभी सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर ही रखा गया है, क्योंकि वहां पीने के पानी की सबसे विकट समस्या है।

[अनुवाद]

श्री कडियम श्रीहरि : माननीय अध्यक्ष महोदया, दुर्भाग्य से आजादी के 67 साल बाद भी देश के आधे गांवों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। आधे गांवों में आज भी जल संरक्षण की योजनाएं नहीं हैं। लोग दूषित जल का सेवन कर रहे हैं जो फ्लोराइड प्रभावित है, नाइट्रेट प्रभावित है, आयरन प्रभावित है और यह ठोस घुलनशील पदार्थों से भी प्रभावित है। ऐसे दूषित पानी का सेवन करने से उन्हें तमाम स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। कुछ इलाकों में लोगों को कच्चा या सतही जल भी नहीं मिल रहा है। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए,

हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के गतिशील नेतृत्व में गुजरात सरकार ने एक जल परियोजना की कल्पना की, जिसके माध्यम से वे 8215 बस्तियों और 135 शहरों में पानी की आपूर्ति की जाएगी।

गुजरात मॉडल को ध्यान में रखते हुए और मोदीजी को प्रेरणा के रूप में लेते हुए, तेलंगाना सरकार ने एक परियोजना की कल्पना की जिसके माध्यम से वह अगले चार वर्षों में 32,000 करोड़ रुपये खर्च करके लगभग 24,600 बस्तियों, 62 नगर पालिकाओं और पांच निगमों को पानी उपलब्ध कराना चाहती है। यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या जल उपलब्धता और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों पर कोई अध्ययन किया गया और क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है?

दूसरी बात, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार तेलंगाना जैसे राज्यों को, जो अपने स्तर पर ऐसे बड़े परियोजनाएँ लेना चाह रहे हैं, समर्थन देती है और क्या आप ऐसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने में सहयोग करेंगे?

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने तेलंगाना के बारे में पूछा है और उन्होंने बस्तियों की बात भी की है। हमारे देश में लगभग 16,96,000 बस्तियाँ हैं। इनमें से अब तक 73.6 प्रतिशत बस्तियों, अर्थात् 12,49,695 बस्तियों में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर अतिरिक्त जल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। शेष 3,68,463 बस्तियाँ, जो 21.7 प्रतिशत होती हैं, आंशिक रूप से आच्छादित हैं, जहाँ जल की आवश्यकता तो है, लेकिन प्रति व्यक्ति 40 लीटर से कम जल मिल रहा है।

उन्होंने जल गुणवत्ता को लेकर एक बहुत प्रासंगिक प्रश्न उठाया है। हमारे देश में लगभग 78,506 ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ जल की गुणवत्ता को पीने योग्य नहीं कहा जा सकता। जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों की परिभाषा यह है कि यदि किसी भी घटक का स्तर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानक (आईएस:10500) की सीमा से अधिक है, तो वह बस्ती गुणवत्ता प्रभावित मानी जाती है। इसमें से 1991 बस्तियाँ आर्सेनिक से प्रभावित हैं; 14,132 बस्तियाँ फ्लोराइड से प्रभावित हैं; लवणता से प्रभावित बस्तियाँ 17,472 हैं; लौह तत्व

से प्रभावित बस्तियाँ 42,093 हैं; और नाइट्रेट से प्रभावित बस्तियाँ 2,818 हैं। अर्थात् कुल मिलाकर 78,506 बस्तियाँ इन प्रकार के खनिजों एवं अन्य अशुद्धियों से प्रभावित हैं।

महोदया, जहाँ तक तेलंगाना का प्रश्न है, माननीय सदस्य ने बताया कि वहाँ लगभग 24,600 बस्तियाँ हैं। मैंने पहले ही माननीय सदस्य को यह उत्तर दिया है कि वर्ष 2022 तक हम देशभर की 90 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को पाइप जल आपूर्ति से आच्छादित कर देंगे। जहाँ तक तेलंगाना की बात है, राज्य सरकार की ओर से एक अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तक कोई औपचारिक प्रस्ताव भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

माननीय अध्यक्ष: आप राज्य सरकार से औपचारिक प्रस्ताव भेजने के लिए कहें।

(प्रश्न संख्या 362)

श्री आर. गोपालाकृष्णन : माननीय अध्यक्ष महोदया, महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एम.के.एस.पी.) के अनुसार, तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को 2013-14 के लिए 67.60 करोड़ रुपये के 11 सिफारिश की है। हालाँकि, इसे यह कहते हुए मंजूरी नहीं दी गई कि वार्षिक कार्य योजना संशोधित फर्मे में नहीं थी। इसके बाद, तमिलनाडु की सरकार ने 4 अप्रैल, 2014 को निर्धारित टेम्पलेट के अनुसार एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

भारत सरकार की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि 8 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और एक प्रस्ताव आम आदमी पार्टी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। यह देखना निराशाजनक है कि तमिलनाडु सरकार के प्रस्तावों को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी है।

हमारे माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा को तमिलनाडु की महिलाओं के कल्याण की गहरी चिंता रही है और उनके प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण रहा है। महिलाओं के कल्याण से संबंधित योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार से धन प्राप्त करना तमिलनाडु राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहा है।

उपरोक्त के मद्देनजर, मैं योजना के तहत तमिलनाडु सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को संबंधित योजना के तहत स्वीकृति क्यों नहीं दी गई। इसके अतिरिक्त, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार ने तमिलनाडु राज्य सरकार को इस देरी के कारणों की कोई जानकारी दी है? यदि हाँ, तो कृपया उसके विवरण से इस सदन को अवगत कराया जाए।

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया, तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य से आठ प्रस्ताव भेजे गए हैं और एम.एस.के.पी के अंतर्गत दो प्रकार से प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं। एक वार्षिक योजना के अंतर्गत, और यदि कोई प्रस्ताव वार्षिक योजना के अंतर्गत भेजा जाता है, तो उस स्थिति में प्रस्ताव को स्वीकृति देना तथा निधि जारी करना सरकार के लिए अपेक्षाकृत सरल हो जाता है क्योंकि उस प्रक्रिया की पूरी रूपरेखा संबंधित राज्य

सरकार द्वारा तैयार की जाती है। लेकिन जब कोई प्रस्ताव किसी एन.जी.ओ. या किसी अन्य सामुदायिक संस्था द्वारा भेजा जाता है, तो उस स्थिति में हमें उस एन.जी.ओ. या संस्था की पूरी पृष्ठभूमि की जांच करनी होती है। इन्हीं कारणों से हम तमिलनाडु से भेजे गए सभी आठ प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं दे पाए। इनमें चार प्रस्ताव वर्ष 2011 में, दो प्रस्ताव 2012 में और शेष दो प्रस्ताव 2013 में भेजे गए थे। इन आठों प्रस्तावों में कुछ कमियाँ थीं, जिस कारण से उन्हें मंजूरी नहीं दी जा सकी।

माननीय अध्यक्ष: आपने उन्हें वो कारण बताए होंगे।

श्री आर. गोपालाकृष्णन : तमिलनाडु महिला स्व-सहायता समूहों के गठन और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अग्रणी राज्य रहा है। हमारी माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा के नेतृत्व में, महिला स्व-सहायता समूहों ने पूरे राज्य में तीव्र गति से विस्तार किया है। चूंकि एम.के.एस.पी. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) का अभिन्न अंग है, मैं जानना चाहूंगा कि क्या केंद्र सरकार के पास तमिलनाडु सहित देश में विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह विकसित करने के लिए कोई विशेष और अलग योजना है, यदि हां, तो उसका विवरण, प्राप्त और अनुमोदित प्रस्ताव, तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों को जारी किए गए बजटीय आबंटन और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह: महोदया, जैसा कि मैंने बताया, तमिलनाडु सरकार ने तीन वर्षों में 8 प्रस्ताव भेजे थे। कोई भी प्रस्ताव मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। यदि तमिलनाडु राज्य नए प्रस्ताव भेजता है, तो हम उन पर विचार कर सकते हैं और यदि सभी जानकारी सही पाई जाती हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें मंजूरी दे दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव : अध्यक्ष जी, महिला किसानों के सशक्तीकरण की बात हम इस प्रश्न के माध्यम से कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले दो-तीन सालों से सूखा है और इस बार तो भयंकर सूखे की स्थिति है जिस कारण हर रोज़ तीस से चालीस किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे हैं। मेरे खुद के हिंगोली क्षेत्र में भी हर रोज़ दो-तीन किसानों द्वारा आत्महत्या हो रही है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह प्रश्न है कि महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा की जो महिला किसान हैं, उनके सशक्तीकरण के लिए कोई अलग से योजना की घोषणा क्या केन्द्र सरकार यहाँ पर करेगी?

माननीय अध्यक्ष : क्या प्रपोज़ल भेजा है?

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदया, आदरणीय सदस्य ने कहा कि सूखे की स्थिति में क्या नए कदम हम उठा सकते हैं। महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना का मतलब ही यह था कि ऐसी महिलाएँ जिनका सिर्फ कृषि ही व्यवसाय है या वह व्यवसाय भी उनका खुद का नहीं है, उनके परिवार का या उनके पति का है, उसमें उनके सहायतार्थ जो परियोजना 2010-11 में बनी, इस महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना का उद्देश्य ही यह था - [अनुवाद] महिला किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना शुरू की जा रही है और इस योजना में तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा 100 करोड़ रुपये दिये गये थे। इस योजना का क्रियान्वयन एन.आर.एल. के माध्यम से किया जाना था।

[हिन्दी] इसमें देश में 10 करोड़ ऐसे घर हैं जहाँ महिलाएँ कृषि आधारित अपना व्यवसाय करती हैं। इस स्कीम के तहत यह आइडैंटिफाइ किया गया और उसमें लगभग 8 करोड़ के करीब ऐसे घर हैं जिनको महिला सशक्तीकरण प्रोग्राम के माध्यम से छुआ जा सकता है। उसमें हमने यह माना कि जहाँ कृषि है, उसके साथ कुछ और जोड़ दिया जाए और जहाँ फौरैस्ट लैंड है, वहाँ भी उनका जो बेसिक व्यवसाय है - पत्ते तोड़कर लाना या दूसरा कार्य है, उसके साथ साथ खेती भी करने का प्रावधान किया गया, पोलट्री का व्यवसाय उसके साथ जोड़ने की कोशिश की गई। इस प्रकार से कई जगह हमने देखा कि इस प्रोग्राम के माध्यम से जो गरीब हैं, जिनको अल्ट्रा पूअर की संज्ञा दी गई, उनकी संख्या भी 3 करोड़ हाउसहोल्ड्ज़ है। उनके लिए भी व्यावसायिक तौर पर दो व्यवसाय इकट्ठा करने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे मैंने कहा 2010-11 में यह स्कीम शुरू हुई है और मैं यह कह सकता हूँ कि अभी इसके रिज़ल्ट आने बाकी हैं।

श्री राजीव सातव : अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं आया।

माननीय अध्यक्ष : विदर्भ का प्रपोज़ल भेजोगे तो करेंगे।

श्री मानशंकर निनामा। महिला किसान सशक्तीकरण की बात है। उसी पर प्रश्न पूछना है।

श्री मानशंकर निनामा : अध्यक्ष जी, आपका बहुत ही धन्यवाद कि आपने महिला किसानों से जुड़े इस विषय पर मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी।

महोदया, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि राजस्थान में लिंग अनुपात बहुत कम है। महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के अंतर्गत कुछ विशेष आबंटन के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

माननीय अध्यक्ष : क्या राजस्थान से प्रस्ताव आया है, यह बता दो।

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह: जी हाँ, राजस्थान से 15 प्रस्ताव आए। [अनुवाद] 12 प्रस्ताव 2011 में, 2 प्रस्ताव 2011 में और 2 प्रस्ताव 2013 में आए। 2014 में कोई प्रस्ताव हमें प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इन 15 प्रस्तावों में जो अप्रूव हुआ।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (नाग) : *महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना* का उद्देश्य महिला किसानों की विशेष जरूरतों को पूरा करना और उन्हें तकनीकी और सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था। यह राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण मिशन का एक उप-घटक है। मैं जानना चाहूंगी कि क्या यह जानने के लिए कोई गहन विश्लेषण किया गया है कि क्या यह विशिष्ट उद्देश्य पूरा हुआ है और क्या लघु और सीमांत खेती करने वाली महिला किसानों को इस योजना से कोई लाभ मिला है।

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह: जैसा कि मैंने बताया, लगभग 10 करोड़ घर हैं। 10 करोड़ परिवारों में से, हमने तीन करोड़ परिवारों की पहचान की है जिन्हें अति निर्धन परिवारों की श्रेणी में रखा जा सकता है। उसी आधार पर यह योजना शुरू की गई है। यह योजना 2011-12 में शुरू की गई थी। अब तक कुल 40 करोड़ रुपये योजना के लिए आबंटित किए गए हैं और यह आबंटन मांग आधारित है। मैंने राजस्थान राज्य के मामले का उल्लेख

किया। उन्होंने 15 परियोजनाएं भेजीं, जिनमें से एक परियोजना स्वीकृत की गई थी। जब मांग ज्यादा होगी तो हम अधिक आबंटन करेंगे।

इसके अलावा, यदि कोई महिला पूरी तरह से कृषि करती है तो हम चाहेंगे कि वह कृषि से जुड़े एक या दो अन्य पेशे भी अपनाए। इससे वह अपनी आय में बढ़ोत्तरी कर सकती है। कुछ सर्वेक्षणों से यह बात सामने आई है कि जिस एक फसल के अंतर्गत इन महिला समूहों की पहचान की गई है, उसमें उनकी आय में ₹30,000 से अधिक की वृद्धि हुई है, जो पहले की तुलना में काफी अधिक है। जब यह योजना दो फसलों या छह महीने की अवधि के लिए लागू की गई, तो यह वृद्धि ₹60,000 तक पहुँच गई। यह परियोजना मूलतः इन महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।

माननीय अध्यक्ष: क्या यह तकनीकी रूप से नहीं है? [हिन्दी]

किसान महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए नहीं है। [अनुवाद] क्या कोई महिला-अनुकूल तकनीक या महिला-अनुकूल उपकरण नहीं हैं?

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह: महोदया, मैंने तो यही कहा है। जब हम कृषि की बात करते हैं, तो हमने उन्हें सुझाव दिया है कि वे कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग न करें, इसके बजाय उन्हें गाय के गोबर और अन्य चीजों का उपयोग करना चाहिए, जिससे वे अपनी उपज में सुधार कर सकें। तकनीकी रूप से यह बात स्थापित हो चुकी है कि जहां रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं हुआ है, वहां उपज कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ी है। ये नवाचार हैं।

(प्रश्न संख्या 363)

[हिन्दी]

श्री अशोक महादेवराव नेते : अध्यक्ष जी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में कौशल विकास पर आधारित रोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की है ताकि वहां युवकों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराकर उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किए जाने की आज के समय की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि सरकार ने देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों विशेषतः महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरोली-चिमुर संसदीय क्षेत्र, जो नक्सलवाद से आति प्रभावित और आति पिछड़ा भी है, वहां के युवकों के लिए कौशल आधारित रोज़गार के लिए प्रशिक्षित करने हेतु क्या कोई कदम सरकार ने उठाया है? जिससे नक्सलवाद प्रभावित युवकों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवा कर राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : मैडम स्पीकर, हमने एन.आर.एल.एम. वो तहत कुछ इलाकों को आइडैंटिफाई किया। जैसा खुद आदरणीय सदस्य ने कहा, जम्मू-कश्मीर के लोगों को राष्ट्रीय धारा से जोड़ने के लिए हमने हिमायत नाम की योजना शुरू की। हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना शुरू की। उसके तहत यह भी कहा गया कि हम जिन्हें ट्रेनिंग देंगे, उनमें से 75% को किसी-न-किसी क्षेत्र में नौकरी भी दी जाएगी। इस तरह की ये दो अलग-अलग योजनाएं हैं। एक रूरल सेल्फ इम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आर. सेटी) है, जिसके तहत उन्हें ट्रेंड किया जाता है, उनकी स्किल डेवलपमेंट की जाती है। इससे वे अपना काम खुद शुरू कर सकते हैं। दूसरी, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है, उसके तहत हमने बड़े-बड़े हाउसेस के तहत काम शुरू किया है कि वे इन-हाउस ट्रेनिंग भी देंगे और उस ट्रेनिंग के बाद वे यह एश्योर भी करेंगे कि उन लोगों को रोज़गार भी दिया जाए।

इसके अलावा कुछ दूसरी स्कीम्स भी हैं। जैसा मैंने कहा कि हिमायत स्कीम जम्मू-कश्मीर के लिए है, वैसी ही रोशनी नाम की स्कीम नक्सल प्रभावित इलाके में है। उसमें हम वहां के नाैज़वानों को उन क्षेत्रों से बाहर लाकर, उनके रहने का, उनके खाने का, उनकी ड्रेस का, उनके पढ़ने का, उनकी ट्रेनिंग इत्यादि सभी का इंतज़ाम करते हैं। उन्हें ट्रेनिंग देकर उन्हें व्यवसाय करने लायक बनाते हैं। इस तरह, ये दो अलग-अलग स्कीम्स हैं।

श्री अशोक महादेवराव नेते : अध्यक्ष महोदया, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि देश में, विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में प्रशिक्षण प्राप्त जिन युवकों को रोज़गार उपलब्ध कराया गया है, उनमें आदिवासी, अनुसूचित जाति, एवं ओबीसी युवकों की संख्या कितनी है और क्या यह पर्याप्त है?

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : मैडम, जैसा मैंने बताया कि डीडीयूजीकेवाई के नीचे 37 परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनके तहत हम उन्हें स्किल ट्रेनिंग देते हैं। महाराष्ट्र में हमने अभी तक 50,193 कैंडीडेट्स को ट्रेनिंग दी हैं और उन्हें उस ट्रेनिंग के माध्यम से लाभ प्राप्त हुआ है। इसके लिए जो भी बजट था, वह हमने उन 50,193 लोगों के लिए सैंक्शन किया है।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा : महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

2013-14 में कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत श्रम विभाग, एम.एस.एम.ई. विभाग, शिक्षा विभाग और अन्य सभी वर्गों को मिलाकर पांच करोड़ बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था। महात्मा राष्ट्रीय उद्योग खत्रीयोजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम शिक्षित बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए ग्रामीण जनता के लिए लाई गई है। इस बार मनरेगा को अधिक धनराशि आबंटित की जानी थी लेकिन वे उस धनराशि को मंजूरी नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 650 जिलों में एक करोड़ शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य है। यही योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य उन्हें उचित प्रशिक्षण

देना, उन्हें रोजगार देने के लिए शिक्षित करना शामिल है क्योंकि देश में छात्रों और शिक्षितों सहित 50 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हैं।

मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि माननीय मंत्री जी क्या योजना बना रहे हैं। वह इस पक्ष में बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उस पक्ष में बहुत जूनियर हैं। उन्होंने इसका उत्तर ठीक से नही दिया है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह उचित नहीं है। यहां कोई जूनियर या सीनियर नहीं है।

श्री के.एच. मुनियप्पा: श्री बीरेंद्र सिंह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।

माननीय अध्यक्ष: मुझे यह पता है।

श्री के.एच. मुनियप्पा : वह कर्नाटक के प्रभारी थे। … (*व्यवधान*) [हिन्दी] मैं इनको मानता हूं।...(व्यवधान) ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं।...(व्यवधान) उधर नहीं, इधर से जुनियर हो गए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप तो सीनियर हैं, प्रश्न पूछिए।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा :मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं की क्या उनके पास इस देश के शिक्षित बेरोजगारों के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम है? 50 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरियों के लिए हड़ताल कर रहे हैं।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूँ कि क्या कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के लिए भी कोई व्यापक कार्यक्रम है? धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: हाँ, मंत्री महोदय। प्रश्न ग्रामीण रोजगार के बारे में है - ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने से संबंधित है।

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया, जब मैं नियम 193 के अंतर्गत मनरेगा पर चर्चा का उत्तर दूँगा, तब मैं राजनीतिक प्रश्नों का भी उत्तर दूँगा — आप यह समझ पाएंगे कि मैं यहाँ जूनियर हूँ या वहाँ जूनियर था... (व्यवधान)

जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कौशल विकास एवं प्रशिक्षुओं को रोजगार उपलब्ध कराने की भौतिक उपलब्धि के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि डीडीयू-जीकेवाई योजना के अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2012-13 में 2,12,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वास्तव में 2,17,997 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया और उनमें से 1,62,552 उम्मीदवारों को नौकरी मिली।

यह योजना इस उद्देश्य से चलाई जा रही है कि प्रशिक्षित होने वाले 75 प्रतिशत युवाओं को रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। यही इस योजना की मूल भावना है। वर्ष 2013-14 में 2,50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया था और 2,01,019 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से लगभग 1,37,417 उम्मीदवारों को नौकरी मिली। अक्टूबर 2014 तक, 2,10,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य था, जिनमें से 46,998 को प्रशिक्षण दिया गया और इनमें से 23,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में, मेरे पास राज्यवार सूची उपलब्ध है, जिसमें यह विवरण दिया गया है कि कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया और कितनों को रोजगार प्रदान किया गया।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। हमारा देश गांव का देश है। गांव में बड़ी संख्या में रोजगार भी हैं और वहां बेरोजगारी भी है। हमारे गांव में परम्परागत रूप से पहले जो रोजगार होते थे, वे धीरे-धीरे खत्म हो चुके हैं। अभी हमारी सरकार ने जो नया कार्यक्रम शुरू किया है, वैसे तो हमारे देश की पहचान दुनिया में एक स्केम वाले देश के रूप में हो चुकी थी। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने स्किल इंडिया बनाने की जो बात कही है और जो ग्रामीण रोजगार के कौशल विकास का कार्यक्रम शुरू किया गया है, वह वाकई में बहुत काबिलेतारीफ है। मैं प्रशंसा करना चाहता हूं, किन्तु मंत्री जी से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गांव में जो परम्परागत रोजगार होते

थे, वे धीरे-धीरे लुप्त हो रहे हैं और इसी कारण से बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या उनको भी इन कार्यक्रमों में शामिल करेंगे? जहां जिस तरह के संसाधन उपलब्ध हों, क्या उस तरह के ट्रेड वहां पर लाए जा सकते हैं, ताकि उनको फिर से प्रोत्साहित किया जा सके?

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : मैडम, जैसा मैंने बताया कि लाइवलीहुड मिशन के तहत दो बड़ी स्कीम्स लांच की गयीं, उनके तहत यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा वर्ग है, आज के दिन गांव में न तो लोगों के पास इतनी जमीन रही कि उस जमीन पर वे कोई दूसरा काम कर सकें और गांव में जो कुटीर उद्योग था, वह भी आहिस्ता-आहिस्ता लुप्त होता जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम हमने किया, उसमें हमें कामयाबी भी मिली है। मैं बताना चाहूंगा, जैसा मैंने कहा कि नक्सल अफेक्टेड जो एरियाज हैं, उनके अंदर हमने नौ स्टेट्स में सत्ताईस डिस्ट्रिक्ट्स को चिन्हित किया और पचास हजार यूथ की ट्रेनिंग के लिए टार्गेट रखा।

इसके साथ-साथ जो दूसरे ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसमें हमने जो टार्गेट रखा है, उसमें 15 प्रतिशत जो हमारे माइनोरिटी के भाई हैं, उनकी संख्या रखी है। 15 प्रतिशत ट्रेनिंग उनको दी जाएगी और इसके साथ-साथ जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनको भी प्राथमिकता से ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारी जो दूसरी स्कीम्स चल रही हैं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य योजना और पंचायत महिला एवं युवा शक्ति आभियान, पंचायत सशक्तीकरण आभियान और ई-पंचायत, इन सबको मिलाकर हमने एक बहुत बड़ा विस्तृत कार्यक्रम रखा है। आज के दिन सिर्फ हमारे देश में ही स्किल्ड लोगों की कमी नहीं है, बल्कि दुनिया भर में कमी है। अगर हम इस कमी को पूरा करें तो लाखों की संख्या में विदेशों में भी हमारे स्किल्ड लोग काम करने जा सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी : महोदया, ये सच है कि हमें इस देश में कौशल विकास की आवश्यकता है। लेकिन यह बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि कौशल विकास से हम केवल सेवक तैयार कर रहे हैं। आखिरकार उद्योगों में कितने फिटर्स, वेल्डर्स, इलेक्ट्रिशियन्स को रोजगार दिया जा सकता है? यह एक पक्ष है।

चंडीगढ़ स्थित श्रम ब्यूरो नामक एक संगठन है। इसने एक रिपोर्ट तैयार की है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे पास उस रिपोर्ट का एक पृष्ठ है। इस रिपोर्ट का नाम है- "यूथ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट सीनारियो, 2012-13।" इस रिपोर्ट में बहुत ही रोचक तथ्य सामने आए हैं। इसके अनुसार, हर तीन में से एक स्नातक बेरोजगार है। यह 2012-13 की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। वहीं अगर हम इसी आंकड़े की तुलना निरक्षर युवाओं से करें – यह सभी आंकड़े 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के हैं – तो वर्ष 2012-13 में बेरोजगारी की दर केवल 3.7 प्रतिशत थी। 2011-12 में यह और भी कम, मात्र 1.2 प्रतिशत थी।

मैं सरकार से एक बात जानना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि यह पूरी सदन की रुचि का विषय है। क्या हम वास्तव में रोजगार की जमीनी हकीकत को देख रहे हैं? क्या हम इस चुनौती का सामना करने की कोई योजना बना रहे हैं, जो कि हमारी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्पन्न हो रही है? क्या सरकार को यह जानकारी है कि शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की दर, निरक्षर युवाओं की तुलना में अधिक है? क्या हम श्रम को सम्मान देने की दिशा में कोई कदम उठा रहे हैं ताकि शिक्षित युवा भी हर प्रकार का कार्य सम्मानपूर्वक कर सकें, न कि केवल उन्हें सेवक बनाने तक सीमित कर दिया जाए? क्या सरकार इस वास्तविकता से अवगत है? और यदि हाँ, तो क्या इस चुनौती से निपटने के लिए कोई ठोस योजना बनाई जा रही है? यदि हाँ, तो वह योजना क्या है?

माननीय अध्यक्ष: यह प्रश्न ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवाओं के बारे में है।

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह: महोदया, वह सही कह रहे हैं। अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि हम एक कार्यबल तैयार कर रहे हैं। जिन युवाओं ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, वे उन लोगों की अपेक्षा अधिक बेरोजगार हैं जो सामान्य कार्यबल के रूप में उपलब्ध हैं।

इस योजना की एक बात स्पष्ट है कि इसके एक घटक के अंतर्गत हमने कुछ प्रतिष्ठानों को 'चैम्पियन एम्प्लॉयर' के रूप में चयनित किया है, जहां पर युवाओं को डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये युवा उस प्रतिष्ठान के ही अभिन्न अंग बन जाते हैं। ऐसे युवाओं को आंतरिक प्रशिक्षण

दिया जाता है। यदि ये युवा केवल एक कार्यबल के रूप में बाहर न जाकर, उस प्रतिष्ठान का ही अभिन्न अंग बन जाएं जिसने उन्हें रोजगार प्रदान किया है, तो पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है। फिर किसी को नंबर एक या नंबर तीन की श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि वे उसी प्रतिष्ठान के एक समान अंग होते हैं। यही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की मूल अवधारणा है।

(प्रश्न संख्या 364)

[हिन्दी]

श्री धनंजय महाडीक : अध्यक्ष महोदया, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण आभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सभी मेम्बर्स को ट्रेनिंग दी गई थी। सरकार ने उस ट्रेनिंग पर हजारों-करोड़ों रुपए खर्च किये। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या उस ट्रेनिंग से उन्हें कोई लाभ हुआ है, उन पर कोई प्रभाव पड़ा है? क्या उन लोगों ने कोई अनोखे निर्णय लिए हैं? सरकार की नयी-नयी योजनाएं आती हैं। क्या उन्होंने उनमें से कोई योजना नये तरीके से इम्प्लिमेन्ट की है? ट्राइबल एरियाज के जो सदस्य हैं, जो कम एजुकेटेड हैं, उस योजना या उस ट्रेनिंग से उन्हें कोई लाभ हुआ है? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके पास सेकेण्ड सप्लिमेन्ट्री पूछने का अवसर है।

श्री धनंजय महाडीक : अध्यक्ष जी, यह ट्रेनिंग का ही सब्जैक्ट है। एक बार ट्रेनिंग देने से क्या वे लोग पूरी तरह से सक्षम हो गए हैं? यदि सरकार के पास उसका कोई ब्योरा है तो मैं आपके माध्यम स्ो माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह: महोदया, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान केवल दो वर्ष पूर्व ही प्रारंभ किया गया था। माननीय सदस्य ने यह कहा कि प्रशिक्षण आदि पर भारी राशि खर्च की गई है, परंतु यह तथ्य पूर्णतः

सही नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक राज्यों को ₹395 करोड़ की राशि जारी की गई है। आरजीपीएसए के अंतर्गत हम राज्यों को उनकी प्रदर्शन-आधारित उपलब्धियों के आधार पर प्रोत्साहन राशि देते हैं, ताकि पंचायतों को सशक्त किया जा सके। यदि कोई राज्य पंचायतों की क्षमता एवं सामर्थ्य वृद्धि हेतु कार्य करता है, तथा निर्धारित निधियों का विकेंद्रीकरण करता है, तो उस राज्य को अतिरिक्त 20 प्रतिशत राशि दी जा सकती है। हम यह प्रशिक्षण इसलिए दे रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी को राजनीतिक जीवन की नैतिकता और मूल्यों का भी ज्ञान हो, क्योंकि पंचायतें ही राजनीतिक जीवन का आधार हैं। यही उद्देश्य इस योजना को शुरू करने का था। इस योजना के अंतर्गत हम राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं, परंतु अभी भी काफी राशि अप्रयुक्त है क्योंकि यह योजना पूर्ण रूप से एक वर्ष से भी कम अवधि से चालू है, और अब तक केवल 19 प्रतिशत राशि ही खर्च हो पाई है।

[हिन्दी]

श्री धनंजय महाडीक : अध्यक्ष महोदया, पंचायत राज योजना में 5000 जनसंख्या वाले गांव में एक पंचायत आभियन्ता (इंजीनियर) दिया जाता है। वह इसलिए नियुक्त किया गया है कि वह बिल्डिंग प्लान के लिए अप्रूवल देता है और कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन देता है। इस योजना में ऐसा है कि 5000 जनसंख्या वाले गांव के लिए भी एक ही आभियन्ता है और 35000-40000 जनसंख्या वाले गांव के लिए भी एक ही आभियन्ता है। जैसे जनसंख्या बढ़ती है, क्या मैनपावर बढ़ाने की जरूरत नहीं है? यदि महाराष्ट्र में देखा जाए तो पिछले साल यानी 2013-14 में 83.71 करोड़ रुपये फंड दिए गए थे। इस साल दिसम्बर आ चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ 34.75 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। मार्च आने में तीन महीने बचे हैं। क्या महाराष्ट्र के लिए ज्यादा बजट देने की कोई योजना है? ग्राम पंचायत में जो नई बिल्डिंग बनती है, उसके लिए 12 लाख रुपये दिए जाते हैं। यह सिर्फ नई बिल्डिंग के लिए है, नया ऑफिस बनाने के लिए है। अभी कई गांवों में 40 साल पुरानी बिल्डिंग हैं। यदि सरकार के पास उनके लिए भी कोई योजना है तो बताने की कृपा करें।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदया, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना में हमने ट्रेनिंग के लिए एक व्यापक योजना बनाई है। जिस जिला मुख्यालय में कोई जगह उपलब्ध होगी, वहां हम इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 करोड़ रुपये देंगे जिससे वहां के ग्रामीण क्षेत्रों से चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने अधिकारों के प्रति ज्ञान हो और पंचायती राज की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी को और मजबूत किया जाए।

[अनुवाद] आर.जी.पी.एस.ए. के तहत इस साल हमने 214 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना आबंटित किए हैं। हालाँकि, राज्य के पास खर्च न की गई शेष राशि को घटाकर पहली किस्त की धनराशि जारी कर दी गई है। [हिन्दी] इसके साथ-साथ दूसरे साधन भी जो पंचायत के सशक्तीकरण का माध्यम हो सकते हैं, उनके लिए हमने पूरी योजना तैयार की है। लेकिन इसमें हमने यह भी कहा है, जैसे किसी स्टेट गवर्नमेंट का एलोकेशन इस बात पर निर्भर करता है कि वह हर पांच साल में यह निश्चित करें कि चुनाव हों। वह यह भी निश्चित करें कि स्टेट फाइनैंस कमीशन की रिकमैंडेशन्स पर की गई कार्यवाही विधान सभा के पटल पर पांच साल के लिए रखी जाएं। वहीं से ये रिकमैंडेशन्स डिवोलुशन ऑफ फंड से संचालित है। उसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत का प्रावधान जरूर है, लेकिन यदि उससे ज्यादा हो तो वे बढ़ाकर भी उपरोक्त स्कीम में कर सकते हैं। हमने इस तरह के मापदंड निधाररित किए हैं ताकि उन मापदंडों के आधार पर हम उन्हें फंड्स रिलीज़ करें तथा पिछले वर्ष की अप्रयुक्त राशि को समायोजित कर प्रथम किश्त की केन्द्रांश राशि निर्गत की जा चुकी है।

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव : अध्यक्ष महोदया, हिन्दुस्तान में अभी जो काम चला है, जो ग्राम पंचायत और जिला परिषद समिति अच्छे काम करती है, क्या उसके लिए प्राइज़ देने के बारे में कोई प्रावधान है?

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : जी हां।

श्री वीरेन्द्र कश्यप : अध्यक्ष महोदया, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण आभियान, यह ठीक है कि 2012-13 में इस योजना को लागू किया गया और पिछले दो वर्षों में इसमें पैसे के प्रावधान भी किए गए हैं। [अनुवाद] मंत्री जी ने जवाब दिया है -- राज्य योजनाओं के लिए आर.जी.पी.एस.ए. का वित्तपोषण क्रमशः केंद्र और राज्य

सरकारों द्वारा 75:25 के आधार पर किया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, यह अनुपात 90:10 है। [हिन्दी] मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नार्थ-ईस्ट के पहाड़ी क्षेत्रों को भी इसमें 90:10 के रेशियो में लिया जाएगा? [अनुवाद] यह भी कहा गया -- पंचायतों या अन्य स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण दिया जाना चाहिए। [हिन्दी] हमें इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हमने 30 प्रतिशत नहीं बल्कि 50 प्रतिशत किया था। महिलाओं की बुद्धिमता, इफैक्टिवनैस, एक्टिवनैस की वजह से वह 50 प्रतिशत से 58 प्रतिशत हो गया यानी हिमाचल प्रदेश में आज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में महिलाओं का रिजर्वेशन लगभग 60 प्रतिशत हो गया है। केन्द्र सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए जो कार्य कर रही है, क्या उसमें सरकार से कोई प्रोत्साहन मिलने की संभावना है?

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : यह बात सही है कि जो सिस्टर स्टेट्स हैं, उनमें 90:10 का रेशियो है और बाकी के राज्यों में 75:25 का रेशियो है। बाकी 33 प्रतिशत कम से कम है। अगर इन्होंने 60 प्रतिशत पहुंचा दिया तो हम इनका धन्यवाद करते हैं। वैसे भी पहाड़ी राज्यों में महिलाओं का अनुपात ज्यादा होता है। इसके लिए इनको धन्यवाद। मैं यह भी कहूंगा कि एडिशनल इन्सेन्टिव्स जो अच्छा काम करते हैं, जैसे राजीव गांधी ग्रामीण सशक्तीकरण योजना के तहत जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, इसमें महिलाओं का भी एक रोल है, अगर इसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा है तो 20 प्रतिशत जब हम निर्धारण करेंगे तो वह अंश भी देखेंगे कि महिलाओं का इसमें पार्टिसिपेशन आधिक हो।

प्रश्नों के लिखित उत्तर[†*]

(तारांकित प्रश्न संख्या 365-380

अतारांकित प्रश्न संख्या 4141 से 4370)

[†] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष द्वारा बधाई

श्रीहरिकोटा से जी.एस.एल.वी एम.के 3 के सफल प्रक्षेपण पर भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : जैसा कि आपवो विदित है, हमारे देश ने आज श्रीहरिकोटा से अपने नवीनतम रॉकेट "जीएसएलवी एमके. 3 " को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। अब तक सबसे भारी यह 630 टन रॉकेट एक प्रोटोटाइप क्रू मॉड्यूल को भी अपने साथ लेकर गया है जो इस देश को अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इस प्रक्षेपण से भारत ने उन राष्ट्रों के चयनित समूह में प्रवेश कर लिया है जिनके पास ऐसे जटिल मिशन की प्रौद्योगिकी है। हमें अपने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर अत्यधिक गर्व है।

यह सभा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के समर्पित दल को इस मिशन को सफल बनाने पर अपनी बधाई देती है।

अपराह्न 12.02 बजे

~~सभा पटल पर रखे गए पत्र~~

माननीय अध्यक्ष: अब, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

विधि और न्याय मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) अगस्त, 2012-जुलाई, 2013 की अवधि के लिए नेशनल जुडिशियल एकेडमी इंडिया, भोपाल के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अगस्त, 2012-जुलाई, 2013 की अवधि के लिए नेशनल जुडिशियल एकेडमी इंडिया, भोपाल के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1366/16/14)

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री और पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह): मैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) का.आ.1888(अ) जो 23 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची I में और संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1367/16/14)

(2) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अनुसूची I और अनुसूची II संशोधन आदेश, 2013 जो 4 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1987(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1368/16/14)

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) केंद्रीय सिल्क बोर्ड, बैंगलोर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केंद्रीय सिल्क बोर्ड, बैंगलोर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केंद्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1369/16/14]

(2) (एक) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1370/16/1

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षाा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1371/16/1

(4) (एक) इंडियन सिल्क एक्स्पोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सिल्क एक्स्पोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1372/16/1

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कॉर्पोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कॉर्पोरेशन, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1373/16/1

(ख) (एक) हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1374/16/1

(6) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 2968(अ) जो 25 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जूट पैकेज सामग्री में खाद्यान्न और चीनी की पैकेजिंग

को 30.11.2014 से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आगे दो महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1375/16/14]

(7) (एक) पावरलूम डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पावरलूम डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1376/16/14]

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों एन.एल.सी. तमिलनाडु पावर लिमिटेड एंड नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों एन.एल.सी. तमिलनाडु पावर लिमिटेड अंड नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1377/16/14]

(ख) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और उसकी सहायक कंपनियों के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड [वोल्यूम I और वोल्यूम II (भाग I और II)], कोलकाता का वर्ष 2013-2014 और इसकी अनुषंगी कंपनियों का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1378/16/14]

(ग) (एक) सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1379/16/14]

(घ) (एक) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1380/16/1

(2) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(1) मणिपुर और मिजोरम राज्यों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (लेखे और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2014 जो 28 अक्टूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 754(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) मणिपुर और मिजोरम राज्यों के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (निधि के गठन और प्रयोग की रीति तथा बजट की तैयारी के लिए प्ररूप और समय) नियम, 2014 जो 28 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 755(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1381/16/14]

[हिन्दी]

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सांवर लाल जाट): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) कंपनी आधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1382/16/14]

(2) (एक) नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, इंदौर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, इंदौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1383/16/14]

[अनुवाद]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन गडकरी): श्री पोन राधाकृष्णन की ओर से, मैं निम्नलिखित पर सभा पटल पर रखता हूँ:--

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1384/16/1

(ख) (एक) ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1385/16/1

(ग) (एक) कामराजर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कामराजर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1386/16/1

(घ) (एक) सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1387/16/1

(2) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(तीन) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2013-2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1388/16/1

(3) (एक) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1389/16/14]

(4) (एक) जवाहरलाल नेहरू, पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू, पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) जवाहरलाल नेहरू, पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) जवाहरलाल नेहरू, पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1390/16/1

(5) (एक) अर्स्टव्हाइल बॉम्बे डॉक लेबर बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अर्स्टव्हाइल बॉम्बे डॉक लेबर बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1391/16/1

(6) (एक) मुर्मूगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुर्मूगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) मुर्मूगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) मुर्मूगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2013-2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1392/16/1

(7) (एक) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2013-2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1393/16/1

(8) (एक) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1394/16/14]

(9) (एक) टैरिफ ऑथरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) टैरिफ ऑथरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1395/16/1

(10) (एक) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, न्यू मंगलोर के वर्ष 2013-2014 के लिए वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, न्यू मंगलोर 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, न्यू मंगलोर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, न्यू मंगलोर के वर्ष 2013-2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1396/16/1

(11) (एक) वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास, तूतीकोरिन के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास, तूतीकोरिन के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1397/16/14]

(12) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) वाणिज्य पोत परिवहन (सागरगामीयों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन तथा वाच-कीपींग के मानक) नियम, 2014 जो 31 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 546(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) वाणिज्य पोत परिवहन (पोत के सुरक्षित संचालन के लिए प्रबंधन) संशोधन नियम, 2014 जो 23 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 351(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) वाणिज्य पोत परिवहन (सागरगामीयों की नियुक्ति तथा तैनाती) संशोधन नियम, 2014 जो 20 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 33(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(13) उपर्युक्त मद सं. (12) के (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1398/16/14]

(14) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में से प्रत्येक की एक प्रति:-

(1) का.आ. 2833(अ) से का.आ. 2835(अ) जो 7 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) का.आ. 2836(अ) जो 7 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(3) का.आ. 2837(अ) जो 7 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(4) का.आ. 2788(अ) जो 29 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(5) का.आ. 2789(अ) जो 29 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(6) का.आ. 1626(अ) जो 27 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (हैदराबाद-यदगिरी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन किए जाने के बारे में है।

(7) का.आ. 1708(अ) जो 9 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा-कुरनूल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(8) का.आ. 2115(अ) जो 22 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 163) (यदगिरि-वारंगल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(9) का.आ. 1125(अ) जो 24 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(10) का.आ. 36(अ) जो 7 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214क (डिगामरू से ओंगोले खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि अर्जन हेतु, उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(11) का.आ. 645(अ) जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27नवम्बर 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 3509(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(12) का.आ. 41(अ) जो 7 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्यमे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 222 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अर्जन हेतु, उसमें उल्लिखित, अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(13) का.आ. 38(अ) जो 7 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 फ़रवरी 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 335(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(14) का.आ. 573(अ) जो 26 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (संगरूर-पटरन खनौरी रोड से पंजाब/हरियाणा सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(15) का.आ. 1003(अ) जो 2 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अक्तूबर , 2013 की अधिसूचना सं. का.आ.. 2977(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(16) का.आ. 3649(अ) जो 12 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(17) का.आ. 3665(अ) जो 13 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(18) का.आ. 3651(अ) जो 12 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(19) का.आ. 458(अ) जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु राजस्व मंडल अधिकारी, नलगोन्डा को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(20) का.आ. 462(अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-30) (चिल्पी-सिमगा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(21) का.आ. 3315(अ) जो 2 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(22) का.आ. 3316(अ) जो 2नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 765 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु जॉइंट कलेक्टर, महबूबनगर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(23) का.आ. 2487(अ) जो 19 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 जनवरी, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 49(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है।

(24) का.आ. 1789(अ) जो 21 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा ज़ो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75ड़ (रीवा-सीधी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु जॉइंट कलेक्टर, महबूबनगर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(25) का.आ. 572(अ) जो 26 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (संगरूर-पटरन खनौरी रोड से

पंजाब/हरियाणा सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(26) का.आ. 596(अ) जो 28 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(27) का.आ. 3319(अ) जो 2 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा ज़ो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(28) का.आ. 571(अ) जो 26 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (संगरूर-पटरन-खनौरी रोड से पंजाब/हरियाणा सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(29) का.आ. 2483(अ) जो 19 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(30) का.आ. 2492(अ) जो 19 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य के राजमार्ग संख्या 79 और 113 को भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(31) का.आ. 2734(अ) जो 10 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा ज़ो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 221 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और

प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु एडिशनल जॉइंट कलेक्टर, कृष्णा को सक्षम प्राधिकारी के रुप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(32) का.आ. 644(अ) जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (नागौर-जोधपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(33) का.आ. 3652(अ) जो 12 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(34) का.आ. 314(अ) जो 4 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 (अजमेर-नागौर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(35) का.आ. 3083(अ) जो 9 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (ब्यावर से बघाना खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(36) का.आ. 3080(अ) जो 9 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 78 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(37) का.आ. 459(अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 (मंगावन-चकघाट खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(38) का.आ. 242(अ) जो 24 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (सूरतगढ़-श्रीगंगानगर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(39) का.आ. 574(अ) जो 26 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (संगरूर-पटरन खनौरी रोड से पंजाब/हरियाणा सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(15) उपर्युक्त (14) की मद सं. (दस) से (उनतालीस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1399/16/1

(16) (एक) इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1400/16/14]

अपराह्न 12.03 बजे

लोक लेखा समिति

11वें से 13वां प्रतिवेदन

प्रो. के.वी. थॉमस (र्नाकुलम): मैं लोक लेखा समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) रेल मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय रेल में तत्काल और अग्रिम प्रणाली' के बारे में समिति के 80वें प्रतिवेदन (15वी लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित 'आयातित दालों की बिक्री तथा वितरण' के बारे में समिति के बयासीवें प्रतिवेदन (15वी लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'उर्वरक राजसहायता' पर समिति के इक्यासी वें प्रतिवेदन (15वी लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 ½ बजे

आचार समिति

पहला प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री एल.के.आडवाणी (गांधीनगर): महोदया, मैं आचार समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

———

अपराह्न 12.04 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

सारांश

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 3 दिसम्बर, 2014 को आयोजित पहली बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

———

अपराह्न 12.04 ½ बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

पहले से तीसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : मैं कृषि संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1) खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के 57वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाही के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का पहला प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का दूसरा प्रतिवेदन।

(3) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का तीसरा प्रतिवेदन।

———

<u>अपराह्न 12.05 बजे।</u>

रेल संबंधी स्थायी समिति

पहले से तीसरा प्रतिवेदन

श्री दिनेश त्रिवेदी (बैरकपुर): मैं रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :

(1) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रमुख रेल दुर्घटनाएं - कारण तथा उपचारात्मक उपाय के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) उत्तर पूर्व क्षेत्र की परियोजनाओं पर विशेष बल देते हुए निर्माणाधीन तथा लम्बित रेल परीयोजनाएं के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

(3) 'रेल मंत्रालय की अनुदानो की मांगों 2014-15' के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

(दो) विवरण

श्री दिनेश त्रिवेदी (बैरकपुर): मैं रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) 'रेल मंत्रालय की अनुदानो की मांगों- -2013-14' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 22वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

(2) 'भारतीय रेल में यात्री सुविधाएं तथा यात्री सुरक्षा' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 24वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय पाँच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

अपराह्न 12.06 बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

पहले से तीसरा प्रतिवेदन

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी): मैं शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) शहरी विकास मंत्रालय की 'अनुदानो की मांगों (2014-2015)' के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की 'अनुदानो की मांगों (2014-2015)' के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित 'दिल्ली में सस्ते घरों के विशेष संदर्भ में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ऐ) का कार्यकरण तथा दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण में इसकी भूमिका और उससे संबंधित मामले' विषय पर शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

<u>अपराह्न 12.06 ½ बजे</u>

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

श्री आनन्दराव अडसुल (अमरावती): मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों 2014-15 के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.06 3/4 बजे

गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति

181वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं संघ राज्य क्षेत्रों (दमन और दीव, दादर और नागर हवेली और चंडीगढ) के प्रशासन के बारे में समिति के 180वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 181वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

महिला न्यायाधीशों के लिए आरक्षण के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के संबंध में 24.11.2014 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में विलंब के कारण बताने वाला वक्तव्य

विधि और न्याय मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा): मैं वक्तव्य देता हूँ (i) 'महिला न्यायाधीशों के लिए आरक्षण' के बारे में सर्वश्री राम चरित्र निषाद और रविन्द्र कुमार पाण्डेय, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 9 के संबंध में 24 नवम्बर, 2014 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलंब के कारण बताने वाला वक्तव्य।

(एक)

अनुलग्नक का भाग		पढ़ने	के लिए
क्रमांक संख्या 8	गुजरात	--	03
क्रमांक संख्या 14	मध्य प्रदेश	01	02
कुल		55	59

(दो) अनुलग्नक में 10.11.2014 की स्थिति में गुजरात तथा मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की संख्या क्रमशः "शून्य" और "01" दर्शायी गई थी। पुनरीक्षण के दौरान यह ध्यान में आया कि उक्त तिथि को गुजरात उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या "3" और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में "2" थी। तदनुसार, एक संशोधित विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रक्रिया में हुई देरी के लिए खेद व्यक्त

किया जाता है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1401/16/14]

अपराह्न 12.07 1/2 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'ऊर्जा के अभिज्ञात गैर-परंपरागत संसाधनों की उपलब्धता-उपयोगिता की तुलना में उनकी संभावना' के बारे में उर्जा संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[‡*]

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री के निर्देश 73-क के अनुसरण में, जो लोक सभा समाचार भाग-दो दिनांक 1 सितम्बर, 2004 में प्रकाशित हुआ था, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का 29वें प्रतिवेदन 24 अगस्त, 2012 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए चिन्हित ऊर्जा के गैर-पारंपरिक की उपलब्धता-उपयोगिता की तुलना में उनकी संभावना से संबंधित है।

समिति के 29[वें] प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई का विवरण 23 नवंबर, 2012 को ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था।

इस प्रतिवेदन में कुल 14 सिफारिशें की गई थीं, जिन पर सरकार को कार्रवाई की जानी थी। ये सिफारिशें पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत, सौर ऊर्जा, बायोमास, शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा,

---

‡ सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1402/16/14

ज्वारीय ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर अनुसंधान एवं विकास जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संभावनाओं और उनके उपयोग से संबंधित थीं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में दर्शायी गई है, जिसे मैं सभा पटल पर रखता हूँ। मैं इस अनुलग्नक की सामग्री को पढ़ने के लिए सभा का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.08 बजे

ध्यानाकर्षण करने योग्य अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला

जीवन रक्षक औषधियों की कीमतों में वृद्धि और नकली दवाओं की मौजूदगी के कारण हो रहे गंभीर स्वास्थ्य संकट से उत्पन्न स्थिति के बारे में

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीता रंजन (सुपौल) : अध्यक्ष महोदया, मैं रसायन और उर्वरक मंत्री का ध्यान आविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाती हूं और प्रार्थना वरती हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :

"जीवन रक्षक औषधियों की कीमतों में वृद्धि और नकली दवाओं की मौजूदगी के कारण हो रहे गंभीर स्वास्थ्य संकट से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री अनंतकुमार): अध्यक्ष महोदया, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति (एन.पी.पी.पी.), 2012 की घोषणा के अनुसरण में सरकार ने 15.5.2013 को डी.पी.सी.ओ.1995 के अधिक्रमण में औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013, (डी.पी.सी.ओ.2013) अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एन.एल.ई.एम.), 2011 में यथा सूचीबद्ध और डी.पी.सी.ओ., 2013 की अनुसूची-I में शामिल, विनिर्दिष्ट खुराक और क्षमता वाली 348 बल्क औषधियों/सक्रिय औषध घटकों से संबंधित 680 (628 निवल) औषध फॉर्मूलेशन हैं। डी.पी.सी.ओ., 2013 के प्रावधानों के अधीन अब तक 509 दवाओं के उच्चतम मूल्य निर्धारित किए गए हैं। डी.पी.सी.ओ., 2013 की घोषणा से पूर्व प्रचलित अधिकतम मूल्य की तुलना में डी.पी.सी.ओ., 2013 के अधीन अधिसूचित दवाओं के मूल्यों में महत्वपूर्ण कमी की गई है। मूल्य में कमी के ब्योरे निम्नवत है:

खुदरा विक्रेता के अधिकतम प्रचलित मूल्य के संबंध में प्रतिशत कमी	औषधिओ की संख्या
0< = 5%	51
5<=10%	46
10<=15%	55
15< = 20%	44
20 < = 25%	65
25< = 30%	57
30<=35%	30
35<=40%	34
40 प्रतिशत से ऊपर	127
कुल	509

डी.पी.सी.ओ., 2013 के पैरा 13 (1) के अनुसार, अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के ब्रांडेड अथवा जेनेरिक अथवा दोनों रूपों को सरकार द्वारा निर्धारित और अधिसूचित उच्चतम मूल्य (यथा स्थानीय करों को जोड़कर) से अधिक मूल्य पर बेचने वाले अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के सभी मौजूदा विनिर्माता ऐसे सभी फोर्मुलेशनों के मूल्यों

को कम करेंगे जो उच्चतम मूल्य (यथा लागू स्थानीय करों को जोड़कर) से अधिक नहीं होंगे। साथ ही उक्त डी.पी.सी.ओ. के पैरा 13 (2) के अनुसार, अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के ब्रांडेड अथवा जेनेरिक अथवा दोनों रूपों को सरकार द्वारा निर्धारित और अधिसूचित उच्चतम मूल्य (यथा स्थानीय करों को जोड़कर) से निम्नतर मूल्य पर बेचने वाले अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के सभी मौजूदा विनिर्माता अपने मौजूदा 'अधिकतम खुदरा मूल्य' को बनाये रखेंगे।

कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे फॉर्मूलेशन को किसी भी उपभोक्ता को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने के लिए प्राधिकृत नहीं है। डी.पी.सी.ओ., 2013 की अनुसूचित श्रेणी के अंतर्गत कवर न की गई अन्य दवाओं का संबंध है, विनिर्माताओं अधिकतम खुदरा मूल्य में 10 प्रतिशत तक की वार्षिक वृद्धि करने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीता रंजन : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर के संबंध में कहना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ में 11 नहीं बल्कि 17 महिलाओं की मौत हुई थी।

माननीय अध्यक्ष : यह सब्जुडिस मैटर है, हाईकोर्ट में है। आप दूसरी बात बोल सकती हैं।

श्रीमती रंजीता रंजन : इसमें लिखा है कि छत्तीसगढ़ में 11 की डैथ हुई। मैं इसी को सुधार रही हूं। इसमें कहा गया है कि ... [अनुवाद] उक्त परिवार नियोजन शिविर में नसबंदी कराने वाली 11 महिलाओं की मौत की खबर है ..." ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : इसमें लिखा है?

श्रीमती रंजीत रंजन : महोदया, यह मेरे पास है। ऐसा उत्तर में दिया गया है। ... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया (गुणा): अध्यक्ष महोदया, सभा में वह उस पर बोल सकती हैं... (*व्यवधान*)

श्रीमती रंजीत रंजन : इसमें कहा गया है: "महिलाओं के लिए नसबंदी/ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन शिविर 08-11-2014 को मैसर्स नमीचंद जैन चैरिटेबल हॉस्पिटलमें आयोजित किया गया था। ..." ऐसा उत्तर में दिया गया है। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदया, वास्तव में... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अनंत जी, अप बाद में उत्तर दीजिएगा।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: महोदया, वास्तव में, इस संबंध में, इस नोटिस में दो अलग-अलग प्रश्न हैं। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मुझे मालम है, आप बैठिए।

श्रीमती रंजीत रंजन : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर नहीं देने से ही यह महसूस होता है कि आप कितने गंभीर हैं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया कोई रनिंग कमेंटरी नहीं।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन : माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, कांग्रेस की पॉलिसी को घुमाफिरा कर उत्तर दिया है। मैं आपसे दो-तीन प्रश्न पूछना चाहती हूं। जुलाई में दवा मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण ने 108 दवाओं को मूल्य नियंत्रण में लाने के फैसले पर आपकी सरकार ने सितंबर 2014 में रोक लगा दी। मेरा प्रश्न है कि क्यों रोक लगा दी? हमारी सरकार ने ऑलरेडी एम्स में 200 जैनरिक दवाइयों को फ्री में बंटवाने की सुविधा 2013 में दी थी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आज की तारीख में इसकी क्या हालत है? नकली दवाइयां, दवाओं के दाम बढ़ना, सही इलाज और डॉक्टरों द्वारा लापरवाही, बहुत गंभीर विषय हैं। आज दुनिया में हथियार से जितना मुनाफा होता है उसके बाद सैकेंडरी मुनाफा दवाओं के व्यवसाय और डॉक्टरी पेशे से होता है। यह देखकर बहुत अफसोस होता है कि हमारे देश में दवाई और डॉक्टर, दोनों व्यावसायी पेशा बन गए हैं। मोदी साहब अमेरिका गए और बहुत सी बातें की। 61 दवाओं का पैटेंट 2014 में खत्म हो रहा है। इस पर क्या बात हुई? विश्व में दवाइयों का बहुत बड़ा चैनल नहीं चाहता कि हमारी जैनरिक दवाइयां, जिसे 85 प्रतिशत लोग यूज़ करते हैं या करना चाहते हैं, इन दवाइयों का उपभोक्ता भारत में हो I मुझे आश्चर्य होता है कि यू.ए.ई. में इंडिया से 50 प्रतिशत दवाइयाँ जाती हैं, अमेरिका में हमारी दवाइयाँ जाती हैं, लेकिन हम बाहर से दवाइयाँ मंगाते हैं। हमारे देश में दुनिया की कुल आबादी का छठवाँ हिस्सा रहता है। लेकिन पूरे विश्व में स्वास्थ पर खर्च की जाने वाली रकम का एक प्रतिशत ही इंडिया में खर्च करते हैं। अभी दिल्ली में चुनाव है तो आप कहेंगे, मंत्री जी मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यह गंभीर विषय है, आपको दिल्ली में यह जरूर बताना चाहिए कि हम भाषण अच्छा देंगे, वायदे करेंगे, लेकिन बाद में जो पॉलिसी, अभी मैं दवाइयों के रेट पर भी आऊँगी। कैन्सर की दवाइयाँ, जो पहले आठ हजार पाँच सौ रुपए की थीं, वह अब एक लाख आठ हजार रुपए की हो गयी हैं। आप कहेंगे कि कांग्रेस की ऐसी पॉलिसी थी कि हमें बढ़ानी पड़ी। मेरे ख्याल से चुनाव से पहले आपको लोगों से भी कहना चाहिए था कि हम भाषण तो देंगे, लेकिन जिस पॉलिसी को लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही थी, उसी पॉलिसी में हमको आगे बढना है। उसके अलावा हम सक्षम नहीं हैं। यदि आय इसे क्लियर करेंगे, तो जनता तय करेगी कि उन्हें किसकी पॉलिसी पर चलना है, क्योंकि आपने उन्हीं की पॉलिसी का विवरण दिया है।

मैं अध्यक्ष महोदया के माध्यम से मंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर गरीब तीन-चार तरह की दवाइयों से मरता है। महंगी दवाइयों से लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास को ही नुकसान है। अमीर लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि, जेनेरिक दवाइयों की बात छोड़िए, वे विदेश जाकर अपना इलाज करा लेते हैं। हम में से भी बहुत से लोग विदेश ही चले जाते हैं। यदि दवाइयों की बात छोड़ दें तो गरीब तीन-चार तरह के कारणों से मर जाता है। एक, जब वह हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वह सरकारी अस्पताल की सफाई को देखकर मर जाता है, कभी ऑपरेशन का रेट सुनकर मर जाता है, कभी पैर बीमारी है और पेट का इलाज कर दिया गया, इस कारण से मर जाता है, कभी एक्सपायर्ड दवाई के सेवन से मर जाता है तो कभी नकली दवाइयों के कारण मर जाता है। मैं आपसे इस मेजर इश्यू पर, सबसे पहले जिन दवाइयों के रेट बढ़े हैं, उसे आप क्लियर करें।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग कैंसर की बीमारी से प्रभावित होते हैं। इनमें से एक-तिहाई हर वर्ष मर जाते हैं। वर्ष 2025 तक भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या में पाँच गुना वृद्धि हो जाएगी। कैंसर के जिस दवाई की कीमत पहले आठ हजार पाँच सौ रुपए थी, अब उस दवाई की कीमत एक लाख आठ हजार रुपए हो गयी है। ब्लड प्रेशर, हर्ट डिजीज़ जैसी बीमारियों की दवाएँ, जो पहले 147 रुपए की थी, वह अब 1615 रुपए की हो गयी हैं। रेबीज़ की दवाई, जो पहले 2670 रुपए की थी, अब वह 7000 रुपए की हो गयी है। टी.बी., मधुमेह, एच.आई.वी. जैसी बीमारियों की दवाओं में भी पाँच से बारह गुना का इज़ाफा हुआ है। वर्ष 2011 के आंकड़े के अनुसार, देश में बीस लाख अट्ठासी हजार लोग एच.आई.वी. से ग्रसित हैं। अमेरिका का ऐसा षडयंत्र है कि जो दवाइयाँ पेटेंट हैं, वे और कहीं नहीं बन सकती हैं।

मैं आपसे तीन-चार बातें कहना चाहूंगी कि आखिर हमारी जरूरत की 85 प्रतिशत का निर्माण हम स्वयं करते हैं। हमारी जेनेरिक दवाइयाँ गुणवत्ता की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरती हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे अस्पतालों में, यह फैक्ट है कि डॉक्टर्स जेनेरिक दवाइयों को नहीं लिखते हैं क्योंकि डॉक्टरी पेशा, एक व्यावसायिक पेशा है। [हिन्दी] प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज में 50 लाख रुपए का डोनेशन देकर एक व्यक्ति डॉक्टर

बनता है। डॉक्टर बनने के बाद उसका मेन मकसद रहता है कि दुबारा उन पैसों को कहाँ से आर्जित करें। इनमें से ही, इस तरह की मानसिकता वाले डॉक्टर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चंगुल में आते हैं। वे गिफ्ट, विदेश यात्रा आदि के चंगुल में फंसकर प्रिस्क्रिप्शन में महंगी दवाइयों को प्रेस्क्राइब करते हैं। आखिर हमने आईएमए बनाया, रेगुलेटरी बॉडी बनी डाक्टरों को संरक्षण देने के लिए। हमारे देश में पेशेंट को संरक्षण देने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं है? यूएस में है, यूके में है, वहां पर सीनियर सिटिजन्स का फ्री इलाज होता है। हमारे यहां फ्री इलाज की बात छोड़ दीजिए, अगर सरकारी अस्पतालों में हमें जेनुइन दवाइयां मिल जाएं तो हमारे लिए बहुत रहम की बात होगी। एक व्यक्ति अस्पताल में एंजियोग्राफी कराने गया, उसे डाक्टर में बुलाकर कहा कि आपका स्ट्रिंग लगना है, जल्दी बताओ क्या करना है। उसने कहा, लगा दो। फिर डाक्टर ने पूछा कि कौन सा स्ट्रिंग लगाना है - इंडियन लगाना है या इम्पोर्टेड लगाना है। उस व्यक्ति ने पूछा कि दोनों में फर्क क्या है? तब डाक्टर ने बताया कि इम्पोर्टेड लगाएंगे तो पेशेंट की लाइफ सेफ है, अगर इंडियन लगाएंगे तो कोई गारन्टी नहीं है। क्या हमारे देश का डाक्टर ऐसी मानसिकता से चलेगा? मरता क्या न करता, उस व्यक्ति ने रेट पूछा तो डाक्टर ने बताया कि इंडियन स्ट्रिंग का रेट 40 हजार रुपये है और इम्पोर्टेड स्ट्रिंग का रेट डेढ़ लाख से शुरू होता है। वह व्यक्ति अपनी जमीन, घर और ज्वैलरी बेचकर अपने पेशेंट का इलाज कराता है। आखिर इस सोच को बदलने के लिए कोई गंभीर कानून क्यों नहीं लाया जाता है? आप 85 प्रतिशत जेनेरिक दवाई दे रहे हैं। हमारा देश गरीब देश है, 65 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। ऐसी जेनेरिक दवाई, जिसकी कीमत दस हजार रुपये हो, एक व्यक्ति जिसको सात हजार रुपये तनख्वाह मिलती है, वह उसे कैसे खरीद सकता है। उसके ऊपर हम इतना लोड डाल देते हैं। मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या जेनेरिक दवाइयों के बारे में कोई कानून है कि डाक्टर को जेनेरिक दवाई ही लिखनी है? गांवों में हमारे पीएचसी हैं। एम्स के बारे में मैं पढ़ रही थी कि 200 दवाइयां मुफ्त में बांटने की बात आई कि हर दिन 20 करोड़ का टारगेट लिया गया है, लेकिन हमारे पास इतने सुव्यवस्थित अस्पताल ही नहीं हैं जिनमें हम दवाइयों को मुफ्त में बांट सकें। मैं इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि आप पता करें कि क्या एम्स में वे मुफ्त दवाइयां बंट रही हैं? हर जिले में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल और पीएचसी हैं, वहां सारी दवाइयों को बेच दिया जाता है। इसकी

इनक्वायरी होनी चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल और पीएचसी में जो दवाइयां खरीदी जाती हैं, उसका इतना बड़ा चैनल है कि दो-तीन महीने पुरानी एक्सपायरी दवाइयां बचती हैं, उनको खरीदा जाता है क्योंकि ऐसी दवाएं दवा विक्रेता द्वारा काफी सस्ते में मिलती हैं और सांठ-गांठ के द्वारा उसमें उन लोगों को काफी कमीशन मिलता है। छत्तीसगढ़ में बहुत दर्दनाक घटना हुई, बस्तर में हुई, उसके बाद बिहार में भी हुई। सबसे पहली बात यह है कि भारत में नसबन्दी का ठेका सिर्फ महिलाओं को दिया गया है? हमारे यहां सर्वे में यह बात सामने आई है कि सिर्फ एक प्रतिशत पुरूष नसबन्दी कराते हैं, जबकि मेडिकल रिसर्च कहती है कि इससे उनके पुरूषार्थ में कोई कमी नहीं आती है। बच्चे पैदा भी महिलाएं करेंगी, बच्चों को पालेंगी भी महिलाएं और जब पापुलेशन कंट्रोल की बात आएगी तो नसबन्दी की जिम्मेदारी भी महिलाओं को दी जाएगी। बहुत शर्म आती है इस बात को कहने में कि टारगेट पूरा करने के लिए ऐसे काम होते हैं। वहां पर जो डाक्टर हैं, उनको 50 हजार नसबन्दी करने के लिए पुरस्कृत भी किया गया, यह कैसा पुरस्कार है कि महिलाओं को जानवर की तरह घसीटकर ले जाया जाता है, जबर्दस्ती नसबन्दी कर दी जाती है। आपने भी मेंशन किया है कि हो सकता है इन्फेक्शन और लो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन की वजह से ऐसी घटना हुई। यह जानकारी आपने उत्तर में दिया है। घटना के बाद मंत्री ने कहा - मैं मंत्री हूं, डाक्टर नहीं हूं। डाक्टर ने कहा - मेरा काम सिर्फ ऑपरेशन करना था, दवा के बारे में दवाई वालों से पूछिए। दवा वालों ने कहा कि दवाई के बारे में दवा विक्रेता से पूछो, दवा उसने दी थी। मेरे ख्याल से हम सभी अपनी-अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जिस अस्पताल में यह घटना हुई, वह अस्पताल पिछले पांच साल से बंद था। तो उसमें किस तरह की सफाई थी, जो आपने ऑपरेशन की सहमति दे दी। मैं पूछना चाहूंगी कि अगर अस्पताल, डॉक्टर, मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं है, तो इस घटना का जिम्मेदार कौन है? बगल में ही बस्तर जिला था, वहां भी 13 महिलाएं बेहोश होने लगीं, उन्हें बिलीडिंग होने लगी, उनकी किडनी खराब हो गयी और यह सब कुछ नसबंदी के कारण हुआ। यह कैसा टार्गेट है, जहां पर महिलाओं को इंसान नहीं समझा जाता है। दो भिखारिनों को पकड़ कर ले जाया गया, उनकी जबरदस्ती नसबंदी कर दी गयी, क्योंकि टार्गेट पूरा करना था और उन्हें ग्यारह-ग्यारह सौ रुपये प्रोत्साहन राशि दे दी गयी।

माननीय अध्यक्ष : ताम्रध्वज साहू जी। रंजीता जी, मुझे खेद है। इतना नहीं और वह भी विषय के बाहर आप बोल रही हैं, यह नसबंदी पर चर्चा नहीं है।

श्रीमती रंजीत रंजन : अध्यक्षा जी, मैं एक मिनट और लेना चाहूंगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि हमारे देश में नकली दवाएं, एक्सपायरी दवाएं, लोगों को जानवर से बदतर समझना, आम बात हो गयी है। मरीज के पेट में, डॉक्टर कभी कैंची छोड़ देता है, कभी तौलिया छोड़ देता है, तो क्या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसे जिम्मेदार ठहराया जाए। भारत में, रैगुलेटरी बॉडी, मरीज के संरक्षण के लिए, जरुर आनी चाहिए। पैथोलॉजी पर आनी चाहिए, नर्सिंग होम पर आनी चाहिए, प्राइवेट डॉक्टर्स पर आनी चाहिए, ताकि एक ऐसी स्वतंत्र बॉडी बने, जो पैनी नजर रख सके कि आखिर हमारे डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं?

अध्यक्षा जी, मेरा निवेदन है कि आप इसे नियम 193 में लें और इस पर बहस कराएं कि हमारे यहां के डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं हैं? हमारा यह पेशा व्यवसायीकरण की ओर क्यों चला गया? मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगी कि राजनीति अलग है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की जान-माल और हिंदुस्तान को स्वस्थ रखने का जिम्मा इस विभाग पर है, इसलिए इसे नियम 193 में लेकर इस पर बहस कराएं।

माननीय अध्यक्ष : नियम 193 की बाद में बात करेंगे। कुमारी सुष्मिता देव। रंजीता जी, आप बैठ जाइये।

श्रीमती रंजीत रंजन : अध्यक्षा जी, वाइंड-अप तो करने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : मैं यहां बैठी हूं, टाइम भी देख रही हूं, आधा-आधा घंटा ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं करते हैं। आपको कितनी बार बोला है। इस पर आधा घंटा, पौन घंटा चर्चा के लिए नहीं है, यह कॉलिंग-अटेंशन है, इसे जितना होना हो, उतना ही होना चाहिए।

श्रीमती रंजीत रंजन : अध्यक्षा जी, आप भी एक महिला हैं, इसलिए महिला होने के नाते मैं आपसे कहना चाहूंगी।

माननीय अध्यक्ष : मालूम है, आप बहुत गंभीर विषय उठा रही हैं, मैं मना नहीं कर रही हूं, लेकिन कॉलिंग-अटेंशन को उसी के तरीके से करो।

श्रीमती रंजीत रंजन : मेरा कहना है कि 61 दवाइयों का जो पेटेंट अभी खत्म हुआ है, दुबारा पेटेंट होना है, हमारे मोदी साहब अमरीका जाकर बात करके आये।

माननीय अध्यक्ष : प्लीज-प्लीज, कहीं का कुछ सवाल नहीं। कुमारी सुष्मिता देव।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) ... §*

कुमारी सुष्मिता देव (सिल्चर): माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने सदन में एक बयान दिया है। वह मुख्य रूप से औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 का उल्लेख कर रहे हैं। लेकिन, मेरा विनम्र निवेदन है कि जिस अधिनियम पर आज हमें यहां चर्चा करनी चाहिए वह आवश्यक वस्तु अधिनियम है, विशेष रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 और 5। इसके आधार पर भारत सरकार जीवन रक्षक दवाओं और आवश्यक दवाओं के मूल्य को नियंत्रित करती है।

ऐतिहासिक रूप से, 1997 में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) की स्थापना की गई थी। 2012 में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जिसके आधार पर भारत सरकार को एक ऐसा तंत्र स्थापित करना था जिसके द्वारा इन आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं के मूल्य को नियंत्रित किया जा सके। डीपीसी 2013 वह परिपत्र है जिसके माध्यम से तत्कालीन यूपीए सरकार ने एनपीपीए को यह अधिकार सौंपा था।

इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रश्न यह है कि हमने देखा कि 29 मई 2014 को एनपीपीए की एक बैठक आयोजित हुई, और उसमें यह निर्णय लिया गया कि 108 दवाइयों, जो कैंसर, मधुमेह, एचआईवी/एड्स, और रक्तचाप से ग्रसित रोगियों को प्रभावित करती हैं, को मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत लाया जाएगा। इसके

§· कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

परिणामस्वरूप 10 जुलाई को एक आदेश जारी किया गया। इस प्राधिकरण के आदेश के परिणामस्वरूप, लाखों की संख्या में कैंसर, मधुमेह आदि से पीड़ित रोगी इस नीति का लाभ उठा सके और दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण हो सका। लेकिन 22 सितंबर 2014 को, संयोगवश या अन्यथा, कुछ ही दिनों पहले जब माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले थे, उस दिन 29 मई 2014 की दिशा-निर्देशों को सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। यह तब हुआ जबकि कुछ फार्मास्युटिकल कंपनियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती देते हुए दो याचिकाएँ दायर की थीं, फिर भी इस सरकार ने उचित नहीं समझा कि वह अदालतों के निर्णय की प्रतीक्षा करे।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : इतना लम्बा भाषण नहीं देते हैं।

[अनुवाद]

कुमारी सुष्मिता देव : महोदया, यह एक चिंता का विषय है, और हम इस मुद्दे को इस संसद के सदन में उठा रहे हैं। इसका कारण हाल ही में बिलासपुर में हुई घटना है, जिसने यह स्पष्ट कर दिया है कि नकली दवाओं के कारण जानें जा सकती हैं। नकली और मिलावटी दवाओं के पीछे एक कारण दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी भी है, और इस देश में 2.2 प्रतिशत लोग सिर्फ दवाओं के अधिक खर्च की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। इन परिस्थितियों में, हमारा यह सवाल माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से है, जिसका उत्तर इस बयान में नहीं दिया गया है। क्या एक वैधानिक प्राधिकरण नहीं होना चाहिए? क्या एनपीपीए को एक वैधानिक प्राधिकरण नहीं बनाया जाना चाहिए ताकि सरकारी हस्तक्षेप को रोका जा सके? यह सरकार बार-बार विभिन्न स्वायत्त संस्थाओं के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। इस मामले में, यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुझे स्पष्ट नहीं है [हिन्दी] कि सात जुलाई का जो ऑर्डर था, वह उन्होंने रिकॉल किया है या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंटरनल गाइडलाइन को इन्होंने रिकॉल किया है। [अनुवाद] संदेश यह है कि इस संस्था को निष्क्रिय बना दिया गया है।

आप अगर पैरा 19 देखेंगे, डी.पी.सी.ओ. 2013 यह कहता है कि यदि जनहित में और विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता हो, तो एनपीपीए अनुसूची से बाहर जाकर गैर-अनुसूचित दवाओं को मूल्य नियंत्रण के तहत ला सकता है, और इस संस्था ने जनहित में यह कार्य किया था। दो हलफनामे एनपीपीए द्वारा लंबित हैं, जो इस कदम को पूरी तरह न्यायोचित ठहराते हैं, लेकिन इस सरकार ने मनमाने ढंग से उस दिशा-निर्देश को संशोधित कर दिया है, जिससे बड़ा असर पड़ा है।

मैं अंतिम बिंदु पर आ रही हूँ और अधिक समय नहीं लूँगी। श्रीमती रंजीत रंजन ने इस मुद्दे का उल्लेख किया था, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी अब इस सदन में उपस्थित हैं। बिलासपुर में जो घटना हुई, वह सतत विकास पर नए दृष्टिकोण की मांग करती है। जनसंख्या एक चुनौती है, लेकिन इस देश के लिए एक महिला की गरिमा उससे भी बड़ी चुनौती है। एक नसबंदी शिविर, जहाँ जिन लोगों ने ऑपरेशन किए, उन्होंने दस्ताने तक नहीं बदले, और 86 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया, यानी लगभग हर एक का एक से डेढ़ मिनट में और उपकरणों को सैनिटाइज करने का समय भी नहीं था। हमें अपने परिवार नियोजन कार्यक्रम पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। आपका धन्यवाद, महोदया।

श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी (सुल्तानपुर): महोदया, सबसे पहले बोलने वाली माननीय सदस्य, श्रीमती रंजीत रंजन ने दो बार कहा कि एक दवा है जिसका मूल्य 8,500 रुपये से 1,08,000 रुपये बढ़ गया है। महोदया, यह बिल्कुल असत्य है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात रखिए। उसका जवाब मंत्री जी देंगे।

[अनुवाद]

श्री फिरोज़ वरुण गांधी : एक पूर्व मंत्री द्वारा एक ब्लॉग लिखा गया है, जिसमें उन्होंने इस बात को रिकॉर्ड पर रखा है। उन्होंने इसे प्रकाशित किया है, और चूंकि वह अब इस सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए मैं उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं समझता। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे पास 26 ऐसी दवाओं की सूची है,

जिनकी कीमतों में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ है, और ये सभी 26 दवाएं उन 108 दवाओं में शामिल हैं, जिन पर एनपीपीए ने मूल्य नियंत्रण लगाया है। ये सभी आवश्यक दवाएं हैं। इन 108 दवाओं में से छह दवाएं वजन कम करने की दवाएं थीं, हालांकि मैं स्वयं उन दवाओं में से किसी एक को लेना पसंद करता, लेकिन सच्चाई यह है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि इनकी कीमतें तीन प्रतिशत बढ़ीं या पाँच प्रतिशत। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप लोग टोका-टोकी मत कीजिए। इनको बोलने दीजिए, जो वह बोलना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी : श्री पप्पू यादव बहुत बहादुरी से अपनी पत्नी का बचाव कर रहे हैं महोदया। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान) ... [***]

श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी : मैं यहां तथ्यों के आधार पर बात करना चाहता हूं; मैं व्याख्या के आधार पर नहीं बोल रहा हूं।

महोदया, दूसरे वक्ता ने कहा कि इसे वापस ले लिया गया है। सबसे पहले, महोदया, आदेश वापस नहीं लिया गया है; आदेश कायम है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात रखिए।

[अनुवाद]

[**]. कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी : जो दिशा-निर्देश दिए गए हैं, वे यह स्पष्ट करते हैं कि भविष्य में, जब भी एनपीपीए — अर्थात फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, किसी व्यापक मूल्य नियंत्रण के कदम को आगे बढ़ाएगा, तो उससे पहले उसे सभी संबंधित हितधारकों, जिसमें औषधि क्षेत्र भी शामिल है, से व्यापक विचार-विमर्श करना होगा।

महोदया, हम अपने देश में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को खत्म करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। 'द इकोनॉमिस्ट' पत्रिका ने 1992 में इस क्षेत्र को भारत का 'मृत क्षेत्र' कहा था। लेकिन वही इकोनॉमिस्ट दो वर्ष पहले यह कह चुका है कि यह क्षेत्र भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बनने जा रहा है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

जब हम मूल्य नियंत्रण की बात करते हैं, तो मैं इस बहस के दायरे को थोड़ा और विस्तार देना चाहता हूँ, महोदया

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : वरुण जी, आप अपने क्लेरिफिकेशंस पूछिए।

[अनुवाद]

श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी : मूल्य नियंत्रण की शुरुआत 1978 में हुई थी, जब 347 दवाओं को इसके दायरे में लाया गया था, जो कि उस समय भारत में उपलब्ध कुल दवाओं का 96 प्रतिशत था। फिर यह संख्या 1986 में घटाकर 142 कर दी गई। 1995 में यह और घटाकर 74 कर दी गई, और अब हम इसे और भी कम करने का प्रयास कर रहे हैं। मूल्य नियंत्रण के कारण निवेश में भारी कमी आई, अनुसंधान एवं विकास लगभग ठप हो गया, और पूंजी निवेश भी बहुत सीमित हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि गुणवत्तापूर्ण दवाएं बनाने के लिए कोई निवेश नहीं करना चाहता था, और नकली दवाओं का प्रचलन बढ़ा। इससे दवाओं की अनुपलब्धता और भारी कमी हो गई।

अब सवाल यह है कि सरकार ने वास्तव में किया क्या है। सरकार ने एक मध्य मार्ग अपनाया है। सरकार ने यह कहा है कि केवल ये 108 ही नहीं, बल्कि 800 दवाएं जो आम आदमी के जीवन और गरिमा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, उन्हें भी संरक्षित किया जाएगा। लेकिन साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि हम उस सोने की मुर्गी को मारकर कुछ हासिल नहीं कर सकते, जिसे हमने वर्षों में तैयार किया है और वह है हमारा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र।

हम 2014 में बैठकर फैबियन समाजवाद की नीति नहीं अपना सकते। जब ये समाजवादी नीतियां अपनाई गई थीं, तो वह उचित थीं क्योंकि उस समय हमारे उद्योग अपने शैशव काल में थे। उनके विकास के लिए समय चाहिए था; उन्हें विस्तार के लिए अवसर चाहिए था। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिये, फिर मंत्री जी उत्तर देंगे। [हिन्दी] वरुण जी, आप चेयर को एड्रैस करके अपनी बात बोलिए। आपको उनको जवाब नहीं देना है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री फिरोज़ वरुण गांधी : फार्मास्युटिकल उद्योग इस देश के गरीब लोगों के लिए है और कोई भी इस बात से इंकार 'नहीं' कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष: आपको इस मुद्दे पर आपका स्पष्टीकरण मांगना है और बस इतना ही।

श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी : हम इस बहस को केवल 'मूल्य बनाम नियंत्रण' या 'सुलभता बनाम नवाचार' के शून्य-राशि दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। मेरा सिर्फ इतना कहना है — क्या ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते? यही मेरा मूल बिंदु है। सच्चाई यह है कि जब हम दवाओं की बढ़ती कीमतों की बात करते हैं, तो जो जानकारी प्रस्तुत की जाती है, वह अधिकांशतः सही नहीं होती। सच क्या है? सबसे पहले, जो आदेश है, उसे वापस नहीं लिया गया है। अतः यह कहना गलत है कि आदेश को रद्द कर दिया गया है।. ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : वह मिनिस्टर बोलेंगे, आप अपनी बात बोलिये।

... (व्यवधान)

[अनुवाद] **श्री फिरोज़ वरुण गांधी :** महोदया, मुझे माननीय सदस्यों की बात सुनाई नहीं दे रही है। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप चेयर को एड्रैस कीजिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी : हम यहां बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनियों की सीमित व्यवस्था और हमारे देश की असीमित व्यवस्था की।... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं?

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: वरुण जी, आपको अध्यक्षपीठ को ही संबोधित करना है। यह बहस का विषय नहीं है। यदि आप स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं।

... (*व्यवधान*)

श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी : मैं अपनी बात समाप्त करते हुए बस इतना कहना चाहता हूँ कि यह केवल उद्योगों का सवाल नहीं है। यह उस मध्य मार्ग की आवश्यकता का सवाल है, जिसे हमें अपनाना होगा... (व्यवधान) हमें इस बहस के दायरे को व्यापक करना होगा। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: क्या आपने अपना स्पष्टीकरण पूछा है?

… (*व्यवधान*)

श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी : नहीं महोदया, मैंने अभी तक नहीं पूछा... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: वरुण जी, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान) ... [††*]

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं यहां मौजूद हूं, यहां आपस में क्या हो रहा है?

[अनुवाद]

श्री फिरोज़ वरुण गांधी : मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि वर्ष 2014 में, हमें एक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जहां हम सबसे निर्धन वर्ग की रक्षा करनी चाहिए और हमें उन उद्योगों की रक्षा करनी चाहिए जो अधिक रोजगार और अनुसंधान एवं विकास में अधिक नवाचार प्रदान करेंगे। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : रंजीता जी, आप बैठे-बैठे क्या बोल रही हो। महिलाओं की बात गम्भीरता से करती हो तो उस प्रकार से रहो। प्लीज।

... (व्यवधान)

[††] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यह सबके लिए है। [हिन्दी] यह ताली बजाने वाली बात नहीं है, फिर मैं सभी महिलाओं के लिए बोलूंगी।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : आप पुरुषों के लिए भी बोलिये।

माननीय अध्यक्ष : यदि आप सुनोगे तो सबको बोलूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सबको क्या हो गया है?

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं श्रीमती रंजीत रंजन जी, साहू जी, सुष्मिता जी और वरुण गांधी जी द्वारा दिए गए इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकूं। मैं सभी माननीय सदस्यों की इस चिंता की सराहना करता हूँ कि हमें ज़रूरतमंद मरीजों को सस्ती दरों पर दवाइयाँ उपलब्ध करानी चाहिए।

महोदया, प्रारंभ में ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह एक ऐसा अनोखा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, जिसमें एक ही नोटिस के माध्यम से दो मंत्रियों को संबोधित किया गया है। इसका पहला भाग रसायन एवं उर्वरक मंत्री, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं, से संबंधित है, जबकि इसका दूसरा भाग माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से संबोधित है।

इसलिए, जहां भी नकली दवाओं और उससे संबंधित मुद्दों की बात आती है, वहाँ मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से अनुरोध करूँगा कि वे हस्तक्षेप करें और उस विषय पर उत्तर दें। जैसा कि सही कहा गया है, मैं फार्मेसी मंत्री हूँ, लेकिन नकली दवाओं का मामला उनके अंतर्गत आता है...। (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : वैसे यह अपने आप में एक बात हो गई है, जो कॉलिंग अटेंशन में होनी नहीं चाहिए। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं बात करूंगी।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: सभी माननीय सदस्यों की इस चिंता का उत्तर देते हुए कि दवाओं की कीमतें सुलभ और किफायती होनी चाहिए, मैं यह कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 26 मई, 2014 को अस्तित्व में आई। उस समय तक, मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत डीपीसीओ के तहत 440 दवाएं थीं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मात्र छह महीनों के भीतर 175 और दवाएं एवं औषधीय फार्मूलेशन को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाया गया। यह अभूतपूर्व कदम है। 26 मई को कुल 440 दवाएं मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत थीं और आज यह संख्या बढ़कर 617 हो गई है। मैं इसका पूरा श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री को देना चाहता हूँ, जिनकी भारत की जनता के प्रति गहरी संवेदनशीलता है।

मैं इसका विस्तृत विवरण भी देना चाहूँगा। श्रीमती रंजीत जी ने कैंसर की दवाओं आदि का उल्लेख किया था, उस पर भी मैं आऊँगा। कैंसर की 47 दवाओं में से लगभग 3 दवाएं अनुसूची में हैं; मधुमेह की 22 दवाएं गैर-अनुसूचित श्रेणी में हैं; एड्स की 19 दवाएं अनुसूचित श्रेणी में हैं और हृदय संबंधी बीमारियों के लिए 84 दवाएं मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत लाई गई हैं। मैं माननीय सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पिछले छह महीनों में किसी भी दवा की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। दवाओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि की बात ही नहीं उठती…... (*व्यवधान*) कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप ऐसा मत करो। या तो प्रश्न पूछो मत, अगर पूछा है तो सुनो।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: विपक्ष के एक प्रमुख नेता द्वारा यह कथन दिया गया कि एक कैंसर की दवा की कीमत ₹8,000 से बढ़कर ₹1,08,000 हो गई है। यह पूरी तरह से असत्य है। यह एक गलत जानकारी फैलाई जा रही है। मैं उस दवा का नाम भी बताना चाहता हूँ।.... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपको बैठे-बैठे नहीं बोलना चाहिए। आपने अपनी बात बोल दी है?

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: मैं श्रीमती रंजीत जी से भी आग्रह करूंगा कि जब वे पीठासीन हों, तो इस प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं होता।

कैंसर की दवा 'ग्लीवेक' की 30 टैबलेट्स की कीमत ₹8,452.38 है। बाद में माननीय सदस्य ने, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि शायद उन्हें कैंसर की किसी अन्य दवा से भ्रम हुआ, यह कहा कि कीमत ₹1,08,000 है। कुछ अखबारों ने भी इसे छापा और वही बात इस माननीय सदन में भी दोहराई जा रही है। जबकि वास्तविकता यह है कि पहले कीमत ₹8,500 थी और अब वह ₹8,452.38 है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): अतः, इसकी कीमत कम हुई है।

श्री अनंत कुमार: यह कीमत लगभग उसी श्रेणी में है। होता यह है कि कुछ दवाएं डबल्यूपीआई से जुड़ी होती हैं, इसलिए उनमें मामूली उतार-चढ़ाव हो सकता है… … (*व्यवधान*)

एक अन्य दवा प्लैविक्स, जो कि हृदय संबंधी रोगों की दवा है, उसके बारे में अखबारों में यह प्रकाशित हुआ कि उसकी कीमत ₹1,615 हो गई है, जबकि बाजार में उसकी वास्तविक अधिकतम खुदरा मूल्य ₹147.45 है जिसमें 14 टैबलेट्स आती हैं। इसलिए, अत्यंत नम्रता और पूर्ण अधिकार के साथ मैं इस माननीय

लोक सभा के समक्ष यह कहना चाहता हूँ कि दवाओं की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। किसी भी दावा का दाम आसमान नही छु रहा है। अगर कुछ हुआ है, तो वह यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में 444 से अधिक दवाओं की कीमतें घटाई गई हैं।. … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आज महिलाएं आपसे बहुत नाराज लगती हैं। सभी नाराज हैं। सुश्रूषा तो महिलाओं को ज्यादा करनी पड़ती है, सही बात है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : महोदया, हमने दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दो प्रमुख पहलें शुरू की हैं। पहली है एकीकृत फार्मास्युटिकल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। इसके अंतर्गत हर फार्मास्यूटिकल कंपनी को प्रत्येक तिमाही में फॉर्म-5 भरना अनिवार्य है। 600 से अधिक कंपनियाँ यह फॉर्म पहले से ही भर रही हैं। इन फॉर्म्स के माध्यम से हम उनकी मात्रा, गुणवत्ता, मूल्य और अन्य सभी पहलुओं की निगरानी करेंगे। सरकार एक और महत्त्वपूर्ण व्यवस्था शुरू करने की योजना बना रही है जो है प्रत्येक राज्य में मूल्य निगरानी संसाधन इकाई की स्थापना। यह मूल्य नियंत्रण की दिशा में एक बहुत ही प्रगतिशील कदम होगा।

मैं सम्माननीय सदन के समक्ष एक और तथ्य रखना चाहता हूँ। सुष्मिता जी ने कहा कि हम एनपीपीए के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने एनपीपीए, अर्थात राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। यह एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह डीपीसीओ 2013 के अधीन कार्य करता है। मूल्य निर्धारण से जुड़े सभी अधिकार सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत इस प्राधिकरण को सौंप दिए हैं। इस प्राधिकरण ने 10 जून को 108 औषधीय फार्मूलेशन्स पर मूल्य नियंत्रण लागू किया है।

इस प्रतिष्ठित सभा की जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मूल्य नियंत्रण अभी भी लागू है, और इसमें किसी प्रकार की वापसी नहीं हुई है। इस मूल्य नियंत्रण की निरंतरता के कारण फार्मास्यूटिकल कंपनियों को ₹350 करोड़ का नुकसान हुआ है और उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। किंतु, यद्यपि वे न्यायालय गए हैं, माननीय न्यायालय ने कोई स्थगन आदेश दिया है, इसलिए मूल्य नियंत्रण यथावत् लागू है। जहाँ तक डीपीसीओ के पैरा 19 से संबंधित दिशानिर्देशों का प्रश्न है, उन्हें स्वयं एनपीपीए ने वापस लिया है, यह भारत सरकार के किसी निर्देश के तहत नहीं किया गया, बल्कि 2011 की राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति के अनुरूप संशोधित करने के उद्देश्य से किया गया है। मैं माननीय सदन को यह पूर्ण आश्वासन देना चाहता हूँ कि मोदी सरकार की नीति यह है कि देश की जनता को गुणवत्तापूर्ण और किफायती दवाइयाँ एवं औषधीय फार्मूलेशन उपलब्ध कराए जाएं। इस नीति से पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

अब, प्रश्न के दूसरे भाग के संदर्भ में, मैं श्री नड्डा जी से निवेदन करता हूँ कि वे उत्तर दें।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, एक बात आप ध्यान में रखें कि यह कॉल अटैन्शन वास्तव में दो मिनिस्टर्स के लिए नहीं होता है, लेकिन यह सवाल ऐसा है कि दवाओं की बढ़ती कीमतों के कारण कई बार ऐसा होता है कि नकली दवाएँ बाज़ार में आ जाती हैं। वे सस्ती हों तो और खरीदी जाती हैं तथा उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। दोनों बातें कहीं न कहीं जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। इसलिए इसको प्रिसिडैंस नहीं मानेंगे, आगे ऐसा नहीं होना है। इसलिए हमने कहा है कि अगर नकली दवाओं पर किसी तरह से रोक लगाने का सरकार का कोई प्रयास हो, इस पर कोई प्रकाश अगर हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डालते हैं तो मैं उनको निवेदन करती हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वे दोनों बातें मैंने बोली हैं। एक ही वाक्य में मैंने बोला है कि नकली दवाओं पर किस तरीके से कंट्रोल करना है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): माननीय अध्यक्ष महोदया, इस कॉल अटैंशन मोशन पर मैंने सभी सदस्यों के कंसर्न सुने। उनके कंसर्न्स को विभाग सीरियसली महसूस करता है और उन पर जो भी उचित कार्रवाई करनी है, वह हम ज़रूर करेंगे।

दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक तो जो आपने स्पूरियस ड्रग्ज़ के बारे में कहा है, स्पूरियस ड्रग्ज़ की दृष्टि से और एन.एल.ई.एम ., जिसके बारे में आदरणीय मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया कि एक कोर कमेटी हमने बनाई है जिसकी अध्यक्षता भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक द्वारा की जाती है - इसकी चार सिटिंग्ज़ हो गई हैं। एक सिटिंग की और आवश्यकता है। वह करने के बाद 2015 तक हम स्टैंडर्ड साइंटिफिक तरीके से सभी लोगों के इनपुट्स लेकर, स्टेकहोल्डर्स के इनपुट्स लेकर एक नई लिस्ट जनवरी, 2015 तक डिक्लेयर करने वाले हैं और उसमें हम उस चीज़ को देखने वाले हैं।

जहाँ तक स्पूरियस ड्रग्ज़ का सवाल है, सैन्ट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट ड्रग कंट्रोलर की यूनिट्स भी उसको मॉनीटर करती हैं। इसमें निश्चित रूप से समय-समय पर जैसे-जैसे नई ड्रग्ज़ आती हैं और जिस तरीके से ड्रग्ज़ की सेल है, उसमें नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं जिसके कारण स्पूरियस ड्रग्ज़ की संख्या पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। उसके लिए मैनपावर, इनफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी ऑफ द लैबोरेटरीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। सरकार इसके बारे में चिंतित भी है और हम इस पर कोई न कोई एक्शन प्रोग्राम भी बनाएँगे, जिसके तरीके से हम इनफ्रास्ट्रक्चर को भी, लैबोरेटरीज़ को भी नियुक्त करेंगे और साथ ही साथ मैनपावर भी, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए मैनपावर की भी आवश्यकता है, इसलिए वह भी हम करने वाले हैं। इसको हम ध्यान में रखेंगे।

एक विषय बार-बार छत्तीसगढ़ का आया है। वह विषय छत्तीसगढ़ का ही नहीं है। वैसा विषय उड़ीसा का भी है, बिहार का भी है, कई राज्यों का है। जहाँ तक कैम्प्स का सवाल है, शिविर लक्ष्य आधारित नहीं होते हैं; वे मांग आधारित होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएँ कैम्प्स में हुई हैं, इसलिए हम एक तो एडवाइज़री दे रहे हैं और दूसरा, इसके बारे में पुनर्विचार करते हुए कि कैसे इसको और इफैक्टिव बनाया जा सके, इसको

हम करने वाले हैं। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल था, यह *विचाराधीन* है लेकिन कार्रवाई की गई है। जैसे ही यह घटना पता चली, वेन्द्र सरकार ने अपनी तरफ से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज़ की टीम भेजी जिसने वहाँ जो मैडिकल मैनेजमैंट चल रहा था, उसको देखा है। ऐसी घटनाएँ आगे न घटें, और यह किसी एक स्टेट से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। उसी तरीके से मैडिसिन का विषय भी एक स्टेट से जुड़ा हुआ नहीं है।

<u>अपराह्न 1.00 बजे</u>

छत्तीसगढ़ का जो मेडिसिन का विषय आया है, वह उत्तराखंड में मैनुफैक्चर हो रहा था। लेकिन ऐसा कहीं भी हो रहा हो, इसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार और ज्यादा स्ट्रींजेंट एक्शन लेने के लिए कटिबद्ध है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने ओडिशा में नसबंदी से होने वाली मृत्यु का उल्लेख किया था। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ओडिशा में नसबंदी से जुड़ी एक भी मृत्यु नहीं हुई है। बल्कि, *जननी योजना* जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, उसके बाद ओडिशा सरकार ने *ममता योजना* प्रारंभ की है। हम यह सदैव सुनिश्चित करते हैं कि प्रसव संस्थागत स्तर पर ही हो। हम नसबंदी के लिए कोई भी शिविर आयोजित नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्ष जी, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं और आपके द्वारा पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि जेनरिक मेडिसिन की वितरण प्रणाली का मोदी सरकार विस्तार करना चाहती है और पूरे देश में तीन हजार आउटलेट्स खोलने का संकल्प लिया है। हर प्रदेश सरकार को मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, सभी मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों को मैंने पत्र लिखा है कि वे भारत सरकार के साथ एमओयू करें। ऐसा करने से हम उन्हें यहां से जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध करवाएंगे। हर सरकारी अस्पताल में एक

आउटलेट खुलना चाहिए तथा उस आउटलेट के द्वारा भारत की आम जनता को सस्ते दामों पर दवाई मिलनी चाहिए, यह मोदी सरकार का मकसद है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1403/16/14]

माननीय अध्यक्ष : शून्यकाल शाम को लिया जाएगा।

सभा की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 1.02 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

लोक सभा मध्याहन भोजन के पश्चात् ~~अपसह्न 2 बजकर 4 मिनट~~ पर पुन: समवेत हुई।

(माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

सरकारी विधेयक-पुर:स्थापित

(i) लोकपाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2014

माननीय उपाध्यक्ष: अब हम मद संख्या 20 पर विचार करेंगे।

[हिन्दी] **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोकपाल और लोकायुक्त आधिनियम, 2013 का संशोधन करने तथा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन आधिनियम, 1946 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 का संशोधन करने तथा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. जितेन्द्र सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.05 बजे

(ii) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014

माननीय उपाध्यक्ष : अब हम मद नंबर 21 पर चर्चा करेंगे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मुझे अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री अरुण जेटली की ओर से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जयंत सिन्हा : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदय, इन विधेयकों को स्थायी समिति को क्यों नहीं भेजा जा रहा है?

माननीय उपाध्यक्ष: यह तो केवल पुरःस्थापित की अवस्था है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अब जबकि विधेयक पुरःस्थापित कर दिए गए हैं, तो परंपरा यह है कि जब विधेयक पुरःस्थापित किए जाते हैं, तब उन्हें अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थायी समिति के पास भेजा जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष: इस विषय पर माननीय अध्यक्ष जी को बीएसी में निर्णय लेने दीजिए।

अपराह्न 2.06 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

माननीय उपाध्यक्ष: अब नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा।

[हिन्दी] श्री ए.टी. नाना पाटील - उपस्थित नहीं।

(i) मुसहर अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 377 के अधीन बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वैसे तो देश के अन्य प्रान्तों में भी मुसहर व वनमानुष जाति के लोग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश एवं बिहार ही मुख्यत: इनकी निवास भूमि है। वास्तव में ये दोनों एक ही जातियां हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मुसहरों को वनमानुष के रूप में जाना जाता है, विशेषकर फैजाबाद में। पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जिले में इनकी संख्या 50 हजार से एक लाख तक है। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सरकारों ने मुसहरों को भी अनुसूचित जाति में ही रखा है, जहां प्रतिस्पर्धा न कर पाने की वजह से ये आरक्षण आदि सभी सुविधाओं से पूर्णतया वंचित हैं।

मुसहर समाज के लोगों का खान-पान, रीति-रिवाज, रहन-सहन, शादी-विवाह जनजातीय लोगों से हुबहू मिलते हैं, न कि अनुसूचित जाति के लोगों से मिलते हैं। इनकी बसावट भी दलित बस्तियों की बजाय गांवों के बाहर वाले पहले के वनीय क्षेत्रों में ही हैं। भले ही वनों के कटने से आज वह स्थिति दिखती नहीं। जंगली जानवरों को मार कर खाना, मुख्य धारा के खान-पान से इनकी दूरी आज भी बनी हुई है। ये किसी भी तरह की आधुनिक

चिकित्सा से अपरिचित एवं महरूम हैं। इनके जीविकोपार्जन के पारम्परिक साधन समाप्त हो गए हैं। थोड़ा-बहुत सुअर पालन एवं रांची के मजदूरों की तरह ईंट भट्टे पर श्रमिक के रूप में कार्य कर ये किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं।

आजादी के बाद जातियों की श्रेणियां बनाने वाले आयोग ने भी इन्हें विमुक्त जाति में ही रखा, जब कि बाद के जाति सुधार आयोग ने इन्हें विमुक्त जाति से निकाल कर अनुसूचित जाति में डाल दिया। यहां ये अपने से अगड़े दलितों द्वारा हाशिये पर कर दिए गए। तमाम जातियों के लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन स्वाभिमानी "हिन्दू मुसहर," जो माता शबरी, एकलव्य, अंगद, जामवंत, सुग्रीव, हनुमान एवं विरसा मुंडा को अपना आदर्श मानता है, आज भी धर्म परिवर्तन से दूर रहते हुए अपने को हिन्दू धर्म से जोड़े हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय,उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि मुसहर वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु मुसहर जाति को अनुसूचित जनजाति में रखा जाए। मुसहर जाति के लोगों का आनिवार्य रूप से एकीकृत निर्णय से अंत्योदय कार्ड बनाया जाए। लौहिया ग्राम, पं. दीनदयाल ग्राम, अम्बेडकर ग्राम जैसी योजनाओं से प्राथमिकता के स्तर पर मुसहर बस्तियों को लाभान्वित किया जाए। गांव सभा की खाली भूमि को उस ग्राम सभा में निवास करने वाली मुसहर आबादी को पट्टा कर खेती आदि के लिए दिया जाए। प्रत्येक मुसहर बस्ती को मुख्य सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाए। मुसहर समाज की बालिग लड़कियों के विवाह हेतु आनिवार्य अनुदान दिया जाए। प्रत्येक बस्ती में आनिवार्य तौर पर जल निगम द्वारा हैंड पम्प लगवाए जाएं। विद्युतीकरण एवं सौर ऊर्जा द्वारा हर बस्ती को रोशन किया जाए। प्रत्येक बस्ती में एक शेडदार सार्वजनिक हाल बनाया जाए। मुसहर समाज के शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता से सरकारी नौकरियां दी जाएं। प्रत्येक बस्ती के लोगों को विधवा, वृद्धावस्था, विकलांग व समाजवादी पेंशन आनिवार्य तौर पर दी जाए। प्रत्येक बस्ती में बालवाड़ी केन्द्र खोला जाए। हर मुसहर का नि:शुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाए एवं इनको पूरी शिक्षा नि:शुल्क दी जाए।

श्री विद्युत वरण महतो - उपस्थित नहीं।

श्रीमती रेखा वर्मा - उपस्थित नहीं।

श्री नाना पटोले - उपस्थित नहीं।

(ii) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, पुणे की तर्ज पर बी.जे. मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद, गुजरात में एक प्रयोगशाला स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि गुजरात राज्य पिछले कुछ समय से विभिन्न बीमारियों, जो कि मुख्यतः चांदीपुरा वायरस किमीयन कोन्गो हेमरेजीक फीवर (चांडीपुरा वायरस, क्रीमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार वायरस) व अन्य विषाणुजनित बीमारियों, से प्रभावित रहा है। गुजरात सरकार को नये विषाणु की जांच के लिए अक्सर सैंपल को जांच हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, पुणे अथवा नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, नई दिल्ली भेजना पड़ता है, क्योंकि गुजरात राज्य में अपनी कोई लैब नहीं है। जिसके कारण कई बार विषाणु की जांच एवं उसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने में काफी देरी हो जाती है। आज समय की मांग है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, पुणे अथवा नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, नई दिल्ली जैसी विश्वस्तरीय लैब गुजरात में खोली जाए, जिससे विभिन्न विषाणुजनित संक्रमणता को काबू में रखकर रूग्णता एवं मुत्यु दर को कम किया जा सके।

मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि गुजरात सरकार ने राज्य में लैब खोले जाने हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को उपरोक्त सम्बन्ध में फरवरी, 2012 में प्रस्ताव भेजा। जिसके बाद आई0सी0एम0आर0 ने बी0जे0 मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद में उपरोक्त लैब स्थापित करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की। परन्तु उपरोक्त परियोजना अभी भी प्रस्ताव स्तर तक ही सीमित है।

मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह स्वयं इस दिशा में हस्तक्षेप करते हुए जनहित में बी0जे0 मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी की तर्ज पर लैब आविलम्ब स्थापित किये जाने का कष्ट करे।

(iii) उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रहने वाले अनुसूचित जाति बंगाली समुदाय से संबंधित लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भगत सिंह कोश्यारी (नैनीताल - उधम सिंह नगर): उत्तराखंड / उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में पूर्वी बंगाल से बहुत बड़ी संख्या में विस्थापित बंगाली आकर बसे हैं। उनमें से आधिकांश बंगाली नमो, शूद्र या पौण्ड जाति के अनुसूचित हैं। ये विश्वास, मंडल, सरकार, हलधर आदि उप जातियों में विभक्त हैं। इन सभी की मांग है कि इन्हें नमो, शूद्र अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान किया जाए। उत्तराखंड सरकार ने पूर्व में इस संबंध में विधान सभा से एक प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजा है, अभी तक इन जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिला।

अतः मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में निवास कर रहे उक्त बंगालियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए।

(iv) दिल्ली और मथुरा के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 64904 को भरतपुर राजस्थान तक चलाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बहादुर सिंह कोली (भरतपुर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर के दैनिक यात्री एवं व्यापारी वर्ग जो प्रतिदिन दिल्ली आता जाता है, उनके लिए भरतपुर से दिल्ली के लिए कोई उपयुक्त ट्रेन नहीं है। भरतपुर संभाग मुख्यालय है। यहाँ से प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में यात्री एवं व्यापारी दिल्ली के लिए आते-जाते हैं। भरतपुर का बयाना क्षेत्र पत्थर व्यवसाय का बहुत बड़ा व्यापारिक केन्द्र है तथा इस क्षेत्र में पान की खेती होती है एवं इसे प्रतिदिन दिल्ली बिक्री के लिए लाया जाता है, दिल्ली के लिए कोई उपयुक्त ट्रेन नहीं होने के कारण बहुत परेशानी होती है। भारतीय रेल द्वारा दिल्ली से सांय 5: 30 बजे चलकर ई.एम.यू. मथुरा शटल संख्या 64904 नियमित चलती है, जो मथुरा जंक्शन पर सांय 8:30 बजे पहुँचकर खड़ी हो जाती है। इस ट्रेन को भरतपुर जंक्शन तक चलाया जाए, जो मथुरा जंक्शन की जगह सांय 9: 00 बजे तक भरतपुर जंक्शन पहुँचकर रात्रि को भरतपुर जंक्शन पर ही खड़ी हो व सुबह 4: 30 बजे भरतपुर जंक्शन से चलकर मथुरा जंक्शन से अपने पूर्व निधाररित समयानुसार रवाना हो सकती है। इस समय मथुरा-भरतपुर ट्रैक पर कोई गाड़ी नहीं होती है, जिससे कोई अन्य बदलाव नहीं करना पड़ेगा।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ई.एम.यू. मथुरा शटल को भरतपुर जंक्शन तक चलाया जाए, जिससे विभाग को भी लाभ होगा व आम जनता की समस्या का भी समाधान हो सकेगा।

(v) देश में भिन्न रूप से समर्थ लोगों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री महेश गिरी (पुर्वी दिल्ली): महोदय, आज हमारे देश में 3 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी रूप में विकलांग हैं। उचित साधन, सुविधाएँ और मौके के अभाव में ये लोग समाज से अपने आपको अलग महसूस करते हैं। दूसरों पर निर्भरता से वे अपना आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मानजनक जीवन जीने की आशा खो देते हैं। ऐसे लोग जल्द ही हताशा का शिकार हो जाते हैं। हम अगर उनको उचित सुविधाएँ मुहैया कराएं, जिससे वे आत्मनिर्भर बनें, उनका सशक्तीकरण हो, तो वे जाग उठेंगे। ऐसा अनेकों बार हुआ है कि मौका और सुविधा प्रदान करने से कमजोर समझे जाने वाले लोगों ने असम्भव को सम्भव कर दिखाया। उनको शिक्षा और रोजगार का अवसर प्रदान करने की जरूरत है।

इन सभी बातों के साथ मैं इस जनहित के मुद्दे को संसद के इस सदन में रखना चाहता हूँ और उनके सशक्तीकरण और कल्याण के लिए आति आवश्यक कदम उठाने की माँग करता हूँ।

(vi) देश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में समान शैक्षणिक मानक सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान में सबके लिए जहां समान कानून व समान शिक्षा का प्रावधान है वहीं शिक्षा का स्तर भी सबके लिए समान होना चाहिए। दुर्भाग्य वश गुलामी के दिनों में ईस्ट इंडिया कम्पनी के राज्य में लॉर्ड मैकाले द्वारा ऐसी शिक्षा व्यवस्था का आरम्भ किया गया था जिसका उद्देश्य ही देश में पाश्चात्य संस्कृति के मानने वाले और गुलाम मनोवृति के लोग तैयार करना था। उस शिक्षा व्यवस्था में सम्पन्न लोगों के लिए अलग स्कूल और सामान्य लोगों के लिए अलग स्कूल की व्यवस्था थी जो आज भी चल रही है। देश की आजादी और विकास की एक कसौटी यह भी है कि जब सब लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की बात करेंगे। आज की व्यवस्था में गरीब और अमीर का भेद जहां बच्चों में उच्चता व हीनता की भावना पैदा करता है वहां समाज में एकता सूत्र को भेदने का भी काम करता है। हमारी संस्वृति में तो राजा और रंक के बच्चों के लिए मुफ्त व आनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। सही शिक्षा तो समस्याओं के समाधान का दूसरा नाम है, "सा शिक्षा या विमुक्ति"। भगवान के दिये हुए बच्चों में गरीबी और अमीरी का भेद करना न केवल एक पाप है आपितु शासकों व योजनाकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। मेरे क्षेत्र बागपत में सवरशिक्षा आभियान के अन्तर्गत व सरकारी आधिकारियों की उपेक्षा के कारण शिक्षा स्तर बहुत गिर गया है। आधिकतर बच्चे जो सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ते हैं, वे नकल का सहारा लेकर के डिग्री और डिप्लोमा लेते हैं जिससे उन्हें आजकल वो प्रतियोगिता युग में कोई रोजगार मिलना भी अत्यन्त कठिन है। इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में और विशेषकर बागपत लोक सभा क्षेत्र में युवाओं में अपराधीकारण बढ़ रहा है उससे न केवल युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है आपितु कानून का पालन करने वाले लोगों को तथ दिल्ली जैसे राजधानी को भी इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। क्या माननीय शिक्षा मंत्री व भारत सरकार शिक्षा के दोहरे मापदण्ड व व्यवस्था को खत्म करने की कोई योजना तैयार कर रही है।

(vii) राजस्थान के जालौर जिले में स्वर्णगिरि तक एक एप्रोच रोड का निर्माण किए जाने कि आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र स्तिथ जालौर जिले का स्वणरगिरि दुर्ग एक हजार साल का ऐतिहासिक वैभव समेटे हुए है। इस दुर्ग से स्थापत्य कला का सौन्दर्य झलकता है। जालौर का स्वणरगिरि दुर्ग शौर्य व देशभक्ति का अनुकरणीय उदाहरण है। मुस्लिम आक्रांताओं ने जब जालौर पर आक्रमण किया तो वे असफल रहे और काफी समय बाद वे इस दुर्ग पर कब्जा कर सके थे। यह स्वणरगिरि दुर्ग जिला का प्रमुख पर्यटन स्थल है लेकिन इस ऐतिहासिक स्थल तक पहुंचने के लिए कोई भी सुगम रास्ता नहीं है। दुर्ग तक पहुंचने के लिए 2 हजार सीढ़ियों की दुर्गम चढ़ाई है। इस स्थिति में बाहर से यहां आने वाले लोग या पर्यटक यहां नहीं पहुंच सकते। इसके लिए दुर्ग तक एप्रोच रोड जरूरी है।

अतः जालोर जिला में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक स्वणरगिरि दुर्ग तक एप्रोच रोड का निर्माण केन्द्रीय सड़क निधि से करवाने का श्रम करें।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री नंदी येल्लई - उपस्थित नहीं ; श्री पी.आर. सेंथिलनाथन - उपस्थित नहीं।

(viii) तमिलनाडु में पालर और पेन्नाईयार नदियों को जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री बालासुब्रमण्यम सेनगुट्टुवन (वेल्लोर): मेरी लोक सभा क्षेत्र वेल्लोर से होकर पलार नदी लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। यह नदी करोड़ों लोगों के लिए पेयजल का मुख्य स्रोत है। मानसून के दौरान जब पर्याप्त वर्षा होती है, तब इस नदी का जल दोनों किनारों पर स्थित सैकड़ों तालाबों और झीलों को भरने लिए उपयोग में लाया जाता है। किन्तु, पिछले दस वर्षों से पलार नदी में जल प्रवाह नहीं हो रहा है, जिसका मुख्य कारण है कैचमेंट क्षेत्र में अपर्याप्त वर्षा और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में नदी पर विभिन्न स्थानों पर चेक डैम्स का निर्माण। इस वजह से वेल्लोर जिले में कृषि कार्य लगभग समाप्त हो चुका है और हर कस्बा पेयजल की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, यह संकट अत्यंत विकराल रूप ले लेता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण और तमिलनाडु राज्य के लोक निर्माण विभाग ने पन्नैयार नदी को पलार नदी से जोड़ने का प्रस्ताव रखा है, जिससे कि पेन्नैयार की अतिरिक्त 9.3 टीएमसी पानी, जो हर वर्ष बंगाल की खाड़ी में बह जाता है, उसे प्रवाहित करके पलार नदी में लाया जा सके। इस परियोजना रिपोर्ट में 54 किलोमीटर लंबी एक नहर का निर्माण प्रस्तावित है, जो नेडुंगल अनैकट में पन्नैयार नदी को वानीयंबाडी के निकट पलार की सहायक नदी कल्लार से जोड़ेगी। इसका अनुमानित खर्च ₹253 करोड़ है। वर्तमान में ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी संभाव्यता अध्ययन पूर्ण हो चुकी है। यदि यह परियोजना पूर्ण हो जाती है, तो यह करीब 20 लाख लोगों को लाभ पहुंचाएगी, जिससे लगभग 99 मिलियन घन मीटर (3.5 टीएमसी) जल उपलब्ध होगा, जिससे करीब 9,500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव हो सकेगी और पेयजल संकट भी कुछ हद तक दूर होगा। अतः मैं केंद्र सरकार से, विशेषकर जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय से आग्रह करता हूँ कि इस परियोजना को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए।

(ix) पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए निधियाँ प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री तापस पॉल (कृष्णानगर): *पश्चिम बंगाल के नादिया स्थित कृष्णानगर लोक सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-I के अंतर्गत सड़कों के रखरखाव के लिए धनराशि की आवश्यकता है। इन सड़कों की स्थिति अत्यंत दयनीय है और इनका निर्माण भी बहुत ही खराब तरीके से किया गया था। ये सड़कें मुख्य रूप से दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों, स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्रों तथा अस्पताल जाने वाले मरीजों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। अतः इन सड़कों का ठीक से निर्माण व मरम्मत कराया जाना अति आवश्यक है, ताकि मेरे क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से ₹1149.57 लाख की राशि स्वीकृत करने का निवेदन करता हूँ, ताकि रखरखाव का कार्य शीघ्र पूर्ण हो सके और कृष्णानगर लोक सभा क्षेत्र की जनता को एक सुगम व सुरक्षित यात्रा उपलब्ध हो सके। यह मेरा विनम्र अनुरोध है। धन्यवाद।*

(x) देश में जूट क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. रत्ना डे (नाग) (हुगली): मैं सरकार का ध्यान जूट उद्योग की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ, जो पिछले एक वर्ष में जूट उत्पादों की माँग में भारी गिरावट के कारण गहरे संकट से गुजर रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आठ जूट मिलें बंद हो चुकी हैं और देशभर में उत्पादन में भारी कटौती हो रही है, जिसके कारण एक लाख से अधिक जूट मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। पश्चिम बंगाल देश में कुल जूट उत्पादन का 80 प्रतिशत से अधिक योगदान देता है। वहां संगठित क्षेत्र में 64 जूट मिलें कार्यरत हैं, जिनमें तीन लाख मजदूर काम करते हैं और चालीस लाख जूट किसान इस उद्योग पर निर्भर हैं। कुल मिलाकर 23 लाख किसान परिवार प्रत्यक्ष रूप से जूट की खेती से जुड़े हुए हैं और 25 लाख से अधिक लोग इस व्यापार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। हाल के समय में, जूट एवं इससे जुड़े रेशा उत्पाद कृत्रिम रेशा से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही, बदलते जलवायु परिवर्तन, श्रमिकों की कमी, गुणवत्ता युक्त बीजों की अनुपलब्धता और कृषि लागत में भारी वृद्धि ने जूट उत्पादन की लागत को अत्यधिक बढ़ा दिया है। मैं कपड़ा मंत्रालय से यह आग्रह करती हूँ कि वह अपनी पूर्व में लिए गए कुछ नीतिगत निर्णयों की समीक्षा करे, जिनके कारण यह संकट उत्पन्न हुआ है। साथ ही भारतीय जूट मिल संघ के प्रतिनिधियों से वास्तविक स्थिति की जानकारी लेकर खाद्यान्न और चीनी के पैकेजिंग हेतु आवश्यकताओं की समीक्षा करे। मैं केंद्र सरकार से यह भी आग्रह करती हूँ कि वह किसी भी निर्णय से पहले भारतीय जूट मिल संघ, अन्य सभी हितधारकों और पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श करे। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करती हूँ कि जूट उद्योग को समर्थन दे ताकि ऑर्डरों की संख्या और उत्पादन बढ़े, और बंद पड़ी जूट मिलें पुनः चालू हो सकें।

(xi) औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संभाजीनगर में 300 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद (महाराष्ट्र) अंतर्गत संभाजीनगर तेजी के साथ औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में स्लम बस्तियों की संख्या 170 के करीब है एवं औद्योगिकीकरण से उनकी आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र का एक तिहाई हिस्सा इन स्लम बायों में रह रहा है एवं इन स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल का जिम्मा औरंगाबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन का है। स्लम बस्तियों में बढ़ती जनसंख्या से कारपोरेशन को स्वास्थ्य कार्य में काफी कठिनाई महसूस हो रही है। इस क्षेत्र में एक ही मेडिकल कॉलेज है और प्राइवेट हॉस्पिटल की संख्या कम है जिनकी फीस बहुत ज्यादा है जहां पर गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करवा सकते। मेरे संसदीय क्षेत्र के गरीब लोगों को इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव एवं कमी के कारण इलाज के लिए मुम्बई या पुणे जाना पड़ता है। इस समस्या के समाधान हेतु औरंगाबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन द्वारा पी.पी.पी. मॉडल के आधार पर 300 बिस्तरों वाले एक सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसे महाराष्ट्र सरकार ने जून, 2014 को इस प्रस्ताव को नेशनल हेल्थ मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली को मंजूरी हेतु भेजा है जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद के गरीब लोग अपना इलाज सस्ते में एवं आसानी से करवा सकें।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो पी.पी.पी. मॉडल के आधार पर 300 बिस्तरों वाले एक सुपरस्पेस्लिटी हॉस्पिटल का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है, उसको जल्द से जल्द मंजूर करने की कृपा करें।

(xii) खडूर साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, पंजाब में घेरी मंडी जंडलालगुरु समपार पर एक ऊपरिपुल अथवा अंडरपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

‡‡*श्री रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा (खडूर साहिब): मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान पंजाब राज्य के खडूर साहिब लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के घेरी मंडी जंडलाल गुरु समपार पर एक ऊपरीपुल अथवा अंडरपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह रेलवे क्रॉसिंग दोहरी लाइन पर स्थित है तथा जी.टी. रोड पर तथा उत्तर-पश्चिम रेलवे मार्ग पर आता है। उत्तर से पश्चिम की ओर जाने वाली सभी रेलगाड़ियाँ इस समपार से होकर गुजरती हैं। यह पंजाब की दूसरी सबसे बड़ी कृषि मंडी है और धान, गेहूँ, मक्का, तोरिया, चना आदि के व्यापार का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र है। भारत और पाकिस्तान के बीच कृषि संबंधी व्यापारिक गतिविधियाँ, विशेष रूप से माल की ढुलाई एवं परिवहन इसी मंडी से होता है क्योंकि भारतीय खाद्य निगम , मार्कफेड, रेलवे आदि के सभी गोदाम इसी रेलवे लाइन के पास स्थित हैं। घेरी मंडी इस क्षेत्र का व्यावसायिक केंद्र है।

उत्तर-पश्चिम रेलवे लाइन पर स्थित घेरी मंडी जंडलाल गुरु रेलवे समपार पर रेल यातायात बहुत अधिक है। रेल ओवरब्रिज या अंडरपास न होने के कारण, लाखों लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा माल ढुलाई एवं परिवहन भी बुरी तरह प्रभावित होता है।

अतः, मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह सविनय अनुरोध करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण रेलवे समपार पर अत्यावश्यक रूप से रेल ओवर ब्रिज अथवा अंडरपास का शीघ्र निर्माण कराया जाए।

[हिन्दी]

---

‡‡* मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री अक्षय यादव (फ़िरोज़ाबाद) - उपस्थित नहीं।

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) - उपस्थित नहीं।

(xiii) धौरहरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा ससंदीय क्षेत्र धौरहरा (उत्तर प्रदेश) पूर्णतया ग्रामीण क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में बिजली बहुत कम समय के लिए आती है, यदि आती भी है तो जर्जर व खराब ट्रांसफार्मर के कारण बिजली गांव तक नहीं पहुंच पाती तथा इसका लाभ गांवों को नहीं मिल पाता है। साथ ही जर्जर तार टूटने से आए दिन जान-माल, किसानों की फसलों और पशुओं की मृत्यु व जन-धन की हानि होती रहती है। अभी हमारे क्षेत्र के कस्बा मितौली में विद्युत उपकेन्द्र पर एक व्यक्ति की मृत्यु इसका सामान्य उदाहरण है। साथ ही आधिकारियों की उदासीनता व असंवेदनशीलता प्रतीत होती है। संबंधित आधिवारियों ने इस घटना पर कोई भी कार्यवाही नहीं की, इस पर काफी अमल करने का विषय है और जिन गांवों में बिजली हेतु कार्य चल रहा है, इनकी गुणवत्ता अत्यधिक खराब है तथा काफी लंबे समय से खम्भे ही लगाकर खड़े कर दिए गए हैं। शेष कार्रवाई नहीं हो रही है।

(xiv) अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों को नौकरियों, पदोन्नति और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने और इन लोगों से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए एक अलग मंत्रालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में भारतीय संविधान की धारा 340 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक आधिकार हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के समाज को मंडल आयोग के अनुसार 27 फीसदी आरक्षण के हकदार होने पर भी केन्द्र सरकार से आरक्षण उपलब्ध कराने में अनदेखी हो रही है। 27 फीसदी आरक्षण होने के बावजूद भी देश में ओबीसी समाज को 19 फीसदी आरक्षण देने के सरकारी रिकार्ड दर्ज हैं। इससे ओबीसी समाज को पूरी तरह आरक्षण का लाभ नहीं देने की बात सामने आयी है। शैक्षणिक क्षेत्र में विद्यार्थियों का प्रवेश, डोमिसाइल, क्रीमिलेयर आदि प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में पर्याप्त आरक्षण एवं सुविधा न देने से उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है।

गत छः वर्ष से महाराष्ट्र के विद्यार्थियों को शिष्ययवृत्ति अनुदान राशि अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान होकर भविष्य खराब हुआ है। सरकारी नौकरी में पदोन्नति संबंधी आरक्ष का लाभ नहीं दिया जाता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में ओबीसी समाज को छः फीसदी आरक्षण दिया जाता है। इस तरह देश के कई राज्यों में ओबीसी समाज पर अन्याय हो रहा है। वर्ष 1931 से अभी तक इस समाज की जनगणना नहीं होने से उनका विकास नहीं हुआ है, इसलिए यह अन्यायग्रस्त पिछड़े वर्ग के ओबीसी समाज को संवैधानिक आधिकार प्राप्त होने के लिए स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित करके केन्द्र सरकार को शीघ्रता से कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

अपराह्न 2.32 बजे

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2014 - जारी

माननीय उपाध्यक्ष: अब हम मद संख्या 23, मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2014 को लेते हैं। श्रीमती अनुप्रिया पटेल अब अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत मोटर व्हीकल अमेंडमैंट बिल, 2014 का स्वागत करती हूं, क्योंकि यह बिल देश की उस आवाम के हितों को दृष्टिगत करते हुए लाया गया है, जो दलित, पिछड़े और गरीब समुदायों से आते हैं। आज भी वे लोग दिल्ली समेत देश के तमाम राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में स्वंयं रिक्शा चलाकर लोगों और सामान को ढोने का काम करते हैं। चाहे जो भी परिस्थितियां बारिश, आंधी, तूफान, सर्दी या गर्मी हो, इनको यह कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता है, क्योंकि इसी से यह अपने परिवार का पेट पालते हैं।

हमारे देश में इससे ज्यादा अमानवीय कोई और व्यवस्था नहीं हो सकती, जिसमें एक इंसान को स्वयं रिक्शा चलाकर सामान और लोगों को ढोना पड़ता है। आज अगर हमारी सरकार यह बिल ऐसे तमाम लोगों को संदेश देने के लिए लेकर आयी है कि उन्हें भी इंसान की तरह सम्मान से जीवन जीने का आधिकार है तो हम सबको, पूरे सदन को मिलकर इस बिल की संवेदनशीलता को समझते हुए इसे पारित करने के लिए अपना-अपना सहयोग देना चाहिए।

मैंने अपने तमाम विपक्ष के साथियों की दलीलों को सुना है। कुछ साथियों ने कहा कि दिल्ली चुनाव के चलते एक लालीपॉप के रूप में सरकार इस बिल को लायी है। मैं अपने उन साथियों से यही कहना चाहती हूं कि कभी-कभी गरीबों के हित में हमें अपने चुनावी अंकगणित की अवधारणा से ऊपर उठकर सदन में कुछ बिलों को पास करने में सहयोग करना चाहिए। कुछ साथियों ने यह कहकर इस बिल का विरोध किया कि यह ई-कार्ट्स और ई-रिक्शाज ट्रैफिक कंजेशन की समस्या को पैदा करेंगे। उन साथियों से मेरा यही कहना है कि वे ईमानदारी से मुझे जवाब दें कि क्या हमारी दिल्ली या तमाम राज्यों की सड़कों पर जो ट्रैफिक कंजेशन है, उसे बढ़ाने में ई-कार्ट्स और ई-रिक्शाज का योगदान ज्यादा होगा या हमारे जैसे सम्पन्न परिवारों के लोगों का ज्यादा होगा, जहां परिवार के एक-एक सदस्य के पास अपनी-अपनी गाड़ी है? एक ही परिवार दिल्ली की सड़कों पर छः से सात चार पहिया वाहनों से ट्रैफिक कंजेशन को बढ़ाने में योगदान दे रहा है, इसलिए इस आधार पर हमें इस गरीब के हितों को संरक्षित करने वाले बिल का विरोध नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ साथियों ने यह भी कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से यह सही नहीं है। कई एक्सीडैंट्स होते हैं जो ई-कार्ट्स और ई-रिक्शाज की वजह से हो रहे हैं। इस कारण हाई कोर्ट ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया था। मैं उनसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि ये दुर्घटनाएं केवल ई-रिक्शाज और ई-कार्ट्स से होती हैं? क्या वे कारों, ट्रेनों से नहीं होतीं? क्या एयरप्लेन क्रैश नहीं करता? उन्हें तो हम बंद नहीं करते? अगर हम उन्हें बंद नहीं करते, तो ये ई-कार्ट और ई-रिक्शा, जो गरीबों से जुड़ा हुआ है, जिसे गरीब चलाते हैं, जिससे गरीब की आमदनी होती है, उसे हम इस आधार पर क्यों रोकना चाहते हैं कि उससे सुरक्षा की समस्याएं पैदा होंगी? जहां तक सुरक्षा की बात है, हमारी सरकार इसके लिए पहले से ही बहुत जागरुक है। सरकार ने ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट, लाइसेंस, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और वैलिडिटी आफ फिटनेस सटीरफिकेट को आनिवार्य किया है।

कुछ साथियों ने यह कह कर इस बिल का विरोध किया है कि इसे सरकार ला रही है क्योंकि किसी विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाना चाहती है। मैं उन साथियों से यही कहना चाहती हूं कि वे अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लें क्योंकि देश में सिर्फ एक ही कंपनी नहीं है जो ई-रिक्शा या ई-कार्ट्स को बनाती है बल्कि

ऐसी हजारों कंपनियां हैं। हमें गरीब विरोधी मानसिकता से उबरनो की आदत डालनी होगी क्योंकि जब हम सब पब्लिक प्लेटफार्म पर जाते हैं तो हमेशा गरीबों के हक और आधिकार की बात कहते हैं।

कुछ साथियों ने यह दलील दी कि लाइसेंस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की बहुत संभावनाएं हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे दलों के लोग भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं जिन्होंने देश के सामने भ्रष्टाचार के न जाने कितने रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। यह तो वही बात हुई - सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें बहत्तर छेद। हर छेद से एक घोटाला देश के अंदर टपक रहा है। ऐसे साथियों को भ्रष्टाचार के बारे में प्रवचन देने से पहले सोचना चाहिए।

जहां तक लाइसेंसिंग की बात है, सरकार ने इसका सरलीकरण किया है क्योंकि पूर्व में लाइसेंस देने की प्रक्रिया में आठवीं कक्षा तक शैक्षणिक योग्यता आनिवार्य थी। सरकार ने इस संबंध में अपनी संवेदनशीलता दिखाई है और इस बात को समझा है कि जो लोग ई-कार्ट्स या ई-रिक्शा चलाते हैं, वे दलित, गरीब, पिछड़े समुदाय के लोग हैं, जिनके पास दो वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं है, उन्हें आठवीं की शिक्षा कहां से मिलेगी? सरकार ने गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरलीकरण किया है।

इस बिल को कई साथियों ने स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की बात कही है। मैं समझती हूं कि सरकार ने बिल के समस्त प्रावधानों पर पहले ही विस्तृत अध्ययन कर लिया है। स्टैंडिंग कमेटी को भेजने से यह प्रक्रिया तीन-चार महीने और लंबित हो जाएगी। यह सिर्फ दिल्ली के एक-दो लाख लोगों की रोजी रोटी का सवाल नहीं है, देश के तमाम राज्यों में लगभग एक करोड़ लोग हैं जिनकी रोजी रोटी इससे प्रभावित हो रही है। स्टैंडिंग कमेटी में इस मामले को भेजकर चार महीने और लंबित करना देश के गरीबों के हित में नहीं है। सरकार पूरी तरह से गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर बिल को लाई है। हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। यह रिक्शा बैटरी संचालित है इसलिए पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। मैं पूरे सदन से अपील करती हूं कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लाखों करोड़ों गरीब, दलित और पिछड़े समुदाय से आने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सहयोग करें और इस ल को पारित करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, वर्तमान में ई उपसर्ग का इस्तेमाल हर शब्द के साथ हो रहा है। ई-रिक्शा का तात्पर्य उस रिक्शा से है जिसमें बैटरी लगी है। ई-गवर्नेंस, ई-टिकेटिंग और अब ई-रिक्शा। ई-रिक्शा की आवश्यकता का कारण एक अमानवीय प्रथा है जिसमें आदमी ही आदमी को ढोने का काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में अमानवीय प्रचलित प्रथा को हटाने के लिए ई-रिक्शा प्रचलन को बढ़ाना होगा। इसके लिए हाल के कानून में जो भी संशोधन लाए गए हैं, वह कहीं न कहीं आनिवार्य थे।

<u>अपराह्न 2.39 बजे।</u> (श्री अर्जुन चरण सेठी *पीठासीन हुए*)

एक शहर जब कार या गाड़ियां खरीदना तय करता है तो वह गाड़ियां ही खरीदता चला जाता है और इतनी गाड़ियां खरीद लेता है कि चलने की जगह नहीं बचती है। इसी कारण से प्लैनर्स को अलग-अलग सड़क और अलग-अलग जरूरत के अनुसार तरह-तरह के यातायात के साधन खरीदने की आनिवार्यता पर ध्यान देना चाहिए। इसी आनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए 276 या 274 जगह दिल्ली में चुनी गई हैं जहां ई-रिक्शा नहीं चलाई जाएगी। लास्ट माइल कनैक्टिविटी की बात लगातार शहर को डिकंजेस्ट करने के लिए की जाती है, उसके लिए ई-रिक्शा आनिवार्य है। अगर आप मेट्रो बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि लोग आधिक-से-आधिक मात्रा में बसों का इस्तेमाल करें, आज ट्रांसपोर्टेशन के लिए मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों की जो हालत है, यातायात के साधनों के लिए, तो उनके पास साधन है- मेट्रो और बसें। ऐसे में जो बसें चल रही थीं, वर्ष 2012 में जिस प्रकार की बसें गैर-लाइसेंस की जगहों पर चल रही थीं और उसके कारण निर्भया वाला हादशा हुआ। अभी गैर-लाइसेंसिंग जगह पर उबर कैब कांड हुआ। ऐसे में जो बेहतरीन तरीका है, शहर को डि-कंजेस करने का और इन सबसे मुक्ति दिलाने का, वह मसला ई-रिक्शा द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। आधिक से आधिक लोग मेट्रो का इस्तेमाल करें और उसके बाद जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, उसे ई-रिक्शा के रूप में इस्तेमाल किया जाए।

यातायात संसाधनों पर रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि आधिकतर लोग पाँच किलोमीटर की रेंज में सबसे आधिक गाड़ी चलाते हैं। पाँच किलोमीटर की वह रेंज है, जिसमें सब्जी खरीदने, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने, कोई सामान लाने या मेट्रो स्टेशन तक आने-जाने की सुविधा के लिए, यदि उन सुविधाओं पर हम ई-रिक्शा को मुकम्मल करें तो बहुत बड़ी मात्रा में हम शहर को डि-कंजेस कर सकते हैं। आज आये दिन जब दिल्ली के अखबारों में खबर छपती है कि दिल्ली सबसे आधिक प्रदूषण के दौर से गुजर रही है तो उसमें भी ग्रीन एनर्जी के तहत ई-रिक्शा बेहतरीन उपाय है। इन दोनों मापदंडों पर ई-रिक्शा परी तरह से खरी उतरती है। इस कारण ई-रिक्शा का प्रावधान आनिवार्य है। मेरे मन में एक और बात है। ई-रिक्शा एक ऐसा माध्यम हो सकती है, जो कहीं न कहीं जेंडर इक्वालिटी भी लाती है। जेंडर इक्वालिटी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अक्सर रिक्शा चालक एक गरीब तबके का पुरुष होता है। क्योंकि रिक्शा को खींचने के लिए जो शारीरिक क्षमता चाहिए, वह महिलाओं में नहीं होती है। लेकिन यदि ई-रिक्शा की लाइसेंसिंग प्रथा को हम ठीक करें, तो एक सशक्त महिला के लिए ई-रिक्शा आय का एक साधन भी बन सकता है, इसलिए भी ई-रिक्शा भी आनिवार्य है। इन सब विषयों पर जब ई-रिक्शा प्रखरता से खरी उतरती है तो इस विषय को लाइसेंसिंग से जोड़ा जाता है। एक लाख ई-रिक्शा देश भर में चल रही हैं, जिसमें से तकरीबन 91 हजार ई-रिक्शाएँ केवल दिल्ली में चल रही हैं। जब 91 हजार ई-रिक्शाएं दिल्ली में चल रही हैं तो लाइसेंसिंग के बारे में भी, जिसे कोर्ट ने भी कहा, उसका सरलीकरण आतिआवश्यक था। जब कॉमन वेल्थ गेम्स के दिनों में तत्कालीन दिल्ली सरकार ने डी.टी.सी. में भर्ती के लिए नियमों को सरल कर सकती है, कम पढ़े-लिखे लोगों को नौकरी दे सकती है तो ई-रिक्शा चलाने वाले व्यक्तियों के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? इसके खिलाफ दो आर्ग्युमेंट्स दिये गये, एक आर्ग्युमेंट यह दिया गया कि सड़कें कंजेस्ट हो जाएंगी। मेरा यह मानना है कि सड़कें तब कंजेस्ट होती हैं, जब बिना सोचे-समझे फ्लाई-ओवर्स बनाये जाते हैं। फ्लाईओवर्स कभी भी सरफेस एरिया को नहीं बढ़ाते, बल्कि सिर्फ आपको एक रेड लाइट टपा देते हैं। अगर सड़कों को डि-कंजेस्ट करना था तो एलिवेटेड रोड्स की आवश्यकता थी, लेकिन कॉमन वेल्थ गेम्स के दौरान तमाम तरह के घोटाले-घपले हमने देखे। उसी दौरान यह भी देखा कि फ्लाईओवर्स तो बने, लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक डि-कंजेस्ट नहीं हुआ। दिल्ली का ट्रैफिक डि-कंजेस्ट हो सकता है बेहतरीन

पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा, जिसमें डी.टी.सी. की सरकारी बसें आधिक से आधिक चलायें ताकि कम से कम लोगों को प्राइवेट चार्टर्ड बसों का इस्तेमाल करना पड़े ।बस स्टेशन या मेट्रो स्टेशन से लेकर उनके घर तक ई-रिक्शा के द्वारा हो। ई-रिक्शा के साथ ही, ई-कार्ट भी बहुत आवश्यक है, इससे सामान ढोने का काम होता है। कम से कम संसद में बैठे हुए लोगों के मन में मानवीय भावनाएं जरूर आती होंगी क्योंकि यहां बैठे लोग ज्यादा संवेदनशील तबके के लोग हैं, इसलिए जनता उन्हें चुनकर यहां भेजती है। जनता उन्हें चुनकर भेजती है क्योंकि उन्हें मानवता और अमानवीयता में अंतर पता है। जब एक व्यक्ति सामान ढोने की गाड़ी खींचने का काम करता है तो मुझे लगता है कि अगर वह गाड़ी बैटरी ऑपरेटेड है तो वह सिस्टम को बेहतर करती है और अमानवीय प्रथाओं को समाप्त करती है। इसके विरोध में दूसरा आर्ग्यूमेंट एक्सीडेंट्स का दिया गया है, कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं। मेरा यह मानना है कि अगर आप रोड एक्सीडेंट्स की संख्या हम देखें तो दिल्ली नम्बर एक पर है और वे सभी रोड एक्सीडेंट्स ई-रिक्शा के नहीं हैं, बल्कि बीएमडब्ल्यू से लेकर अन्य तमाम गाड़ियों के हैं। क्या हमने बीएमडब्ल्यू या किसी अन्य गाड़ी को बंद करने का प्रावधान किया या उस पर विचार किया? यदि नहीं, तो ई-रिक्शा, जो एक आम व्यक्ति को उसके घर तक कम पैसों में पहुंचाने का, प्रदूषण रहित दिल्ली बनाने का और लगभग एक से दो लाख व्यक्तियों के रोजगार का एव सरल माध्यम है, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध जायज नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, वही उसका मालिक बने, इस पर भी सरकार को काम करना चाहिए। इसके लिए बैंक्स से लोन का प्रावधान हो, माइनारिटी विभाग के पास कुछ बजट रहता है, वह बजट स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से उनको बांटा जाए। स्किल डेवलपमेंट विभाग के पास भी कुछ पैसा रहता है, आधिक से आधिक ड्राइविंग लाइसेंस इंटरप्रिन्योरशिप के तहत दिए जाएं, जिससे चालक मालिक बन जाए। इस पर कार्य होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचंद्रन (कोल्लम): माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक की विषयवस्तु का पूर्णतः समर्थन करता हूँ, किंतु जिस प्रकार से यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। यह विधेयक न तो कार्य मंत्रणा समिति में विचार हेतु लाया गया और न ही इसे स्थायी समिति को भेजा गया। सदन की परंपराओं, नियमों और सिद्धांतों को दरकिनार करते हुए इस विधेयक को सदन में लाया गया है। इसके बावजूद, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ, क्योंकि यह गरीब ऑटो-रिक्शा चालकों, विशेष रूप से ई-रिक्शा चालकों के लिए एक लाभकारी कानून है।

महोदय, इस विधेयक में केवल एक संशोधन प्रस्तावित है। इस संशोधन के पीछे मूल सिद्धांत यह है कि ई-रिक्शा और ई-कार्ट चालकों को सड़कों पर अपने वाहन चलाने की अनुमति दी जा सके। किंतु इस संबंध में मेरी दो तकनीकी आपत्तियाँ हैं।

पहली बात, यह संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जो सरकार को नियम बनाने का अधिकार देता है। यदि हम इस संशोधन की परिभाषा देखें, तो एक नया खंड 'धारा 2क' के रूप में जोड़ा गया है। इस धारा की उप-धारा (2) में 'ई-रिक्शा' और 'ई-कार्ट' की परिभाषा दी गई है। लेकिन यह परिभाषा केवल धारा 7(1) और धारा 9 के लिए ही लागू होती है। अर्थात, मोटर यान अधिनियम, 1988 की अन्य धाराओं में यह परिभाषा लागू नहीं होती। यह इस अधिनियम में एक बहुत बड़ी खामी है क्योंकि जब हम ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं, तब तक तो सब ठीक है। लेकिन मोटर यान अधिनियम की कुल 272 धाराएँ हैं, और उनमें भी यह परिभाषा लागू होनी चाहिए थी। यदि हम इस सक्षम प्रावधान को देखें, तो इस खंड के प्रयोजन हेतु इसकी परिभाषा है:

> "ई-कार्ट या ई-रिक्शा" का अर्थ है एक विशेष प्रयोजन हेतु प्रयुक्त, बैटरी से चालित वाहन, जिसकी शक्ति 4000 वॉट से अधिक न हो, जिसमें तीन पहिए हों और जो, जैसा भी मामला हो, माल या यात्रियों को किराये या पारिश्रमिक के आधार पर ढोने हेतु निर्मित, संरचित या अनुकूलित, सुसज्जित तथा अनुरक्षित हो, जैसा कि इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया हो।“

तो वाहन की सभी विशिष्टताएँ — उसका मॉडल, उसका निर्माण, उसका अनुकूलन तथा अनुरक्षण — इन सबको नियमों के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा, जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण या सरकार द्वारा बनाया जाएगा।

लेकिन जहां तक मोटर यान अधिनियम का प्रश्न है, यदि आप एक कार का उदाहरण लें, चाहे वह निजी वाहन हो या सार्वजनिक वाहन, उसके चेसिस, लंबाई आदि सभी बातें अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं। लेकिन यहां, इस मामले में, हम सरकार को नियम बनाने का अधिकार दे रहे हैं। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि संसद की विधायी शक्ति को कार्यपालिका या सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। तकनीकी दृष्टिकोण से यह स्वीकार्य नहीं है।

मैं अपने दूसरे बिंदु पर आ रहा हूं। मुख्य प्रश्न यह है कि मोटर यान अधिनियम के अन्य प्रावधानों का क्या होगा? जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इसमें कुल 217 धाराएँ हैं। धारा 2 परिभाषा से संबंधित है, जिसमें एक्सल वज़न, कांट्रैक्ट कैरिज, गुड्स कैरिज, लाइट मोटर वाहन, मोटर कैब, मोटर कार आदि की परिभाषा दी गई है। निर्माता की परिभाषा भी धारा 2 में ही दी गई है। अब इस संशोधन के तहत धारा 2क को जोड़ा गया है।

अब अध्याय 8 की बात करें, तो यह यातायात नियंत्रण, गति की सीमा, भार की सीमा, उपयोग की सीमाएँ, ट्रैफिक नियमों का पालन जैसे विषयों से संबंधित है। फिर धारा 140 दोषरहित उत्तरदायित्व की बात करती है। ये मोटर यान अधिनियम के बहुत ही गंभीर प्रावधान हैं। तो इन ई-रिक्शा और ई-कार्ट्स पर इन अन्य प्रावधानों का क्या प्रभाव होगा, विशेषकर ट्रैफिक नियमों के पालन के संदर्भ में? क्या ये प्रावधान इन पर भी लागू होंगे? मैं केवल तकनीकी दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। मैं इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसकी मूल भावना का पूर्ण समर्थन करता हूं। लेकिन साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय और सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यदि कोई ई-रिक्शा या ई-कार्ट दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो क्या धारा 2क के अनुसार दी गई परिभाषा उन मामलों में भी लागू होगी, जिसमें पंजीकरण शामिल है? क्या यह परिभाषा केवल ड्राइविंग लाइसेंस

के मामले में ही लागू मानी जाएगी, या फिर मोटर यान अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा?

जो बात कही गई है या जो तर्क या आरोप विपक्ष के अधिकांश माननीय सदस्यों द्वारा लगाए गए, वह सही प्रतीत होते हैं क्योंकि इस विधेयक के प्रावधानों को बहुत जल्दबाजी में लाया गया है। यदि ऐसा न होता तो इन्हें संशोधन में ही समाहित किया जा सकता था और एक व्यापक विधेयक लाया जा सकता था, जिससे गरीब ई-रिक्शा चालकों को सही मायनों में लाभ होता।

इस विधेयक में कई कमियाँ और खामियाँ हैं। लेकिन हम केवल धारा 7 के तहत छूट देने की बात कर रहे हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ई-रिक्शा और ई-कार्ट चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। केवल यही एक प्रावधान शामिल किया गया है। यह राजनीति नहीं है, यह विधान है। हम इस सदन में एक विधेयक पारित कर रहे हैं। जब हम अन्य सभी विधेयकों को पूरी सावधानी और विचार के साथ पारित करते हैं, तो इस विधेयक में भी वही सावधानी बरती जानी चाहिए थी। यहां केवल ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित एक प्रावधान है। बाकी अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों का क्या? उनका उत्तर अब तक नहीं दिया गया है और न ही उन्हें संबोधित किया गया है।

महोदय, मैं इस विधेयक को स्वीकृति देने के लिए तैयार हूं और मैं इसकी मूल भावना का समर्थन करता हूं। भले ही यह चुनाव के उद्देश्य से लाया गया हो, फिर भी इससे गरीब ई-रिक्शा चालकों और ई-कार्ट चालकों को लाभ मिल रहा है, इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। लेकिन मोटर यान अधिनियम के अन्य प्रावधानों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : सभापति महोदय, ई-रिक्शा का जो संशोधन आया है, उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं कल से माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा हूं। ई-रिक्शा सन् 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ। आज जो चुनाव का चश्मा पहन रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जब माननीय नितिन जी मंत्री नहीं थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, उस समय मैं मजदूरों का अध्यक्ष था, उस समय ई-रिक्शा की शुरुआत दिल्ली में हुई थी। मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने इस काम को कानूनी जामा दे दिया है, इसके लिए उन्हें बधाई देनी चाहिए। उन्होंने यह काम तो सन् 2012 में ही शुरु कर दिया था, जिसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं।

दूसरी बात मुझे कहनी है कि टैरी के अलावा, स्टेट अर्बन डिवेलपमेंट एजेंसी (सूडा), उत्तर प्रदेश ने भी इस बात की सिफारिश की थी कि रिक्शा की जगह पर इर्-रिक्शा लाया जाए, जो मानवीय आधार पर जरुरी है।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि जिस विलम्ब की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, 24 अप्रैल, 2014 को पहली बैठक हुई थी। 8 अक्टूबर, 2014 को आधिसूचना जीएसआर-709ई जारी हुई, जिसमें ई-रिक्शा और ई-कार्ट को मोटर व्हीकल एक्ट में शामिल किया गया। एफसीआई के गोदाम में पहले सौ किलोग्राम का बोरा होता था, जिसे बाद में पचास किलोग्राम का किया गया। इन रिक्शों पर यदि दो-दो क्वींटल सामान ढो कर पहुंचाने की बात हो रही है, तो यह अच्छा काम हो रहा है। मुझे लगता है कि इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वे यह भी कह रहे थे वि इस बारे में एक्ट में परिवर्तन नहीं हुआ है। चाहे रूल-2 हो या सैक्शन-7(1)(i) हो, लेकिन आप जो कह रहे थे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ई-रिक्शा और ई-कार्ट को एक इंजन क्षमता और सीमित स्पीड के साथ आधिकृत क्षेत्र में चलने की अनुमति तो होगी। साथ ही साथ ई-रिक्शा पंजीकरण की प्रक्रिया के तहत रूल-50(1), 51, 56(2), 57(1) और 62(1) में भी संशोधन है। जिसमें फिटनेस की सारी बातें आती हैं, जो शायद आपकी जानकारी में नहीं होंगी। इसलिए शायद आप इन बातों को कह रहे हैं। अगर इस एक्ट को पूरी तरह से देखेंगे तो इन रूल्स के भीतर भी इस बात का प्रावधान है। आप इस बिल को राजनीतिक कारणों के

तहत पारित किया जा रहा है, ऐसा मत मानिए। जब भी कोई एक्ट बनता है तो उसके सारे पक्षों की चिंता की जाती है और वे चिंताएं इसमें की गयी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यदि हमने एक्ट को तरीके से पढ़ा होता, लेकिन जब हमारे मन में दुराग्रह होता है तो हमें लगता है कि यह बहुत गलत काम हो रहा है।

मैं आपसे एक ओर निवेदन करूंगा कि आठवीं पास के बारे में हमारी एव बहन ने यहां कहा। आप सब जानते हैं कि मैं मजदूरों के बीच काम करता हूं और आप भी मजदूरों के बीच काम करते हैं। जब कभी इस तरह की परिस्थितियां सामने आती हैं तो उन परिस्थितियों के आधार पर तकनीक को जोड़ कर उनको सुविधा देना, समय की मांग है और इस पर बहस इसी आधार पर होनी चाहिए। जहां तक दिल्ली के चुनाव का सवाल है लेकिन चुनाव तो केवल दिल्ली में हो रहे हैं, बाकी क्षेत्रों में जैसे कि पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश है, जहां कई महानगर हैं, जिनमें संकरी-संकरी गलियां हैं, जिनमें बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, वहां के लिए ई-रिक्शा वरदान होगा। ई-कार्ट की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। जब आप एफसीआई के एक सौ किलोग्राम को आपने गलत माना है तो मुझे लगता है कि जो सामान ढोने वाला है, उसके बारे में व्यावहारिक तरीके से विचार होना चाहिए। ऐसे और भी क्षेत्र होंगे जहां आपको इस बात की चिंता करनी होगी कि एक आम आदमी कितना वजन ढो सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि यह आधिनियम इतनी ईमानदारी के साथ लाया गया है जिसके लिए मैं नितिन जी को बधाई देना चाहता हूं। जब वे पार्टी के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने इसकी शुरूआत की थी। मंत्री बनने के बाद उन्होंने इसको कानूनी तौर पर प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं देश के गरीब लोगों की तरफ से उनका आभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी था।

अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक्ट के बारे में जो विवादित बातें कही गयी हैं, केवल राजनीतिक कारणों से ही इसका विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि एकमत होकर हमें बधाई देनी चाहिए। अभी बहुत से तकनीकी परिवर्तन इसमें होंगे और उन तकनीकी परिवर्तनों में भी सदन को एकजुट होकर राय देनी चाहिए। मैं फिर से मंत्री जी को बधाई देते हुए बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति महोदय, यह सही है कि मंत्री जी बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं। अच्छे इंसान हैं तो अच्छा ही बिल लाएंगे, बेबाक हैं।

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जब चीरा तो कतरा-ए-खूँ न निकला।

महोदय, हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। हमारा देश जापान, अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों से तुलना किए जाने से परेशान है। हम अपने देश की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखते हैं। हम अपने देश की जनसंख्या को ध्यान में नहीं रखते हैं।

<u>अपराह्न 3.00 बजे</u>

गरीबों की बात करने वालों को याद करना चाहिए कि एक तरफ गांवों में किसानों पर सीलिंग और दूसरी तरफ पूंजीपतियों को अटूट संपत्ति रखने का आधिकार इसमें होगा। वहां गरीबों की बात करना, वहां भ्रष्टाचार समाप्त करना और मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति की परचेजिंग पॉवर जिस देश में आधिक होगी, वह व्यक्ति विसी भी नैतिकता, ईमानदारी को ठगने की क्षमता रख सकता है। माननीय मंत्री जी, आपको याद होगा, रामलीला मैदान में 14 जून को आपने सभा की थी। जब आप ग्रामीण विकास मंत्रालय में थे, तब भी आपकी भावनाएं अच्छी थीं और अब भी अच्छी हैं। मैं आपकी भावनाओं पर चोट नहीं करना चाहता। लेकिन चुनाव के समय ही क्यों? 6 महीने पहले भी हो सकता था, आज भी हो रहा है, सही है। गरीबों की चिंता, ई-रिक्शा की चिंता आपको है। ठीक है, लेकिन अभी उबेर के 400 ड्राईवर भी तो गरीब हैं।

किसी एक घटना के कारण यदि ऐसा हो जाए क्योंकि यह सही है कि किसी ने एक वारदात कर दी। लेकिन उबेर के ड्राईवर भी अमीर नहीं हैं। इसी दिल्ली में पूर्वांचल से आकर अपनी जीविका चलाने वाले जो गरीब लोग हैं, जो ठेला चलाकर, सब्जी बेचकर, जिनको हमेशा विस्थापित कर दिया जाता है, वे कोई अमीर लोग नहीं हैं। क्या नशा और शराब पीकर वाहन चलाने की आज़ादी ड्राईवर को दी जा सकती है? सबसे आधिक सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि ड्राईवर नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हैं। क्या आप नशे पर पाबंदी नहीं लगाएंगे? सिर्फ सड़क का दोष नहीं दिया जा सकता। ई-रिक्शा चालकों को

लाइसेंस मुहैया कराने की आवश्यकता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सिंगल-विंडो क्लिअरेंस होना चाहिए ताकि गरीब चालक दलालों के चंगुल में न फंसे। दूसरे, यदि ई-रिक्शा चालकों को परमिट भी दिया जाता है तो इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि यह परमिट असल चालकों को ही मिले। यह परमिट हस्तान्तरित न हो क्योंकि ऐसा देखा गया है कि चालक आदमी कोई और नौकरी या धंधा कर रहा होता है, प्राय: अपने नाम से परमिट बनवा लेता है और उस परमिट को किसी गरीब चालक को या किसी जरूरतमंद चालक को बेच देता है। इस मुद्दे को हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ...(व्यवधान) मालिक होगा, यह तो सुनते सुनते हम भी थक गये हैं। ...(व्यवधान) इस प्रक्रिया के सरलीकरण की बात भी आती है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसी किसी भी चीजों में महिलाओं की भागीदारी ई-रिक्शा में आधिक हो और जहां से ई-रिक्शा चलने की शुरुआत होगी, वहां पर बड़ी गाड़ी या टैम्पो न चले और वहां से केवल ई-रिक्शा ही जाएं ताकि ई-रिक्शा अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, इसके लिए क्या सरकार कोई ठोस कानून बना रही है? हमारे माननीय सांसद फ्लाई-ओवर की बात कर रहे थे। एक व्यक्ति के पास चाहे वह राजनेता हो, चाहे पदाधिकारी हो, 5-6 गाड़ियों से कम नहीं हैं। क्या ऐसा कोई कानून होगा जिसमें गाड़ियों की संख्या घटेगी ताकि ये जो दुर्धटनाएं होती हैं और यह जो सड़कों की स्थिति होती है, वह ठीक हो सके?...(व्यवधान)

जब जापान और अमेरिका की बातें आती हैं तो 500-1000 कि.मी. की दूरी में जो वॉल्वो और बड़ी बसें चलती है, क्या उसमें आप टॉयलेट्स व्यवस्था करेंगे?क्या उसमें चाय, नाश्ते और खाने की व्यवस्था होगी, ताकि ...(व्यवधान) उसमें सुरक्षा पर है और ई-रिक्शा पर भी है।

माननीय मंत्री जी, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, आपने लिखा है कि मोटर, व्हीकल नियम को आपने बहुत कठोर और मजबूत बनाने की बातें कही हैं। आपने कहा है कि रोड पर बसों और टैम्पों में जिस तरह से स्कूल के बच्चों को लादकर लाते और ले जाते हैं, यही एक्सीडैंन्ट्स के कारण हैं। मैं चाहूंगा कि यदि आप व्यापक रूप से कुछ करते हैं तो इसमें कमी आ सकती है। आप निश्चित रूप से एक सशक्त कानून बनायें। आप ऐसा कानून बनायें ताकि व्हीकल, मोटर नियम का कोई उल्लंघन न करें। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने

गरीबों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ई-रिक्शा के चालकों को जो सुविधा प्रदान की है, वह निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : सभापति महोदय, सदन के समक्ष प्रस्तुत सड़क परिवहन व सुरक्षा अधिनियम, 2014 विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी का आभिनंदन करूंगा कि जो 1988 का आधिनियम है, उसे रद्द करके 2014 का जो नया विधेयक हम ला रहे हैं या सदन में जो कानून बना रहे हैं, निश्चित रूप से पुराने कानून में जो लीकेज या ड्राबैक थे, इस कानून के माध्यम से वे क्लियर होने वाले हैं। पूरे देश में सड़क दुर्घटनाओं में 1 लाख 42 हजार लोगों की हर साल मृत्यु होती है। हमने देखा कि जब हम दुनिया की बात करते हैं तो कनाडा, सिंगापुर या जापान जैसे विकासशील देशों का जो कानून है, उस कानून को आधार बनाकर माननीय मंत्री जी इस कानून को लाये हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हमारे यहां कानून तो बहुत अच्छा है, लेकिन ओवरलोडिंग में जो फाइन की व्यवस्था है, मैं उसमें एक सुधार लाने की विन्ाती करूंगा कि ओवरलोडिंग से रास्तों का खराब होना, ओवरलोडिंग से एक्सीडैन्ट्स होना और ओवरलोडिंग से प्रदूषण आदि होता है, यदि हमें इन सब चीजों से बचना है तो दो हजार या पांच हजार रुपये का फाइन करने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। मैं आपको इससे आगे बढ़कर एक सुझाव देता हूं कि ऐसी गाड़ी का परमिट ही रद्द कर देना चाहिए तो निश्चित रुप से ओवरलोडिंग से जो नुकसान होता है, उससे हम बचेंगे। हम लोग जो गाड़ियां लेते हैं, उनमें हमें एक चीज का प्रावधान करना पड़ेगा कि नई गाड़ी लेने के लिए गाड़ी के नये रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देने के साथ पार्किंग स्पेस का पुट देना हाेगा। आज यदि हम बड़े शहरों में देखते हैं तो पूरे रोड्स पर गाड़ियां लगाई जाती हैं, जिनसे आम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए पार्किंग स्पेस का प्रावधान इस कानून में लाने की जरूरत है। इस कानून में हमें एक प्रावधान और लाना पड़ेगा, आज ड्राइवर और हैल्पर के शोषण के बहुत प्रमाण मिलते हैं। गाड़ियों के जो मालिक होते हैं, वे न तो ड्राइवरों को पीपीएफ की व्यवस्था करते हैं और न उनकी पगार की उचित व्यवस्था होती है। मैं समझता हूं कि अगर इस कानून में ड्राइवर और हैल्पर को हमने सुविधा उपलब्ध करा दी तो निश्चित रूप से एक्सीडेन्ट्स में कमी आयेगी।

सभापति महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ क्योंकि एक अच्छा कानून मंत्री महोदय यहाँ ला रहे हैं। इसके माध्यम से हमारे देश में सड़क परिवहन और सुरक्षा आधिनियम एक अच्छा मज़बूत कानून देश की जनता के लिए जाएगा। मैं इसका समर्थन करता हूँ और अपने दो शब्द पूरे करता हूँ।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे मोटर व्हीकल्स अमैंडमैंट बिल 2014 पर बोलने का मौका दिया।

जहाँ मोटर व्हीकल्स अमैंडमैंट बिल में हम ई-रिक्शा की बात करते हैं, यह बड़ी अहम चीज़ कमेरे वर्ग के लोगों के लिए है क्योंकि जो व्यक्ति आज गाड़ी नहीं खरीद सकता, ऑटो नहीं खरीद सकता क्योंकि वह लाखों रुपये में आती हैं, वह 50-60 हज़ार रुपये की एक रिक्शा लेकर अपना पेट पालने का काम करता है। जहाँ हम ई-रिक्शा की बात करते हैं, हम एक तरफ से ग्रीनरी और पॉल्यूशन मुक्ति की बात भी करते हैं। आदमी द्वारा जो बोझा खींचने की बात है, उस प्रथा को भी खत्म करने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं टैक्नोलॉजी को लाने का, इसका हम स्वागत भी करते हैं। मगर दूसरी ओर बात करें तो हमने दिल्ली से रिक्शा निकाली, उनको सीमित किया कि दिल्ली के चांदनी चौक या जो छोटे-छोटे टुकड़े थे, उनमें जाकर आप रिक्शा चलाइए, पूरी दिल्ली में रिक्शा नहीं चलेगी। वह इसलिए किया था कि दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी थी कि राजधानी दिल्ली नहीं लगती। आज हम बात करें तो दोबारा हमने लाइसैंसेज़ देने हैं, दोबारा ट्रैफिक व्यवस्था हमारे बीच में बढ़ जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ई-रिक्शा को किसी एरिया में वे प्रतिबंधित करने का काम करेंगे या पूरी दिल्ली और पूरे देश में उनको चलने की परमीशन देने का काम करेंगे?

दूसरी ओर जिस तरह मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बारी-बारी एक उल्लेख आपके सामने लाने का काम किया कि उबर का एक इंसीडैंट हमारे सामने कुछ दिन पहले आया। हम ई-रिक्शा चालकों को दस दिन की ट्रेनिंग के बाद एक लाइसैंस दे देंगे और वह कॉमर्शियल लाइसैंस है क्योंकि वह चार लोगों को साथ में सामान को लेकर अपने साथ घूम पाएगा। मगर दूसरी ओर क्या उस ई-रिक्शा पर हम कोई रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का भी काम करेंगे? क्योंकि ऊबर जैसी कोई गलत कार्रवाई यदि किसी ई-रिक्शा चालक द्वारा कर दी गई तो क्या आप दिल्ली की सभी ई-रिक्शों को रोककर उनकी जांच-पड़ताल करने का काम करेंगे? माननीय मंत्री जी इस बात को भी जवाब में स्पष्ट करने का काम करें।

महोदय, सबसे बड़ा कंसर्न जो ई-रिक्शा में सामने आता है, वह यह है कि ई-रिक्शा में चार लोग, एक ड्राइवर और 40 किलो वज़न हम लेकर चल सकते हैं। मगर क्या जो चाइना से इंपोर्ट किया हुआ सामान हमारे देश में आ रहा है, ई-रिक्शा को असैम्बल करने और बनाने के लिए, क्या उसके ऊपर कोई क्वालिटी चैक मोटर व्हीकल अमैंडमैंट बिल के तहत लाने का काम हम करेंगे कि उसको चैक करके हम इस ई-रिक्शा को पास करें और उसके बाद उस ड्राइवर को लाइसैंस देने का काम करें। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि चीज़ इंपोर्ट करना बहुत आसान है, मगर सबसे बड़ी समस्या आज उसकी क्वालिटी मेनटेन करने की बात है। जहाँ प्रधान मंत्री जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, क्या वह ई-रिक्शा जिनको परमिट किया जाएगा, वह 100 परसेंट मेड इंडिया होगी क्वालिटी चैक के बाद? क्या फिर दोबारा चाइना से मालदीव के थ्रू सस्ते रेट्स पर इंपोर्ट करके हारे देश में उनको बेचने का काम करेंगे? माननीय मंत्री जी इस पर भी जरूर इस बिल में अमैंडमैंट लाने का काम करें।

मैं पूछना चाहता हूँ कि हम एक नया लाइसैंस ई-रिक्शा चालकों को देने का काम करेंगे। आज हमारे देश में एक स्माल व्हीकल लाइसैंस आता है और एक हैवी व्हीकल लाइसैंस आता है। रोड अथारिटी आज के दिन भी पूरी तौर पर व्यस्त रहती है क्योंकि अनेक लोग लाइसैंस बनवाने आते हैं। तीसरे तरह का लाइसैंस अगर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो रोड अथारिटी के ऊपर हम और बोझ डालने का काम करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करूँगा कि इस पर अभी और सोच विचार करने वी ज़रूरत है और इसको दोबारा स्टैंडिंग कमेटी के सामने भेजकर मज़बूती के साथ दोबारा लाएँ जिससे किसी कमेरे की भी पीठ तोड़ने का काम हम न करें और साथ ही साथ देश को प्रगति की ओर भी ले जाने का काम करें।

मैं दोबारा आपके माध्यम से मंत्री जी से अपील करूँगा कि स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा फिर से मज़बूती से इस बिल को लाने का काम करें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली) : महोदय, आपने मुझे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं सबसे पहले मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे

इस बिल में अमेंडमेंट ले कर आए हैं। सरकार की वजह से और पूरे सदन की वजह से देश के करोड़ों गरीब लोग इस योजना से लाभ उठा पाएंगे। आज जब यह अमेंडमेंट सदन से पास होगा, तो आप देखेंगे कि उनका परिवार खुशी मनाएगा, उनके घर में मिठाइयां बांटी जाएंगी। दिल्ली में अब तक तीन पहिया रिक्शा चलाया जाता था। एक आदमी दूसरे आदमी को रिक्शे के माध्यम से खींचता था। बहुत सदियों से यह काम किया जा रहा था। एक रिक्शे पर तीन लोग जो करीब 200 किलो के होते थे, उन्हें एक आदमी खींचता था। जब रिक्शा बनाने की नई टेक्नोलोजी आई और सस्ती हुई, पहले जो मोटर दो लाख रुपए की, तीन लाख रुपए की मिलती थी, आज वही पूरा रिक्शा 50 हजार, 60 हजार या 80 हजार रुपए में तैयार होने लग गया है। इसके बाद यह सुझाव आया कि क्यों न रिक्शे को बदल कर ई-रिक्शा के रूप में बनाया जाए। दिल्ली में ई-रिक्शा की तादाद बढ़ी। लेकिन इसमें एक समस्या यह सामने आई कि जो शुरू में ई-रिक्शा आए, उनकी कोई क्वालिटी चैक नहीं था। उनकी मोटर की क्वालिटी चैक नहीं थी और वे ज्यादातर चाइना से आ रहे माल से बनाए जा रहे थे। जैसा दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि " मेक इन इंडिया " का कान्सेप्ट सरकार ले कर आई है इसलिए हम अपने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दें। जो लोग रॉ मैटीरियल उपलब्ध कराएंगे, जो इसकी मोटर बनाएंगे या अन्य सामान बनाएंगें, उन्हें बढ़ावा दिया जाए ताकि यह रिक्शा जो आज 80 हजार या एक लाख रुपए का मिलता है, इसकी कॉस्ट हम 50 हजार रुपए तक ले कर आएं ताकि गरीब लोगों को इसका फायदा मिले।

महोदय, इसमें एक बात और बहुत अच्छी है। मैंने आज तक दिल्ली में किसी महिला को रिक्शा चलाते हुए नहीं देखा है। मगर इस अमेंडमेंट के माध्यम से न केवल आदमी, जो अपने घर के लिए कमाई कर रहा है, बल्कि वह महिला जो कमाई करना चाहती है, अपने घर को चलाने में अपना योगदान देना चाहती है, अगर वह विधवा हो तब भी, अगर वह सिंगल हो तब भी या अपने पति का साथ देना चाहती है तब भी, वह घर की आमदनी बढ़ाने में अपने पति का सहयोग कर सकती है। मैं इस ई-रिक्शा का बहुत बड़ा फायदा समझता हूं। गरीब आदमी अपनी मेहनत से, अपने सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करें, इस बिल को लाने की सरकार की यह मंशा थी। बहुत से सदस्यों ने इस बिल पर कल अपनी बात सदना में रखी थी कि दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं इसलिए हम यह बिल ले कर आ रहे हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस बिल का फायदा केवल दिल्ली

में ही नहीं होने वाला है। इस बिल का फायदा देश के करोड़ों लोगों को, चाहे उत्तर प्रदेश में रिक्शा चलाने वाले हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे हरियाणा के हों या देश के किसी भी राज्य में रिक्शा चलाने वाले हों, सभी को इस बिल से फायदा मिलेगा। यह मानवीय सोच है और पूरे सदन का इसमें समर्थन होना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि जो करोड़ों गरीब लोग, जो हमारी तरफ आशा की नज़र से देख रहे हैं, हम उनके अंदर अपने लिए विश्वास को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर है। देश में लगभग 44 करोड़ लोग अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम करते हैं, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में सोचा नहीं था। अटल्ा बिहार वाजपेयी जी की सरकार सोशल सिक्योरिटी स्कीम को लेकर आई थी। उसी स्कीम के अंतर्गत सरकार सोच रही है कि कैसे हम अनओर्गेनाइज्ड सैक्टर को फायदा पहुंचाएं। ई-रिक्शा को अगर कानूनी रूप दे पाएंगे, तो इसमें जो सवारी बैठती है, भगवान न करे कोई दुर्घटना हो, तो उसकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो सकती है। जो चालक होगा, जो रिक्शा होगी, उसको हम वैध करेंगे और वह पूरे ट्राफिक नॉर्म्स का पालन करेगा, जिसे आज तक रिक्शा वाले दिल्ली में नहीं करते थे। मैं सोचता हूं कि इस बिल के माध्यम से गरीब आदमी को स्वाभिमान का जीवन देने की सरकार की सोच है। अभी जैसे दुष्यंत जी ने एक बात कही कि यह कहां चलेगी? जब इसकी आधिकतम स्पीड 25 किमी/घंटा की रहेगी और इसमें दो केवीए की मोटर होगी तो यह हाई-वे पर तो चल नहीं सकती। यह तो वॉलोनी के अंदर, जब एक-दो-तीन लोग एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी-सी डिस्टैंस पर जाना चाहते हैं, यह उनके लिए फायदे की चीज़ है। मैं समझता हूं कि दिल्ली में दिल्ली मेट्रो जितनी जरूरी है, भले ही वह बड़े डिस्टैंस को कवर करती है, उतना ही ई-रिक्शा जरूरी है। गरीब आदमी के लिए ई-रिक्शा को लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। गरीब आदमी रिक्शा चलाता था, उसके फेफड़े खराब होते थे, उसे बीमारियाँ लगती थीं। जैसा मैंने कहा कि अन-ऑरगेनाइज्ड सेक्टर में कोई ई.एस.आई. की स्कीम नहीं होती, उन्हें हम अस्पताल की कोई सुविधा नहीं देते थे। पहले वह छः घंटा मज़दूरी करता था, अब इसके माध्यम से वह दस घंटे मज़दूरी करेगा। अगर वह दिन में 200 रुपये कमाता था तो इसके माध्यम से गरीब आदमी अब पांच सौ रुपये कमाएगा। मैं समझता हूं कि गरीबों के लिए यह बहुत बड़ा उपहार हमारे मंत्री जी, हमारी सरकार यहां पर लेकर आयी है।

इसमें एक और नियम था कि कॉमर्शियल लाइसेंस लेने के लिए पहले आपके पास एक साल का साधारण लाइसेंस होना चाहिए। इसमें हम बदलाव लेकर आए हैं। गरीब आदमी, जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, जिसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, अगर उसे कमाई का कोई साधन करना है तो सबसे पहले वह रिक्शा खरीदता था। आज पहले हम उसे एक साल के लिए साधारण लाइसेंस दें, उसे इसकी तैयारी कराएं, फिर एक साल के बाद उसे कॉमर्शियल लाइसेंस दें और तब वह ई-रिक्शा चलाए। यह एक बहुत बड़ा उपहार हमारी सरकार ने उसे इस बिल के माध्यम से दिया है कि उसे तुरंत लाइसेंस मिलेगा और अगर वह आज कोई ई-रिक्शा खरीदता है और उसका रजिस्ट्रेशन करवाता है तो कल से वह उस ई-रिक्शा को चला सकेगा, अपनी रोज़ी-रोटी को चालू कर सकेगा। जो हमारा रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, वह उसे दस दिनों की ट्रेनिंग देगा और दस दिनों की ट्रेनिंग के बाद वह अपना रिक्शा चला सकेगा। यह इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है।

इसमें एक और बात थी कि जिसे कॉमर्शियल लाइसेंस मिलेगा, उसे आठवीं पास होना चाहिए। हमारे देश में शिक्षा का जो स्तर आज तक रहा है, उसमें बहुत सारे गरीब लोग हैं, जो आठवीं पास नहीं होते हैं या बहुत से लोग स्कूल जा नहीं पाते हैं, तो जो आदमी गरीब घर में पैदा हुआ, यह उसका दोष नहीं है। आज तक की जो सरकारें रहीं, वे गरीब आदमी को शिक्षा नहीं दे पाए हैं। इसलिए हम उन्हें अब ट्रेनिंग देंगे। अगर वह पढ़ा-लिखा नहीं है, फिर भी उसे दस दिनों की ट्रेनिंग देने के बाद इसका लाइसेंस मिलेगा। यह इसमें एक बहुत बड़ी फायदे की बात है।

सोशल जस्टिस एवं माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय के साथ माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने बैठक की और उनकी जो विविध संस्थाएं हैं, जैसे एस.सी. एस.टी. फाइनैंस कॉरपोरेशन है, उसमें मंत्री जी ने कहा कि आप इन्हें 3% पर लोन उपलब्ध कराएं। अगर गरीब आदमी को 3% पर लोन उपलब्ध होता है और वह रिक्शा खरीदता है और उससे करोड़ों लोगों के घरों में चूल्हा जलता है तो इससे बड़ा सरकार का कोई उपहार नहीं हो सकता।

गरीब आदमी को स्वाभिमान का जीवन देने के लिए, सम्मान का जीवन देने के लिए मैं मंत्री जी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से दो-तीन प्वायंट्स के बारे में पूछना चाहूंगी। अभी गरीबों की बहुत चिंता हो रही है। क्या आप ड्राइवर्स के बारे में सोच रहे हैं या आपका ई-रिक्शा के मैन्यूफैक्चरिंग पर ज्यादा कंसेंट्रेशन है? इस ई-रिक्शा में गरीबों की सब्सिडी मिल रही है या नहीं? ई-रिक्शा और नॉर्मल रिक्शा के रेट में क्या फर्क़ है? जो नॉर्मल रिक्शा चला रहे हैं, क्या वे इसमें इंटेरेस्टेड हैं कि वे भी ई-रिक्शा चलाना चाहते हैं?

अभी मीनाक्षी लेखी जी और अनुप्रिया जी ने बहुत सारी बातें कहीं। जो हम लोगों को बोलना चाहिए, वह रूलिंग पार्टी की माननीय सदस्या बोल रहीं थीं। उन्होंने बीएमडब्ल्यू कार की बात कही कि कार से भी एक्सीडैन्ट्स होते हैं, बस से भी एक्सीडैन्ट्स होते हैं। ये बहुत सारी लग्ज़री कारें हैं, ये कारें उनके पास हैं, तभी बीएमडब्ल्यू का नाम उनको याद आया।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि क्या वे बीएमडब्ल्यू छोड़ कर ई-रिक्शा में बैठेंगी? बीएमडब्ल्यू और ई-रिक्शा में यही फर्क है, अगर फोर व्हीलर कार ढंग से और सलीके से आप बिना दारू पीकर चलाते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं तो एक्सीडेंट नहीं होगा। मैं पूछना चाहती हूं कि कितने लोग इस सदन में ई-रिक्शा में बैठे हैं? क्या कोई इसमें बैठा है? ई-रिक्शा में मैं भी बैठी हूं, मेरे बच्चे भी बैठे हैं। उस दिन के बाद से मैंने तय किया कि मैं अपने बच्चों को ई-रिक्शा में नहीं बिठाऊंगी, यह मैं ईमानदारी से कह रही हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहती हूं कि अगर एक गड्ढा या एक फीट का पत्थर भी आ जाए तो वह ई-रिव्शा उलट जाएगा। आप लाइसेंस एवं सब चीजों की बात कर रहे हैं। मैंने इस बिल में बोलना नहीं था, लेकिन इस बिल को पढ़ने से मुझे कंफ्यूज़न हुआ। इसकी डिजाइनिंग पर कोर्ट ने जो मेन

इंटरप्शन किया था कि यह रोड के लिए सेफ नहीं है। क्या आप इसकी डिजाइनिंग को चेंज कर रहे हैं? क्या उसके व्हीलर को आप मोटा कर रहे हैं, जो इतना हल्का है और सारा चाइनीस माल उस पर लग रहा है। क्या उसकी मजबूती के लिए आप कुछ कर रहे हैं या यह सही है कि आपके कुछ नजदीकी लोग हैं, जो इसकी मेनुफेक्चरिंग नये तरीके से करेंगे? अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, हम लोगों को यह जानकारी है कि वीआईपी इलाके में ई-रिक्शा बंद हैं। हम आपको कहते हैं कि अगर हम लोग गरीब के इतने ज्यादा हमदर्द हैं तो क्यों नहीं हम लोग पार्लियामेंट में ई-रिक्शा चलवाने के बारे में कहते हैं। क्यों गरीबों को ही, वीआईपी इलाके में ई-रिक्शा को बैन करें। हमारा जो गवर्नमेंट रेज़ीडेंस है, वहां से पार्लियामेंट बहुत नज़दीक है। आप पांच किलोमीटर की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट से एनेक्सी के लिए ई-रिक्शा चलवा दीजिए। क्या हम सब ई-रिक्शा में बैठने के लिए तैयार हैं? हम गरीबों के बारे में बहुत बात करते हैं।...(व्यवधान) अभी बात की गई कि करोड़ों गरीब लोग इससे लाभन्वित होंगे। जब मारने की भी बात आएगी तो गरीब ही लाभान्वित होगा, हमारे जैसे वीआईपी उससे लाभान्वित नहीं होंगे, क्योंकि हम ई-रिक्शा में नहीं बैठेंगे।

<u>अपराह्न 3.29 बजे</u> (माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से यह जरूर पूछना चाहूंगी, उसमें क्लेरीफिकेशन हो कि कितने लोग उस ई-रिक्शा में बैठेंगे? स्ट्रीक्टली उस पर एक सर्कुलर निकलना चाहिए कि चार आदमी से ज्यादा लोग उस ई-रिक्शा में नहीं बैठेंगे।...(व्यवधान) अभी मैं क्लियर करती हूं।...(व्यवधान) आप मुझ से न पूछें।...(व्यवधान) मैं तो बैठ चुकी हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं बिठाऊंगी, क्योंकि वह बहुत रिस्की है। ...(व्यवधान) जब तक आप उसके डिजाइन को चेंज नहीं करेंगे, मैं आपसे यही रिकवेस्ट करूंगी कि अगर गरीब के इतने ही हमदर्द हैं तो जिस तरह से गरीब जीता है, आप एक दिन अपने बच्चे को ई-रिक्शा में बैठा कर स्कूल भेज दें, मैं समझ जाऊंगी कि ई-रिक्शा हम सब के लिए सेफ है। गरीब के लिए, अच्छी बात है हम भी इस बिल के फेवर में हैं, लेकिन गरीब वी सेफ्टी फर्स्ट है, न कि आनन-फानन में चुनाव से पहले ई-रिक्शा को गरीबों को

दे देना। जब तक उनको यह बात समझ में आएगी कि वह कितनी रिस्की है, तब तक आपका चुनाव खत्म हो चुका हाेगा। यही कह कर आप सब को धन्यवाद करती हूं।

श्री आनिल शिरोले (पुणे) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से एक सुझाव भी रखना चाहता हूं। इस इलैक्ट्रिक पावर व्हीकल को सपोर्ट करने के लिए एडीशनल दो सोलर पैनल्स का उपयोग किया जाए। पीक ऑवर्स में ज्यादा बिजली का उपयोग होने के बाद बेटरी चार्ज करने के लिए इसे सौर ऊर्जा का सपोर्ट मिल जाएगा, यही मेरा एक सजेशन था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। इनोवेटिव बिल लाने के लिए सरकार और नितिन गडकरी जी का केवल आभिनंदन ही नहीं, आभिवादन भी करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.पी. चौधरी (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संशोधन विधेयक अभूतपूर्व और दूरदर्शी ही नहीं बल्कि गरीबों के हित में है और यह रोजगार सृजन में भी सहायक देगा। मैं माननीय मंत्री जी और सरकार के समक्ष एक सुझाव रखना चाहता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभूतपूर्व, दूरदर्शी और अनुपम योजना 'स्वच्छ भारत अभियान' की शुरुआत की है। उसी प्रकार एक स्वच्छ निरसन अभियान भी होना चाहिए, जिसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने पुराने और अप्रासंगिक कानूनों के निरसन के लिए की है।

हम अब तक अनेक निरसन और संशोधन विधेयक सदन में लाए हैं, जिनका उद्देश्य अप्रचलित कानूनों को समाप्त करना रहा है। हम प्रत्येक संशोधन विधेयक में एक 'स्वचालित निरसन प्रावधान' भी जोड़ सकते हैं। जैसे ही संशोधित अधिनियम लागू होता है, मूल अधिनियम अप्रासंगिक हो जाता है और एक निरर्थक बन जाता है। ऐसी स्थिति में उस संशोधन अधिनियम को ग्रंथालय में रखकर परेशान होने से अच्छा यह होगा कि उसी संशोधन विधेयक में यह प्रावधान कर दिया जाए कि संशोधन के साथ ही मूल अधिनियम निरस्त हो जाए। एक संशोधन अधिनियम किसी उपग्रह प्रक्षेपण यान की तरह होता है। जब उपग्रह कक्षा में स्थापित हो जाता है तो उस यान का कोई उपयोग नहीं रह जाता। ठीक उसी प्रकार, संशोधन अधिनियम की भी सीमित उपयोगिता होती है। चूंकि हमारे पास लगभग 1000 से अधिक संशोधन अधिनियम ऐसे हैं, जो अब निरस्त किए जाने की स्थिति में हैं, मेरा यह सुझाव है कि माननीय मंत्री जी और सरकार एक समग्र संशोधन एवं निरसन विधेयक लेकर आएं, जिससे बार-बार निरसन की प्रक्रिया को दोहराना न पड़े।

[हिन्दी]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन गडकरी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सभागृह में इस महत्वपूर्ण मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट बिल पर सम्मानित सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए और इसका समर्थन किया, इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और आभिनंदन करता हूं।

मैं सदन में इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी चुनाव को देखकर हम इस बिल को लेकर नहीं आए हैं। आदरणीय सातव जी कह रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रामलीला मैदान पर जितनी बातें मैंने कहीं, जो यूट्यूब पर हैं, वे अगर पूरी नहीं होंगी तो आप सदन में जरूर उस बात को उठाइए। इसमें क्या-क्या अड़चनें आयीं, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि जो-जो बातें मैंने कहीं, वे हैंड्रेड परसेंट पूरी होंगी, नहीं तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठाने का आधिकार है, आप जरूर उठाइए।

यह कोई पुरानी सरकार द्वारा लाई हुई ई-रिक्शा नहीं थी। चाइना से कुछ मॉडल इंपोर्ट हुए और ये दिल्ली में चलने शुरू हुए। यह बात सही है कि यह चाइना से आयी। उसके बाद में यह चलती रही और इसकी संख्या बढ़ती गयी। हमारे यहां के लोगों ने भी इसको बनाना शुरू किया और यह संख्या काफी बड़े परिमाण में दिल्ली में बढ़ी। मैं जब इसका अध्ययन कर रहा था तो एक बात मेरे ध्यान में आयी कि हमारे देश में साइकिल रिक्शा चलाने वाले और सामान साइकिल रिक्शा के द्वारा ढोने वालों की अनुमानित संख्या एक करोड़ है। हमारे बिहार और यूपी में जो चलते हैं, उनको जुगाड़ कहते हैं। वे इसकी कोई अनुमति नहीं लेते हैं। जब कोई कार्रवाई करने की बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि उससे गरीब आदमी को रोजगार मिला है, अगर उसे स्टैंडर्डाइज करें और उसको बंद कर दें तो वह बेचारा क्या करेगा?

पहली बात यह हुयी कि हमारी सरकार आने के बाद इसको मोटर व्हीकल एक्ट में रखने के बजाए, गरीबों के हित में काम होना चाहिए, इसलिए पहला निर्णय किया कि इसको मोटर व्हीकल एक्ट से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद मैंने कहा कि यह गरीबों का है, इसकी तुलना साइकिल रिक्शा से करनी चाहिए, आटो रिक्शा से नहीं। आपकी भी सरकार थी, लेकिन इतने सालों तक कोई बिल नहीं आया, कोई

रजिस्ट्रेशन की फैसलिटी नहीं थी, कोई घोषणा नहीं थी, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि ऐडमिनिस्ट्रेशन का यह ख्याल था कि मोटर व्हीकल एक्ट में ई-रिक्शा चलाना और बनाना इम्पॉसिबल है। मैंने इसकी तुलना साइकिल रिक्शा के साथ कर उसको वहां से निकालने का काम किया और उसकी गाइडलाइन्स इश्यू कर दी। दिल्ली में एक ऐक्सिडेन्ट हो गया और वह मैटर हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने उनके ऊपर पाबंदी लगायी। सम्मानीय कोर्ट ने कहा कि उनको मोटर व्हीकल एक्ट में लेकर इंश्योरैंस के लिए, सेफ्टी वो लिए, जिसका ऐक्सिडेन्ट होगा उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का क्या होगा, व्हीकल का क्या होगा, उनके बारे में जब तक नियम तैयार नहीं होंगे तब तक उनको अनुमति नहीं दे सकते है। जो चीज सरकार ने गरीब के हित के लिए की थी तो सम्माननीय कोर्ट का निर्णय हमारे ऊपर बंधनकारक था। इसलिए मैंने रामलीला मैदान में जो कुछ कहा था, कोर्ट के स्थगनादेश के कारण उसका इम्प्लिमैंटेशन नहीं हुआ।

आप में से बहुत से माननीय सदस्यों ने सुरक्षा की बात की है। "टेरी " की एक संस्था ने जब दिल्ली में उसका अध्ययन किया तब 52 प्रकार के मॉडल ध्यान में आये। मैं माननीय बहन जी को बताना चाहता हूं कि उसके बारे में सुरक्षा का भी एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आई.आई.टीज, इंजीनियरिंग कॉलेजस, पॉलिटेक्निक कॉलेजज और उससे संबंधित सभी इंस्टीट्यूशंस को बुलाया। उनमें से वुछ इंस्टीट्यूशंस आदरणीय गीते जी के मार्गदर्शन में काम करती है, हमने उनको भी बुलाया। हमने उन पैटर्न डिजाइन्स में से कुछ ऐसे डिजाइन्स सेलेक्ट किये और उनके नॉर्म्स पक्के किये हैं कि सेप्टी के लिए वह आवश्यक हो। अब हमारे देश में उनका चाइना से इम्पोर्ट होना बंद हो गया है। वह किसी इन्डस्ट्री को मदद करने के लिए शुरू नहीं हुआ है। उनके हजारों इन्डस्ट्रीज हैं। लुधियाना में उनका काम हो रहा है, सभी जगह उनका काम हो रहा है। उसे और भी विकसित होना चाहिए, इसलिए मैंने आई.आई.टी. के इनोवेशन, टाटा ने अहमदाबाद में एक इंस्टीट्यूट बनाया है, उसका नाम "इनोवेशन" है, डाक्टर मार्शेलकर जी उसके अध्यक्ष हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन, इंटरप्रेन्योरशीप, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजैशन, हम उनकी बार-बार बात करते हैं। आपने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं। हमने सबको आह्वान किया है कि वह सस्ते में कैसे अच्छा बने? नए कानून में मुद्दा यह आया कि मोटर और ट्रक में जो भी स्पेयर पार्ट्स लगते हैं उनका स्टैंडर्डाइजैशन हुआ है। जब एक नई बात आई तो हमारे

टेक्निकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि उनमें जितने एलिमेन्ट्स लगते हैं उनका स्टैंडर्डाइजैशन करें। फिर, मैंने कहा कि स्टैंडर्डाइजैशन करने के लिए अगर एक-एक पार्ट नए सिरे से बनेंगे तो फिर उनकी कॉस्ट दो लाख रुपए हो जाएगी। साइकिल चलाने वाले आदमी को अगर ई-रिक्शा के लिए दो लाख रुपए लगेंगे तो गरीब आदमी के ऊपर अन्याय होगा। यह बहुत संवेदनशील विषय है। मैं इस विषय में संवेदनशीलता के साथ जुड़ा हूं।

अगर कानून में सुधार कर गरीब आदमी का फायदा होता है तो कानून को बेन्ड करना चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए और गरीब आदमी के हितों की रक्षा करनी चाहिए। यह मेरा मत है। माननीय सदस्य प्रहलाद पटेल जी जो बता रहे थे, जब मैं बी.जे.पी. का अध्यक्ष था, मैंने ट्रेड यूनियन पार्टी शुरू की और मैं असंगठित क्षेत्र में काम करता हूं। आज भी मैं कम से कम 80 हजार लेबर यूनियन का अध्यक्ष हूं, जो अनऑग्रनाइज सैक्टर में है। मैं उनलोगों की हालत को जानता हूं। ...(व्यवधान) आप चिंता न करें मैं आपके सभी सवालों का जवाब देता हूं। ...(व्यवधान) आप थोड़ा संयम रखें। ...(व्यवधान) एक महत्वपूर्ण मुद्दा आय्ाा कि प्रत्येक पार्ट को स्टैंडर्डाइज करना, अगर प्रत्येक पार्ट को स्टैंडर्डाइज करना है तो अलग-अलग इंडस्ट्रीज में उनके पाटर्स बनेंगे और हर पाटर्स का स्टैंडर्डाइजैशन करेंगे तो उनकी कॉस्ट दो लाख रुपए होगी। एक बात सच है कि ई-रिक्शा पॉल्यूशन फ्री है। वह इलेक्ट्रिक एनर्जी पर आधारित है। वह साइकिल रिक्शा का अल्टरनेटिव है। स्वाभाविक रूप से ऑटो रिक्शा और अन्य जो लॉबी हैं, अगर ऑटो रिक्शा से कहीं जाने में 50 रुपए लगते हैं तो ई-रिक्शावाले उसके लिए 12-15 रुपए लेते हैं। वे भी चाहते हैं कि उनको बंद करो। उनको लगता है कि वह हमारे पेट पर आएगा। इस देश में करीब 1 करोड़ गरीब लोग हैं, जो देश के सभी शहरों में अपनी ताकत से माल खींचते हैं। यह अमानवीय है। क्यों नहीं ह्यूमन राइट्स कमीशन में उसके बारे में विचार होना चाहिए। इसलिए मैंने एक मामला पर निर्णय किया। वह निर्णय बहुत समझते हुए किया। वह निर्णय है कि मार्किट में जो ऑलरेडी स्टैन्डर्डाइज मैटीरियल है, इसमें हो सकता है और मुझे कबूल करने में कोई संकोच नहीं है कि अगर हीरो होंडा का चक्का होगा, टीवीएस का एक्सल होगा, किसी और का कुछ होगा, यह हो सकता है।

मैंने कहा कि लुधियाना, दिल्ली के बाजार में सस्ते से सस्ते अच्छी क्वालिटी के मैटीरियल के पैटर्न डिजाइन को टैस्ट करके इसे मान्यता दें, इसके एक-एक पार्ट को स्टैन्डर्डाइज करने की आवश्यकता नहीं है।

मुझे एक-एक बात के लिए फाइल पर ओवर रूल करना पड़ा। मैंने कहा कि ऐसा मत कीजिए क्योंकि गरीब व्यक्ति इसे बियर नहीं कर सकता। लेकिन सुरक्षा के साथ कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आईआईटी के इंजीनियर्स को बुलाया, हमारे सभी इंस्टीट्यूशन्स को बुलाया, गीते साहब के इंस्टीट्यूशन को बुलाया । सब पार्ट्स को स्टैन्डर्डाइज वरके पैटर्न डिजाइन जो 52, 53 थे, उनमें से कुछ डिजाइन की अनुमति दिल्ली सरकार की टैक्नीकल संस्था देती है। उसी पैटर्न पर अब रिक्शा बना सकते हैं। अब चाइना से कुछ नहीं आता, हमारे देश में सब कुछ पैदा होता है। इसकी हजारों कम्पनियां गांव-गांव में खुल रही हैं। मेरा सपना है और मैं इसके लिए आपसे समर्थन मांगता हूं। क्या इस देश को साइकिल रिक्शा चलाने वाले लोग, किसी को टीबी हो रही है, किसी को फेफड़ों में कोई नई बीमारी हो रही है, उन गरीब लोगों की जान बचा सकते हैं? जो मेहनत से रिक्शा चलाते हैं, उसे एनर्जी पर कर सकते हैं? उनके लिए यह प्रपोजल लाया गया है। दिल्ली में एक बात और है। कोई बड़ा सेठ व्यक्ति सौ रिक्शे लेता है और गरीब लोगों को किराए पर देता है। मैंने कहा कि यह नहीं चलेगा। चालक, मालक, जो चलाएगा वही मालिक होगा, यह नियम हमने इसमें किया है। हम नहीं चाहते कि कोई बड़ा व्यापारी 25 रिक्शे खरीदकर सौ रुपये रोज पर गरीब व्यक्ति को चलाने के लिए दे। इसलिए इसमें चालक, मालक की कल्पना भी की है।

इसमें हाई कोर्ट के निर्णय के बाद मोटर व्हीकल एक्ट के सब कॉलम लगते हैं। सिक्युरिटी, इंश्योरैंस, थर्ड पार्टी इंश्योरैंस का लगता है। इसका रजिस्ट्रेशन होगा, इसके ऊपर नम्बर प्लेट लगेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने राज्य सरकारों को कहा कि ई-रजिस्ट्रेशन कीजिए ताकि भ्रष्टाचार न हो। इसके ऊपर नम्बर प्लेट लग जाए। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा। पहले चक्का छोटा था। मैं टैक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हूं। पहले चक्का छोटा था तो ताकत लगती थी। अब चक्का बड़ा हुआ तो उसे महिला भी चला सकती है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसके सुरक्षा के सभी मामलों पर विचार करके स्टैन्डर्ड डिजाइन द्वारा तैयार किया है, मान्यता दी है। अब अगर महिला चाहे तो वह भी इसे चला सकती है। वह भी इससे अपना रोजगार कमा सकती है। इसमें 500 से 600 रुपये रोज कमाई हो सकती है।

आपने दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम लिया। मैं इसमें खुद काम करता हूं। समाज में जो शोषित, पीड़ित, दलित लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, उस दरिद्र नारायण को भगवान मानना चाहिए और उसकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा, यह अंत्योदय का विचार दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने चिंत्ान में रखा है। इसलिए एक करोड़ लोग, अगर उनके ऊपर डिपैंडेबल लोग देखे जाएं तो चार करोड़ गरीब लोगों की आबादी है। उन्हें साइकिल रिक्शा से ई-रिक्शा में कन्वर्ट करना, आपने अच्छी बात बताई कि इसे सोलर एनर्जी में लाना चाहिए। सोलर एनर्जी में यह किया कि जो ऊपर का टब रहता है, चाइनीज कम्पनी ने टब के ऊपर सोलर सैल लगा दिए। सोलर सैल से कुछ चार्जिंग होने लगी। हमारे देश में सोलर सैल की एफीशिएंसी ज्यादा से ज्यादा 16 प्रतिशत है। उतने से रिक्शा नहीं चल सकता, 120 किलोमीटर चलना चाहिए, 20-25 किलोमीटर से नहीं होगा। जब सोलर सैल की एफीशिएंसी 40 प्रतिशत पर जाएगी, अगर टब सोलर सैल का बना है तो यह संभव है, लेकिन उसके बारे में रिसर्च शुरू है। अभी कमर्शियली सोलर सैल पर चलाना मुश्किल है। मैं दिल्ली सरकार और कार्पोरेशन से प्रार्थना करने वाला हूं, जब मार्च, अप्रैल और मई में टैम्परेचर बढ़ता है तो हम पीने के पानी के लिए प्याऊ लगाते हैं, क्या कुछ पब्लिक प्लेसेज पर जहां रिक्शा स्टैंड हैं, सोलर पैनल का शेड तैयार करके गरीब ई-रिक्शा वालों को फ्री ऑफ चार्ज चार्जिंग करने की सुविधा कार्पोरेशन, नगर पालिका दे सकती है? मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से होगा।

आपने कहा, मैंने दीनदयाल ई-रिक्शा योजना को फाइनैंस मिनिस्टर और प्रधान मंत्री जी के पास रिकमैंड करके भेजा। मैंने थावर चंद गहलोत जी और नजमा जी के साथ मीटिंग की। उनके डिपार्टमेंट का ऑलरेडी फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन है, थावर चंद जी यहीं बैठे हुए हैं। आप लोग्ा जातिवाद और साम्प्रदायिकता की जमकर राजनीति करते हैं। इसे आप करते रहिए। ...(व्यवधान) जो करते होंगे उनके लिए लग रहा होगा, आपको बीच में टोकने की आवश्यकता नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : जातिवाद की राजनीति तो आप करते हैं।

श्री नितिन गडकरी : आप क्यों नाराज हो रहे हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं जो करते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, आप वैसे नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप इधर के बारे में ही बोल रहे हैं।

श्री नितिन गडकरी : हमको इसकी जरूरत नहीं है, हम बताना चाहते हैं कि ई-रिक्शा चलाने वाले कौन लोग हैं। शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, माइनोरिटी क्लास के लोग हैं, बिहार और यूपी से ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। ये गरीब लोग हैं, कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, हमारे मुंबई में भी इतने लोग आते हैं, कोई मजबूरी से आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, रोटी नहीं मिलती है इसलिए आते हैं। बिहार और यूपी से जो लोग आ रहे हैं वे रोटी के लिए आ रहे हैं। इसलिए मैंने इन मंत्रियों को कहा कि इसको इकोनॉमिकली वाइबल कैसे करें। थावर चंद जी बैठे हुए हैं। नजमा जी ने कहा कि हमारे डिपार्टमेंट का फाइनेंस कॉरपोरश्न है,चार परसेंट इंट्रेस्ट पर है। हम ई-रिक्शा का साइकिल रिक्शा में कन्वर्जन करेंगे। चार परसेंट इंटरेस्ट में इसको फाइनेंस करेंगे। यह बात उन्होंने मानी है। आज यह बिल मंजूर होने के बाद वह लीगलाइज हो जाएगा, ...(व्यवधान)। पहले योजना शुरू होने दीजिए। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि जीरो परसेंट पर भी कीजिए। आज इन्होंने कहा है कि यह शुरूआत होगी। आपको मालूम होगा जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थीं, तब बीसूत्री कार्यक्रम की बात आई थी। बीस सूत्री कार्यक्रम में एक अच्छा निर्णय किया था । पहली बार साइरकिल रिक्शा चलाने वाले को राष्ट्रीयकृत बैंक लोन देने लगी थी। यह आग्रह से कहा जाता था कि इनको लोन दीजिए। देखिए, जो अच्छा है, वह अच्छा है। अब टेक्नोलॉजी बदल गई है। अब ई-रिक्शा आई है। इसलिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनोरिटी जितने संबंधित विभाग हैं, बाकी जगह पर हम इसमें मार्ग निकालेंगे। अर्थ मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को मैं कहूंगा जितने कम में हो सके, उसको देने की कोशिश करें। एक और इम्पोर्टेंट चीज है।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : मुझे और खड़गे जी को ई-रिक्शा पार्लियामेंट में आने के लिए मिलेगी, जिससे पार्लियामेंट में प्रदूषण न हो।

श्री नितिन गडकरी : पुराने समय में जब पेट्रोल के भाव बढ़े थे तो एक बार चन्द्रशेखर जी और सब लोग साइकिल पर बैठकर पार्लियामेंट आए थे, यह ग्रीन व्हिकल है, बहुत इसका स्वागत होगा।

श्री थावर चंद गहलोत : वैंकैय्या जी तो उसमें आसानी से आ सकते हैं, लेकिन खड़गे साहब को तो क्या वजन कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री नितिन गडकरी : थावर चंद जी, मैं आपको एंश्योर करता हूं कि ई-रिक्शा में मेरे वजन जैसे चार लोग आ जाएंगे। वैसे मेरा वजन 40 किलो कम हुआ है। आज की स्थिति में मेरे जैसे चार लोग और चालीस किलो का सामान ले जाने की ई-रिक्शा में अनुमति है। ई-कार्ट है, उसमें 310 किलो वाट का रखा है, ई-कार्ट का कन्वर्शन फ्रुट जुस सेंटर में हो सकता है, ई-कार्ट का रूपांतर सब्जी के दुकान में हो सकता है। ई-कार्ट का रूपांतर जो लोग लोग पटरी पर बैठते हैं, रोड पर कभी बैठने के लिए प्रोबल्म आती है उनका हो सकता है। किंतु वैंकेया जी एक बात है इसको किस एरिया में एलाऊ करना है या नहीं करना है यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसका अधिकार राज्य सरकार के पास है। मुंबई की संसद सदस्य पूनम महाजन बोल रही थीं कि मैं बांद्रा में शुरू करना चाहती हूं। मुंबई में ई-रिक्शा को परमशिन देना उचित नहीं होगा, किंतु मुंबई के जो उपनगर हैं उसमें सोचा जा सकता है, जो बी-ग्रेड के नगर हैं, दिल्ली में जहां इतना ट्रैफिक है, उसकी स्पीड 25 किलोमीटर है। उसकी स्पीड 25 किलोमीटर होने के कारण और इसकी रचना के कारण, जहां फास्ट ट्रैक के रोड हैं, जहां कुछ ऐसी मूवमेंट्स है, उसके बारे में हमने राज्य सरकार को आधिकार दिए हैं, वे ही इसके बारे में निर्णय करें। इसकी जो पावर है, वह हमने दो हजार वॉट तथा 25 किलोमीटर स्पीड रखी है।

सम्मानीय सदस्य श्री तथागत सत्पथी जी ने बायो फ्यूल के बारे में बहुत अच्छी बात कही। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। मैं आठ साल से इसमें काम कर रहा हूं। इसके बाद मैंने वैंकेया जी से भी प्रार्थना की है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने तय किया है कि क्या हम देश की स्कूल बस और सिटी बस बायो फ्यूल पर चला सकते हैं? क्या इथनॉल, बायो डीजल, बायो गैस और इलैक्ट्रिक बस चला सकते हैं? मैं आपको इससे पहले भी सदन में बता चुका हूं कि हमारा डिपार्टमैंट इस पर रात-दिन काम कर रहा है और इस देश की पहली बस जो किसानों

ने तैयार की है, वह इथनॉल पर सौ प्रतिशत चलती है। उसे मैंने अपने शहर नागपुर में शुरू की है। आप सब उसे एक बार देखने के लिए आइये। कचरे से भी इथनॉल तैयार होगा तो इस देश में छः लाख करोड़ रुपये का इम्पोर्ट, जो पेट्रोल, डीजल, गैस, जो देश में पॉल्यूशन कर रहा है, कार्बन मोनोआक्साइड है, इसमें 95 परसेंट इमीशन है। मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं और आने वाले समय में जब मैं 1988 मोटर व्हीकल एक्ट को आपके सामने लाऊंगा तब हम इन सब बातों के बारे में विचार करके आयेंगे। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आलरेडी हमने बायो फ्यूल के बारे में स्टैंडर्ड पक्के करके उसे अनुमति दी है। उस पर ट्रायल होकर एक महीने के अंदर इस देश में बायो डीजल, बायो गैस और इथनॉल पर चलने वाली बसों के लिए अनुमति मिलेगी। निश्चित रूप से हमें हिन्दुस्तान को पॉल्यूशन से बचाना है, प्रदूषण मुक्त हिन्दुस्तान करना है। हिन्दुस्तान के भूमिपुत्र चाहे किसान हों, गरीब लोग हों, ये अब फ्यूल तैयार करेंगे। इसके बाद इम्पोर्टेड फ्यूल इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम की गैस और पेट्रोल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उत्तर प्रदेश और बिहार पूरा उसी पर चलेगा। हमारा यह सपना है और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आपने एक बात और कही। ...(व्यवधान) पप्पू जी की तरफ पूरा दोस्ताना है। ...(व्यवधान) इसलिए आपके साथ इनकी तरफ भी पूरा ध्यान है चाहे दोनों अलग-अलग पार्टी में हैं। ...(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टेट कार्पोरेशन की जो एग्जीस्टिंग डीजल बस है, ये सभी स्टेट कार्पोरेशन की ट्रांसपोर्ट बसें घाटें में चल रही हैं। इसलिए इसमें गीते साहब की हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने इलैक्ट्रिक बस के बारे में एक बहुत अच्छा प्रपोजल तैयार किया है। हिंदुजा की लंदन में बस थी, जिसमें मैं बैठकर आया हूं। इसका अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। कुछ लोग कहेंगे कि मैं बहुत घोषणा कर रहा हूं तो आप मेरी घोषणा लिखकर रखिए। मैं जो बोल रहा हूं, वह होगा। इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है लेकिन हम अध्ययन कर रहे हैं। क्या हम एग्जीस्टिंग डीजल बस को इलैक्ट्रिक बस में कन्वर्ट कर सकते हैं? आप सबके आशीर्वाद और शुभकामना के साथ हम कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम मेक इन इंडिया में कामयाब होंगे और हमारे देश के लोग इलैक्ट्रिक बस को कन्वर्ट करेंगे। जब हमारा एप्रूव होगा तब हम वैंकेया जी से अनुरोध करेंगे। अभी वे नयी योजना लाने वाले हैं। हमारे देश में इलैक्ट्रिक बस को प्रधानता मिले और प्रदूषण मुक्त हिन्दुस्तान बने, आपकी बात को ये जरूर स्वीकर करेंगे।

मैंने नम्बर ऑफ पैसेंजर्स के बारे में बताया है। मैं अनुप्रिया जी का बहुत-बहुत आभिवादन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने मेरा काम बहुत आसान किया है। उन्होंने इतनी अच्छी बातें यहां रखी हैं जिसके कारण माननीय सदस्यों को अनेक सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसके साथ-साथ तथागत जी ने हाइरब्रिड कार के बारे में भी कहा था। अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी है। कुछ डीजल प्लस इलैक्ट्रिक, पेट्रोल प्लस इलैक्ट्रिक, सीएनजी प्लस इलैक्ट्रिक, यह संभव है। लेकिन यह हुआ कि हमारे यहां मोटर व्हीकल को कंट्रोल करने वाली कम्पनी थी, मुझे और गीते जी को बहुत देर में ध्यान आया कि इसे हम कंट्रोल नहीं करते, बल्कि आटोमोबाइल मैनुफैक्चरर कंट्रोल करते हैं और वे देश में कोई नया सुधार नहीं होने देते। वे चार-चार साल तक परमिशन नहीं देते थे। यह हमारे ध्यान में आया तो हम दोनों ने मिलकर उन्हें बहुत अच्छे तरीके से ठीक किया है। मैंने उनकी इंडस्ट्री में कहा है कि यह सब बदल रहा है। अगर आपको आना है तो हमारे साथ चलो। अगर नहीं आना तो घिसटते हुए लेकर जायेंगे। तुम नहीं करोगे तो फॉरेन कम्पनी आयेगी, फ्यूल बदलेगा, प्रदूषण मुक्त हिन्दुस्तान बनेगा। आप आयें तो आपके साथ और नहीं आये तो आपके बिना, यही शब्दों मे कहा। वे भी अब इस काम में लगे हैं। मुझे विश्वास है कि यह निश्चित रूप से होगा।

मैं सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह केवल दिल्ली के लिए नहीं है। मैं बाए एंड लार्ज देहात की बात नहीं कर रहा हूं, पंजाब और हरियाणा में टार रोड बने हुए हैं, इसके बारे में वहां जरूर विचार करें। दो-पांच लाख आबादी के छोटे शहर हैं, एक जगह से स्टेशन तक जाने के लिए छोटे गांवों में तीन किलोमीटर मेन रोड से अंदर जाने के लिए एक छोटे वाहन का प्रयोग होता है जिसमें डीजल इंजन लगा होता है। इसमें 15 लोग बैठते हैं। डीजल से धुंआ निकलता रहता है। मैंने बिहार, यूपी, बंगाल में देखा है। एक बार मैं बंगाल में इलैक्शन प्रचार के लिए गया था तब मैंने देखा था। इससे प्रदूषण होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसी जगह ई-रिक्शा में कन्वर्ट करके प्रदूषण मुक्त करने का अच्छा अवसर है। आप उन्हीं लोगों को इस स्कीम में डालिए, अगर वे ई-रिक्शा में चार सीट का कन्वर्जन कर दें क्योंकि यह बहुत चीप फ्युल है, इंडीजिनियस है, स्वदेशी है और पॉल्यूशन फ्री है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि देश के एक करोड़ लोग, जो ई-कार्ट, ई-रिक्शा, साइकिल

रिक्शा चलाने वाले हैं, उन गरीब लोगों के लिए यह कर देंगे तो देश के इतिहास में एक बहुत हिस्टारिकल रिवोल्यूशनरी काम होगा। आप इसमें सहयोग कीजिए।

मैं सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इसे स्टैंडिंग कमेटी में क्यों भेजना है? मेरे हाथ में नहीं था, कोर्ट का निर्णय था और तीन-चार महीने बीत गए। कोर्ट के निर्णय में न मैं कुछ कह सकता हूं और न आप। अब मुश्किल से यह आया है और आप कह रहे हैं कि जल्दी क्यों लाए? इसे हम दिल्ली के चुनाव के लिए नहीं लाए हैं। मुझे एक-एक दिन बीतने से लगता है कि लाखों लोग दिल्ली में बेरोजगार बैठे हैं। वे मुझे मिलते हैं। एक बार मुझसे कहा गया - तुम्हारे घर के सामने आत्मदाह करेंगे। मैंने उनको बुलाया और कहा कि मैं तो चाहता हूं लेकिन कोर्ट का निर्णय है इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। अब कोर्ट का निर्णय हो गया और आपके आशीर्वाद से पार्लियामेंट का निर्णय हो गया। इसमें कोई लू पोल नहीं है, लैप्सिस नहीं हैं। मैंने दो ही सुधार किए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पद्धति ऐसी है कि कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस से पहले लर्निंग लाइसेंस लेना पड़ता है। लर्निंग लाइसेंस के बाद परमानेंट लाइसेंस बनता है और परमानेंट लाइसेंस के एक साल बाद कमर्शियल लाइसेंस बनता था यानी तब ईऱरिक्शा चला सकेंगे। वे लोग जो गरीब हैं, डेढ़ साल क्या करेंगे? वे रोजी रोटी कैसे चलाएंगे? इसमें इसीलिए सुधार किया है कि दस दिन की ट्रेनिंग मैन्युफैक्चरर देगा या एसोसिएशन देगी, उसके बाद लाइसेंस मिलेगा और तब इसे चलाया जा सकेगा। इससे गरीब आदमी की रोजी रोटी चल सकेगी।

हमने दूसरा निर्णय भी किया है। पहले था कि दसवीं या आठवीं पास ही चाहिए। बिहार, यूपी से जो गरीब लोग आए हैं, रोजगार के लिए आए हैं, अब कोई मैट्रिक पास है और कोई नहीं है। यह मेहनत का काम है। एजुकेशन वाली कंडीशन निकाल दी है। दो ही बातों के लिए बिल लाए हैं। अब अगर दो बातों को निकाल आप बिल का पारित करने में जल्दी करेंगे तो तुरंत लाखों लोगों को रोटी मिल जाएगी। अर्जेंसी इसकी है। खड़गे जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं क्योंकि यह गरीबों के हित में है। आप भी दिल से चाहते हैं कि गरीबों का कल्याण हो और गरीबों को तुरंत रोजगार मिले। यह केवल दिल्ली इलैक्शन के लिए नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हजारों करोड़ों लोगों का काम है, सब जगह यह चलने वाला है। हमारे देश में चुनाव तो हर साल होते रहते हैं। आप इसे स्टैंडिंग कमेटी में ले जाने की बात मत कहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके पास कोई भी

समस्या है, कोई भी अच्छा सुझाव है, आप मेरे पास आइए, जब सरकार आपके अच्छे सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो आप स्टैंडिंग कमेटी में जाने की चिंता क्यों करते हैं?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: माननीय उपाध्यक्ष जी, आप जिस मकसद से आप इस बिल को लाए हैं या जो कानून है, उसके विरोध में किसी सदस्य ने बात नहीं कही है। प्रश्न यह है कि जो पार्लियामेंटरी प्रोसीजर है, हम हमेशा जो फॉलो करते आए हैं, हर एक्ट को, हर अमेंडमेंट को, मोर और लैस, जो बिगर अमेंडमेंट्स हैं, उनको स्टैंडिंग कमेटी में भेजते आए हैं। यहां नायडू जी भी बैठे हैं। एक ऐसी ही बात हुई थी कि आर्टिकल 371जे कांस्टीट्युशनल अमेंडमेंट था, मेरे प्रदेश हैदराबाद कर्नाटक के लिए था। आपको मालूम है कि कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट में कितनी कठिनाई होती है, उस वक्त बीजेपी और सभी पार्टियों ने सपोर्ट किया इसलिए वह आ गया।

<u>अपराह्न 4.00 बजे</u>

लेकिन उसमें कुछ खामियाँ थीं, इसलिए हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ऑब्जेक्शन किया था। उस वक्त वैंकैय्या नायडू साहब गृह विभाग संबंधी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। हमने इसे उठाया था। बहुत कठिनाइयों के बाद यह कानून आया है। इसलिए इसे स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजिए। तब उन्होंने कहा कि यदि दो दिन में करना पड़े या तीन दिन में करना पड़े, हम करके देंगे। मैंने कहा- ठीक है। ...(व्यवधान) उन्होंने एमर्जेंसी मीटिंग बुलाकर चार दिनों में उसमें जो भी खामियाँ थी, स्टैंडिंग कमेटी द्वारा उसे सेट्राइट करके फिर तुरंत भेजा। तो आपको दूसरों की बात सुनने में क्या है? आप मुझे ऐसे कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं कि जैसे हम गरीबों के विरोध में हैं और आप गरीबों के पक्ष में हैं। ...(व्यवधान) आपका पूरा बजट बोल रहा है कि आप गरीब के पक्ष में हैं या अगेंस्ट में हैं। आपका मनरेगा प्रोग्राम बोल रहा है, आपके सब्सिडी के स्कीम्स बोल रहे हैं। ...(व्यवधान) इसीलिए कोई विरोध में नहीं है। सभी इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यह जल्दबाजी में न हो, यदि इस पर कुछ सुझाव भी आते हैं, जैसा कि आपने कहा कि श्री सत्पथी साहब ने आपको कुछ सुझाव दिये, हो सकता

है स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से भी कुछ सुझाव आएं। उसे दो-चार दिन में भी कर सकते हैं, यदि चाहें तो कभी भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। [अनुवाद] यदि हम प्रक्रिया के विरुद्ध जाकर कार्य करेंगे, तो यह एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी। यदि आप इस परंपरा को जारी रखते हैं, तो फिर स्थायी समिति की कोई भूमिका नहीं रह जाती। इसलिए हम केवल अनुरोध कर रहे हैं, हम किसी पर कोई दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको उसी प्रक्रिया के अनुसार चलना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो श्री खड़गे जी ने स्प्रिट के संबंध में बताया है, उसमें दो मत नहीं है। आप भी गरीब लोगों की सेवा करना चाहते हैं, हम भी सेवा करना चाहते हैं, हम सब मिलकर गरीबों की सेवा करें, उनका उत्थान करें और आगे बढ़ें। ...(व्यवधान) इस पार्लियामेंट में जब से हम आए, तब से रेलवे अमेंडमेंट बिल पर तीन घंटे तक चर्चा करने के बाद हमने स्टैंडिंग कमेटी को भेजा, इसी प्रकार से एस.सी.एस.टी. प्रिवेंशन एट्रोसिटी बिल, फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल, रिपील एंड अमेंडमेंट बिल, 2014 स्टैंडिंग कमेटी में गया और जूवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटैक्शन बिल के बारे में मैं समझता था कि यह जल्द से जल्द होना चाहिए क्योंकि जिस बच्चे में रेप करने का सामर्थ्य है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि इसे जल्दबाजी में पास नहीं करना चाहिए, इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, इसलिए उसे भेजा गया। इसलिए सरकार को कोई संकोच नहीं है। मगर जिस विषय के संबंध में ज्यादा मतभेद नहीं है, जिसमें ब्रॉडली सर्वसम्मति है, ऐसे विषयों को स्टैंडिंग कमेटी में भेजकर समय नष्ट क्यों करना चाहिए, ऐसा सोचकर हमने अनुरोध किया है।

दूसरी बात, अभी श्री खड़गे जी रूल्स-रेगुलेशंस वगैरह के बारे में बता रहे थे। इस पर एक एग्रीमेंट हो जाए, कल से हम और आप, सभी लोग, जो पुस्तक में है, जो अभी तक प्रिसिडेंट्स हैं, क्वेश्चन आवर से लेकर सभी नियमों का पालन करेंगे, यदि ऐसा निर्णय लिया जाए तो हम जरूर स्वीकार करेंगे, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ...(व्यवधान) आप नौ बार लेजिस्लेचर में थे, [अनुवाद] क्या कोई आपको सिखा सकता है महोदय?

… (*व्यवधान*) [हिन्दी] मैं ऐसा दुस्साहस नहीं कर रहा हूं, सिखाना संभव नहीं है। इस उम्र में कोई सीखेगा भी नहीं ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यदि आप कानून के तहत चलेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। ...(व्यवधान) लेकिन कहना एक बात है और करना अलग बात है। यदि ऐसा हुआ तो वह ठीक नहीं है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: वे जो कुछ भी कह रहे हैं, वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

… (*व्यवधान*) ... §§*

माननीय उपाध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान) ... *

[हिन्दी]

श्री नितिन गडकरी : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सम्मानीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि यह अमेंडमेंट बिल है, इसके बाद में रूल्स बनने वाले हैं और आज सदन में इस बिल के बारे में माननीय सदस्यों के जितने प्रश्न, शंकाएं एवं समस्याओं का मैंने जवाब दिया है। यह बिल पास होने के बाद हम इसके रूल्स बनाने वाले हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अभी भी कोई सुझाव रह गया हो तो आप हमें दीजिए, मैं आपके अच्छे सुझावों को खुले दिल से उसमें अंतर्भूत करूंगा। यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं आपसे फिर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि दिल्ली के लाखों लोग आज घर में बैठे हैं, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, एक-एक दिन उनका रोजगार छीना जा रहा है, बहुत-से रिक्शों को पुलिस ने जब्त कर रखा है। ऐसी स्थिति में आज उन

§§· कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

गरीबों की तरफ देखते हुए, उनकी रोजी-रोटी की तरफ देखते हुए पुराने रिक्शों को हम रेगुलराइज कर रहे हैं। उनको हमने पूरी तरह रेगुलराइज करने के बारे में भी स्कीम बनाई है। हम किसी का रोजगार नहीं छीनना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उन गरीबों के हितों का विचार करते हुए, जितना जल्द हो सके, इसको इंप्लीमेंट करना गरीबों के हित में है। हमारे देश के इतिहास में पहली बार करोड़ों लोगों को फायदा देने वाला यह बिल है। आप सभी ने इसका समर्थनत किया है, आपने अच्छे सुझाव दिए हैं और मैंने उनके बारे में जवाब दिया है। अगर कुछ कमी रही तो उसे रूल्स में डालने बारे में विश्वास दिलाया है। मेरे भाषण के बाद भी अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। आप अगर मेरे पास आना चाहते हैं तो जितने लोग आते हैं, अगर अच्छा सुझाव देते हैं तो मैं उनको मान्य करने के लिए तैयार हूं।

मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की मांग को आप छोड़ दीजिए और इस बिल को मंजूर कीजिए। यह देश के इतिहास में गरीबों के हितों में एक अच्छा काम हो रहा है। आप सभी एकमत से इसका समर्थन कीजिए। यही मैं आपसे नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): उपाध्यक्ष महोदय, जो बात मैं कहना चाहता हूं वह प्रत्यक्ष रूप से मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2014 से संबंधित नहीं है बल्कि प्रदूषण से संबंधित है।

माननीय उपाध्यक्ष: यदि आप इस विधेयक पर कोई स्पष्टीकरण पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ सकते हैं।

श्री के. एच. मुनियप्पा : मैं माननीय मंत्री का देश में प्रदूषण की समस्या के प्रति ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रदूषण केवल एक विशेष प्रकार के वाहनों से ही नहीं होता है। पूरे देश में प्रदूषण की समस्या का व्यापक समाधान करना होगा। प्रदूषण केवल मोटर वाहनों से ही नहीं होता, बल्कि रेल, हवाई जहाज आदि से भी होता है। [हिन्दी] इसके बारे में थोड़ा सोचिए कि क्या करना चाहिए। यह बहुत इम्पोर्टेंट मामला है, पूरे विश्व में पोल्यूशन की बात हो रही है। इस पर थोड़ा सोचिए।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकनाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण एक बहुत ही आत्म-विरोधाभासी पंक्ति से शुरू होता है। इसमें लिखा है:

> "मोटर यान अधिनियम, 1998 के अंतर्गत, किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि उसके पास कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए ड्राइविंग लाइसेंस न हो।"

अगर आप इस अंग्रेज़ी को पढ़ें, तो इसका मतलब यह निकलता है कि यदि आपको एक लर्नर लाइसेंस चाहिए, तो आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि आपके लर्नर लाइसेंस के आवेदन से कम से कम एक वर्ष पूर्व से वैध रहा हो। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वह इस बात की जाँच करें और सदन को स्पष्ट करें।

श्रीमती कविता कल्वकुंतला (निजामाबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ई-रिक्शा एक अद्भुत अवधारणा है और इसका पूरे देश में व्यापक रूप से विस्तार करना एक अच्छा कदम होगा। यदि हम इन ई-रिक्शा को खरीदने के लिए बिना कोई ब्याज लिए ऋण दे सकें और इसे सरकार की किसी भी नवीनतम स्वरोज़गार योजना में सम्मिलित कर सकें, तो यह और भी बेहतर होगा। यह पहली बात है।

दूसरी बात यह है कि चूंकि माननीय मंत्री महोदय हमसे यह आग्रह कर रहे हैं कि इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने पर जोर न दिया जाए, तो मैं उनसे केवल यह जानना चाहती हूँ कि जब नियम बनाए जाएंगे, उस समय क्या वे एक सर्वदलीय समिति को शामिल करने के लिए तैयार होंगे, ताकि हम सब इसमें अपने सुझाव दे सकें, क्योंकि यह देश के लिए एक नई अवधारणा है।

[हिन्दी]

श्री नितिन गडकरी : मैं आपके द्वारा सदन को विश्वास दिलाता हूं कि आप मुझे जो सुझाव देने हैं दीजिए, मीटिंग की भी जरुरत नहीं है, मैं तुरंत आधिकारियों को बुलाकर, आपके सामने, चर्चा करके, करने के लिए तैयार हूं। अगर आपका सुझाव सकारात्मक है, तो अवश्य होगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं इस सदन में नया हूं, लेकिन जो मेरे से मिले हैं, उनका अनुभव ऐसा नहीं है, क्योंकि नहीं होता होगा, तो मैं नहीं कह दूंगा। आप मेरे पास आइये, सुझाव दीजिए, मैं करुंगा।

दूसरी बात, जीरो-परसेंट इंट्रेस्ट पर करना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि यह मेरे विभाग के बाहर की बात है। इसके बारे में स्पष्ट आश्वासन देना मेरे आधिकार में नहीं है। मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी को यह प्रपोजल भेजा है, माननीय वित्त मंत्री जी को भी भेजा है और हमारे संबंधित मिनिस्टर को भी भेजा है, उन्होंने चार-परसेंट किया है। आपकी जो मांग है, उससे मैं सहमत हूं कि जीरो-परसेंट इंट्रेस्ट होना चाहिए। मैं मंत्री होने के नाते माननीय वित्त मंत्री जी और आदरणीय प्रधान मंत्री जी को यह बात कहूंगा और सरकार में कोशिश करुंगा कि यह जीरो परसेंट हो जाए।

सम्माननीय सदस्य ने ड्राइविंग लाइसेंस की बात की है, तो यह पुराने कानून में था। आपको कमर्शियल लाइसेंस चाहिए तो पहले लर्निंग लाइसेंस लो, फिर एक साल के बाद वह लाइसेंस परमानेंट होगा, फिर एक साल गेप के साथ परमानेंट लाइसेंस मिलता है। इसी को टालने के लिए हमने नियम को दुरुस्त किया है। अब यह है कि आपको लर्निंग लाइसेंस मिलेगा, 10 दिन की ट्रेनिंग आपको एसोसिएशन या मैन्युफैक्चरर दोनों में से किसी से मिलेगा। उसके बाद आपको सीधा कमर्शियल लाइसेंस ई-रिक्शा का मिलेगा, आपको तकलीफ नहीं होगी और तुरंत सब लोग काम पर लग जाएंगे, इसीलिए यह मार्ग निकला है।

प्रदूषण के बारे में आपने कहा, वह बात सही है। एयर-पॉल्यूशन और वाटर-पॉल्युशन बहुत बड़ा सबजैक्ट है और इस पर पीसमील में विचार नहीं हो सकता। यह तो सागर में हमारा एक छोटा सा प्रयास है। प्रदूषण के जो मार्ग हैं, एक-एक करके उन्हें हम बंद करेंगे, तभी हमारा प्रदूषण कम होगा। उसी दिशा में ई-रिक्शा की शुरुआत है, तो उतना पेट्रोल-डीजल कम लगेगा। बायो-फ्यूल की बसें आयेंगी। इथनॉल, बायोगैस, बायो-डीजल, ई-

इलैक्ट्रिक से पॉल्यूशन कम होगा। ऐसा एक-एक प्रयास से पॉल्यूशन कम होगा और मैं आपकी बात से सहमत हूं। हमारी सरकार और मेरा विभाग, आपकी भावना से पूरी तरह से सहमत है और प्रदूषण मुक्त हिंदुस्तान के लिए जो भी कोशिश करनी पड़ेगी, जो-जो निर्णय करने पड़ेंगे और आप भी जो सुझाव देंगे, उनके आधार पर सरकार निरंतर काम करती रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और फिर से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इसे मंजूर करने की कृपा करें।

[अनुवाद] **माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: अब सदन विधेयक पर खंड-दर-खंड विचार करेगा।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग हैं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय उपाध्यक्ष : मंत्री अब विधेयक को पारित कराने का प्रस्ताव रख सकते हैं।

श्री नितिन गडकरी: मैं प्रस्ताव करता हूँ

कि विधेयक पारित किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.13 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कथित तौर पर निष्प्रभावी बनाए जाने के बारे में - जारी

माननीय उपाध्यक्ष: अब हम मद संख्या 24 पर विचार करेंगे; 9 दिसंबर, 2014 को श्री शंकर प्रसाद दत्ता द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कथित तौर पर निष्प्रभावी बनाए जाने के बारे में उठाई गई चर्चा पर आगे की बहस।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी अपना वक्तव्य जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। मनरेगा के इन 8 वर्षों में 1,63,754 करोड़ रुपये मजदूरी के रूप में दिये गये।

अपराह्न 4.14 बजे (श्री हुकुम सिंह *पीठासीन हुए*)

उपाध्यक्ष जी, 21 जुलाई 2014 को एक आधिसूचना भारत सरकार ने जारी की थी। उसमें मनरेगा गारंटी आधिनियम की अनुसूची-1, पैरा चार और बीस में संशोधन किये गये थे, जिसके जरिये यह व्यवस्था थी, जिसके आधार पर शायद हमारे मित्र यह चर्चा लेकर आये थे। उसमें साफ लिखा है वि कम से कम 60 प्रतिशत कार्य भूमि, जल, वृक्षारोपण, कृषि एवं सृजित सम्पत्तियों की गुणवत्ता, उत्पादकता एवं टिकाऊपन के लिए होना चाहिए। ग्राम पंचायत के स्तर पर 40 प्रतिशत खर्च पर उसका आधिवार होना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर चालीस फीसदी खर्च का उसका आधिकार होना चाहिए। जब मैंने चर्चा शुरू की थी तो मैंने बड़े ही

आग्रहपूर्वक इस बात को कहा था कि यदि माननीय सदस्य इस बात से चर्चा शुरू करते कि मनरेगा में 1 लाख 63 हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद यह वास्तव में उपयोग साबित हुए या व्यर्थ में चले गए, इस पर चर्चा होती तो वह ज्यादा सार्थक और अच्छी होती। लेकिन हमने आधिकांश समय आरोप-प्रत्यारोप में ही खराब किया है। कुछ बातें मैंने उस समय भी कही थी और आज भी कहना चाहता हूं कि मनरेगा में कितने विकलांगों को रोजगार मिला? ऐसे कुछ राज्य हैं, जिनके आंकड़े हैं। मनरेगा के बारे में जितने भी लोग बात कर रहे हैं, जो गांव के लोग हैं, लेकिन कितने विकलांगों को रोजगार मिला? कितने ऐसे राज्य हैं, जहां महिलाओं को भी रोजगार नहीं मिला। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं, जहां 33 प्रतिशत से ज्यादा रोजगार मिला, जिनमें मध्य प्रदेश है, जहां महिलाओं को रोजगार मिला है। ऐसे भी राज्य हैं, जहां महिलाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं है। इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही का कहीं स्थान नहीं है और मॉनीटरिंग के लिए कोई तकनीक नहीं है। पैसा तो इसमें दिया जा रहा है, लेकिन गुणवत्ता की कोई चिंता नहीं की गयी। यही बात सरकार ने आधिसूचना में की है। इससे यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि हम मनरेगा को हतोत्साहित करना चाहते हैं। लेकिन जो लाखों-करोड़ रूपये देश का खर्च हो रहा है, उसमें गुणवत्तापूर्ण असेट्स बनने चाहिए। दस लाख से ज्यादा अधूरे काम इन आठ वर्षों में हुए हैं। कुल 16 लाख काम पूरे हुए हैं। अधूरे पड़े कामों को पूरा करने की बात सरकार ने इस आधिसूचना में की है। इस आधार पर इसमें आलोचना नहीं की जा सकती। यह समय सूचना क्रांति का है, लेकिन मनरेगा में आपको यह कहीं नहीं मिलेगा। इसमें एक सहायक होता है, जिसमें उसको पता ही नहीं होता है कि इसको रिकार्ड में कहां लाना है? इस बात के लिए मजदूर तीन-चार महीने तक रोते हैं।

महोदय, हमारे तृणमूल के एक सांसद ने महात्मा गांधी जी का नाम लेकर कहा था कि हम महात्मा जी का सम्मान करते हैं। गांधी, लोहिया और दीनदयाल तीन ऐसे विचारक हैं, जिन्होंने गांव, गरीब और किसानों के बारे में जितनी ईमानदारी से लिखा, भोगा और उसका समाधान दिया, मैं नहीं समझता हूं कि किसी दूसरे दाशरनिक ने किया है। मैं रिपोर्ट के आधज्ञर पर बताना चाहता हूं कि सौ दिन की गारंटी दी गयी थी, लेकिन वर्ष 2012-13 में कुल 43 दिन रोजगार मिला। वर्ष 2013-14 में 46 दिन रोजगार मिला। सौ दिन रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा 43 और 46 दिन में सिमट गयी। महात्मा गांधी ने इसमें भ्रष्टाचार की अनुमति नहीं दी थी।

उन्होंने भ्रष्टाचार का विरोध किया था। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। अकुशल वेतन में जो साठ प्रतिशत खर्च होना था, वह 70 फीसदी खर्च हुआ है। आपने कोई वैकल्पिक रोजगार पैदा नहीं किए। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक एक परिवार के प्रति 6104 रुपए साल में पूरी इनकम है। मजदूरों के बच्चों के खिलौनों के लिए मनरेगा के एक कराेड़ रुपए खर्च हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह गांधी जी कह कर गए थे। एक रिपोर्ट के हिसाब से आधिकारियों और मजदूरों के लिए पानी पिलाने पर 50 लाख रुपए खर्च हो गए, यह बात भी महात्मा गांधी जी नहीं कह कर गए थे। 16 कम्प्यूटर्स और प्रिंटर्स के लिए 39 लाख रुपए खर्च किए गए। मुझे नहीं पता है कि देश में कम्प्यूटर्स और प्रिंटर्स किस भाव पर मिलते हैं लेकिन 39 लाख रुपयों में सिर्फ 16 कम्प्यूटर्स और प्रिंटर्स खरीदे गए। नोटिस बोर्ड के लिए 49 लाख रुपए खर्च किए गए।

अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सदन में मजदूरों की बात बहुत कही जाती है, मुझे लगता है कि हम सभी को पलट कर देखना चाहिए। वर्ष 2010-2011 में मानव दिवस दिनोंदिन घटते गए हैं। वर्ष 2010-2011 में 3026 लाख मानव दिवस थे। वर्ष 2011-2012 में घटकर 2042 लाख मानव दिवस रह गए। उसके बाद वर्ष 2012-2013 में 2202 लाख मानव दिवस और आज वर्तमान 2013-2014 में 1838 लाख मानव दिवस रह गए हैं। यानी आप लगातार किसी को रोजगार भी नहीं दे पा रहे हैं। दिनों की बात अलग है, लेकिन जो मानव दिवस हैं, वे भी कम होते जा रहे हैं। काम अधूरे पड़े हैं और इतनी बड़ी धनराशि का आप दुरुपयोग करते जा रहे हैं। इस सब के बावजूद भी इस पर सवाल न उठाना, यह ठीक नहीं हैं। हमारे जो भी मित्र हैं, मैं उनसे बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि वुल 23,57,692 कार्य पार्लियामेंट की रिपोर्ट का आंकड़ा है, इतने काम शुरु हुए थे, उसमें से 16,52,362 कुल पूरे हुए हैं और दस लाख से ज्यादा काम आज भी अधूरे हैं।

मैं मजदूरों के बीच में काम करता हूं। मैं सरकार से एक बात आग्रह के साथ कहूंगा कि जो भी हो, जिन लोगों ने इस पैसे का दुरुपयोग किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके पास कोई संचार का साधन नहीं था। आप मूल्यांकन की पद्धति को विकसित नहीं कर सके। जो सिफारिशें लगातार सरकार के सामने आती रहीं, उन सिफारिशों की आपने चिंता नहीं की। उनमें साफ लिखा था कि कृषि के विकास को बढ़ावा दिया जाए। समिति ने अनुमोदन किया था कि उसका उपयोग करना चाहिए। कृषि उत्पादन में जो

सामुदायिक भंडारण है, जिसके लिए किसान मरता जाता है, मनरेगा को उसमें पैसा देकर उसको खड़ा करते, इस सिफारिश की आपने कभी चिंता नहीं की। यह सिफारिश पहले से थी। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्य मंत्री सड़क योजना बनाई है। प्रधान मंत्री सड़क की आबादी के नीचे जो गाँव आते हैं, वे सड़कें इस पैसे से बन सकती थीं। उसकी चिंता आपने कभी नहीं की। यह सिफारिश पहले से थी। उसके बाद जो जैविक उर्वरक बनाने की पद्धतियां हैं, उन एसैट्स में अगर पैसा खर्च किया होता तो ज्यता बेहतर होता। मुझे लगता है कि सिंचाई, तालाबों और नालों के खनन के संरक्षण में अगर हम इस पैसे को लगाते तो शायद किसान का भी भला होता। मैं पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करता हूं, मैं नदियों की सफाई में रुचि रखता हूं। इसलिए मुझे लगता है कि इससे कहीं और ज्यादा जिसको हम राष्ट्रीय आपदा कहकर सदन में चिल्ला-चिल्लाकर पैसा मांगते हैं कि भूकंप आ जाए, सूखा पड़ जाए, अगर उस पैसे का उपयोग उस किसान के लिए किया गया होता तो ज्यादा बेहतर होता।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां चौथी फसल खराब हुई है। हम वैसे भी कम जल वाले क्षेत्र हैं और अगर वास्तव में मनरेगा का पैसा उस किसान वो अगर दे दिया जाता तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादा सार्थक काम होता।

आठ महीने से मजदूरों को अभी भी वेतन नहीं मिला है। जो अधूरे कार्य हैं, यहां से राशि जल्दी रिलीज करनी चाहिए और मैं नहीं जानता कि इसमें कितने राशि की बेईमानी की गई है, लेकिन मजदूर का पैसा मजदूर को मिल जाए, अधूरे काम पूरे हो जाएं जिनका सरकार ने वचन दिया है, यह राशि जल्दी रिलीज हो जाए और उस गरीब आदमी के हित का संरक्षण होना चाहिए तथा चूंकि मैं गरीबों के बीच में कार्य करता हूं, किसान का बेटा हूं, उसकी सामाजिक सुरक्षा की चिंता करने वाली यह सरकार है, इसलिए इस मनरेगा के पैसे को तत्काल इन जिलों में वापस करना चाहिए। मुझे जो जानकारी आई है, चाहे मनरेगा की राशि हो, राज्य स्तर पर आ जाती है, लेकिन उसके कमपलीशन के सर्टिफिकेट नहीं आते, इस कारण से राशि रुकी हुई है। मैं सभी मित्रों से कहूंगा कि जो आपकी राज्य सरकारें हैं, उनसे कहिए कि जल्दी कमप्लीशन रिपोर्ट भेजे ताकि उस गरीब आदमी का पैसा उसको मिल सके और यह काम जारी हो सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): माननीय सभापति महोदय, मुझे इस देश के महत्वपूर्ण मुद्दे यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में बात करने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, यह माना गया है कि यह भारत सरकार की सबसे प्रभावी और सबसे मानवीय पहलों में से एक है। यह मानवतावादी और लाभकारी योजना है और उन वर्गों को आत्मविश्वास देती है जिन्हें पीढ़ियों तक उपेक्षित किया गया।

मुझे इस प्रतिष्ठित सभा को यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि महाराष्ट्र राज्य में यह योजना 'रोजगार गारंटी योजना' के नाम से आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई थी और आज भी वह योजना जारी है। महाराष्ट्र इस योजना का अग्रदूत रहा है और महान गांधीवादी नेता, बालासाहेब भराडे जी ने इस योजना की शुरुआत की थी।

मैं सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूँ कि देश के 2,500 पिछड़े ब्लॉकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इन ब्लॉकों में 60 प्रतिशत कार्य दिए जाएंगे, ताकि उत्पादक कार्य सृजित हो सकें। साथ ही, मैं इस बात का भी स्वागत करता हूँ कि सरकार ने 'इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली' लागू कर भुगतान में देरी को समाप्त करने और फंड के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है, जिससे सामाजिक अंकेक्षण को भी बल मिलेगा। लेकिन, मैं सदन का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूँ कि श्रमिकों का इस योजना की ओर आकर्षण दिन-प्रतिदिन घटता जा रहा है। समाचारपत्रों में यह भी प्रकाशित हुआ है कि पिछले पांच वर्षों में इस योजना में महिलाओं की भागीदारी घटकर 50 प्रतिशत से 43 प्रतिशत रह गई है।

महोदय, यदि हम महंगाई को ध्यान में रखें, तो इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को जो मजदूरी दी जा रही है, वह अत्यंत कम है। पिछले चार वर्षों में मात्र ₹41 की वृद्धि हुई है। वर्ष 2011-12 में ₹127 प्रतिदिन

मजदूरी दी जा रही थी, जो अब बढ़कर केवल ₹168 हुई है। यह राशि कम से कम ₹350 प्रतिदिन की जानी चाहिए।

हाल के बजट में, वर्ष 2013-14 में मनरेगा के लिए ₹33,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जबकि 2014-15 में यह बढ़ाकर मात्र ₹34,000 करोड़ किया गया है, जो कि मुझे लगता है, अपर्याप्त है। यह देखा गया है कि इस वर्ष 25 नवम्बर तक 10.6 करोड़ परिवारों ने रोजगार के लिए आवेदन किया था, लेकिन केवल 8.3 करोड़ परिवारों को ही कार्य प्रदान किया गया। शेष 2.3 करोड़ परिवारों को कार्य नहीं मिल सका। यही स्थिति महाराष्ट्र में भी है। वर्ष 2012-13 में 16.25 लाख परिवारों में से केवल 2.28 लाख परिवारों को ही लाभ मिला और 2013-14 में 11.40 लाख परिवारों में से मात्र 1.2 लाख परिवारों को ही कार्य मिल पाया। इस प्रकार, गरीब ग्रामीण परिवारों को कार्य न मिलने का यह भारी गिरावट सीधे-सीधे इस योजना के तहत की गई कटौती से जुड़ी प्रतीत होती है।

अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मनरेगा योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान को तत्काल बढ़ाया जाए।

एक अन्य महत्वपूर्ण विषय यह है कि भ्रष्टाचार के कारण मजदूरी देने में देरी हो रही है। गरीबों के साथ सबसे क्रूर व्यवहार यही है कि उनसे काम लिया जाए, लेकिन उन्हें समय पर भुगतान न किया जाए। यह पाया गया है कि ₹8,908 करोड़ की मजदूरी अब तक बकाया है, जो कि 90 दिनों तक लंबित रही है। यह स्थिति देश भर में कार्यरत श्रमिकों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि जो भी व्यक्ति या अधिकारी इस भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

अब मैं योजना के तहत किए जा रहे एक प्रमुख कार्य, अर्थात कुएं की खुदाई, की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वर्तमान में इस कार्य के लिए 60 प्रतिशत अप्रशिक्षित और 40 प्रतिशत प्रशिक्षित श्रमिकों का अनुपात निर्धारित है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह अनुपात उलटा होना चाहिए, अर्थात 40 प्रतिशत अप्रशिक्षित और 60 प्रतिशत प्रशिक्षित होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कुएं की खुदाई

होती है तो 8 से 15 फीट की गहराई पर कठोर चट्टानें आती हैं और आगे खुदाई के लिए कुशल मशीनों की आवश्यकता होती है। लेकिन मौजूदा 40 प्रतिशत प्रशिक्षित श्रमिकों की सीमा के कारण यह कार्य अधूरा रह जाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 3,000 कुओं का काम रुका पड़ा है। अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस अनुपात को या तो बदला जाए अथवा कम से कम 50:50 किया जाए।

महोदय, हम जब उत्पादक परिसंपत्तियों की बात करते हैं, तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण एक अत्यंत सराहनीय विचार है, जिससे न केवल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं, बल्कि गांवों में शौचालयों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है ताकि हम वर्ष 2019 तक "खुले में शौच से मुक्त भारत" के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

महोदय, जब माननीय श्री जयराम रमेश इस मंत्रालय के प्रभारी थे, उन्होंने यह वादा किया था कि मनरेगा के 60 प्रतिशत कार्यों को कृषि क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। मैं उनके इस निर्णय का स्वागत करता हूं। लेकिन, मुझे नहीं लगता कि इस दिशा में बहुत कुछ किया गया है। आज कृषि क्षेत्र के लिए श्रमिकों की उपलब्धता एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। अगर मनरेगा और कृषि क्षेत्र को एक-दूसरे से जोड़ दिया जाए, तो यह देश में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा।

हमें यह भी देखना होगा कि मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों ने कोई कौशल अर्जित किया है या नहीं, और यदि किया है तो उस कौशल का उपयोग किस प्रकार अन्य रोजगारों में किया जा सकता है।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इन सभी सुझावों पर विचार करेंगे और इस योजना को सुदृढ़ एवं बेहतर बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री कडियम श्रीहरि (वारंगल): महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे अपनी मातृभाषा तेलुगु में बोलने की अनुमति दी जा सकती है।

****महोदय, स्वतंत्रता के 67 वर्ष और संविधान लागू होने के 64 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे लोकतांत्रिक भारत में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषमताएँ बनी हुई हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों से संबंधित गरीब लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने को विवश हैं। राज्य और केंद्र सरकारों ने गरीबी कम करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, लेकिन सकारात्मक मानसिकता के अभाव में इन योजनाओं से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए हैं। कोई भी अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने का प्रयास नहीं कर रहा है। यह अंतर दिन-ब-दिन और अधिक बढ़ता जा रहा है। आज भी बड़ी संख्या में कृषि मजदूर आजीविका की तलाश में पलायन कर रहे हैं। वे अपने गांव, अपने परिवारों को छोड़कर विभिन्न राज्यों और यहां तक कि दूसरे देशों में काम की तलाश में जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये प्रवासी मजदूर किन-किन कठिनाइयों से गुजरते हैं, वे कितने कष्ट सहते हैं। सरकारों ने भले ही कई योजनाएं चलाई हों, लेकिन वे योजनाएं धरातल पर अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ पाईं।

ऐसी परिस्थितियों में, मैं संविधान के उन प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, जहाँ 'जीने का अधिकार' और 'काम का अधिकार' का उल्लेख किया गया है। इन्हीं प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2005 में एक बहुत ही सराहनीय कानून बनाया, जिसका नाम है "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005।

“राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को मजबूत करना है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हर उस परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम कार्य के लिए स्वेच्छा से तैयार हों, कम से कम 100 दिनों का सुनिश्चित वेतनयुक्त रोजगार प्रदान किया जाता है।“

**** मूलतः तेलुगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

यह एक बहुत ही अच्छा और गरीबों के हित में बनाया गया कानून है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित गरीबों के लिए। जब कृषि कार्य उपलब्ध नहीं होता है, तब ऐसे गरीब मजदूरों को मनरेगा के अंतर्गत काम देकर लाभान्वित किया जा सकता है। मनरेगा को किस प्रकार लागू किया जा रहा है और इसके उद्देश्यों की प्राप्ति किस हद तक हो रही है, इस पर अलग-अलग मत हैं। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं और कुछ विरोध में भी हैं। लेकिन जो लोग गरीबों के पक्षधर हैं, जो यह चाहते हैं कि निर्धन गरीबी रेखा से ऊपर उठें, जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण की सोच रखते हैं, वे सभी इस कानून को जारी रखने के पक्ष में हैं। लेकिन वर्तमान सरकार इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने की कोशिश कर रही है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह संसद को यह स्पष्ट करे कि वह कौन से बदलाव करना चाहती है और ऐसे बदलाव करने की आवश्यकता क्या है। मनरेगा के माध्यम से लगभग 5 करोड़ परिवारों को रोजगार और मजदूरी प्रदान की जा सकती है। 5 करोड़ परिवारों का मतलब है लगभग 25 करोड़ की जनसंख्या अर्थात् हमारे देश के हर तीसरे परिवार को इस अधिनियम के तहत रोजगार मिल सकता है। एक विशेष बात यह है कि मनरेगा के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों में 54 प्रतिशत महिलाएं हैं। इसी प्रकार, 29 प्रतिशत श्रमिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। इस प्रकार देखा जाए तो मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों को रोजगार प्रदान कर रहा है। आमतौर पर श्रमिकों को साल भर में कृषि कार्य से लगभग 100 दिन का रोजगार ही मिल पाता है। यदि उन्हें मनरेगा के अंतर्गत अतिरिक्त 100 दिनों का कार्य मिल जाए, तो यह उनके लिए एक बड़ा आर्थिक सहारा बन सकता है। वे अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, और दो वक्त का भोजन सुनिश्चित कर सकते हैं।

मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह इस योजना को ज्यों का त्यों लागू करे और मूल अधिनियम में किसी प्रकार का संशोधन न करे। यह खबरें सामने आ रही हैं कि सरकार इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने जा रही है। इनमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि सामग्री घटक को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत किया जाए। यदि ऐसा किया गया तो श्रमिकों की संख्या स्वतः घटकर 60 प्रतिशत से 51 प्रतिशत हो जाएगा। इस तरह के संशोधन से ठेकेदारों की एनआरईजीए कार्यों में हस्तक्षेप करना आसान हो जाएगा और अधिक

मात्रा में मशीनों का उपयोग होगा। इससे गरीब मजदूरों को काम और मजदूरी नहीं मिल पाएगी, जो कि इस अधिनियम का मूल उद्देश्य है, गरीब कृषि मजदूरों को सहायता देना, वह पूरी तरह विफल हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि श्रमिकों की संख्या को कम न किया जाए और मूल अधिनियम में किसी प्रकार का संशोधन न किया जाए। मनरेगा को देशभर में तीन चरणों में लागू किया गया था, लेकिन अब सरकार की योजना है कि इसे केवल 2,500 विकासखंडों तक ही सीमित कर दिया जाए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या गरीब केवल उन्हीं 2,500 विकासखंडों में निवास करते हैं? क्या कृषि मजदूर सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं? गरीब तो पूरे देश में मौजूद हैं। कोई भी गाँव चाहे जितना भी विकसित क्यों न हो, वहाँ पर भी गरीब वर्ग मौजूद रहता है। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस योजना को देशभर में पहले की तरह ही लागू किया जाए। अन्यथा हम उन गरीब लोगों के साथ अन्याय करेंगे, जो इन 2,500 ब्लॉकों के बाहर निवास करते हैं।

मैं केंद्र सरकार से पुनः अनुरोध करता हूँ कि इस अधिनियम में कोई परिवर्तन न करे। यदि इस अधिनियम को लागू करने या इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में कोई कठिनाई है, तो सरकार को चाहिए कि वह इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के उपाय ढूंढे। यदि इसमें कहीं कोई कमी है, तो उसकी जांच की जानी चाहिए। इसके लिए सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से निगरानी और संतुलन स्थापित किया जा सकता है। हमें यह भी सोचना चाहिए कि इस योजना के माध्यम से स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण कैसे हो सकता है। मनरेगा को कृषि से जोड़ने का प्रस्ताव भी है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मनरेगा के अंतर्गत कृषि कार्यों को पहले से ही अनुमति प्राप्त है। अतः इस दिशा में ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।

सरकार को ध्यान देना चाहिए कि मनेरगा कृषि श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है जब कोई कृषि कार्य नहीं होता है। गरीब लोगों को मनरेगा के तहत उस समय काम मिल सकता है, जब कोई रोजगार नहीं देता। कृषि को मनरेगा के साथ एकीकृत करना सही नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मनरेगा में कोई बदलाव न किया जाए और इसे पूरे देश के हर गाँव और हर क्षेत्र में लागू किया जाए। आपका बहुत - बहुत धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): सभापति जी, देश के दलित, गरीब, पिछड़े, आदिवासी और जरूरतमंद लोगों को रोजगार और आधार देने वाली नरेगा जैसी योजना पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे राष्ट्राता महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत देश की आत्मा ग्रामीण क्षेत्र में बसी है। ग्रामीण क्षेत्र में जिस किसी के पास रोजगार न हो, ऐसे हर घर में, चाहे पुरुष हों या महिलाएं, साल में कम से कम सौ दिन काम देने की योजना है। सितम्बर, 2005 में यूपीए सरकार यह योजना लाई थी। देश में कहीं भी कोई आदमी या औरत काम की मांग करता है और 15 दिनों के अंदर उसे काम न मिले तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। इस तरह का एक एक्ट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी एक्ट अमल में आया। इस योजना के बहुत सारे फायदे हैं। यह योजना और भी कई तरीके से लाभदायक है। जैसे कि देश में किसी तरह की भी कोई आपदा आती है, जैसे भूकंप, सूखा, बाढ़, आतिवृष्टि ऐसे वक्त में नरेगा जैसी योजना से जॉब गांरटी का एश्योरेंस उस परिवार को दिया जा सकता है।

रोजगार के साथ-साथ एसैट्स बल्डिंग का भी काम बहुत अच्छी तरह से इस योजना के माध्यम से हुआ है। जैसे वॉटर कंजरवेशन के बहुत सारे काम हुए हैं, चैक डैम्स बनाए गए हैं, माइनर इर्रीगेशन टैंक्स बनाए गए हैं, रूरल कनेक्टिविटी के तौर पर गांव के छोटे रोड्स, पशुओं के शेड्स, पॉल्टरी फार्म्स के शेड्स और कुएं खोदने जैसे प्रभावी काम इस योजना के माध्यम से हुए हैं। कुछ राज्यों में यह योजना बहुत ही पापुलर रही है जैसे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जितने लोगों ने काम मांगा, सौ प्रतिशत में से 87 प्रतिशत लोगों को इस योजना का लाभ मिला। कुछ राज्यों में यह योजना अनपापुलर रही है, जैसा कि एक सर्वे में आया है कि दस राज्यों में 83 परसेंट लोगों ने काम की डिमांड की थी, लेकिन सिर्फ 8 परसेंट लोगों को सौ दिनों का काम मिला। इस योजना का एक और फायदा यह हुआ है कि देश में 54 प्रतिशत महिलाओं को इस योजना के तहत काम मिला है।

यह जो आपको इसमें हर राज्य का या हर ब्लॉक में इम्बैलेंस दिख रहा है, इस इम्बैलेंस की वज़ह से वर्ष 2010-11 में जहां इसका बजट 40 हजार करोड़ रुपये था, वहीं वर्ष 2013-14 में यह 33,000 करोड़ रुपये

हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री की एक बेवसाइट है, जिसका नाम इंवेस्ट इंडिया है, इंवेस्ट इंडिया के अनुसार देश में इस योजना से 1.8 मिलियन लोगों को काम मिला और अगले एक साल में 1.1 मिलियन लोगों को काम मिल सकता था। सरकार इस योजना को डाइल्यूट करना चाहती है, इसमें कुछ बदलाव लाना चाहती है। इसकी क्या वज़ह है, यह पता नहीं है। मैं यह मानता हूं इसमें कुछ लीकेज़ेज हो सकती हैं, पर इस योजना को बंद करना या इसे बदलना इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सभी लोगों का सुझाव लेकर इसका सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। इसे सक्षम बनाना चाहिए। हम सब को इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यह देश के हज़ारों-करोड़ों लोगों के चूल्हे से जुड़ी हुई योजना है, आम आदमी की रोज़ी-रोटी से जुड़ी हुई योजना है। इसे और प्रभावी बनाना जरूरी है।

सभापति जी, इसके सुदृढ़ीकरण के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जैसे कि हर गांव में इंटर पाटीरसिपेटरी प्लानिंग एक्सरसाइज होना जरूरी है। जैसे हम कुछ गांवों में पाते हैं कि सिफ़र् सरपंच या सदस्य इसकी प्लानिंग करते हैं और अगर उनके कुछ पर्सनल काम हैं तो उन्हें इसमें डाल देते हैं, जिसकी वज़ह से लोग इसमें इंटेरेस्ट नहीं ले पाते हैं। लेकिन प्लानिंग करते वक्त अगर पूरे गांव वे लोगों को एक साथ बिठा कर प्लानिंग की जाए तो सारे लोग इसमें रूचि लेंगे और बहुत सारे प्रोडक्टिव काम इसके माध्यम से हो सकते हैं।

इसका रेशियो 60:40 था, जिसके बारे में हमारे कई मित्रों ने कहा कि इसे बदलना चाहिए। जिस जिले में लेबर की कमी है, अगर वहां मशीनरीज को एडॉप्ट किया जाए तो बहुत सारे काम हो सकता है। अगर आप इसका कॉस्ट बेनेफिट देखेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरल ने जो भी इंवेस्टमेंट की है, उनकी रिकवरी एक साल में हुई है।

वाटर कंजर्वेशन जैसे प्रोजेक्ट्स को इसमें प्रॉयोरिटी देनी चाहिए, यह मैं मानता हूं। टिश्यू कल्चर जैसी सरकार की जो योजना है, उसमें भी मनरेगा को इंवॉल्व करना चाहिए। एक सौ दिनों की गारंटी का जो काम है, उसे बढ़ाकर डेढ़ सौ या दो सौ दिनों का करना चाहिए।

माननीय सभापति : धनंजय जी, अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री धनंजय महाडीक : जो छोटी या कम लैंड होल्डिंग वाले काम हैं, वे इस काम में नहीं आते हैं, इसलिए उनकी साइज का कम या ज्यादा होना जरूरी है। इसका पन्द्रह दिनों में पेमेंट होना चाहिए और ई-पेमेंट होना चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार नहीं होगा।

इसके बजट में 3% सुपरविजन चार्जेज होने चाहिए। जवाहर रोजगार योजना में जो डेढ़ सौ मीटर के अंतर की शर्त है, उसे कम करना चाहिए।

माननीय सभापति : अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री धनंजय महाडीक : सर, बस लास्ट प्वायंट है, एक महत्वपूर्ण सुझाव है। देश में चीनी के दाम कम है। सारी चीनी मिलें दिक्कतों का सामना कर रही हैं। अगर सुगरकेन हार्वेस्टिंग इसके माध्यम से होगी तो सुगर फैक्टरियों को भी इससे बहुत फायदा हो सकता है। यह मैं आप से गुज़ारिश करता हूं।

[अनुवाद] अंत में, मैं डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था -

> "लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस स्वतंत्रता के साथ हमें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के बाद अब हम यह बहाना नहीदे सकते कि अगर कुछ गलत होता है तो उसका दोष अंग्रेजों पर डाल सकें। अब यदि देश में कुछ गलत होता है, तो इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे, हम और किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते।"

धन्यवाद, महोदय।

श्री प्रहलाद जोशी (धरवाड़): महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी] यह चर्चा एमएनआरइजीए को डाइल्यूट करने के ऊपर चल रही है। [अनुवाद] मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ, क्योंकि पिछले बजट में इस योजना के लिए ₹33,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन राज्यों को वास्तव में ₹38,000 करोड़ की राशि जारी की गई थी। इस बार ₹34,000 करोड़ की राशि जारी की गई है। यह एक मांग-आधारित योजना है, और यह एक अधिकार भी है, क्योंकि इस संसद ने बेरोजगार युवाओं को यह अधिकार प्रदान किया है। इसलिए, मेरा मानना है कि सरकार आवश्यकता अनुसार जितनी भी राशि आवश्यक होगी, वह प्रदान करेगी और इस विषय पर किसी भी तरह से कम राशि प्रदान के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है।

जहां कहीं भी खामियां हैं, उन पर अवश्य चर्चा होनी चाहिए। [हिन्दी] मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो कमियाँ है, मनरेगा का उद्देश्य भारत में बेरोजगारी को कम करना और मजदूरी रोजगार बढ़ाना है। यह योजना अच्छी है, यूपीए गवर्नमेंट लाई है, यह बुरा है, यह मैं नहीं कहता हूं। योजना अच्छी है, इसमें जो भी कमियां है, इसमें बहुत कमियां हैं। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसकी चर्चा होनी चाहिए। इसमें जो कुछ भी बदलाव करना चाहिए, वह जरूर करना चाहिए। डॉयल्यूट नहीं करना चाहिए, यह जो मांग है, मैं भी मानता हूं, लेकिन चर्चा ही नहीं करना और इसमें जो बदलाव लाना चाहिए, वह बदलाव भी नहीं करना, यह सोच बिलकुल गलत है। इस संविधान में कितनी बार बदलाव किया है। अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो उसमें जरूर बदलाव करना पड़ेगा।

[अनुवाद] ये आंकड़े अपने आप में ही काफी हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत मनरेगा की वेब पोर्टल पर दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2013-14 में उस समय हमारी सरकार नहीं थी, उस समय यूपीए सरकार केंद्र में थी, कुल 13.16 करोड़ नौकरी संबंधी कार्ड जारी किए गए थे; यदि सटीक संख्या कहें तो 13,16,27,029। उनमें से केवल 5.8 करोड़ लोगों, अर्थात् 39 प्रतिशत ने ही काम की मांग की। फिर, उन 5.8 करोड़ में से केवल 4.79 करोड़ लोगों, अर्थात् 36.1 प्रतिशत ने वास्तव में काम किया और बाकी

60 प्रतिशत लोग काम के लिए आगे नहीं आए। इन 13.16 करोड़ नौकरी संबंधी कार्ड धारकों में से केवल 46 लाख लोगों ने ही पूरे 100 दिन का काम पूरा किया। किसी कारणवश, शायद व्यवस्था में ही कुछ कमियाँ हैं, लोग 100 दिन का काम लेने के लिए नहीं आए। केवल 3.54 प्रतिशत लोगों ने ही 100 दिन का काम पूरा किया। यह एक ऐसा विषय है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि इस स्थिति में सुधार कैसे लाया जाए।

इस योजना का एक उद्देश्य यह भी है कि लोग पलायन कम करें। [हिन्दी] माइग्रेशन अभी भी हो रहा है, पांच-छ: साल मनरेगाको आए हुए हो गए हैं, फिर भी माइग्रेशन हो रहा है। [अनुवाद] लेकिन गाँवों की स्थिति आज यह हो गई है कि वे वृद्धाश्रम जैसे बन गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गाँवों में कोई स्थायी परिसंपत्ति नहीं बन रही, जबकि इस योजना का उद्देश्य यह है कि गाँवों में उपयोगी और स्थायी परिसंपत्तियाँ बनाई जाएं।

पिछले पाँच से सात वर्षों में श्रमिकों को कुल 1,776.97 करोड़ का काम कार्य दिवस के रूप में दिया गया है और इस पर ₹2,69,724 करोड़ खर्च किए गए हैं। यह एक बहुत बड़ी राशि है। लेकिन प्रश्न यह है कि इस धनराशि से कितनी स्थायी परिसंपत्तियाँ (जिनका लम्बे समय तक उपयोग हो सके) बनाई गईं? मैं इस संदर्भ में इस सदन को बताना चाहता हूँ कि वास्तव में स्थिति क्या है। सभापति महोदय, गांवों में जो काम चल रहे हैं, ड्यूरेबल असेट न होने के कारण , एक ही सड़क का निर्माण बार-बार किया जाता है। इससे संसाधनों की बर्बादी होगी और जनहित को नुकसान पहुँचेगा। इसलिए, सरकार को ऐसे कार्यों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आखिर पलायन क्यों हो रहा है? केवल रोजगार देने भर से लोग गाँवों में नहीं रुकेंगे। गाँवों में भी वही सुविधाएँ होनी चाहिए जो शहरों में उपलब्ध हैं जैसे कि पानी, सड़क, अच्छी स्कूल व्यवस्था और अन्य बुनियादी सेवाएँ। पिछले पाँच-छह वर्षों में जो ₹2,69,000 करोड़ की भारी-भरकम राशि खर्च की गई है, उसका उपयोग यदि स्थायी परिसंपत्तियों बनाने में किया गया होता, तो लोग गाँवों में रहना पसंद करते। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आज गांवों में केवल वृद्ध लोग बचे हैं। [हिन्दी] हमें दिखाना चाहिए हमें दिखाई पड़ना चाहिए कि कितने-कितने असेट पिछले वर्ष में क्या-क्या उस गांव में हो गया है।

इसका एक सोशल आडिट होना चाहिए और एसेट के बारे में हमें दृढ़ होना चाहिए। रास्ता इस बार भी बनेगा, बरसात आ जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर वही रास्ता बनेगा। गांव में यही चल रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में इसमें करप्शन हो रहा है। सोशल आडिटिंग के बारे में हमें बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। माननीय जयराम रमेश जी जब मंत्री थे, उन्होंने एनाउंसमेंट किया था, इसका पहले के वक्ता ने जिक्र किया। [अनुवाद] हम इसे कृषि से जोड़ेंगे। [हिन्दी] इसके बारे में शरद पवार जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, हम सबको इसके बारे में मालूम है। [अनुवाद] मनरेगा लागू करने के बाद, हमें कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद तत्कालीन मंत्री श्री जयराम रमेश जी का एक वक्तव्य आया कि हम इसे कृषि से जोड़ देंगे। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। [हिन्दी] अभी तक वह हुआ नहीं है। अन्यथा, एक दिन आएगा कि , इसमें करप्शन है, लोग काम के लिए नहीं जाते हैं। [अनुवाद] जॉब कार्ड कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों – जैसे गाँव के किसी वरिष्ठ नेता या पंचायत के अध्यक्ष – के पास ही रखे जाते हैं। वे जैसे चाहें, मशीनरी के माध्यम से कार्य करवा लेते हैं और उन्हीं कार्डों के आधार पर दावा कर लेते हैं कि काम कराया गया है। उदाहरण के लिए, हाल ही में कर्नाटक में सभी जिला कर्मचारियों को एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि राजकोषीय लक्ष्य तय है। कर्नाटक सरकार के सचिव और पंचायत राज और ग्रामीण विकास के आयुक्त [हिन्दी] उन्होंने एक सर्कुलर दिया है। [अनुवाद] आपको इस वित्तीय वर्ष में इतनी राशि खर्च करनी ही है। जब यह योजना मांग आधारित है, तब सरकार वित्तीय लक्ष्य कैसे निर्धारित कर सकती है? यह तो अत्यंत आश्चर्यजनक बात है। जब किसी पंचायत से कहा जाएगा कि उसे इतनी राशि खर्च करनी ही है, तो स्वाभाविक है कि वह कुछ जॉब कार्ड इकट्ठा कर लेगा और मशीनों के माध्यम से सारा कार्य करवा देगा। यही वर्तमान में हो रहा है। इस स्थिति को बहुत गंभीरता से देखने की आवश्यकता है।

[हिन्दी] इसमें हमको कुछ बदलाव जरूर लाना चाहिए।

अंत में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। [अनुवाद] मूल रूप से, यह ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जा रहा है। इसलिए, ग्राम पंचायत क्षमता निर्माण होना चाहिए। उन्हें सब कुछ रिकॉर्ड में रखना चाहिए। लेकिन गाँव

पंचायतों में कोई सचिव नहीं है और कहीं पर कोई पी.डी.ओ. नहीं है। इसलिए, क्षमता निर्माण और कागज रहित प्रशासन को लागू किया जाना चाहिए। [हिन्दी] उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए।

मेरा एक सुझाव है। चूंकि मनरेगा मांग आधारित है, इसलिए बेरोजगार युवाओं का पता लगाने के लिए हर गाँव में एक सर्वेक्षण होना चाहिए। यह सर्वेक्षण कराया जाना है।

श्रमिक की उपस्थिति एन.एम.आर्स में दर्ज की जाती है। इसमें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करने की संभावना है। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि मनरेगा कार्यों में श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमैट्रिक प्रणाली लागू की जाए और कार्य प्रगति की निगरानी के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) की व्यवस्था की जाए।

वर्तमान में श्रमिकों के जॉब कार्ड की नकल बनवाने की संभावना बनी रहती है, जिससे परिवार के मुखिया द्वारा धन का दुरुपयोग हो सकता है। हेड ऑफ दी फैमिली का बैंक अकाउन्ट रहता है इसलिए यह परिवार के मुखिया के पैसे का दुरुपयोग हो सकता हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि प्रत्येक श्रमिक का बैंक खाता आधार नंबर से लिंक करके अनिवार्य किया जाना चाहिए।

जहाँ तक माप की बात है, इंजीनियर अभी भी माप हाथों से लिखते हैं। मेरा सुझाव है कि माप संबंधित सभी जानकारियाँ सातवें दिन के अंत तक मनरेगा की वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए। इससे डाटा कि नकल की कोई संभावना नहीं रहेगी। [हिन्दी] मेजरमेंट में वे हेराफेरी नहीं कर सवते हैं।

[अनुवाद] मेरा अंतिम सुझाव यह है कि जॉब कार्ड में भी बदलाव किया जाए। जॉब कार्ड को बैंक पासबुक की तरह बनाया जाए और सभी विवरण कंप्यूटर से प्रिंट किए जाएँ ताकि श्रमिकों से जुड़ी जानकारी को आसानी से समझा जा सके।

इन शब्दों के साथ, मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से यह योजना जारी रहनी चाहिए। यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। [हिन्दी] उसमें जो कुछ भी कमियां हैं, उन पर हम बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं, स्कीम आए हुए सात-आठ वर्ष हो गए हैं, उसमें जरूर बदलाव लाना चाहिए। उस पर नेशनल लेवल पर डिबेट होनी चाहिए।

उसमें ड्यूरेबल असेट के बारे में गंभीरता से चिंतन होना चाहिए। [अनुवाद] इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण का समापन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : सभापति महोदय, मनरेगा के डायलुशन पर चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। जब हम मनरेगा के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इस संसद को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को और यू.पी.ए. की चेयरमैन सोनिया जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। विश्व की सबसे बड़ी आम जन केन्द्रीत योजना मनरेगा की शुरुआत और उसको कानूनी आधिकार देने का काम यहां पर हुआ है। मैं महाराष्ट्र से चुन कर आया हूं। मनरेगा की सबसे पहले शुरुआत महाराष्ट्र में हुई थी। पिछले सात महीने से यह सरकार मनरेगा के बारे में कितनी गंभीर है, अगर यह देखना है तो हमने रूरल डेवलपमेन्ट मिनिस्ट्री में हमने तीन मंत्री देखे। गोपीनाथ मुंडे जी आज हम सब के बीच में नहीं हैं, लेकिन श्री नितिन गडकरी जी और अभी चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ...(व्यवधान)[†††*] 30 जुलाई, 2014 को मनरेगा के बारे में इस सदन में चर्चा हुई। नितिन गडकरी जी ने उसमें जवाब दिया, कुंवर भरतेन्द्र सिंह, प्रो. थॉमस जी, सबने इसमें भाग लिया था। उसमें नितिन गडकरी जी ने कहा कि महात्मा गांधी जी का नाम उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए उस योजना में हम कभी भी अड़चन नहीं आने देंगे। लेकिन, हमारे बड़े वरिष्ठ सदस्य यहां पर बैठे हैं। हम हुक्मदेव जी का भाषण सुन रहे थे। पिछले 10 दिनों से यह चर्चा चल रही है, 9 दिसम्बर से आज 18 दिसम्बर आ गया है। सरकार इस चर्चा के बारे में कितनी गंभीर है, यह भी इससे दिखता है। ... (व्यवधान) हुक्मदेव जी ने अपने भाषण में कहा था कि वह योजना कोई भगवान नहीं हैं, उसको पूरा बदलना चाहिए। जब हमारे वरिष्ठ सदस्य यह बात करते हैं तब कहीं न कहीं लगता है कि सचमुच यह यूटर्न की सरकार है। यह सरकार जो कहती है, वह करती नहीं है। गडकरी जी ने आश्वस्त किया था कि उस योजना में गांव स्तर पर 60: 40 का रेश्यो नहीं होगा, वह रेश्यो जिला स्तर पर होगा। आज सुबह भी हमने महाराष्ट्र, असम, बंगाल, यहां के अफसरों से बात की, वहां के सभी नेताओं से बात की, आज तक कोई आदेश उसके बारे में इस सरकार ने नहीं निकाला है।

---

†††· कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आदरणीय गडकरी जी ने उस वक्त कहा था कि यू.पी.ए. सरकार ने सभी आधिकार अपने पास रखे हैं। हम राज्यों को ज्यादा आधिकार देना चाहते हैं। पिछले पांच महीने से हम इंतजार कर रहे हैं कि राज्यों को ज्यादा आधिकार कब मिलेंगे। राज्यों को ज्यादा आधिकार नहीं मिले, बल्कि उनके जो आधिकार हैं, वे भी उन्हें पूरी तरह से ये यूज नहीं करने दे रहे हैं। उस स्पीच में उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में वाटर कंजरवेशन के लिए शिरपुर पैटर्न बड़ा फेमस पैटर्न है, उसका इस्तेमाल करेंगे। वाटर कंजरवेशन के लिए उस शिरपुर पैटर्न

के लिए सरकार की तरफ से अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, उस डिस्कशन को पांच महीने हो गए हैं।

उस डिस्कशन में भ्रटाचार को रोकने की बात हुई थी और उस वक्त गडकरी जी ने कहा था कि हम रिमोट सेसिंग का इस्तेमाल करेंगे। पांच महीने पहले की चर्चा में आपने सदन को आश्वस्त किया था, क्या आपने रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया है? आपने कहा था कि आप रिमोट सेंसिंग से भ्रटाचार को रोकेंगे । भ्रटाचार के कितने मामले सामने आए हैं?

<u>अपराह्न 5.00 बजे</u>

[हिन्दी] हर राज्य से कितने मामले आए, कितने लोगों को इसका फायदा मिला, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई।

आपने 51 और 49 का रेशियो करने के बारे में उस वक्त कहा था। आप इससे 9 प्रतिशत मजदूरों का पैसा छीनने जा रहे हैं। क्या इसके लिए नया एलोकेशन देने की दिशा में कुछ सोच रहे हैं, यह भी आपके माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहते हैं?

सुषमा स्वराज जी ने वर्ष 2010 में राज्य सभा में कहा था कि यह योजना बड़ी जबरदस्त है। इसमें राज्यों को ज्यादा से ज्यादा इम्पावर करना चाहिए। हमारे वरिष्ठ सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी जी ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में वर्ष 2012 में इस योजना को काम के बदले नकद वाली विश्व की सबसे बड़ी योजना बताया था और उसकी तारीफ की थी। सुषमा जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने जो बात कही थी, क्या

इसे सरकार बदलना चाह रही है। सुषमा जी और आडवाणी जी ने जो कहा, इसके बारे में सरकार कहीं न कहीं यू टर्न लेने के बारे में सोच रही है, यह भी हम आपसे जानना चाहते हैं।

परसों हमारे बंगाल के सदस्य ने बात की। उन्होंने कहा कि हमें एलोकेशन नहीं मिला। हमने असम में पूछा, लेकिन वहां भी एलोकेशन नहीं मिला। कर्नाटक में पैसा नहीं मिला। महाराष्ट्र का दुख हम कहां बताएं, समझ में नहीं आ रहा है। पिछले डेढ़-दो महीने से पांच सौ से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। हमने मांग की थी कि छोटे-छोटे किसानों के खेत पर भी मजदूरों के लिए नरेगा के माध्यम से मदद कीजिए।...(व्यवधान)

मेरा इतना ही कहना है कि सरकार जिस प्रकार इस योजना को दो सौ जिलों तक ही लागू करना चाह रही है, यह गलत है। यह पूरे देश के लिए लागू होनी चाहिए, यह पूरे देश के लोगों का आधिकार है। हम जब आपके माध्यम से यह बात रख रहे हैं तो सरकार से पूरा आश्वासन चाहते हैं कि राज्यों को अभी तक पैसा क्यों नहीं मिला। अगर हम सितम्बर के आंकड़े देखें तो 45 प्रतिशत कम पैसा आपने राज्यों को दिया है। कई राज्य पैसे मांग रहे हैं लेकिन आप उन्हें पैसे नहीं दे रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जन-धन योजना लाई। सब जनों ने खाते खोले और हम पिछले कई महीनों से धन के इंतजार में बैठे हुए हैं। 15 लाख रुपये कब आएंगे और हम सबके खाते में पैसे कब जमा होंगे, पता नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा, लेकिन एक रुपया जमा नहीं हुआ। उसके बाद आप सांसद आदर्श ग्राम योजना लाए। उसके लिए एक रुपये का बजट नहीं दिया।...(व्यवधान)

आपने कहा राज्यों के साथ काम करके करवा लीजिए।...(व्यवधान) उसके बाद आप स्वच्छ भारत योजना लाए। आप झाड़ू तो लगा रहे हैं लेकिन स्वच्छ भारत के लिए क्या आपके पास कोई बजट का प्रावधान है। कोई बजट का प्रावधान नहीं है यानी जन-धन में बजट का कोई प्रावधान नहीं, सांसद आदर्श ग्राम योजना में कोई बजट का प्रावधान नहीं, स्वच्छ भारत के लिए कोई प्रावधान नहीं है। पिछले छ: महीने से भारत के लोगों ने अच्छे दिन के सपने देखे, उन्हें अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे हैं, हालत यहां तक बिगड़ी है कि लोगों की रातों की नींद भी गायब हुई है।

मैं आपके माध्यम से आखिरी बात कहना चाहूंगा कि सपनों के सौदागर बनी हुई इस मोदी सरकार से मेरा आग्रह रहेगा कि मनरेगा के माध्यम से गरीब लोगों को मिलने वाला निवाला तो कम से कम मत छीनिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति महोदय, सामने एक ऐसी सरकार है जो भाग्य, किस्मत, राम-रहीम या अडानी-अंबानी के भरोसे चलती है। गरीब के भरोसे इस देश के राजनीतिज्ञ चल ही नहीं सकते। यदि गरीब के भरोसे चलते तो राजनीतिज्ञ को मजहब, धर्म और जाति का नाम नहीं लेना पड़ता। पैसे की आवश्यकता, अडानी जी वो पैसे, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कहता, हर पार्टी बिना किसी से पैसे लिए चुनाव लड़ती ही नहीं है। यदि इस देश में गरीब के आधिकार, सम्मान और न्याय की बात होती, जिसकी बात महात्मा गांधी, सरदार पटेल, विवेकानन्द, कबीर, जय प्रकाश और लोहिया ने की।

<u>अपराह्न 5.50 बजे।</u> [माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*]

श्री राजेश रंजन : महोदय, यह एक ऐसी सरकार है जो भाग्य, स्मत, राम या रहीम, अडानी या अंबानी के भरोसे चलती है। गरीब के भरोसे इस देश के राजनीतिज्ञ चहीं चल सकते। यदि गरीब के भरोसे चलते तो राजनीति में मजहब, धर्म, जाति का नाम लेना ही हीं पड़ता। अडानी जी की पैसे की आवश्यकता सभी को है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। हर पार्टी में किसी न किसी के पैसे को लेकर ही चुनाव लड़ती है। यदि इस देश में गरीब के सम्मान, आधिकार और न्याय की बात होती, जिसकी बात महात्मा गांधी, सरदार पटेल, विवेकानंद, कबीर और लोहिया जी ने की तो क्या आज इस सदन में 67 साल के बाद भी गरीब की चिंता करने की जरूरत पड़ती, किसानों की चिंता करने की जरूरत पड़ती। सौ-दो सौ सालों से लगातार गरीबों की चिंता कर रहे हैं। मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी के नाम से ही आपको नफरत है। मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहूंगा। भ्रष्टाचार सुनते-सुनते हम थक गए हैं। मैं छठी बार संसद सदस्य हूं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं? राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण इस देश के पदाधिकारी, इस देश वे बिचौलिए इस देश के कॉरपोरेट और पूंजीपति घराने ने इस देश के शासन तंत्र को समाप्त किया है। इसका सबसे जीता जागता

उदाहरण हम राजनीतिज्ञ लोग हैं। मनरेगा और नरेगा की बहस में सब लोगों ने हिस्सा ले लिया, यह रूक जाएगा, यह चलेगा, यह अच्छा हो जाएगा, वर्ष 1960 से 1971-1972 से लेकर आज तक बहुत बड़ी-बड़ी स्कीमें आईं, मैं भी पढ़ सकता हूं। मेरे पास भी लंबे चौड़े भाषण पढ़ने के लिए हैं। बहुत स्कीम लाए गए आखिर जिस हिन्दुस्तान में भूख से मरने वालों की संख्या, कर्ज लेकर मरने वालों की संख्या, दवाई के बगैर मरने वालों की संख्या, घर के बगैर मरने वालों की संख्या, अनाज के बगैर मरने वालों की संख्या, जिस देश में आज भी जाति, धर्म और मजहब के नाम रक्तरंजित हो, जिस देश में किसान में 38.2 प्रतिशत नौजवान अपनी खेती नहीं करना चाहता हो, 10 लाख हजार हेक्टेयर जमीन किसान की खाली पड़ जाए, जिस देश में विनोबा से लेकर सरदार पटेल, महात्मा गांधी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों ने किसानों की चिंता की है। गरीबों की चिंता इंदिरा गांधी से लेवर, सिर्फ सोनिया गांधी जी ने ही नहीं की। यह निश्चित है कि सोनिया गांधी जी ने और आदरणीय मनमोहन सिंह जी और यूपीए सरकार ने जिस तरह इस देश को सिर्फ मनरेगा नहीं दिया, बल्कि पूड सिक्यूरिटी बिल, सूचना का आधिकार दिए। जो भ्रष्टाचार है, कोई कह रहा जॉब कार्ड, बैंक में जाइएगा तब लूट जाएंगे, कहां बिचौलिया नहीं है। पंचायतों में पंचायत सेवक, ग्राम सेवक, कौन ऐसा गांव है, कौन ऐसा जनप्रतिनिधि है जिसके बीच में बिचौलिया नहीं है, जहां पूजीपतियों का राज नहीं है। कहां इस देश में गरीबों और किसानों का राज है। कहां बेरोजगार नौजवानों का राज है। इस हिन्दुस्तान में 67 सालों से किसानों और गरीबों की वकालत की जाती रही है। न्याय, आधिकार और सम्मान का सवाल उठता रहा है, हमेशा राजनीतिज्ञ व्यक्ति कहते हैं कि गरीब मालिक है, गरीब को बदलना है, क्या गरीब की जिन्दगी बदली, राजनीतिज्ञों की घर बदली एम.एल.ए और एम.पी. का तो घर बदल जाता है। यहां से हम अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान की गरीब की तकदीर और तस्वीर नहीं बदलती। जिसने मेरी तस्वीर को बदला, हमने उसकी तस्वीर और तकदीर 67 सालों में नहीं बदल सके।

मनरेगा एक अच्छी योजना है, निश्चित रूप से इस पर बहस होनी चाहिए कि कैसे भ्रष्टाचार रुके, लेकिन बिना राजनीतिज्ञों की इच्छाशक्ति के इस धरती से भ्रष्टाचार को कोई नहीं मिटा सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री 'मन की बात' करते हैं। मंत्री जी मन की बात गरीब और कमजोर आदमी करता है। जो अपनी मां का इलाज नहीं

करा सकता, जो अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकता जो पढ़ना चाहता है पढ़ नहीं सकता। मन की बात हिन्दुस्तान का वह आदमी नहीं करेगा, जिसके हाथ में सारी शक्ति हो। दुनिया में जो सर्वशक्तिमान है, उसके मन के भीतर किसी तरह की बात उठती है तो वह उसे बदलने की ताकत रखता है, न कि वह विचार करने की ताकत रखता है। मन की बात सिर्फ मजबूर, गरीब और किसान ही कर सकता है। प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री और कलैक्टर को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। यदि वह शराब को बंद करना चाहते हैं तो गुजरात में जैसे किया है, वैसा यहां करना चाहिए। यदि वह भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को कौन रोक सकता है? वे उसे रोकने के लिए चैलेंज लें। शायद इसके बाद किसी को पूर्ण मैजोरिटी न मिले। वे पदाधिकारियों को रोकें। मध्य प्रदेश में 200-300 करोड़ रुपया एक क्लर्क के घर में मिला। उत्तर प्रदेश में एक हजार करोड़ रुपया पदाधिकारी के घर में मिला। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, आपने इतनी जल्दी घंटी बजा दी। ...(व्यवधान) मैं प्वाइंट पर बोलना चाहता हूं। जाने-माने अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक कहते हैं कि मनरेगा के जरिये न सिर्फ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिली है, बल्कि इसी की बदौलत भारत कुछ साल पहले वैश्विक आर्थिक संकट के कुप्रभावों की चपेट में आने से बच सका था। यह मनरेगा की ही देन थी। वे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि रोजगार दिलाना इस कानून की मुख्य अवधारणा है, जिसे किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं योजना आयोग के पूर्व सदस्य आभिजीत सेन तथा बोस्टन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक दिलीप मुखर्जी समेत प्रणब वर्धन, वी. भास्कर., ऋतिका खेरा, आभिजीत सेन, जयंती घोष, आश्विनी देशपांडे तथा ज्यां द्रेज जैसी हस्तियों ने प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने जिंदगी में पढने वाले सकारात्मक असर का जिक्र किया है। पत्र में यह भी लिखा है कि राजनीतिक दलों के सहयोग से साकार हुए इस कानून ने अनेक बाधाओं के बावजूद अच्छे परिणाम दिये थे। उन्होंने यह भी कहा कि पांच करोड़ लोगों को रोजगार ही नहीं मिला, बल्कि 0.3 प्रतिशत ही खर्च होता है, इसलिए इस योजना में ऐसे किसी बदलाव से बचना चाहिए, जिससे लोगों की आमदनी पर बुरा प्रभाव पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि इस पर किसी मुख्य मंत्री की आपत्ति हो सकती है। हो सकता है कि उनकी कुछ अलग सोच हो, उसे मैं चैलेंज नहीं करूंगा। यदि आप इसे खत्म करना चाहते हैं तो आप गरीब को शौक्षणिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कीजिए। आप इस संबंध में कोई कानून लाइये। मैं चाहता हूं कि गरीबों को खैरात मिलनी बंद हो जाये। यह मनरेगा, मिड-डे-मील, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा आदि सब योजनाएं बंद होनी चाहिए। आप गरीब को सड़ा हुआ चावल खाने के लिए मजबूर मत कीजिए, पिल्लू वाला भात खाने के लिए मजबूर मत कीजिए। आप गरीब को जबरदस्ती की भीख देने की आदत मत डालिए, इसलिए आप इसे बंद कीजिए। लेकिन जिस देश में आजादी के बाद 6.2 प्रतिशत ही मात्र बी.ए. पास हों, 18.3 प्रतिशत ही शिक्षित हों, यदि वहां यू,.पी.ए सरकार जीने के लिए मनरेगा और फूड बिल लायी है तो इसमें कौन सा गुनाह है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

मैं अंत में आपसे मनरेगा-दो की लांचिंग के बारे में कहना चाहूंगा। जो सीमांत किसान है, गरीब किसान है, जिसके पास पांच बीघा से नीचे जमीन है, यदि आप मनरेगा के मजदूर को उस किसान के खेत में लगाने के लिए कोई कानून लाते हैं तो इससे किसान तरक्की भी करेगा और दूसरी तरफ मनरेगा में जो सौ दिन का रोजगार मिलता है, वह भी डेवलप होगा। किसान और मनरेगा का मजदूर, दोनों आर्थिक रूप से मजबूत होंगे।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि आप एन.जी.ओ. ज, सामाजिक लोग, बेरोजगार नौजवान और किसान की एक कमेटी बनाइये। आप इसे रोकना चाहते हैं, लेकिन यदि किसी इंसान का एक हाथ खराब हो जाये तो क्या आप शरीर को काट देंगे? मेरा कहना है कि मनरेगा में त्रृटियां हैं, जिसके कारण गरीबों को सही पैसे नहीं मिल पाते हैं। यह बिल्कुल सही है। राजनीतिज्ञों ने लूटा है, गांवों में लूटा है, पंचायत सचिवों, पदाधिकारी और मुखिया ने लूटा है। आपने बिहार को क्यों पैसा नहीं दिया? आपने अगर किसी के साथ भेदभाव किया है तो बिहार के साथ किया है। एक तरफ 56 इंच के सीने के बात कही जाती है, आते ही कहा गया विशेष राज्य का दर्जा देंगे। एक तरफ मनरेगा में आधे से कम पैसा कर दिया, इंदिरा आवास के पैसे कम कर दिए, रोड के पैसे नहीं दिए। बिहार ओडिसा से भी ज्यादा गरीब प्रदेश है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मनरेगा का पूरा

पैसा बिहार को दें। बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार न करें। आप इच्छाशक्ति को मजबूत करें। यूपीए की क्रांतिकारी योजना को अपनी योजना बनाकर गरीबों के हितों का सम्मान करें। धन्यवाद।

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं मनरेगा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। मनरेगा के बारे में जो आशंकाएं आ रही हैं, 676 डिस्ट्रिक्ट में काटकर 200 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया जाएगा। मनरेगा एक्ट को भी स्कीम में बदला जाएगा। इस बारे में हमें बहुत चिंता है क्योंकि जिस स्कीम ने ग्रामीण, गरीब वर्ग की आर्थिक मदद ही नहीं की बल्कि स्वाभिमान से जीने का मौका भी दिया। पहले बड़े ज़मींदारों के रहम पर मजदूरी होती थी, वे अपने आप तय की हुई मजदूरी देते थे, जिसके कारण मजदूरों का पलायन होता था। मनरेगा ने मजदूरी के स्टैंडर्ड को ऊंचा किया। बिहार, यूपी, उड़ीसा जैसे प्रदेशों से पंजाब, हरियाणा आदि में पलायन होता है, वह बंद हुआ। सबसे बड़ी बात है कि वलर्नेबल सैक्शन जो खतरे के मुंह में थे, जिसमें औरतें 54 परसेंट, 40 परसेंट आदिवासी और दलित शामिल थे, उन्होंने इस स्कीम से आर्थिक लाभ लिया और उनकी जिंदगी में सुधार आया। लोगों के हाथ में पैसा आया तो इकोनामी और मार्किट को बूस्ट मिला, मैन्यूफैक्चर्स को बूस्ट मिला और देश की आर्थिक प्रगति में सुधार आया। अगर इस योजना में कुछ त्रुटियां या कमजोरियां हैं तो इसे दूर करने के बजाय सीमित कर देना या धीरे-धीरे खत्म कर देना, बहुत खतरनाक बात है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में सदन को ध्यान से सोचना चाहिए।

कैग रिपोर्ट में जो त्रुटियां बताई गई हैं, उनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन आफ फंड में मनरेगा का पैसा दूसरी तरफ यूज़ होता है। एसैट क्रिएशन में एसैट नहीं बन पा रहे थे, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। एम्बैजलमेंट और धांधली बंद होनी चाहिए। मजदूरों को पैसे की अदायगी समय पर नहीं होती है, इस पर ध्यान देना चाहिए और अदायगी समय पर होनी चाहिए। वेज़ेस में डिस्पेरिटी है, 118 से लेकर 181 रुपए तक वेज़ेस अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग हैं, इसमें सुधार होना चाहिए। इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए न कि स्कीम को एक्ट में या एक्ट को स्कीम में बदलकर या जिलों की संख्या घटाकर अगर सरकार खत्म करने के बारे में सोचती है तो मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण और गरीबों वे हितों के विपरीत फैसला मानूंगा।

मनरेगा में पैसा कितना खर्च होता है, 0.3 परसेंट आफ जीडीपी खर्च होता है। अगर इसी बजट में देखें तो चार लाख करोड़ से ऊपर बड़े पूंजीपतियों को, कारपोरेट सैक्टर को रियायतें, सब्सिडी और इन्सेन्टिव दिया जाता है, जो इससे कई गुना ज्यादा है। आप इस तरह से गरीबों का पेट काट रहे हैं, यह बिल्कुल अन्याय है। इससे हमारे देश के लोगों को जो थोड़ी राहत मिली थी, वह खत्म हो जाएगी, जिससे देश में अशांति होगी। मैं समझता हूं कि हमें मनरेगा स्कीम के जो एसेट्स हैं जैसे चेक डैम्स हैं, रेन वाटर हावेरस्टिंग हैं, रोड्स हैं, डि-सिल्टिंग ऑफ विलेज़ पौन्ड्स हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, कुएं खोदने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं जो बहुत ध्यान से सुनने वाली है। यदि इस स्कीम के सारे प्रावधान आप पढ़े, तो पाँच एकड़ जमीन वाला जो जमींदार-किसान, वह इस स्कीम का फायदा ले सकता है, पर इस धारा को प्रचलित नहीं किया गया। पाँच एकड़ जमीन वाला किसान खुद मजदूरी करके मनरेगा का फायदा खुद ले सकता है। मैं चाहता हूं कि इस धारा का प्रयोग खुले रूप में किया जाए और इसका प्रचार किया जाए ताकि जो छोटे किसान हैं, वे भी इस स्कीम से फायदा ले सकें। पंजाब में मनरेगा में बहुत धांधली है। इसका सोशल ऑडिट होना चाहिए। हमारे यहाँ समाना तहसील में करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। बी.डी.ओज़., पंचायतें और गांव में बड़े-बड़े भूमिपति हैं, उनके हाथों में स्कीम हैं। वे ग्राम-सभा की मीटिंग नहीं बुलाते हैं, वे खुद ही फैसले करते हैं, खुद एनरोलमेंट करते हैं, असत्य एनरोलमेंट करते हैं और करोड़ों रुपए खा जाते हैं, इसलिए मनरेगा की कमियाँ दूर होनी चाहिए, न कि इस स्कीम को कम कर देना चाहिए, इस स्कीम को स्लैश कर देना चाहिए। मैं आपसे यही विनती करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी): महोदय, इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मनरेगा योजना में चाहे जो भी कमियाँ हों, लेकिन यह स्वतंत्रता के बाद देश में लाई गई सबसे प्रगतिशील और क्रांतिकारी योजना है। इस देश को पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार का आभारी होना चाहिए, जिन्होंने इस देश में एक ऐसी उपयोगी और गरीब-हितैषी योजना शुरू की। यदि हम मनरेगा की उपलब्धियों पर एक दृष्टि डालें, तो यह योजना महत्वपूर्ण परिणाम दे रही है। इससे लगभग पाँच करोड़ परिवारों को हर वर्ष रोजगार मिलता है। लगभग 54 प्रतिशत श्रमिक महिलाएँ हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लगभग 40 प्रतिशत लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं। 90 प्रतिशत लाभार्थी या तो अस्थायी श्रमिक हैं या सीमांत किसान हैं। 2013-14 में इस योजना का बजट ₹33,000 करोड़ था और इस वर्ष ₹34,000 करोड़ रखा गया है।

लेकिन यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस योजना में कुछ प्रकार की कमजोरियाँ या कटौतियाँ लाई जा सकती हैं। कुछ पूर्व वक्ताओं ने इस विषय को उठाया है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस पर पूरी सजगता और संवेदनशीलता से विचार करें। इस योजना में किसी भी प्रकार की कटौती करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसमें कुछ खामियाँ हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता है। अगर कहीं कोई असंगतियाँ हैं, तो हमें इस योजना को अपने अनुसार बदलना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और कुप्रबंधन की जड़ को समाप्त करना चाहिए और इसे पूरी तरह व्यवस्थित करना चाहिए। यह योजना सबसे बेहतरीन योजना है, जैसा कि मेरे कुछ मित्रों ने भी उल्लेख किया, लेकिन इसे गलत तरीके से लागू किया जा रहा है। यदि हम आत्मालोचना के दृष्टिकोण से देखें, तो यह हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इसे सही रूप में लागू करें।

महोदय, भुगतान में देरी एक गंभीर समस्या है और श्रमिकों के कॉर्ड के रख-रखाव में सटीकता भी एक चुनौती है। कुछ मित्रों ने स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण की बात कही। मैं कहना चाहता हूँ कि गुणवत्तापूर्ण और

स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण ही इस योजना की प्राथमिकता होनी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पक्ष की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। केवल काम देने के लिए काम नहीं होना चाहिए। गैर-लाभकारी कार्यों को रोका जाना चाहिए। उनकी जगह उत्पादक और स्थायी कार्य कराए जाने चाहिएं।

महोदय, हम योजना निर्माण की प्रक्रिया को ग्राम सभा स्तर से शुरू कर रहे हैं। हमें सबसे पहले ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना होगा। ग्राम सभाओं में उचित जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

इसके बाद, श्रम बजट तैयार करने का प्रश्न उठता है। यह बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। एक और गंभीर मुद्दा है भ्रष्टाचार। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस योजना में भ्रष्टाचार हर स्तर पर फैल चुका है। इसे हर हाल में नियंत्रित करना होगा। हमें इस योजना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी प्रयास करने होंगे। इसके लिए एक प्रभावी लोकपाल प्रणाली की आवश्यकता है। इस योजना में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जहाँ तक 60 और 40 प्रतिशत सामग्री और श्रम के अनुपात का सवाल है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुछ विशेष क्षेत्रों में, विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में, इस अनुपात को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बदला जाना चाहिए।

हमें सामुदायिक आधार पर परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष जोर देना चाहिए। व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के बजाय, हमें सामुदायिक परिसंपत्ति निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए। ग्राम सभा के सदस्यों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना भी इस योजना का अत्यंत आवश्यक हिस्सा है। इसे मजबूती से लागू करना होगा। जहाँ तक बिचौलियों और ठेकेदारों की बात है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम सभी जानते हैं कि इन लोगों के माध्यम से श्रमिकों का शोषण होने की पूरी संभावना रहती है। हमें इस योजना में बिचौलियों और ठेकेदारों को आने से रोकना चाहिए। इस विषय में हमें बहुत सतर्क रहना होगा।

महोदय, हमें इस बात का परीक्षण करना होगा कि भारत के कुछ राज्यों में इस योजना का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से काफी कम क्यों है। इसे मामले के अध्ययन के रूप में देखा जाना चाहिए। हमें उस गलती को

सुधारना होगा। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है — राज्य स्तर पर अन्य योजनाओं के साथ इस योजना का समन्वय। यह भी इस योजना का एक अहम हिस्सा है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस पहलू पर भी ध्यान देगी।

इसके साथ ही, मनरेगा की सफलता की कहानियों का व्यापक रूप से प्रचार किया जाना चाहिए। कुछ स्थानों पर इस योजना के बहुत ही प्रेरणादायक और प्रभावशाली कार्यान्वयन के उदाहरण देखने को मिले हैं। हमें इन सफलताओं की कहानियों को प्रचारित करना चाहिए ताकि अन्य राज्य और क्षेत्र भी उनसे प्रेरणा लें और इस योजना को और अधिक समग्र, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके।

अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत शानदार योजना है। हम सबको इस योजना को और अधिक प्रभावी, वैज्ञानिक और परिपूर्ण कैसे बनाया जाए, इसके बारे में मिलकर सोचना चाहिए। आइए हम महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए स्वयं को समर्पित करें।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री हुकुम सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पश्चिमी उत्तर पद्रेश के सहारनपुर से लेकर बागपत जिले तक यमुना नदी का बहाव है और यमुना नदी में खनन प्रतिबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत चालाकी से, मनरेगा के नाम पर लूट शुरू की है। यह बात मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी एवं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। नाम मनरेगा का है, रिजस्टर बने हुए हैं, लेकिन जिन लोगों के नाम उसमें हैं, उनमें से 50 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो मनरेगा के लिए एलिजिबल ही नहीं हैं। किसान हैं, उनके नाम लिख दिए गए हैं और उनके नाम पर लूट हो रही है। हम लोग इसको आदर्शवाद का नाम देते हैं कि गरीब का भला हो रहा है, गरीब का पेट पल रहा है, सम्पत्ति बन रही है। निश्चित रूप से अगर किसी गांव में किसी संपत्ति का निर्माण हो, मैं आपके साथ चलन् के लिए तैयार हूं। कम से कम मैं अपने प्रदेश के बारे में कह सकता हूं कि वहां आज तक इस योजना के माध्यम से एक भी सम्पत्ति का निर्माण नहीं हो पाया और हो भी नहीं पाएगा। मैंने ग्राम प्रधानों से बात की है। उनका कहना है कि यह कैसे संभव है, इतने वेतन पर कोई आने को तैयार नहीं है। जब लोग आने को तैयार नहीं हैं तो हमें फर्जी आंकड़े देने पड़ते हैं। एक आदमी को जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए, हमें चार-चार आदमियों की मजदूरी दिखाकर उसी में काम कराना पड़ता है।

मनरेगा का हमने नाम ले दिया, महात्मा गांधी का नाम उसमें जोड़ दिया, तो निश्चित रूप से हम लोग भावुक हो जाते हैं और उसकी प्रशंसा के पुल बांधने लगते हैं। मेरा सुझाव है कि इस विषय के ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। इस सरकार ने इस बारे में लगभग 34 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अगर ये 34 हजार करोड़ रुपये सड़कों, स्कूलों, चिकित्सालयों के निर्माण में लगते, तो वहां की जनता को कई-गुना फायदा हुआ होता। यह पैसा मिट्टी में जा रहा है, इस पैसे से कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने सहारनपुर और बागपत की बात कही, वह इसलिए कही कि तीनों जिलों में जाकर मैंने खुद इसकी समीक्षा की है। मैं श्रमिकों की सहायता करने के विरोध में नहीं हूं, मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिस तरह से उन लोगों का चयन किया गया, उसका आधार क्या था? आज अगर आप परीक्षण करा लें कि कितने लोग उसमें पात्र हैं तो आपको सही स्थिति का पता लग जाएगा। फिर पैसा कहां जा रहा है? सरकार ने कोशिश की कि पैसा गलत हाथों में न जाए,

सीधा बैंक-एकाउंट्स में जाए। आप इस बात की ऑडिट करा लीजिए कि जो पैसा बैंक में जा रहा है उस पैसे की पास-बुक किसके पास रहती है? कोई न कोई बड़ा आदमी वहां का होगा, जिसने सब मजदूरों के नाम की पास-बुक इकट्ठी करके अपने पास रखी हुई होगी और जब पैसा ज्यादा निकालने की बात आती है तो मजदूरों को आधा या तिहाई पैसा मिल जाता है, बाकी का सारा पैसा उन माफियाओं की जेबों में चला जाता है। हम माफियाओं को पाल रहे हैं या मजदूरों को उनकी मजदूरी दे रहे हैं, यह बात भी देखनी चाहिए।

अभी दार्शनिक बातें हुईं कि पेट भर रहा है, पेट पाला जा रहा है, सम्पत्ति बनाई जा रही है। मैं भी 36 साल से राजनीति में हूं। उत्तर प्रदेश में 7 बार विधायक रहा हूं और 12 साल तक मंत्री भी रहा हूं। मैंने जाकर देखने की कोशिश की है। आप मेरे पर कम से कम इतना विश्वास कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि सदन की एक कमेटी बने और उसमें सभी पक्षों के सदस्य हों, जो जाकर उन पांच जिलों का ऑडिट कर लें, परीक्षण कर लें कि हमारी जो योजना चल रही है, उस योजना के माध्यम से अगर किसी का लाभ हो रहा है,, कितने प्रतिशत लोगों को लाभ हो रहा है, तो सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी।

उपाध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं कांग्रेस की बात कह रहा हूं। जब 2009 के चुनाव होने वाले थे, तो हम सोचते थे कि कांग्रेस का सफाया होने वाला है। एक फायदा कांग्रेस को मनरेगा से हुआ। जब इन्होंने मनरेगा की घोषणा की तो तरह-तरह से प्रलोभन लोगों को दिये, तरह-तरह का प्रचार हुआ और लोगों को लगा कि बहुत पैसा हमारी जेब में आ जाएगा। इनका भला हो गया, एक टर्म और इन्हें सत्ता में आने की मिल गयी, वरना ये 2009 में ही जाने वाले थे।

दूसरा पक्ष भी इसका आप देख लीजिए। एक बार फायदा उठा लिया, लेकिन 2014 के चुनाव में जब ये गये, तो और कारणों के साथ मनरेगा भी इनके हारने का एक कारण बना। इतना भ्रष्टाचार जनता के सामने आ गया था, जनता त्रस्त हो गयी थी और प्रधान तथा जिम्मेदार आदमी कहने लगे थे कि इसे खत्म कराइये, इस पैसे से निर्माण कार्य कराइये, तो क्षेत्र का विकास हो जाएगा, क्षेत्र की सूरत बदल जाएगी।

मान्यवर, आपसे मेरी प्रार्थना है कि सदन की एक कमेटी बनवाकर केवल पांच जिलों का परीक्षण करवा लें और देखें कि मनरेगा की हालत क्या है?

धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सी.एन. जयादेवन (त्रिस्सूर): श्री उपाध्यक्ष, महोदय, धन्यवाद। दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम आज संकट में है। वर्ष 2013-14 में, ग्रामीण भारत में 74 मिलियन व्यक्तियों और 48 मिलियन परिवारों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत रोजगार मिला, और प्रत्येक परिवार को औसतन 46 दिनों का कार्य प्राप्त हुआ। इससे भारत सरकार पर 39,000 करोड़ रुपये का व्यय हुआ, जो देश की सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.5 प्रतिशत है। लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने इस योजना को लेकर अपना समर्थन बहुत उत्साहपूर्वक नहीं दिखाया है क्योंकि यह योजना पूर्ववर्ती यूपीए सरकार से बहुत निकटता से जुड़ी मानी जाती है।

(डब्ल्यू 3/1735/बी.आर.वी.-एम.एम)

यह योजना पूर्ववर्ती यूपीए सरकार से बहुत निकटता से जुड़ी मानी जाती है। अब भारत सरकार ने राज्यों को निधियों की आपूर्ति पर एक सीमा लगा दी है। दो मुख्य प्रस्ताव जो गंभीरता से विचाराधीन हैं, वे हैं —पहला, इस योजना को देश के चिह्नित पिछड़े ब्लॉकों तक सीमित करना, दूसरा, वेतन और सामग्री के बीच व्यय अनुपात को सामग्री के पक्ष में बदलना। इन सभी प्रस्तावों का कुल मिलाकर आशय यही है कि इस योजना के मांग-आधारित स्वरूप को समाप्त किया जाए और हर वर्ष उत्पन्न होने वाले रोजगार की मात्रा को कम किया जाए। यह एक प्रकार से इस योजना को धीरे-धीरे समाप्त करने की प्रक्रिया की शुरुआत है, और शायद अंततः इस योजना को पूरी तरह से बंद करने की मंशा भी हो सकती है।

यह सच है कि मनरेगा पूर्ण रूप से सफल नहीं रही, न ही यह सभी राज्यों में समान रूप से लागू हो पाई है, लेकिन यह भी झुठलाया नहीं जा सकता कि इस योजना ने ग्रामीण गरीबों को रोजगार सहायता प्रदान करने में मध्यम स्तर की सफलता अवश्य प्राप्त की है। देशभर में इसके क्रियान्वयन में कई प्रकार की विविधताएँ देखने को मिलती हैं, लेकिन कुल मिलाकर चार सकारात्मक परिणाम प्रमुख रूप से सामने आते हैं।

सबसे पहले, यह योजना ग्रामीण गरीबों को कुछ हद तक आय सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों में उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है। इसमें महिलाओं की भागीदारी अत्यंत उच्च स्तर की रही है – कुल कार्यरत श्रमिकों में 60 प्रतिशत महिलाएँ हैं। इस योजना ने महिलाओं के सशक्तिकरण में भी योगदान दिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम की मांग बढ़ रही है, जबकि उपलब्ध श्रमिकों की आपूर्ति कम हो रही, जिससे वास्तविक मजदूरी दरों में वृद्धि हुई है और मजदूरी का आरक्षण भी सुनिश्चित हुआ है। ये सभी उपलब्धियाँ किसी भी मानक से महत्वपूर्ण हैं और इस योजना की सफलता का प्रमाण देती हैं।

मैं स्वीकार करता हूँ कि इस योजना की रचना और क्रियान्वयन में कई समस्याएँ हैं। कहीं कहीं पर भ्रष्टाचार देखने को मिलता है; मजदूरी का भुगतान विलंब से होता है; ग्राम सभाओं में तकनीकी क्षमता की कमी होती है जिससे वे उपयुक्त कार्यों का चुनाव नहीं कर पातीं और परिसंपत्तियों के प्रकार व गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन इन सबके बावजूद, इन कमियों के कारण इस योजना की मूल भावना पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ये सभी केवल वे चुनौतियाँ हैं जिन्हें स्वीकार करके सुधार की दिशा में काम किया जाना चाहिए, ताकि यह कार्यक्रम सफल हो सके।

जो आलोचक इस योजना की आवश्यकता को कभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहे, वे कुछ क्षेत्रों में सामने आई एक या दो एकल उदाहरणों के आधार पर पूरे देश में लागू इस योजना को खारिज कर देते हैं। वे इसे केवल एक मुफ्तखोरी की योजना या ऐसा मानते हैं कि जिसमें केवल हाज़िरी के आधार पर भुगतान होता है और यह एक अकुशल नकद अंतरण मात्र है। लेकिन यह बिल्कुल गलत धारणा है। यदि हम उन परिसंपत्तियों पर नज़र डालें जो इस योजना के अंतर्गत निर्मित हुई हैं जैसे सिंचाई की छोटी योजनाएँ, मृदा पुनरुद्धार, और वाटरशेड विकास जैसी योजनाएँ तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह योजना केवल नकद हस्तांतरण नहीं बल्कि दीर्घकालीन विकास की दिशा में ठोस कदम है।

एक और आलोचना यह की जाती है कि यह योजना भारतीय कृषि को अलाभकारी बना रही है। यह योजना मुख्यतः दुर्लभ खाद्य संसाधन के दौरान संचालित होती है और इस दौरान उपलब्ध कराई गई रोज़गार

सुविधा के कारण कृषि करने के मौसम में मजदूरों की कमी हो जाती है। लेकिन 2006 के बाद से कृषि मजदूरों की वास्तविक मजदूरी दर में जो वृद्धि हुई है, वह आलोचना का नहीं बल्कि स्वागत का विषय है। सच्चाई यह है कि वास्तविक मजदूरी दरों में वृद्धि इतनी तेज नहीं हुई है कि खेती को किराए के मजदूरों के सहारे अलाभकारी बना दे। यह स्वाभाविक है कि जब भी मजदूरों को कोई वैकल्पिक रोज़गार का साधन मिल जाता है, तो कृषि क्षेत्र में मजदूरी बढ़ाने की माँग उठती है और हर जगह के मजदूर नियोक्ता इस पर चिंता जताते हैं।

महोदय, इन बिंदुओं के साथ, मैं श्री दत्ता से सहमत हूं। उन्होंने यह बात कही कि इस योजना में कटौती की जा रही है, और मैं यह साफ कहना चाहता हूँ कि इस योजना में किसी प्रकार की कमी या कटौती नहीं की जानी चाहिए। हाँ, कुछ सुधार आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन इस योजना को हर हाल में जारी रखा जाना चाहिए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश की विडम्बना है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों, कॉरपोरेट घरानों और संभ्रान्त वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने के लिए अगर कोई योजनाएं, परियोजनाएं बनाई जाती हैं तो वे तो इस देश में सफल हो जाती हैं लेकिन अगर देश के किसान, गरीब, पिछड़े और दलितों को लाभान्वित करने के लिए कोई योजनाएं बनाई जाती हैं तो वे अकसर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं चाहे इंदिरा आवास योजना हो, मनरेगा हो या सर्व शिक्षा आभियान हो। ये तमाम इसी के उदाहरण हैं। अगर शिक्षा की बात की जाए तो उच्च शिक्षा की दुकान तो बहुत अच्छे से चलती है क्योंकि इससे देश का संभ्रान्त तबका लाभान्वित होता है मगर प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को अगर हम देखें, जो देश के ग्रामीण हिस्सों में रहने वाले बहुसंख्यक, दलित एवं पिछड़ों के बच्चों को शिक्षा देने की दृष्टि से बनाई गई है तो यह व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त और चरमराई हुई प्रतीत होगी।

जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, सरकार मनरेगा के बजट में तीन हजार करोड़ रुपये की कटौती करने जा रही है। यह सुनने में ही अच्छा नहीं लगता है क्योंकि यह एक सोशल सैक्टर की योजना है और फिसकल डैफिसिट की भरपाई करने के लिए सोशल सैक्टर की एक स्कीम के बजट को कम किया जाए, यह बात कम समझ में आती है। मैं सरकार का ध्यान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल पॉलिसी के आर्थिक अनुमानों के आंकड़ों की ओर ले जाना चाहूंगी जिसके अनुसार जो नॉन-मैरिट सब्सिडीज इस देश के संभ्रान्त वर्ग के लोगों को दी जा रही है, वह जीडीपी का नौ प्रतिशत है यानी उसका जो कुल बजट है, वह मनरेगा के कुल बजट से बीस गुना ज्यादा है और पिछले दस वर्षों में देश के कॉरपोरेट घरानों को जो टैक्स रिबेट्स दी गई हैं, वे हजारों करोड़ों रपये की है जो मनरेगा के बजट से कहीं ज्यादा है। तीन हजार करोड़ उसके सामने कुछ नहीं है।

मैं यह नहीं कह रही हूं कि मनरेगा में सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है, निश्चित रूप से इसमें कमियां रही हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड., छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जहां पर मनरेगा के माध्यम से एक

बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होना था, वह रोजगार सृजन नहीं हो पाया है। लीकेज बहुत ज्यादा हुई है लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम उस लीकेज को रोकने की कड़ी व्यवस्थाएं बनाएं।

मैं यहां पर रक्षा सौदों का उदाहरण देना चाहूंगी। हमारे देश के अखबारों ने प्रमुखता से छापा कि देश के रक्षा सौदों में कितना भ्रष्टाचार हुआ? लेकिन क्या ऐसी परिस्तितियों में हमने अपने देश के सैनिकों से कहा कि आप आधुनिक शस्त्र छोड़कर तीर-कमान से लड़ना शुरु कर दें। यह तो हमने नहीं कहा क्योंकि हम जानते हैं कि आधुनिक शस्त्र हमारे देश की सेना की जरुरत है। वहां हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़ी व्यवस्थाएं करें। उसी प्रकार मनरेगा भी इस देश के गरीब तबके की जरूरत है और इसीलिए यदि इसमें कुछ लीकेज या भ्रष्टाचार होता है तो हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम उस भ्रष्टाचार को कम कैसे करें न कि इस पर कि हम कैसे उस बजट को कम कर दें। मेरा सरकार को यह सुझाव है कि जो यह मनरेगा की योजना है, इसको आधार कार्ड की योजना और प्रधान मंत्री जन धन योजना जैसी तमाम योजनाओं से जोड़ा जाए और मनरेगा मजदूरों का जितना भी ब्यौरा है, वह ग्राम पंचायतों द्वारा सार्वजनिक किया जाए क्योंकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पिछड़े दिलत समुदाय के लोग हैं, उनके लिए मनरेगा एक बहुत बड़ी आशा की किरण है। यह उनके लिए जीवन की सुरक्षा, उनकी रोजी-रोटी सब कुछ है। यह देश के गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है और एक बहुत बड़ा सवाल जो अकसर मनरेगा को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में खड़ा किया जाता है, क्योंकि मैं भी किसानों के बीच में जाती हूं और किसानों के बीच में यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी देने का जो बोझ है, वह किसानों पर आता है और देश के किसानों की आमदनी कहीं से नहीं बढ़ रही है।

इसके लिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि प्रोक्योरमेंट प्राइसेस को बढ़ाया जाए और किसानों पर इंफ्लेशन का बोझ न पड़े, इसके लिए किसान सबसिडी दे और उस सबसिडी को देने के लिए चाहे डैफिसिट फाइनेंसिंग का रास्ता अपनाए या देश के जो हाइ इंकम ग्रुप हैं, उन पर ज्यादा टैक्सेज के रास्ते को सरकार अपनाए लेकिन कुल मिलाकर उद्देश्य यह होना चाहिए कि मनरेगा में जो कमियां हैं, उनको दूर करते हुए हमें

इस योजना को जो गरीब और पिछड़ों को लाभान्वित वरने के लिए बनाई गई है, उसका सशक्तीकरण करना है और उसे देश में ऐसे ही सतत बनाये रखना है। ...(व्यवधान) धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री एस. राजेन्द्रन।

श्री एस. राजेन्द्रन (विलुप्पुरम): महोदय, मैं अपना वक्तव्य अपनी मातृभाषा में देना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: दुभाषिया मौजूद नहीं है। आप बाद में बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मनरेगा 2005 में पास हुआ था, उसके बाद यह योजना शुरू हुई और एक हिसाब से यह गरीबों के लिए है और खासकर जहां अनस्किल्ड लेबर है, जहां पिछड़े इलाके हैं, उनके लिए यह योजना लाई गई थी और वास्तव में यह वहां बहुत सफल हुई। मैं अपने क्षेत्र जैसलमेर और बाड़मेर की बात करता हूं, ये पिछड़े जिले हैं, वहां अकाल पड़ते हैं, पिछले पचास साल के आंकड़े देखेंगे तो आप पायेंगे कि वहां लगभग 38-39 साल अकाल पड़ा है और इस साल भी वहां अकाल है। पहले वहां से जो माइग्रेशन होता था, उसमें काफी कमी आई है। परंतु अगर आठ साल के आंकड़े देखें तो आप महसूस करेंगे कि इसमें फायदे के साथ-साथ बहुत कमियां भी रही हैं। 2008 से 2013 तक मुझे वहां का विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने पांच साल उसे बहुत नजदीक से देखा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीब 85 परसैन्ट ओबीसी और एससी, एसटी हैं। वहां जो सौ दिन मिलते थे, वे भी पर्याप्त नहीं थे, उसके लिए भी वहां ज्यादा मांग थी। मैंने वहां देखा कि उसमें जो काम हो रहे हैं, उनमें काफी कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने की जरूरत है। मैं इसके बारे में आपसे कहना चाहता हूं और कई साथियों ने भी बताया कि इसमें सबसे बड़ी कमी ड्यूरेबल असैट्स की है। जब आप तीस-चालीस हजार रुपये खर्च करते हैं तो ऐसी स्थिति में वहां कुछ ऐसे असैट्स बनने चाहिए, ताकि पता लगे कि साल भर में क्या काम हुआ है। मेरे वार्ड में लगभग 450 से 500 करोड़ रुपये हर साल खर्च होते हैं। यदि आठ साल में देखेंगे तो वहां साढ़े तीन-चार हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। परंतु आज यदि आप आकलन करेंगे तो आपको ऐसी कोई चीज नजर नहीं आयेगी कि चार हजार करोड़ रुपये कहां खर्च हुए। हम नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी हैं तो हमें यह देखना चाहिए। यह जरूरी है कि मजदूरी गरीबों को दो, लेकिन उसके साथ यह भी देखो कि जो इतना पैसा खर्चा हो रहा है, उसका क्या परिणाम हमें मिल रहा है।

दूसरी कमी लेबर मैटिरियल कम्पोनेन्ट की है, मजदूर और सामग्री का 60-40 का रेश्यो है, यह किसी भी हालत में पूरा नहीं हो सकता है। इसके प्रत्यक्ष में जो वहां के सरपंच, नेता और प्रधान हैं, वे इसे पूरा करने के लिए कई साथी लेकर आए हैं। उन्हें उसमें थोड़ा लेकुना मिल जाता है तो उसका फायदा उठाकर वे उसमें बहुत भ्रष्टाचार करते हैं। मेरा यहां एक सुझाव है कि 60-40 का रेश्यो बहुत जरूरी है। जब लेबर ओरियंटेड स्कीम

आई है तो लेबर के लिए यह रखना जरूरी है। मेरा कहना यह है कि इसके साथ जो एग्रीकल्चर है, सिंचाई है और जो वेस्टलैंड रिक्मैंडेशन और इस तरह की कई स्कीम्स हैं, उन्हें दूसरे डिपार्टमैन्ट और दूसरी मिनिस्ट्री के साथ क्लब करके टोटल करना चाहिए, ताकि वहां जगह-जगह लेबर मिल सके।

मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि जो सड़कें बनती हैं, नेशनल हाईवे के मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं तो वहां जो सड़कें बनती हैं तो उनके नीचे सब-बेस, बेस और डब्ल्यूबीएम है, ये काम मनरेगा से हो सकते हैं। इसमें करीब 25-30 परसैन्ट जो खर्चा होगा, वह कम्पोनैन्ट के काम आ जायेगा।

मंत्री जी ने कल स्टेटमेंट भी दिया हैं कि यह [अनुवाद] कुल व्यय का 60 प्रतिशत भाग कृषि से संबंधित विकास कार्यों, जैसे कि भूमि विकास, वृक्षारोपण, स्वच्छता और इस प्रकार के अन्य कार्यों पर व्यय किया जाना अनिवार्य है। [हिन्दी] यह बहुत अच्छी चीज़ है। इसको साथ में करना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूँगा कि जिस तरह से सिंचाई मंत्रालय में काम होता है, वहां हो सकता है। एमपीएलएडी में जो एमएलए के फंड आते है, उस पैसे से जो काम होते हैं, जो योजनाएं होती हैं, उसके साथ भी उसे क्लब किया जाए। इस तरह से क्लब किया जाए, ताकि यह 60/40 का रेश्यो मैंटेन हो सके। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात भ्रष्टाचार और अकाउंटेबिलिटी की है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जो मेरे साथी हुक्मदेव जी और हुकुम सिंह जी ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। इतना भ्रष्टाचार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं वहां विधायक था। मैंने वहां पंचायत समिति में कहा कि भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। जैसा आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। उस वक्त तो यह स्लोगन नहीं था, पर मैंने यह मुद्दा उठाया था। आप मानेंगे नहीं कि मैं 37000 हज़ार वोटों से जीता था, एमएलए में मुझे 12 हज़ार से हरा दिया। अब मैं एमपी बना तो 42000 वोटों से जीता हूँ। मैं किसी की क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। यह सब जगह है। यह नैशनल पैसा है। यह एनडीए या यूपीए का पैसा नहीं है। यूपीए के साथी यहां पर बैठे हैं। क्योंकि यूपीए ने बजट पास किया, तो ये एक बार सरकार में आ गए। अब उसमें कम से कम आपको यह देखना चाहिए कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। काम नहीं हो रहा है तो उसके अंदर कुछ करना चाहिए। वहां पर डुप्लिकेट कार्ड बनते हैं और वहां पर जनप्रतिनिधि कोई नेता कह भी नहीं सकता है। जैसा मैंने बताया कि ऐसा कहने से वे नाराज हो जाते हैं कि पांच साल बाद में क्या होगा। मेरी यह विनती है कि

इसको करना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है कि कृषि मज़दूर जो मिलते थे, जैसे पंजाब या हरियाणा आदि में, वहां पर आज जब फसल होती है तो मज़दूर नहीं मिलते हैं। यहां तक कि हरियाण और पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है कि जब रबी या खरीफ वी फसल हो तब उस वक्त नरेगा को बंद कर दिया जाए। दूसरा, शहरों के अंदर जो लेबर डिवेल्पमेंट के लिए मिलती थी, वहां मिलती ही नहीं है। क्योंकि वहां उनको ढाई-तीन सौ रूपये मिल जाते हैं। घर में तीन सदस्य हैं, वे मिल कर 20-25 हज़ार रूपये कमा लेते हैं, तो वे कहीं जाते ही नहीं है। इसलिए मेरा मंत्री जी से आग्रह है, ये भी किसान के बेटे हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह) : माननीय सदस्य तो यही चाहते हैं कि गरीब, गरीब ही बना रहे... (व्यवधान)

[हिन्दी]

कर्नल सोनाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी भी किसान के बेटे हैं, ये खुद जानते हैं। मैंने कहा है कि बैलेंस करना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : सर, दोनों ही मनरेगा के समर्थक थे। लेकिन आज ऐसा हो रहा है, क्या बात है, समझ में नहीं आता है। ...(व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि डिवेल्पमेंट, जो गडकरी साहब ने कहा था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट जो पिछड़े हुए हैं, उनको करना चाहिए। गडकरी साहब की सलाह से मैं सहमत हूँ, उसको करना चाहिए। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

‡‡‡*श्री एस. राजेन्द्रन (विल्लुपुरम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय। वणक्कम। मैं अपने विल्लुपुरम संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए जनता की मुख्यमंत्री एवं हमारी प्रिय नेता माननीय पुरात्वी थलाइवी अम्मा का धन्यवाद करता हूँ। यह योजना पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान गरीबों को रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस योजना में कटौती करने की बात कही जा रही है, जो अत्यंत चिंता का विषय है। इसी कारण हम आज लोक सभा में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जहाँ तक तमिलनाडु का प्रश्न है, वहाँ जनता की मुख्यमंत्री माननीय अम्मा का शासन और उनकी नीति निर्धारण की दिशा हमेशा गरीबों और किसानों को केंद्र में रखकर होती है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस योजना में किए जा रहे बदलाव देश की जनता को कितना लाभ पहुँचा सकते हैं। भारत में लगभग 29 प्रतिशत, यानी लगभग 5 करोड़ परिवारों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार मिलता है। इन लाभार्थियों में 54 प्रतिशत महिलाएं हैं और 46 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं। यह योजना शुरू में देश के 6500 ब्लॉकों में लागू की गई थी। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने घोषणा की है कि इन 6500 ब्लॉकों में से 2500 ब्लॉकों की पहचान की जाएगी, जहाँ सबसे गरीब लोग रहते हैं, और उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। माननीय मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कि शेष 4000 ब्लॉकों पर भी धीरे-धीरे ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तमिलनाडु में 385 ब्लॉकों को पिछड़े ब्लॉक के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनमें से वर्तमान में केवल 98 ब्लॉकों को ही इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, जहाँ सबसे गरीब लोग रहते हैं। यह चिंता का विषय है। मैं यह कहने में गर्व महसूस करता हूँ कि जनता की मुख्यमंत्री माननीय अम्मा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि के अतिरिक्त 25 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध करवा रही हैं।

---

‡‡‡ मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि ब्लॉकों को अमीर और गरीब के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। निर्धन वर्ग के लोग हर ब्लॉक में रहते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि किसी ब्लॉक में केवल अमीर लोग ही रहते हैं। हर स्थान पर सभी वर्गों के लोग रहते हैं। अतः केंद्र सरकार को शेष 4000 ब्लॉकों पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए और इस योजना को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले ब्लॉकों की पहचान में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लाभार्थियों की पहचान और उनके वेतन निर्धारण से संबंधित कार्यों को और अधिक पारदर्शी और उन्नत बनाया जाना चाहिए। मज़दूरों को दैनिक मज़दूरी के भुगतान में होने वाली अनावश्यक देरी को भी रोका जाना चाहिए। हमारा संविधान सभी नागरिकों को समानता प्रदान करता है। अतः मैं यह आग्रह करता हूँ कि देश के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। गाँवों में मूलभूत सुविधाओं और अधोसंरचना के उन्नयन के लिए इस योजना के अंतर्गत झीलों और तालाबों की सफाई, सड़कों का निर्माण, पेयजल सुविधाओं का उन्नयन जैसे कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन कभी-कभी जलवायु परिवर्तन के कारण स्थायी अधोसंरचना से संबंधित कार्य प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर, कृषि कार्यों के लिए मजदूरों की भी भारी कमी देखने को मिलती है, जिससे न केवल कृषि उत्पादन प्रभावित होता है, बल्कि उत्पादन लागत भी बढ़ती है। जहाँ एक ओर सरकार मज़दूरों को वेतन देकर रोजगार प्रदान कर रही है, वहीं दूसरी ओर, यह योजना आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का एक कारण भी बन रही है। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि इस योजना को कृषि क्षेत्र से जोड़ा जाए। जब खेती नहीं हो रही होती है, उस समय इस योजना का उपयोग रोजगार प्रदान करने के लिए किया जाए। इससे न केवल खेतों की उत्पादन क्षमता सुनिश्चित की जा सकती है, बल्कि कुल उत्पादन में भी वृद्धि हो सकती है। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूँ कि मनरेगा को वर्षभर लागू करने के उद्देश्य से मध्यम और बड़े किसानों, जिन्हें कृषि मजदूरों की आवश्यकता होती है, एवं भूमि मालिकों को इस योजना के अंतर्गत एक साझेदार के रूप में शामिल करने पर विचार किया जाए। ऐसी स्थिति में सरकार 50 प्रतिशत राशि प्रदान करे और शेष 50 प्रतिशत राशि उपजाऊ भूमि के मालिकों द्वारा वहन की जाए। इससे इस योजना के लिए

अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, नियमित रोजगार भी सुनिश्चित होगा और साथ ही कृषि उत्पादन भी अविरत रूप से जारी रह सकेगा।

इस योजना से हमारे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का अवसर प्राप्त होगा। जब देशभर में सरकारी योजनाओं को लागू किया जाता है, तब प्रायः संबंधित क्षेत्रों के स्कूल शिक्षकों को इन योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाने की जिम्मेदारी दी जाती है। मैं यह प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की पहचान कर उन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाए। केंद्र सरकार को इस योजना के लिए आबंटित धनराशि में किसी भी प्रकार की कटौती किए बिना, इसे पुनः सशक्त रूप में लागू करना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर रोजगार सुनिश्चित किया जा सके और साथ ही कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हो सके। मैं केंद्र सरकार से यह भी अनुरोध करता हूँ कि प्रस्तावित बदलाव जन-केन्द्रित होने चाहिए, न कि केवल व्यय में कटौती के दृष्टिकोण से किए जाएँ। मैं पुनः अपने निर्वाचन क्षेत्र विल्लुपुरम के लोगों, माननीय उपाध्यक्ष महोदय और माननीय जननेत्री, पुरात्ची थलाइवी अम्मा को इस अवसर के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।

सायं 6.00 बजे

माननीय उपाध्यक्ष: हम कल इस चर्चा को जारी रखेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष: अब, यह छह बजे की घड़ी है। हमें 'शून्यकाल' शुरू करना होगा। यदि माननीय सदस्य सहमत हों, तो हम सदन की कार्यवाही का समय उन सभी सदस्यों के अपने महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामलों को उठाने तक बढ़ा सकते हैं, जिन्होंने इस संबंध में नोटिस दिया है। मुझे लगता है कि सदन इस पर सहमत होगा।

अनेक माननीय सदस्य: हाँ।

माननीय उपाध्यक्ष : ठीक है। सभा का समय 'शून्य काल' तक बढ़ाया जाता है।

अब, हम 'शून्यकाल' पर विचार करेंगे।

श्री छोटेलाल।

[हिन्दी]

श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष जी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र राबर्ट्सगंज, सोनभद्र में स्थापित सरकारी एवं गैर सरकारी कंपनियों में मज़दूरों की दैनिक मज़दूरी में वेतन विसंगति के बारे में बताना चाहता हूँ। राबर्ट्सगंज, कोबरा, रेनुकोट, शक्तिनगर में भारत सरकार की कंपनी एन.सी.एल. में मज़दूरों की दैनिक मज़दूरी करीब 500 से 600 रुपये है, जबकि निजी क्षेत्र की कंपनी तथा राज्य सरकार के द्वारा मात्र 200 से 300 रुपये का भुगतान किया जाता है जो दैनिक मज़दूरों के साथ आर्थिक एवं शारीरिक शोषण है। इस विसंगति को दूर करना आति आवश्यक है क्योंकि अगर विसंगति दूर नहीं होती है तो मज़दूरों में असंतोष पैदा होगा और इससे सबका साथ, सबका विकास नहीं हो सकता। क्योंकि -

"श्रम की शक्ति, श्रम का मान, कीमत दोनों एक समान,

देश के लिए करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम।"

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि एक ऐसी नीति बनाई जाए जिसमें सरकारी एवं गैर सरकारी कंपनियों में मज़दूरों को एक समान वेतन मिल सके।

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका मुझे दिया। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र बुलंदशहर दिल्ली से मात्र 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और एन.सी.आर. का हिस्सा है। यहाँ से दिल्ली के लिए भारी मात्रा में दूध, अनाज, फल और सब्ज़ियों की पैदावार होकर सप्लाई की जाती है। यहाँ पर गंगा का पावन स्थल है और बहुत सारे श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए और मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोकल रेल से आने जाने की कोई भी सुविधा नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि बुलंदशहर से दिल्ली आने जाने के लिए एक लोकल ट्रेन चलवाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अब, श्री जगदम्बिका पाल। कृपया संक्षिप्त में कहें।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं अपनी बात कहने के लिए अभी उठा हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: मैं आपको निर्धारित क्रम से हटकर बुला रहा हूँ। अन्य माननीय सदस्यों ने भी तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामलों को उठाने के लिए अपने नोटिस दिए हैं।

श्री जगदम्बिका पाल: मैं अपनी बारी का इंतजार कर सकता हूं। मुझे लगता है, सूची में क्रमांक सं 4 पर मेरा नाम अंकित है।

माननीय उपाध्यक्ष: यदि आप अपनी बारी का इंतजार करना चाहते हैं, तो आप इंतजार कर सकते हैं।

अब, श्री अजय मिश्रा टेनी।

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जे.[हिन्दी] ई. और ए.ई.एस. के बचाव व नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम पर बोलने का मुझे अवसर दिया।

माननीय उपाध्यक्ष जी, दिमागी बुखार से प्रभावित पाँच राज्यों - असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु के 60 जिलों के लिए केन्द्र सरकार ने जापानी एनसिफलाइटिस व एक्यूट एनसिफलाइटिस सिंड्रोम से बचाव व नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए मंज़ूरी दी थी। इस कार्यक्रम के अनुसार त्वरित उपचार हेतु बच्चों के आई.सी.यू. खोले जाने थे, परंतु समीक्षा बैठक से जो जानकारी हुई है, उसके अनुसार पाँच राज्यों - असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु, जहाँ ये आई.सी.यू. खोले जाने थे, केवल तमिलनाडु को छोड़कर कहीं भी काम पूरा नहीं हुआ है। असम की स्थिति सबसे खराब है। समीक्षा बैठक से यह भी जानकारी हुई है कि बिहार में केवल दस फीसदी काम हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में 10 बिस्तर वाले जो आई.सी.यू. बनाए जाने थे, उसमें केवल 8 जगह पर यह काम शुरू हुआ है। प्रभावित इलाकों में शीघ्र चिकित्सा हेतु आई.सी.यू. बेहद उपयोगी होते हैं। दिमागी बुखार से होने वाली मौतें भी इन राज्यों की सुस्ती नहीं तोड़ पा रही हैं। केन्द्र सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव व इलाज के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध होने के बावजूद कई राज्यों की सरकारें बेहद संवेदनहीनता से काम कर रही हैं। खासकर उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा

हिस्सा इससे प्रभावित है, बिहार का हिस्सा प्रभावित है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति सबसे खराब है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का और इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान दुती चंद की कथित दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिन्हें हाइपरएंड्रोजेनिज्म के आधार पर वैश्विक खेल संगठनों द्वारा प्रतियोगिता से वंचित किया गया है। दुती चंद को कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेना था और हमें पूरा विश्वास था कि वह हमारे लिए स्वर्ण पदक लेकर आतीं।

मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि किसी महिला के शरीर में एंड्रोजन का स्तर यह तय करने का मापदंड नहीं होना चाहिए कि वह किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकती है या नहीं।

मुझे बताया गया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक ने दुती को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, लॉजानन में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति और अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के खिलाफ अपील करने की सलाह दी है।

हम क्यों एक महिला को उसकी प्राकृतिक विशेषता के लिए दंडित कर रहे हैं? यदि उसैन बोल्ट की लंबाई उनके लिए एक लाभ है, तो क्या अंतरराष्ट्रीय संस्था उनके पैर काटने की बात करेगी ताकि सभी को एक-बराबर का अवसर मिल सके?

एंड्रोजन का उच्च स्तर खिलाड़ी की गलती नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह दुती चंद की इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी हो, उनके वकीलों को यह जैविक तथ्य सीएएस में प्रमुखता से उठाने के निर्देश दे।

दुती का एक सपना है। यह खिलाड़ी, जो एक साहसी और जीवन्त युवती है, दौड़ के ट्रैक पर वापस लौटना चाहती है। उसने किसी भी प्रकार की थेरेपी को अस्वीकार कर दिया है। मैं सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वह दुती का हर प्रकार से पूरा समर्थन करे। एसएआई उन्हें एनआईएस पटियाला में आवास प्रदान

करे तथा उनका समस्त खर्च एसएआई द्वारा वहन किया जाए। हर संभव प्रयास किया जाए कि वह ओलंपिक में भाग लें और वहां से हमारे लिए निश्चित रूप से स्वर्ण पदक लेकर आएँ। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री पी. पी. चौधरी और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री महताब द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नागेंद्र कुमार प्रधान (संबलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान सार्वजनिक महत्व के एक अत्यावश्यक मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

वीर सुरेन्द्र साय मेडिकल कॉलेज, बुरला, ओडिशा राज्य का एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है। यह ओडिशा का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है और संबलपुर में स्थित है, जिसे मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। ओडिशा सरकार ने इस संस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर केंद्र सरकार को सुझाव दिए हैं। उदाहरण के तौर पर, वहाँ कैंसर यूनिट की स्थापना नहीं हुई है। हजारों सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित मरीज इस कॉलेज में आते हैं, लेकिन उनके लिए कोई स्थायी उपचार सुविधा उपलब्ध नहीं है। राज्य के 15 ज़िलों सहित छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से भी जब लोगों को स्वास्थ्य समस्याएँ होती हैं, तो वे इस बुरला मेडिकल कॉलेज में ही इलाज के लिए आते हैं।

ऐसी स्थिति होने पर, ओडिशा सरकार ने भारत सरकार को कुछ सिफारिशें और सुझाव भेजे हैं। उदाहरण के लिए, भवन के विस्तार के लिए लगभग ₹50 करोड़ की राशि की माँग की गई है।; साथ ही एक उच्च स्तरीय सिकल सेल संस्थान की स्थापना की माँग भी की गई है।

अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे और ओडिशा सरकार द्वारा भेजे गए सुझावों के अनुसार अनुदान धनराशि स्वीकृत करे।

[हिन्दी]

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निवोबार द्वीपसमूह) : उपाध्यक्ष महोदय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अंडमान टिम्बर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 9 अक्टूबर, 2000 में गैरकानूनी तरीके से अपनी फैक्टरी बंद कर दी

थी। उसमें काम करने वाले 823 कर्मचारियों को आज तक उनकी बकाया राशि नहीं मिली है। इसी संबंध में लेबर कोर्ट में केस डाला गया। वर्ष 2001 में एक पैकेज बनाया गया। उसमें लेफ्टीनेंट गवर्नर थे, एमपी थे, यूनीयन थी और एटीआई का मैनेजर भी था। उसमें तय किया गया था कि मजदूरों का बकाया देंगे। फर्स्ट इंस्टालमेंट की पेमेंट दी गई, सैकेंड इंस्टालमेंट की पेमेंट दी गई, लेकिन थर्ड इंस्टालमेंट देने के समय एग्रीमेंट बना था कि प्रशासन उनकी जमीन एटीआई से एक्वायर करके पेमेंट देंगे। पार्टली लैंड दी गई और तीन करोड़ रुपया दिया भी था। एटीआई मैनेजमेंट रुपया ले कर भाग गई और मजदूरों को पेमेंट नहीं दी गई। उसके पश्चात् यह केस लेबर कोर्ट को अवार्ड हुआ लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोर्ट में आज भी केस चल रहा है। इसके बीच 26 नवम्बर, 2014 को लेबर कमिश्नर ने डीसी महोदय, साउथ अंडमान को केस अवार्ड किया कि उनकी जमीन एक्वायर करके आक्शन करके जो रुपया आएगा, वह रुपया लेबर कमिश्नर के पास जमा किया जाए, ताकि मजदूरों को उनकी पेमेंट दी जा सके।

मैं आग्रह करना चाहता हूं कि चाहे लेबर कोर्ट से हो, चाहे कोर्ट से हो, नहीं तो जो 2,40,00,000/- रुपए मजदूरों को देने हैं, प्रशासन स्कीम बनाकर भारत सरकार से यह रुपया लेकर गरीब लोगों की मदद करे। जयहिंद।

[अनुवाद]

श्रीमती के. मरागाथम (कंचीपुरम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे 'शून्य काल' में बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

सबसे पहले मैं अपनी नेता, जनता की पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा को दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिनकी कृपा और नेतृत्व के कारण आज मैं इस सदन में उपस्थित हूँ।

महोदय, मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के कल्याण से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा इस सदन में उठाना चाहती हूँ। वर्ष 2011-12 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने बी.ई. एवं बी.टेक. में पहले वर्ष के प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 45 प्रतिशत और एससी/एसटी

छात्रों के लिए 40 प्रतिशत अंक निर्धारित किए। लेकिन तमिलनाडु सरकार, जो कि माननीय अम्मा के सक्षम नेतृत्व में कार्य कर रही है, एससी/एसटी छात्रों के लिए 35 प्रतिशत अंकों पर प्रवेश की अनुमति देती है।

माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा हमेशा से एससी और एसटी समुदायों के कल्याण के लिए नैतिक और व्यवहारिक समर्थन देती रही हैं। उनके द्वारा शुरू की गई कुछ योजनाएं निम्नलिखित हैं:

1. वर्ष 2013-14 के तमिलनाडु बजट में ₹6,108.60 करोड़, जो कि अब तक का सबसे अधिक अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए आबंटन है।
2. तीसरी कक्षा से पांचवीं कक्षा तक की छात्राओं के लिए 500 रुपये की राशि;
3. छठी कक्षा छात्राओं के लिए 1000 रुपये की राशि; और
4. 7वीं और 8वीं कक्षा की छात्राओं को ₹1,500 की राशि महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु।

इन योजनाओं के माध्यम से तमिलनाडु वर्ष 2023 तक भारत का सबसे समृद्ध और प्रगतिशील राज्य बनेगा और मानव विकास सूचकांक में देश में पहले स्थान पर होगा।

इन सभी कानूनी प्रयासों के बावजूद, एआईसीटीई ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और एससी/एसटी छात्रों के लिए 40 प्रतिशत की न्यूनतम योग्यता को ही लागू रखा है। तमिलनाडु सरकार द्वारा इस विषय में उच्चतम न्यायलय में एक एसएलपी भी दाखिल की गई है।

माननीय अम्मा ने 3 जून, 2014 को माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात कर इस विषय में चर्चा भी की थी और एससी/एसटी छात्रों के साथ हो रहे अन्याय को उनके संज्ञान में लाया था।

इस संदर्भ में, मैं माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से आग्रह करती हूँ कि इस मामले पर तुरंत ध्यान दें और एआईसीटीई को यह निर्देश दें कि बी.ई. एवं बी.टेक. में एससी/एसटी छात्रों के लिए 35 प्रतिशत अंक को ही पास मार्क के रूप में स्वीकृत किया जाए। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष : डॉ. कीर्ति पी. सोलंकी को श्रीमती के. मरागाथम द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान महिला स्वयं सहायता समूहों को समाप्त करने की संभावित योजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीया श्रीमती मेनका संजय गांधी जी ने एक सार्वजनिक बयान में कहा कि "महिलाओं को समूह में ऋण देना एक खराब विचार है। इसके बजाय, हम महिलाओं को कौशल प्रदान करेंगे और सीधे ऋण देंगे।" उन्होंने आगे कहा: "जब एक पुरुष व्यवसाय के लिए ऋण लेता है, तो वह अकेले जाता है, न कि किसी समूह के साथ। महिलाओं को ऋण लेने के लिए 10 या अधिक महिलाओं के साथ जाना पड़ता है, यह अपमानजनक है। हमें ऐसा क्यों करना चाहिए?" इस कथन का स्पष्ट अर्थ है कि सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों की प्रणाली को समाप्त करने की दिशा में बढ़ रही है।

मैं हमारे राज्य में लागू कुडुंबश्री योजना का उदाहरण देना चाहता हूँ। इस योजना के अंतर्गत जब महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बैंक और सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, तो यह वास्तव में महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम बनती है, न कि उनका अपमान। इसके साथ ही, केंद्र सरकार पहले ही महिला राष्ट्रीय कोष योजना को बंद कर चुकी है। यदि सरकार इस विचारधारा को स्वीकार करती है और इस दिशा में आगे बढ़ती है, तो यह न केवल कुडुंबश्री योजना, बल्कि पूरे देश में एनआरएलएम के तहत चल रही कई महत्वपूर्ण परियोजना को प्रभावित करेगा। देश भर में करोड़ों महिलाएं जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं, उनके रोजगार पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।

इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह महिला स्वयं सहायता समूहों को समाप्त करने की किसी भी योजना से पीछे हटे। यह योजना देश में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बेहद सफल और प्रभावशाली पहल रही है।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का समय दिया।

महोदय, दो दिन पूर्व पेशावर में एक घटना हुई, जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल के 132 बच्चों को आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी। घटना पाकिस्तान की है, लेकिन इससे दोनों मुल्कों की सरहदें टूट गयीं। भारत की लोक सभा में सबसे पहले, क्वैश्चन आवर से भी पहले उन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे सदन ने मौन रखा। उन 132 बच्चों की मौत ने पूरे भारत को मर्माहत कर दिया। ऐसा लगा कि जैसे वे हमारे बच्चे हों। जिस तरह से उन्हें गोलियों से भून दिया गया, उसका बहुत दुःख है।

आज गोरखपुर मेडीकल कॉलेज की एक छत के नीचे 1 जनवरी से 17 दिसम्बर तक, यह गोरखपुर मेडीकल कॉलेज के रिकॉर्ड्स पर है कि एक छत के नीचे एक मेडीकल कॉलेज में 603 बच्चों की मौत हो गई। वे 603 बच्चे देश के भविष्य थे, देश की दुनिया की किसी भी ऊंचाइयों और कामयाबियों पर जा सकते थे। यह बात मैं समझता हूं कि 1978 में जो बीमारी गोरखपुर के पूर्वांचल से शुरू हुई, आज वह गोरखपुर से लेव्र न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि देश के 11 राज्यों में चली गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, आज पूरे देश में हजारों मौतें हो रही हैं। यह दुर्भाग्य है कि आज तक उस वायरस का कोई इलाज नहीं हुआ, प्रिवेंटिव के जो वेक्सीनेशन हैं, वह शत-प्रतिशत नहीं हो रहा है। हम कब सचेत होंगे, अगर हमारे घर के 603 बच्चों की एक मेडीकल कॉलेज में मौत हो जाए, बिहार में दो सौ मौतें हो गईं, असम में 295 मौतें हो गईं, वेस्ट बंगाल में तीन सौ मौतें हो गईं। ऐसे उस एक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम के बारे में बताया गया है और हर्षवर्धन जी का भी बयान हैं, [अनुवाद] "यह बीमारी आज भी एक रहस्य बनी हुई है और इसका वास्तविक कारण अब तक अज्ञात है।"[हिन्दी] अगर अन्नॉन रीज़न है तो मैं समझता हूं कि इस वॉयरस के वेक्टर बोर्न डिसीज़ के लिए कोई कंट्रोल प्रोग्राम हम करेंगे। जो बच्चे बच जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, एक तो गरीब की गरीबी का आभिशाप और वह बच्चा पूरी जिन्दगी के लिए बोझ बन जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इस बीमारी के इलाज के लिए कोई रिसर्च हो, दवाओं वा ईजाद हो। उन बच्चों को मौत के मुंह से बचाएं।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

स्पाइसजेट एयरलाइंस की उड़ानों का अचानक बंद हो जाना देशभर के हजारों यात्रियों के लिए भारी परेशानी का कारण बना है। जैसा कि विदित है, स्पाइसजेट एयरलाइंस सन टीवी समूह, अर्थात द मरन्स के स्वामित्व में है। सन टीवी इस संकटग्रस्त एयरलाइंस को बचाने के लिए कोई मदद देने को तैयार नहीं है।

तेल कंपनियों, आईओसी और बीपीसीएल, ने भी स्पाइसजेट को ईंधन देने से इनकार कर दिया है। इसके चलते स्पाइसजेट का हाल भी किंगफिशर एयरलाइंस जैसा होता दिखाई दे रहा है, जो अंततः बंद हो गई थी।

यात्रियों को अन्य एयरलाइनों की ओर रुख करना पड़ा, जिससे छुट्टियों के इस चरम मौसम में हवाई किराए आसमान छूने लगे हैं। बॉम्बे से दिल्ली की सामान्य टिकट दर ₹25,000 तक पहुँच गई है, और सरकार की ओर से किरायों को नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। मंगलवार को, स्पाइसजेट की कुल 239 दैनिक उड़ानों में से केवल 35 उड़ानें ही संचालित हो सकीं। देशभर में यात्रियों ने इस पर विरोध प्रदर्शन किए।

कल दिल्ली के टर्मिनल-1डी पर स्पाइसजेट के कर्मचारियों के साथ यात्रियों का विरोध स्पष्ट रूप से देखा गया क्योंकि उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि वह स्पाइसजेट के मामले में हस्तक्षेप करें और इस त्योहार के मौसम में हवाई यात्रा के किरायों पर भी नियंत्रण करें जो मनमाने ढंग से बढ़ाए जा रहे हैं।

§§§*श्री अधलराव पाटिल शिवजीराव (शिरूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे शून्यकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति दी। मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के संबंध में, महाराष्ट्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को 12 जुलाई 2013 को मराठी में तथा 16 नवम्बर 2013 को अंग्रेज़ी में प्रस्तुत की थी।

वर्तमान में तमिल, संस्कृत, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और उड़िया- ये छह भाषाएँ शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं। वस्तुतः मराठी भाषा भी शास्त्रीय भाषा के लिए निर्धारित सभी आवश्यक मानदंडों को पूर्ण रूप से पूरा करती है। प्राकृत भाषा का काल 600 से 700 ईस्वी के बीच माना जाता है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और सम्राट अशोक के समय में प्राकृत भाषा का व्यापक प्रचलन था। इसी काल में "प्राकृत प्रकाश" नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना हुई थी। उस समय महाराष्ट्र अपभ्रंश का प्रयोग होता था। श्रवणबेलगोला में स्थित एक शिलालेख पर उकेरी गई पंक्ति "श्री चामुंडा राये करवियले गंगराजे सुथले करविले" यह 983 ईस्वी की है और मराठी भाषा की 1000 वर्ष पुरानी विरासत का प्रमाण है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित नाणेघाट में एक 2200 वर्ष पुराना शिलालेख है, जिसमें "महारठ्ठिनो" शब्द अंकित है। सातवाहन युग के दौरान भी प्राकृत महाराष्ट्री भाषा का प्रचलन था और वह अत्यंत प्रमुख भाषा मानी जाती थी।

आज मराठी भाषा 72 देशों में बोली जाती है। दुनिया में जहाँ लगभग 20,000 भाषाएँ हैं, वहाँ मराठी दसवें स्थान पर है। मराठी भाषा बोलने वालों की संख्या 11.5 करोड़ है। "विनय पिटक" नामक ग्रंथ 2500 वर्ष पुराना है और मराठी का पहला काव्यग्रंथ 'गाथा सप्तशती' लगभग 2000 वर्ष पुराना है। यह सभी तथ्य मराठी भाषा की प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं। 27 फरवरी को मराठी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अतः, मेरी केंद्र सरकार से विनम्र मांग है कि 27 फरवरी 2015 से पूर्व मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाए। जय मराठी, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।

---

§§§ मूलतः मराठी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। मैं इस गरिमामयी सदन के माध्यम से हाल ही में घटित एक दुखद घटना की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। यह घटना ठाणे और मुलुंड के बीच ड्यूटी पर तैनात एक गैंगमैन की मृत्यु से संबंधित है। इस प्रकार की घटनाएँ आए दिन होती रहती हैं। इसका मुख्य कारण गैंगमैन की प्रत्येक यूनिट में स्टाफ की कमी है। एक गैंगमैन यूनिट में 11 कर्मचारियों का होना अनिवार्य है, लेकिन वर्तमान में केवल 5-6 गैंगमैन ही एक यूनिट में कार्य कर रहे हैं। कर्मचारियों की कमी और कार्यभार के अत्यधिक दबाव के कारण इस प्रकार की दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं। इन दुर्घटनाओं का एक अन्य कारण यह भी है कि बैनर फ्लैग प्रोटेक्शन नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि पहले यह नियम सख्ती से लागू किया जाता था। यह जिम्मेदारी इंजीनियरिंग विभाग की है, लेकिन आजकल इसका पालन नहीं किया जा रहा है।

इसी प्रकार, डेटोनेटर, जिसे कार्यस्थल से 45 मीटर की दूरी पर लगाया जाना चाहिए, उसे भी नहीं लगाया जा रहा है। अतः मैं रेल मंत्रालय से आग्रह करता हूँ कि गैंगमैन की सुरक्षा के लिए बज़ल सिस्टम और डेटोनेटर को अनिवार्य रूप से लगाया जाए, ताकि समय रहते उन्हें सूचित किया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके।

एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है ट्रैक रख-रखाव, जिसे गैंगमैन द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन अब यह कार्य ठेकेदारी प्रणाली के माध्यम से अप्रशिक्षित मजदूरों से कराया जा रहा है। इससे लाखों यात्रियों की जान खतरे में पड़ रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र में हाल ही में चार बार पटरी से डिब्बे उतरने की घटनाएँ हुई हैं। इसलिए मैं रेल मंत्रालय से आग्रह करता हूँ कि ट्रैक की मरम्मत का कार्य केवल प्रशिक्षित गैंगमैन से ही कराया जाए। रेल कामगार सेना ने भी इस मुद्दे को कई बार उठाया है।

अतः, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वे सभी ट्रैकों की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दें और यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता न किया जाए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। आप जानते हैं कि हमारे देश स हजारों लोग, चाहे मिडल ईस्ट की बात करें, चाहे यूरोप की बात करें, चाहे अमेरिका या कनाडा की बात करें, वहां मेहनत, मजदूरी के लिए और नौजवान पढ़ने के लिए जाते हैं। उसमें खासतौर से पंजाब के लोगों की बहुत ज्यादा तादाद होती है। लोग काम करने गए हों और परिवारों के बगैर गए हों, तो वहां पर किसी भी कारणवश चाहे उनकी डेथ किसी एक्सीडेंट में हो, चाहे किसी बीमारी के कारण हो या साधारण डेथ हो, जब उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद डेड बॉडी को अपने घर लाने के लिए बहुत दिक्कत का सामना उनकी फेमिली को करना पड़ता है। मिडल ईस्ट में खास तौर से चार-चार महीने डेड बॉडी को लाने में लग जाते हैं। ऐसे भी केस हैं जिसमें दो-दो साल लग गए। आप समझ सकते हैं, जिस परिवार में डेथ हुई हो, कितना बड़ा मातम उस परिवार में होगा और लगातार चार महीने उनको अपने परिवार के मेंबर की बॉडी लेने में लग जाए, तो इतना लम्बा टाइम किस तरीके से वह परिवार सहन कर पाता है।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है, एंबैसीज में खासतौर से कोई फंड रखा जाए, जिससे वे उनकी बॉडीज यहां वापस ला सकें। खासतौर से यहां पर भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में ऐसा ऑफिसर डेप्यूट किया जाए या कोई से ल बनाया जाए जो उनको परिवारों को यह बात बता सके कि कितने समय में उनकी बॉडी यहां पहुंचेगी। उन्हें माली मदद भी दी जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनको वहां चक्कर न लगाना पड़े।

[अनुवाद] **एडवोकेट शरदकुमार मारूति बनसोडे(सोलापुर)**: माननीय उपाध्यक्ष, मुझे यह महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा विषय मेरे सोलापुर संसदीय क्षेत्र में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित है।

राज्य सरकार ने इस पक्षी की रक्षा हेतु 1029 वर्ग किलोमीटर भूमि को आरक्षित करने का निर्णय लिया था। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम,

1972 की धारा 18 से 25 के अंतर्गत जांच करवाई और यह तय किया कि केवल 493 हेक्टेयर भूमि को ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए आरक्षित किया जाएगा। लेकिन आज तक पर्यावरण मंत्रालय ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। रोचक बात यह है कि पिछले कई वर्षों से किसी ने इस पक्षी को देखा तक नहीं है। निस्संदेह, इस पक्षी की रक्षा करना आवश्यक है, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान देना जरूरी है कि लाखों किसान और भू-स्वामी अपनी भूमि बेच या खरीद नहीं सकते; उद्योगपति नए उद्योग स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, और सरकार की विकास योजनाएँ भी बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं।

अतः, मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस समस्या का शीघ्र समाधान निकालने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

[हिन्दी]

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान "आशा बहुओं " की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में "आशा बहुऐं " 24 घन्टे काम करती हैं। वे घर-घर जाकर प्रेग्नैन्ट महिलाओं का टीकाकरण करती हैं, बच्चों को पोलियो का ड्रॉप भी पिलाती हैं, वे महिलाओं की सेवा करने के लिए हर समय तैयार रहती हैं। जब रात में महिलाओं की डिलीवरी की संभावना रहती है तो उन्हें फोन किया जाता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण इलाकों से किसी तरह वे प्रेग्नैन्ट महिलाओं को लेकर अस्पताल तक आती हैं। अस्पतालों में जो सी.ए.सी. और पी.ए.सी. हैं, वहां उनको ठहरने के लिए आवास नहीं बनाया गया है। जब वे वहां पर जाती हैं तो नर्सेज उनसे बदतमीजी करती हैं और डॉक्टर्स भी उनसे बदतमीजी करते हैं। उनको पैसा नहीं दिया जाता है। जच्चा को जो पैसा मिलता है, उसमें से भी नर्सें पैसा ले लेती हैं। वे कभी-कभी उन्हें बड़े अस्पतालों के लिए रेफर कर देते हैं। उनसे जिला अस्पतालों में भी बदतमीजी की जाती है। वहां पर "आशा बहुओं " और प्रेग्नैन्ट महिलाओं से मार-पीट तक की जाती है। उनकी स्थिति बहुत खराब है। "आशा बहुऐं " नर्सेज से भी ज्यादा काम करती हैं।

मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान "आशा बहुओं " की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं और मांग करता हूं कि "आशा बहुओं " को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। उनको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। "आशा बहुओं " का जितना भी बकाया है, वे सब दिए जाएं। टीकाकरण और पोलियो ड्रॉप का जो पैसा उनको नहीं मिला है, जो बकाया राशि है, वह पैसा भी उन्हें उपलब्ध कराया जाए। मैं आपके द्वारा सरकार से यह मांग करता हूं।

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी) : महोदय, मैं आपका ध्यान मण्डी संसदीय क्षेत्र में चल रही शानण जल विद्युत परियोजना की ओर दिलाना चाहता हूं। 3 मार्च, 1925 को ब्रिटिश सरकार व मण्डी के राजा श्री जोगेन्द्र सेन बहादुर के बीच जोगिन्दर नगर में 48 मेगावाट्स जल विद्युत परियोजना बनाने का एग्रीमेन्ट हुआ। वह परियोजना 10 मार्च 1933 को विद्युत उत्पादन करने लगी। वर्ष 1982 में, उसकी क्षमता 66 मेगावाट्स से बढ़ाकर उसकी 110 मेगावाट कर दी गई।

भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने आधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि जितने एग्रीमेन्ट ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजा-महाराजाओं के साथ किए हैं, वे रद्द माने जायेंगे लेकिन शानण परियोजना का एग्रीमेन्ट आज तक रद्द नहीं किया गया है। आज भी वह पूर्व की भांति पंजाब बिजली बोर्ड के अधीन 67 वर्षों से बिजली का दोहन कर रही है। हिमाचल प्रदेश को अंग्रेजों के समय में हुए 99 वर्ष के अनुबंध का हवाला देकर कब्जा कर बैठा है। वह वर्ष 2024 को अनुबंध की समयसीमा समाप्त होने का इंतजार कर रहा है।

उस परियोजना से 250 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष शुद्ध लाभ पंजाब सरकार को जाता है लेकिन पंजाब सरकार स्थानीय जनता के हित व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक पैसा भी खर्च नहीं कर रही है। शानण की पहाड़ियां में ट्रालियां चलती थी उन्हें बंद कर दी गई है। सड़क और पुल टूटे हैं, स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं।

81 वर्ष पुरानी शानण जल विद्युत परियोजना के टनलों में दरारें आ चुकी है, पहाड़ी धंस रही है जिसके कारण कभी भी वहां विस्फोट हो सकता है जिससे जोगिन्दर नगर शहर ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारी

जान-माल का नुकसान होगा। साथ ही साथ, इस पानी से हिमाचल बिजली बोर्ड द्वारा संचालित 66 मेगावाट बस्सी जल विद्युत परियोजना, निर्माणाधीन 100 मेगावाट उहल जल विद्युत परियोजना के विद्युत उत्पादन में भी रुकावट आएगी तथा करोड़ों का आर्थिक नुकसान होगा। भारत सरकार से मेरी प्रार्थना है कि शीघ्र ही जलविद्युत विशेषज्ञों की एक टीम शानण भेजी जाये जो इस परियोजना की जांच करे और ब्रिटिश सरकार के साथ हुए एग्रीमेन्ट को रद्द करने व शानण परियोजना को हिमाचल सरकार को सौंपने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): मुझे 'शून्य काल' के दौरान बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, जयकृष्ण महापात्र राजगुरु, जिनका जन्म 1739 में ओडिशा के पुरी ज़िले में हुआ था, उन्हें ब्रिटिशों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद के रूप में माना जाता है।

महोदय, वह न केवल एक रणनीतिकार थे, न केवल एक दूरदर्शी थे, बल्कि उन्होंने उस समय के ओडिशा की रियासतों के हर परिवार से पाइकों को संगठित कर गुरिल्ला युद्ध की एक मिसाल कायम की थी। ब्रिटिशों ने देखा कि जय राजगुरु उनके कुत्सित मंसूबों के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं।

महोदय, उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ा और उसमें विजय भी प्राप्त की। जब उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, तो न्यायालय ने कहा कि आपने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। उन्होंने साहसपूर्वक उत्तर दिया कि इसके लिए राजा जिम्मेदार नहीं हैं, यह कार्य मैंने किया है, और मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ।

जिस तरह से उन्हें मारा गया, वैसी अमानवीयता की कल्पना कोई समाज नहीं कर सकता। उनकी दोनों टांगों को 400 वर्ष पुराने वटवृक्ष की दो शाखाओं से बांधा गया और शाखाओं को छोड़ दिया गया, जिससे उनका शरीर पूरी तरह ऊर्ध्वाधर रूप से फट गया। यह ओडिशा के इस महानायक के साथ ब्रिटिशों की सबसे अमानवीय क्रूरता थी। इतिहास ने ऐसे महान वीर को भुला दिया है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मूल्यवान योगदान

दिया। अतः, मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे बालासोर संसदीय क्षेत्र के मिदनापुर स्थान को, जहाँ उन्हें शहीद किया गया था, राष्ट्रीय महत्व का ऐतिहासिक स्थल घोषित किया जाए, और वहाँ उचित बुनियादी ढाँचा विकसित किया जाए ताकि इस महान स्वतंत्रता सेनानी की यादगार बनाई जा सके।

श्री राधेश्याम बिश्वास (करीमगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे 'शून्य काल' में बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। सिलचर से गुवाहाटी के बीच एक सड़क, जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष तीव्र सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आती है, को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 627 के रूप में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। यह सड़क बराक घाटी, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अत्यंत आवश्यक है। असम सरकार ने लगभग ₹1600 करोड़ रुपये की परियोजना रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी है, ताकि इस बहुप्रतीक्षित दो लेन राजमार्ग का निर्माण कार्य आरंभ किया जा सके। हाल ही में असम विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री ने बताया कि असम सरकार द्वारा भेजी गई इस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अभी तक केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं मिली है। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस विषय में शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाएँ

[हिन्दी]

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र 19 महाराजगंज, गृह जिला सारण, बिहार के अंतर्गत श्यामचक से करींगा के मध्य एन.[हिन्दी] एच. 101 पर रेलवे क्रॉसिंग जो छपरा सीवान रेल खंड पर और छपरा से बनारस रेल खंड पर एवं ब्रह्मपुर से जलालपुर के बीच एन.एच. 85 पर रेलवे क्रॉसिंग के साथ-साथ राजेन्द्र सरोवर से जगदम महाविद्यालय के बीच रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर रेल उपरगामी पुल जनहित में बनाया जाना आति आवश्यक है। इस पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में छोटी, बड़ी, निजी और भारी मालवाहक गाड़ियों के साथ-साथ लोगों का भी आवागमन रहता है। कभी-कभी यह क्रॉसिंग घंटों बंद रहता है जिसके कारण आम लोगों को आने-जाने में कठिनाई होती ही है, रोगियों को रेलवे फाटक बंद रहने के कारण दम तोड़ना पड़ता है और परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित रहना पड़ता है। इस संदर्भ में सदन के माध्यम से मेरे

द्वारा पूर्व में भी सरकार से उपरोक्त स्थानों पर रेलवे क्रॉसिंग बनाने के लिए आग्रह किया गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई सार्थक कार्यवाही नहीं हुई है। अत: सरकार से मेरा पुन: निवेदन है कि उपरोक्त रेलवे क्रॉसिगों पर उपरगामी पुल का निर्माण कराए जाने के संबंध में जनहित में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपने क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने की अनुमति दी उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 जो दिल्ली से अहमदाबाद, भरूच होते हुए मुंबई तक जाती है। भरूच के पास नर्मदा नदी पर पूरा राष्ट्रमार्ग छह लेन का है, मगर नर्मदा नदी पर जो लंबा पुल है वह केवल दो ही लेन का है। इसकी वजह से बाटलनेक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 जो दिल्ली से लेकर मुंबई तक जाती है, यातायात की दृष्टि से अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा यातायात उस मार्ग से होता है। इस बाटलनेक की वजह से वहां घंटों ट्रैफिक अवरुद्ध हो जाता है। कई बार कई किलोमीटर तक लंबी वाहनों की कतार लगी होती है। पन्द्रहवीं लोक सभा में भी मैंने और मेरे अन्य साथियों ने इस मुद्दे को सदन में उठाया था। मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, उस समय की यूपीए सरकार ने 1 मई, 2012 को गुजरात चुनाव से ठीक पहले इस ब्रिज का पीपीपी मॉडल पर शिलान्यास किया था, मगर आज तक उस पर कोई कार्यवाही संपन्न नहीं हुई है। आज भी लोग परेशान हैं। गुजरात सरकार ने भी कई बार उसे ईपीसी मॉडल इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल पर इस ब्रिज के निर्माण के लिए कहा है। मैं आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि अगर इस ब्रिज का निर्माण हो जाता है तो इससे लोगों को बहुत सुविधा होगी, जो लंबी-लंबी लाइन होती है, यातायात में जो अवरोध होता है, उसे हम दूर कर सकेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: मेरे पास 'शून्यकाल' के दौरान बोलने के लिए सदस्यों की एक लंबी सूची है। मैं अधिकतम एक मिनट का समय प्रत्येक सदस्य को दूँगा। यदि कोई सदस्य समय सीमा से अधिक बोलते हैं, तो उनका

वक्तव्य स्वतः रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। अतः, मैं आप सभी से सहयोग करने का अनुरोध करता हूँ। अधिकतम एक मिनट, उससे अधिक नहीं।

श्री हुकुम सिंह, आप विषय का उल्लेख कर दीजिए, बस इतना ही पर्याप्त है।

[हिन्दी]

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : महोदय, मेरा विषय अवैध खनन का है, जो मेरे लोक सभा क्षेत्र में शुरू होने वाला है। अगर वह हुआ तो लाखों किसान परिवार बर्बाद हो जाएंगे। मैं केन्द्र सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उस अवैध खनन को तुरंत रोका जाए, किसानों को बर्बाद होने से बचाया जाए। यही मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

डॉ. जे जयवर्धन [चेन्नई दक्षिण]: माननीय उपाध्यक्ष, तमिलनाडु में भौगोलिक दृष्टि से सतही जल की बहुत ही कम उपलब्धता है और भूजल संसाधन भी तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं। इस मूलभूत समस्या को समझते हुए, जिससे भूजल स्तर को संरक्षित और बढ़ाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई, हमारी माननीय जननायिका, पूर्व मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा जी ने वर्षा जल संचयन के क्षेत्र में भारत में पहली बार एक अग्रणी कदम उठाया, जो आज हमारे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन गया है।

केवल चेन्नई शहर में ही, वर्ष 2017 तक अनुमानित पीने के पानी की माँग 1584 एम.एल.डी. है। वर्तमान में तमिलनाडु में दो 100 एम.एल.डी. क्षमता वाले समुद्री जल को पीने के जल में परिवर्तित करने वाले विलवणीकरण संयंत्र कार्यरत हैं। हमारी दूरदर्शी नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा जी ने भविष्य में माँग और आपूर्ति के भारी अंतर को ध्यान में रखते हुए, चेन्नई के निकट नेम्मेली में 150 एम.एल.डी. क्षमता वाला एक एसडब्ल्यूआरओ विलवणीकरण संयंत्र, जिसकी लागत ₹1371.86 करोड़ है, तथा पेरूर में 400 एम.एल.डी. क्षमता वाला दूसरा विलवणीकरण संयंत्र, जिसकी लागत ₹4070.67 करोड़ है, स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। इन दोनों प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी का

अनुरोध किया गया है, जो अब तक लंबित है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि इन योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक राशि तत्काल जारी की जाए।

*****श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल (भिवंडी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जय महाराष्ट्र। राष्ट्रीय राजमार्ग-3 मेरे निर्वाचन क्षेत्र भिवंडी से होकर गुजरता है। इस राजमार्ग का नवीनीकरण कार्य बी.ओ.टी. आधार पर गैमन इंडिया कंपनी को सौंपा गया है।

लेकिन इस सड़क के निर्माण में कई खामियाँ पाई गई हैं। इस एनएच पर अंडरपास और सर्विस रोड का प्रावधान नहीं किया गया है। यवई, टलौली, खडवली, आसनगाँव, वाशीन और वशाला जैसे स्थानों पर अंडरपास नहीं बनाए गए हैं। इस कारण अब तक इस मार्ग पर 220 से अधिक दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं, जिनमें 120 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

पिछले सप्ताह, आसनगाँव जंक्शन पर एक और गंभीर दुर्घटना हुई। मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया और सभी राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया। यह कोई पहली घटना नहीं है। इस मार्ग पर लगातार दुर्घटनाएँ हो रही हैं और कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

अतः मैं केंद्र सरकार से विनम्र आग्रह करता हूँ कि इस राजमार्ग पर जहाँ-जहाँ दुर्घटनाएँ बार-बार हो रही हैं, उन स्थलों पर अंडरपास का निर्माण अविलंब किया जाए और मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान की जाए। धन्यवाद।

*****मूलतः मराठी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री थोटा नरसिम्हम (काकीनाडा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गोदावरी पुष्करम नदी का एक पर्व है, जो हर बारह वर्षों में एक बार आता है। पिछला गोदावरी पुष्करम वर्ष 2003 में आयोजित किया गया था और अगला पुष्करम जुलाई 2015 से प्रारंभ होने जा रहा है। गोदावरी पुष्करम के दौरान देशभर से श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए आते हैं, यह मान्यता है कि इससे सारे पापों से मुक्ति मिलती है और वे अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भी अनुष्ठान करते हैं। पुष्करम के पहले 12 दिनों को आधि पुष्करम और अंतिम 12 दिनों को अंत्य पुष्करम कहा जाता है। ये 24 दिन श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर घाटों पर एकत्रित होते हैं। वर्ष 2003 में सिर्फ राजमुंद्री में ही दो करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे। आंध्र प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु व्यापक व्यवस्थाएँ करने की योजना बनाई है।

उपरोक्त के मद्देनजर, मैं केंद्र सरकार से, विशेष रूप से पर्यटन मंत्रालय से यह अनुरोध करता हूँ कि नदी गोदावरी के किनारे विभिन्न स्थानों पर पर्यटक सुविधाओं के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये की राशि तत्काल जारी की जाए, ताकि आगामी गोदावरी पुष्करम के लिए आवश्यक सुविधाएँ समय रहते उपलब्ध कराई जा सकें।

श्री एम.के. राघवन (कोझिकोड) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोझिकोड एक प्रमुख केंद्र है जूता निर्माण का, जहाँ लगभग 700 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार होता है और इस उद्योग में 10,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं।

फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान फुटवियर डिजाइन देश का प्रमुख संस्थान है जो फुटवियर डिजाइन के क्षेत्र में कार्य करता है। केरल सरकार ने प्रस्तावित चार नए संस्थानों में से एक को कोझिकोड में स्थापित करने का सुझाव दिया था, जिसे एफडीडीआई ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके लिए फरवरी 2013 में केरल सरकार ने आवश्यक 20 एकड़ भूमि भी उपलब्ध करा दी है। अब आवश्यकता है कि केंद्र सरकार इसकी स्थापना हेतु आवश्यक ₹100 करोड़ की राशि को वित्तीय वर्ष 2014-15 में ही मंजूर करे, ताकि इस संस्थान का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो सके।

श्री भीमराव बी. पाटिल (ज़हीराबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अगस्त सभा का ध्यान सांगारेड्डी-नांदेड़-अकोला सड़क को नया राष्ट्रीय राजमार्ग-163 घोषित करने और इसे चार लेन का बनाने की आवश्यकता के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूँ।

इस संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरे जहीराबाद संसदीय क्षेत्र, जिला मेड़क, तेलंगाना में संगारेड्डी से नांदेड़ और अकोला तक जाने वाली यह सड़क राज्य के पिछड़े क्षेत्रों से होकर गुजरती है और तेलंगाना तथा महाराष्ट्र को आपस में जोड़ती है। लेकिन इस क्षेत्र में आज तक कोई विशेष औद्योगिक विकास नहीं हुआ है।

इस संबंध में, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि तेलंगाना सरकार विशेष रूप से हैदराबाद शहर के आस-पास के जिलों के औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, क्योंकि हैदराबाद शहर में अब पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जो निवेशक अपने औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करना चाहते हैं, वे मेडक जिले की ओर आकर्षित होंगे यदि वहाँ चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस क्षेत्र में पर्याप्त भूमि और जल संसाधन उपलब्ध हैं जो उद्योगपतियों को आकर्षित करने में सहायक होंगे। इसलिए, यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग को एक नया चार लेन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-163 घोषित किया जाए ताकि एक ओर तो पिछड़े क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित किया जा सके और दूसरी ओर उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे स्थानीय स्तर पर व्यापक रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकें।

श्री पी.सी. मोहन (बैंगलोर केन्द्रीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कर्नाटक राज्य में स्कूल छोड़ने वाले या स्कूल में उपस्थित न रहने वाले बच्चों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। 2009 में जहाँ यह संख्या 1,08,000 थी, वहीं 2014 में यह बढ़कर 1,81,000 तक पहुँच गई है, जो कि अत्यंत चिंताजनक है। इस बढ़ती हुई संख्या के कारण कर्नाटक, जो पहले इस मामले में छठवें स्थान पर था, अब चौथे स्थान पर पहुँच गया है। इस मुद्दे को

लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने भी कर्नाटक सरकार की उपेक्षा और लापरवाही पर कड़ी नाराज़गी व्यक्त की है। साथ ही, सरकार द्वारा प्रस्तुत गलत आंकड़ों की भी आलोचना की गई है।

माननीय उपाध्यक्ष : आपको बिंदु पर आना चाहिए। कोई आरोप न लगाएं।

श्री पी. सी. मोहन : महोदय, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की बढ़ती समस्या के पीछे विशेषज्ञों द्वारा बताए गए प्रमुख कारण हैं- गरीबी, प्रवास और सरकार की उदासीनता। इस स्थिति में निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में मुफ्त पाठ्यपुस्तकों का समय पर वितरण और मिड-डे मील योजना का प्रभावी क्रियान्वयन कुछ हद तक इस संकट को कम कर सकता है। मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से आग्रह करता हूँ कि वे कर्नाटक राज्य के लिए पर्याप्त धनराशि की घोषणा करें तथा राज्य सरकार को निर्देश दें कि वह इन उपायों को गंभीरता और पारदर्शिता के साथ लागू करे।

श्री जी. हरि (अराकोन्नम): श्री उपाध्यक्ष, महोदय, तिरुक्कुरल एक ऐसा अद्वितीय ग्रंथ है जो न्याय और नीति के सिद्धांतों को अत्यंत गहराई से प्रस्तुत करता है। यह ग्रंथ सर्वधर्म समभाव और मानवीय मूल्यों का प्रचारक है, जो जाति, पंथ और धर्म की सीमाओं से परे जाकर सम्पूर्ण मानवता को मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह कालजयी रचना तमिल के महान दार्शनिक थिरुवल्लुवर द्वारा संगम युग के दौरान रचित की गई थी।

तिरुक्कुरल को दुनिया भर में सबसे अधिक अनूदित साहित्यिक कृतियों में से एक माना जाता है। इसे चीनी, अरबी और अनेक यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित किया गया है। इसके 1330 दोहों में आधुनिक भारतीय गणतंत्रात्मक राजनीति के अनुरूप अद्वितीय प्रासंगिक धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को प्रभावी ढंग से समाहित किया गया है।

इस ग्रंथ की विशिष्टता यह है कि यह किसी एक धर्म विशेष का नहीं, बल्कि समूची मानवता का नैतिक ग्रंथ है। इसलिए हमारी आदरणीय नेत्री, माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए तिरुक्कुरल को राष्ट्रीय साहित्य घोषित करने की मांग की थी। तमिलनाडु विधानसभा ने

भी सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया है कि भारत सरकार तिरुक्कुरल को हमारे राष्ट्र के गौरवशाली साहित्य के रूप में मान्यता दे।

प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस के रूप में हम उनके जन्मदिवस को श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। इस पावन अवसर पर मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह तिरुक्कुरल को राष्ट्रीय साहित्य का दर्जा देने की घोषणा करें, ताकि यह घोषणा विशेष रूप से पूरे विश्व में बसे तमिल समुदाय के लिए एक गौरवपूर्ण दिवस बन सके।

श्री आर. ध्रुवनारायण (चमराजनगर): श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ जो वन अधिकार अधिनियम के कमजोर किए जाने से संबंधित है। वन अधिकार अधिनियम, 2006, जिसे हमारी यूपीए सरकार द्वारा वर्ष 2008 में लागू किया गया था, वनवासियों को जंगलों पर अधिकार देता है – उन्हें वहाँ स्वामित्व, पहुँच और निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है।

इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह वन संसाधनों तक पहुँच को नियंत्रित कर सके और ऐसी किसी भी गतिविधि को रोक सके जो जंगलों को नुकसान पहुँचा सकती है। 31 मई तक, इस अधिनियम के अंतर्गत 14,12,712 व्यक्तिगत शीर्षक, 23,578 सामुदायिक शीर्षक, और 46.5 लाख एकड़ वन भूमि पर अधिकार वनवासियों को दिए जा चुके हैं।

हाल ही में कई समाचारों में यह बात सामने आई है कि केंद्र सरकार वन अधिकार अधिनियम को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। 28 अक्टूबर को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक पत्र भेजा, जिसमें ऐसा प्रावधान है जो वनवासियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और जिला प्रशासन को वन भूमि के अन्य उपयोग के लिए हस्तांतरण की शक्ति देता है।

मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे ऐसे किसी भी पत्र को तुरंत वापस लें, जो वनवासियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वन अधिकार अधिनियम को न तो कमजोर किया जाए और न

ही उसके मूल उद्देश्य से भटकाया जाए। विकास के नाम पर वनवासियों के हितों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आज बस्ती जनपद, उत्तर प्रदेश के बारे में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत पिछड़ा जिला है। बस्ती जनपद में आधिकतर किसान गन्ने की खेती पर निर्भर हैं। 1927 में नारंग शुगर मिल खुली थी जिसे 2005 में बजाज ग्रुप ने खरीद लिया था और सात-आठ सत्र चलाने के बाद बंद कर दिया। बस्ती के लाखों किसान शुगर मिल में गन्ना बेचते थे जिससे उनवी रोजी रोटी चलती थी। इससे उनको रोजगार मिलता था लेकिन अब वे घर बैठे हुए हैं। यहां साल भर से आंदोलन चल रहा है। मैंने स्वयं इस आंदोलन में भाग लिया है लेकिन यह शुगर मिल नहीं चल पा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि शुगर मिल शुरु करवाई जाए।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं भारत के लिए सबसे गंभीर चुनौती की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ड्रग्स, हेरोइन, अफीम के धंधे से पूरा देश तबाह है। देश के 12 प्रतिशत स्कूल के बच्चे तंबाकू से लेकर शराब का सेवन करते हैं और 90 प्रतिशत बूढ़े नशे से पीड़ित हैं। पंजाब विकसित प्रदेश हुआ करता था लेकिन आज नशे के कारण समाप्त हो रहा है। कुछ दिन पहले†††† डीएसपी, जिसने खिलाड़ी के रूप में प्रतिनिधित्व किया था, कनाडा और दूसरे देशों में जाकर, वहां के राजनाज्ञों के साथ मिलकर, गलत धंधा किया। जब ईडी ने बुलाया और पूछा तो उसने कई राजनीतिज्ञों के नाम का खुलासा किया कि ये संलिप्त हैं। कई पदाधिकारियों के नाम संलिप्त बताए हैं। ...(व्यधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : किसी भी व्यक्ति का नाम रिकॉर्ड पर नहीं जा सकता है।

†††† कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन : पूरा पंजाब नशे के कारण चौपट हो चुका है। हर गांव में, हर पंचायत में हर महीने दो-चार लाशें निकलती हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे देश को नशामुक्त करने की बात कही है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यदि वे देश को नशामुक्त करना चाहते हैं तो गुजरात की तरह पूरे देश में तम्बाकू और शराब पर प्रतिबंध लगाएं और देश के भविष्य को बचाएं।

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय से जुड़ी एक वैज्ञानिक संस्था है, जिसका काम है आधुनिक विज्ञान से संबंधित अनुसंधान करके रक्षा सेवाओं को सुदृढ़ करना है। परन्तु पिछले दिनों में डीआरडीओ ने एक ऐसा कारनामा किया है, जिससे सारा देश स्तब्ध है। उसने मानवीय और आर्थिक संसाधनों पाँच करोड़ रुपए की लागत से एक रथ बनाकर आनन्दी मंदिर को भेंट किया, जो नहीं किया जा सकता था। जिस वैज्ञानिक ने इसके खिलाफ आवाज उठायी और व्हिसिलब्लोअर का काम किया, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। उसके अंडर जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे, वे उससे छीन लिये गये। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया तो डीआरडीओ के चीफ, डिफेन्स स्क्रेट्री और सेन्ट्रल विजिलेंस कमीशन को यह आदेश दिया गया कि इसे 17 तारीख तक फाईल करें। डीआरडीओ ने जो धर्म की नीति चलायी है, जो धर्म दीक्षा है, उसका आधिकार डीआरडीओ को किसाने दी है और किसने उसे एक धार्मिक अनुष्ठान करने का आदेश दिया है। यह मैं सरकार से जानना चाहता हूँ।

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि आज देश में शेरों की कुछ संख्या है, वह गुजरात के दक्षिणी सौराष्ट्र के सासनगीर में है। वहाँ पाँच सौ से ज्यादा शेरों की बसावट है। इस अभ्यारण्य का एरिया करीब 1412 किलोमीटर का है। उस एरिया से छह राजमार्ग और छोटी-छोटी सड़कें निकलती हैं। उन शेरों के संरक्षण के लिए गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, जो करीब छह सौ करोड़ के करीब था। 276 किलोमीटर का जो रिंग रोड है, उसके लिए तुरंत केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव पास करना चाहिए ताकि हमारे देश में शेरों की रक्षा हो और उसका संरक्षण हो सके। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहूंगा कि गुजरात के उस अभ्यारण्य को बचाया जाए।

[अनुवाद]

श्री आर. के. भारती मोहन (मईलादुथुराई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी माननीय नेता डॉ. पु पुरात्ची थलाइवी अम्मा के कुशल नेतृत्व में गरीबी को इस देश से पूरी तरह समाप्त करना चाहिए और हर व्यक्ति तक हर सुविधा पहुँचनी चाहिए।

मैं केंद्र सरकार से तमिलनाडु के मईलादुथुराई संसदीय क्षेत्र के कुंभकोणम शहर में एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित करने का आग्रह करता हूँ। कुंभकोणम् में पहले से ही दूरदर्शन का एक रिले स्टेशन मौजूद है। हम उसी ट्रांसमिटर और भवन का उपयोग करके एफएम स्टेशन स्थापित कर सकते हैं। चूंकि इसे स्थापित करने की भवन और भूमि पहले से उपलब्ध हैं, इसलिए इस पर अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। कुंभकोणम के आसपास बहुत से गाँव हैं और वहां के मुख्य व्यवसाय कृषि और मत्स्य पालन हैं। ऐसे में एफएम रेडियो स्टेशन ग्रामीणों के लिए जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन का सशक्त माध्यम बन सकता है। अतः मैं केंद्र सरकार से सादर आग्रह करता हूँ कि कुंभकोणम में यथाशीघ्र एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित किया जाए, जिससे वहां के समाज के हर वर्ग को लाभ मिल सके। धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : उपाध्यक्ष महोदय, परम्परा से बहादुर और इतिहास से अमर शहीद बाबा शामल के ज़माने से बागी और वर्तमान में तरूण बेदुरगा का क्षेत्र बागपत, मेरा संसदीय क्षेत्र है। चालीस-पचास साल पहले यह देश का नहीं, पर कम से कम उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा क्षेत्र था और आज सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जब बहादुर लोगों के गले में बेरोजगारी पड़ जाती है तो उससे बहुत ही हिंसक और वायलेंट क्राइम्स जन्म लेते हैं। उससे न केवल बड़े शहर, बल्कि पूरा क्षेत्र प्रभावित होता है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि बागपत क्षेत्र में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट स्थापित किया जाए जिससे बेरोजगार युवकों को ट्रेनिंग मिले और उनको रोजगार मिल सके।

[अनुवाद]

श्री अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तत्कालीन उप-राजदूत श्रीमती देवयानी खोबरागड़े को न्यूयॉर्क में झूठे आरोपों के तहत गिरफ़्तार किया गया था। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा उनके साथ अत्यंत अपमानजनक व्यवहार किया गया, यहाँ तक कि उनके साथ नशीले पदार्थों के तस्करों की तरह तलाशी की गई। हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी अधिकारियों का यह रवैया नया नहीं है। पहले भी हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व रक्षामंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस, और यहाँ तक कि वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ भी अमेरिका में ठीक से व्यवहार नहीं किया गया था।

हालांकि विदेश मंत्रालय ने एक सराहनीय कार्य करते हुए, श्रीमती देवयानी खोबरागड़े को सुरक्षित भारत पहुंचाया हैं, लेकिन आज भी अमेरिका में उनके विरुद्ध आपराधिक मामले और गिरफ्तारी वारंट बरकरार हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामले को अमेरिका के समक्ष सशक्त रूप से उठाए और यह सुनिश्चित करे कि श्रीमती देवयानी खोबरागड़े के खिलाफ दर्ज आपराधिक आरोपों को वापस लिया जाए और उन्हें पूरी तरह से दोषमुक्त घोषित किया जाए।

[हिन्दी] श्री पी.पी चौहान (पंचमहल): महोदय, मैं आपके माध्यम से बीएसएनएल टावर संबंधी एक मामला उठाना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र पंचमहल जिले की गोधरा तालुका में बीएसएनएल टावर पूरी तरह से बंद

अवस्था में है। मेरे घर का टेलीफोन बंद है। जब मैं अपने संसदीय क्षेत्र में जाता हूं तो नेटवर्क कमजोर होने के कारण मेरा मोबाइल फोन काम नहीं करता है। लाइन ठप पड़ी रहती है, मेरे घर का फोन बंद पड़ा रहता है। आधिकारियों से बात करने पर वे मैटेरियल के अभाव को कारण बताते हैं। राज्य सरकार ने जिलेवार टावर्स की कमी का सर्वे कराकर केन्द्र सरकार को भेजा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र में टावर की यह जो समस्या है, उसके लिए अपने आधिकारियों की टीम भेजकर सर्वे कराएं और उक्त समस्या के बारे में पेंडिंग प्रपोजल को जल्द से जल्द कायारन्वित किया जाए।

[अनुवाद]

‡‡‡‡*श्री आर. पार्थिपन (थेनी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय। वणक्कम। तमिलनाडु में, जल्लीकट्टू (बुल टेमिंग खेल) - वीरता का प्रतीक, प्राचीन काल से और तमिल भाषा की उत्पत्ति के समय से आयोजित किया जाता रहा है। वर्ष 2013 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, माननीय अम्मा (पूर्व मुख्यमंत्री) द्वारा इस आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। इस वर्ष माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। मेरा संसदीय क्षेत्र थेनी के आलंगनल्लूर में यह खेल विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए विख्यात रहा है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में अब तक जल्लीकट्टू का आयोजन किया था जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए थे। अतः मैं इस सम्माननीय सदन से यह अनुरोध करता हूँ कि एक विशेष कानून पारित किया जाए, जिससे यह वीरता का प्रतीक जल्लीकट्टू खेल नियमित रूप से तमिलनाडु में आयोजित किया जा सके। धन्यवाद।

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, मुंबई में तटीय सड़क के निर्माण, पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

जैसा कि सभी को ज्ञात है, मुंबई एक सुंदर तटीय रेखा वाला महानगर है, और इस तटरेखा पर शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या का बड़ा हिस्सा निवास करता है। अरब सागर के किनारे एक आधुनिक कोस्टल रोड का निर्माण अत्यंत आवश्यक है।

महोदय, इस संदर्भ में, मैं माननीय सदन का ध्यान मुंबई में प्रस्तावित तटीय सड़क परियोजना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने 36 किलोमीटर लंबी तटीय सड़क के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस तटीय सड़क के निर्माण में लगभग 9.8 किलोमीटर समुद्र में भराव द्वारा और 8 किलोमीटर मार्ग मैंग्रोव क्षेत्र में प्रस्तावित है। लेकिन, तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2011 के अंतर्गत समुद्र

‡‡‡‡* मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

में भराव द्वारा कोस्टल रोड के निर्माण की अनुमति नहीं है। इस संबंध में, एमसीजेडएमए ने 11 जून, 2013 को पर्यावरण और वन मंत्रालय को एक विचारात्मक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि सीआरजेड अधिसूचना, 2011 में संशोधन कर समुद्र में भराव द्वारा तटीय सड़क निर्माण की अनुमति दी जाए। यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव अभी तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास लंबित है। अतः, मैं माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस प्रस्ताव को शीघ्र अनुमोदन प्रदान किया जाए और सीआरजेड अधिसूचना, 2011 में उपयुक्त संशोधन किया जाए, ताकि मुंबई में इस अत्यंत आवश्यक तटीय सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सके।

<u>सायं 7.00 बजे</u>

§§§§*__कुमारी शोभा खरंदलाजे (उडुपी चिक्कमगलूर):__** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै कन्नड़ भाषा में बोलना चाहती हूँ। महोदय, मैं कर्नाटक राज्य में बढ़ती हुई बलात्कार की घटनाओं के बारे में केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। पिछले 8 से 10 महीनों में कर्नाटक में बलात्कार और यौन उत्पीड़न की घटनाएँ लगातार हो रही हैं। यह घटनाएँ पूरे देश में हो रही हैं, लेकिन विशेष रूप से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से स्कूल की छात्रों और छोटे बच्चों के साथ हुई क्रूर और अमानवीय घटनाओं ने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कर्नाटक के शिवमोगा जिले में थिरथल्ली की एक स्कूल छात्रा नंदिता के साथ यौन उत्पीड़न और उसकी मौत की हालिया घटना से यह मामला पूरे राज्य में प्रमुख विषय बन गया है। नंदिता को 3 लड़कों ने थिरथल्ली से अगवा किया और उसे पास की पहाड़ी क्षेत्र पर ले गए। उसे पानी में मिश्रित जहर पीने के लिए मजबूर किया गया और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया। किसी तरह वह भागने में सफल रही और उसने पास ही के एक घर में शरण ले लिया। इसके बाद उसे उल्टी होने लगी। उसे थिरथली के एक अस्पताल में ले जाया गया और फिर उसे शिवमोगा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

---

§§§§* मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

वहां से उसे मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने अपनी आखिरी सांस ली। मौत से पहले उसने अस्पताल के डॉक्टरों को बताया कि उसे जहर का सेवन करने पर मजबूर किया गया था। इस अमानवीय घटना की निंदा करने और राज्य सरकार से दोषियों को दंडित करने का आग्रह करने के लिए राज्य भर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। दुर्भाग्य से मामले को 'बंद' करने की कोशिश की जा रही है। राज्य प्रशासन ने इस मामले में एक नया मोड़ देते हुए कहा कि उस लड़की ने आत्महत्या की है। नंदिता के पिता और अन्य परिवार के सदस्यों पर भी शारीरिक हमला किया गया, और पीड़िता के पिता की किराना दुकान को भी कुछ बदमाशों ने आग लगा दी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि नंदिता की निर्मम मौत से संबंधित मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पीड़िता और उसके परिवार को निष्पक्ष जांच के माध्यम से न्याय मिलना चाहिए। ताकि इस अमानवीय यौन अपराध और मौत की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आए। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूँ कि इस मामले को तुरंत सीबीआई को सौंप दिया जाए।

धन्यवाद।

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन (वडकारा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं इस सभागृह के समक्ष एक महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो केरल और अन्य जगहों के दस लाख से अधिक रबर उत्पादकों की दुर्दशा से संबंधित है। प्राकृतिक रबर की कीमत में तेज गिरावट के कारण रबर उत्पादक गहरी संकट में हैं, जो सरकार द्वारा रबर के अनियंत्रित आयात की अनुमति देने के फैसले के बाद उत्पन्न हुआ है।

जैसा कि आप जानते हैं, देशभर के अधिकांश रबर उत्पादक छोटे और सीमांत किसान हैं। वर्तमान संकट उनके लिए जीवन-मरण का प्रश्न बन गया है। वे इस स्थिति में अपनी जीविका कैसे चलाएँगे, यह वे समझ नहीं पा रहे हैं। केंद्र सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। केरल के सांसदों ने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर इस मामले को सरकार के समक्ष रखा है। हमने संसद के समक्ष प्रदर्शन भी किया, पर हमारी सभी कोशिशें

व्यर्थ रही हैं। केरल के माननीय मुख्यमंत्री श्री ओमान चांडी और अन्य राजनीतिक नेता इस मुद्दे को सरकार के समक्ष रखने के लिए दिल्ली आ रहे हैं।

ऐसे में मेरा सम्मानपूर्वक निवेदन है कि सरकार रबर के आयात पर अपना स्पष्ट राय रखे। मैं यह भी अनुरोध करता हूँ कि सरकार अनियंत्रित रबर आयात पर रोक लगाए ताकि उत्पादकों को न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

श्री एस.आर विजय कुमार (चेन्नई केन्द्रीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी के प्रशासन की जांच के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए। 30 जुलाई 2014 को मैंने लोक सभा में नियम 377 के अधीन इस विषय पर अपना निवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर माननीय वित्त मंत्री ने लिखा कि छात्रों को जब शैक्षिक ऋण लेने पर ब्याज सब्सिडी का पात्रता मिलती है, तो बैंकों को ब्याज की मांग नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बैंकों को दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें अनेक शिकायतें मिलती हैं कि बैंकों द्वारा छात्रों को ऋण लेने पर लगने वाले ब्याज पर सब्सिडी मिलने के बावजूद ब्याज चुकाने के लिए बाध्य किया जाता है। गरीब छात्र बैंक ब्याज चुकाने के लिए हर संभव स्रोत से उधार लेने को मजबूर हो जाते हैं। बैंक केवल एक बहुत ही छोटी राशि को ही ब्याज सब्सिडी के रूप में पात्र मानते हैं। इससे इस योजना का मूल उद्देश्य ही प्रभावित होता है, जो गरीब छात्रों को आसान पुनर्भुगतान के साथ शैक्षिक ऋण उपलब्ध कराना है। हमें यह भी सूचनाएं मिली हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शैक्षिक ऋणों को चार-पाँच महीने की मोहलत मिलने वाली अवधि के बाद भी एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर लोक अदालत भेज देता है, यह प्रक्रिया युवा छात्रों को मानसिक रूप से अत्यधिक पीड़ा पहुंचा रही है। शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी लागू करने में भारी अव्यवस्था व्याप्त है। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले की जांच के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की समिति गठित करें। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री राम टहल चौधरी - उपस्थित नहीं

श्री प्रहलाद पटेल - उपस्थित नहीं

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे (नासिक): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता पूरे भारत में कुल 62 छावनी क्षेत्र हैं। मेरी नासिक संसदीय क्षेत्र में देवलाली छावनी स्थित है, जिसकी जनसंख्या लगभग 50,000 है। छावनी सीमा के भीतर रहने वाले नागरिक सभी प्रकार के सरकारी करों का भुगतान करते हैं। नौकरीपेशा लोग और व्यवसायी आयकर, सेवा कर एवं अन्य करों का भुगतान करते हैं। किंतु, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाओं की पूर्ति के लिए न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार की कोई योजना लागू की जाती है। अन्य सभी स्थानीय निकायों, जैसे ग्राम पंचायत और नगर निगमों को राज्य एवं केंद्र सरकारों द्वारा विकास हेतु योजनाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन छावनी सीमा के नागरिक इनसे वंचित हैं। इसके अतिरिक्त, छावनी क्षेत्र में नागरिकों को पट्टे की जमीन को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने तथा ओल्ड ग्रांट भूमि को फ्री होल्ड भूमि में बदलने जैसे मुद्दों का भी वर्षों से सामना करना पड़ रहा है। यह नीति संबंधी निर्णय वर्ष 2012 से रक्षा मंत्रालय में लंबित है।

छावनी क्षेत्र की सीमा के भीतर नागरिक क्षेत्रों में एफ.एस.आई. 1.0 है, जबकि नागरिक क्षेत्र के बाहर यह केवल 0.5 है। यदि एफ.एस.आई. 0.5 रहेगी, तो भूमि की लागत दुगुनी हो जाती है और निर्माण लागत में भी अतिरिक्त भार आता है। ऐसे में आम आदमी के लिए मकान लेना संभव नहीं हो पाता।

माननीय उपाध्यक्ष, आपके माध्यम से मैं रक्षा मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि छावनी क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु ऐसी योजनाएं लागू की जाएँ जैसी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा अन्य स्थानीय निकायों को दी जाती हैं। साथ ही, मैं यह भी निवेदन करता हूँ कि जो भूमि नागरिक क्षेत्र के बाहर है, उसके लिए एफ.एस.आई. को 0.5 से बढ़ाकर 1.0 किया जाए, ताकि आम जनता के लिए आवास सुलभ हो सके।

संपूर्ण भारत में सभी छावनी संहिता पट्टे, पट्टे की ज़मीन और पुराने अनुदान भूमि के मामलों का शीघ्र समाधान किया जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री एस. पी. मुदाहनुमेगौड़ा (तुमकुर): महोदय, आजकल देशभर में जंगली जानवर जैसे हाथी, चीता, बाघ आदि जंगलों से बाहर आकर गाँवों की ओर बढ़ रहे हैं और इससे लोगों की संपत्ति और जान-माल को भारी नुकसान हो रहा है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो वह मूलतः एक शुष्क क्षेत्र है। वहाँ एक दर्जन से अधिक हाथी आकर डेरा डाले हुए हैं। कुछ चीतों ने चार से पाँच निर्दोष ग्रामीणों को गंभीर रूप से घायल किया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मुदुकिरी तालुक में एक घटना की वीडियो रिकॉर्ड हुई है जिसमें एक जंगली भालू एक व्यक्ति को मारकर खा रहा है। इस तरह की घटनाओं का मुख्य कारण वनों की अंधाधुंध कटाई है।

अतः मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि इन जंगली जानवरों को जंगलों में ही बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए जाएँ और साथ ही जो लोग इन हमलों में घायल हुए हैं अथवा जिनके परिजनों की मृत्यु हुई है, उन्हें सरकार की ओर से अधिक मुआवजा दिया जाए।

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर): महोदय महोदय, मुझे यह अवसर मिला है जबकि माननीय मंत्री श्री अनंत गीते सदन में उपस्थित हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हैदराबाद में सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक प्रतिष्ठित इकाइयाँ स्थापित की गईं, जैसे एचएमटी, एचएमटी केबल्स, मिधानी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएचईएल, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और एचएमटी बेयरिंग्स। इन संस्थानों ने वर्षों तक देश की सेवा की है। लेकिन हाल के वर्षों में कुछ इकाइयाँ ठीक से कार्य नहीं कर पा रही हैं। विशेष रूप से एचएमटी और एचएमटी बेयरिंग्स को लेकर चर्चा है कि उन्हें बंद किया जा सकता है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस विषय को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए ताकि हैदराबाद, जो अब तेलंगाना राज्य की राजधानी है, पुनः औद्योगिक दृष्टि से फल-फूल सके। इन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को संरक्षित किया जाना चाहिए।

एच.सी.एल. एक ऐसी कंपनी है जिसे आयुध निर्माणी द्वारा अधिग्रहित किया जाना है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए।

[हिन्दी] **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत सीसीएल और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत जो आउटसोर्सिंग का वर्क चल रहा है, उसमें नियम कानून को ताक पर रख कर माइनिंग एक्ट को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है और न ही लोगों को मुआवजा मिला है। जिन लोगों की जमीन ली गई है, उन्हें नौकरी भी नहीं मिली है। इसके साथ-साथ बहुत हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे कि गरीब लोगों के घर गिर रहे हैं। सीसीएल और बीसीसीएल में जो आउटसोर्सिंग का काम चल रहा है, खास कर हमारे क्षेत्र में बीएनके कठारा में, ढोड़ी क्षेत्र में और बीसीसीएल का ब्लाक-1 से लेकर एरिया-6 तक में, यहां लोगों को काफी कष्ट हो रहा है। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि इस बारे में जांच बिठाई जाए, ताकि वहां के लोगों को इसका लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

******श्री पी. आर. सुन्दरम (नामाक्कल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय। *वणक्कम। "केदिल विझूच सेल्वम कल्वी ओरुवरकु मडल्ला मातरई यवई।* "विद्या एक अविश्वसनीय संपत्ति है, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता; मनुष्य के लिए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है।" — यह संत तिरुवल्लुवर द्वारा रचित महान ग्रंथ 'तिरुक्कुरल' की अमूल्य वाणी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तिरुक्कुरल है। मुझे विश्वास है कि आप इस महान साहित्यिक कृति के बारे में भली-भांति जानते हैं। यह ग्रंथ कुल 133 अध्यायों में विभाजित 1330 युगलों (कपल्स) में रचा गया है और तीन प्रमुख भागों में विभाजित है — धर्म (नीति), अर्थ (समृद्धि), और काम (प्रेम)। इस ग्रंथ के 42,194 शब्दों में सम्पूर्ण विश्व का सार और उच्चतम ज्ञान समाहित है। तिरुक्कुरल को विश्व की अनेक भाषाओं में अनूदित किया गया है। इस महान ग्रंथ के महत्व को भलीभांति समझते हुए, जननायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीया पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने दिनांक 16.09.2004 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था कि तिरुक्कुरल को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। इसके समर्थन में तमिलनाडु विधानसभा में दिनांक 13.04.2005 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। यदि तिरुक्कुरल को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाता है, तो यह देश के लिए गर्व की बात होगी। यह महान ग्रंथ जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा आदि सभी सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता को और सशक्त करेगा। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि संत तिरुवल्लुवर द्वारा रचित इस सार्वभौमिक साहित्यिक धरोहर 'तिरुक्कुरल' को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, जैसा कि जननायक पूर्व मुख्यमंत्री माननीया पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने भी मांग की थी। साथ ही, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करता हूं कि वे इस उद्देश्य को प्राप्त करने में अपना सहयोग प्रदान करें।

******. * मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : माननीय उपाध्यक्ष जी. एक आति संवेदनशील मुद्दा सदन में उठाने की अनुमति आपने मुझे दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दिनांक 16-12-2014 को प्रकाशित 'हिन्दी दैनिक' समाचार पत्र बिहार में प्रकाशित हुआ था। बिहार सरकार के खुफिया विभाग के हवाले से छपी खबर में खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि सीवान जेल में बंद पूर्व सांसद द्वारा अपने समर्थकों के बीच गुप्त रूप से 23 व्यक्तियों की सूची जारी की गई जिनकी हत्या करनी है। सूची के अनुसार सीवान में तेजाब कांड के चश्मदीद गवाह राजीव रोशन और मेरे प्रैस प्रवक्ता श्रीकांत भारती की हत्या कर दी गई है। सीवान की स्थिति बहुत ही दयनीय है। कभी भी मेरी भी हत्या की जा सकती है। मेरे पचास से आधिक समर्थकों की हत्या पूर्व सांसद के गुंडों द्वारा की गई। आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि पूर्व सांसद जो सीवान जेल में बंद हैं, उनको भागलपुर केन्द्रीय कारागार में भेजा जाए और पूर्व में जो हमारे प्रैस प्रवक्ता की हत्या की गई है, उसकी जांच सी.बी.आई. से कराई जाए, ऐसा मेरा सरकार से अनुरोध है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय: यह राज्य का विषय है। इस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती है।

श्री बलभद्र माझी - उपस्थित नहीं।

श्री अश्विनी कुमार चौबे को श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री आश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, बिहार के गोपालगंज जिले के अन्तर्गत बैकुण्ठपुर थाना-क्षेत्र के चमनपुरा गांव के महाभारत कालीन प्राचीन मंदिर से चोरी हुई दुर्लभ नीलम पत्थर से निर्मित भगवान विष्णु की पुरातन चतुर्भुजी मूर्ति जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये से

ज्यादा की है, उक्त मूर्ति के दर्शन-पूजन हेतु करोड़ों श्रद्धालु भक्तिभाव से तीर्थाटन हेतु दूर-दूर से आते हैं। इससे तीर्थाटन-पर्यटन पर भी कुप्रभाव पड़ रहा है।

देश के कई राज्यों में बहुमूल्य मूर्ति की चोरी की कई घटनाएं विगत वर्षों से सुर्खियों में हो रही हैं जिसमें एक साजिश के तहत राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह काफी सक्रिय है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इन कीमती मूर्तियों को बेचा जाता है।

उक्त काण्ड संख्या 209/11 (बैकुण्ठपुर थाना) के अनुसंधान को स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से वहां के शासन-प्रशासन के दबाव में आकर डी.एस.पी. के दूरभाष आदेश पर थाना द्वारा अनुसंधान को बंद कर दिया गया है। इससे सम्पूर्ण क्षेत्र में तनाव एवं जनाक्रोष व्याप्त है। राज्य सरकार ऐसे मामलों में पूर्णतः: निष्क्रिय एवं विफल रही है।

अतएव जनभावनाओं को देखते हुए केन्द्र सरकार से उपरोक्त कांड की उच्चस्तरीय जांच सीबीआई से कराने का आग्रह करता हूं जिससे उल्लेखित विशिष्ट मूर्ति जो एक राष्ट्रीय धरोहर है, की बरामदगी हो सके एवं सफेदपोश लोगों का मुखौटा सामने आ सके।

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उन सामान्य वर्गों के लोगों की दुविधा की ओर दिलाना चाहता हूँ जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

केरल में नायर सेवा समाज जैसी सदी पुरानी सामाजिक सेवा संस्थाएं और अन्य समान संगठनों द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की मांग की जा रही है। इन वर्गों के गरीब लोगों की कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्रदान किए जाएं।

समस्या के समाधान के लिए, यूपीए सरकार ने न्यायमूर्ति सिंघु की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, जिसने सामान्य वर्गों की समस्याओं का अध्ययन किया है, और अब उस आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि न्यायमूर्ति सिंघु आयोग की सिफारिशों पर जल्द से जल्द विचार किया जाए और उन्हें लागू किया जाए।

साथ ही, मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूँ कि केरल सरकार द्वारा स्थापित सामान्य वर्ग विकास निगम की तर्ज पर एक राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य वर्ग विकास निगम स्थापित किया जाए। … (*व्यवधान*)

इस निगम के माध्यम से कई विकासात्मक योजनाएं जैसे शिक्षा छात्रवृत्ति, अधिछात्रवृत्ति, शैक्षिक ऋण ,व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वरोजगार कार्यक्रम, विवाह सहायता, अनुदान आदि लागू किए जा सकते हैं। यह आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगा।

श्री वी. एलुमलाई (अरानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी का ध्यान तिंदिवनम से नागरी तक नई रेलवे लाइन के निर्माण के शीघ्र कार्यान्वयन की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह लाइन लगभग 180 किलोमीटर लंबी होगी और वंदावसी, चेय्यार, अरनी, अर्कोट, रानीपेट, पल्लिपट्टु को जोड़ती है। इस परियोजना की घोषणा 2006-07 में की गई थी, जिसमें कहा गया था कि तिंदिवनम, वंदावसी, अरनी, चेय्यार, अर्कोट को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा, लेकिन कई वर्षों बीत जाने के बावजूद इस परियोजना में बहुत धीमी प्रगति देखने को मिल रही है।

तिरुचिरापल्ली में दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा आयोजित एक बैठक में, जिसमें कुछ सांसद भी उपस्थित थे, मैंने तिंदिवनम से नागरी और तिंदिवनम से तिरुवन्नमलाई तक की नई रेलवे लाइन की प्रगति के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि इसे पूरा होने में लगभग 80 वर्ष लगेंगे।

इसलिए मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण परियोजना पर विशेष ध्यान दें, पर्याप्त धन आबंटित करें और इसे जल्द से जल्द पूरा करें। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र का एक गंभीर विषय जीरो ऑवर में सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। महाराष्ट्र में सूखा और आतिवृष्टि के कारण किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, जिसके कारण किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याएं भी बड़े पैमाने पर चालू हैं। केन्द्रीय समिति वहां जाकर इन सबका जायजा लेकर आई है। आज ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से सूचना मांगी है कि किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं को रोकने के लिए सरकार के माध्यम से क्या हो रहा है? जो थोड़ा बहुत अनाज किसानों ने निकाला है, वह अनाज भी कम दामों में बिक रहा है। किसान का धान पांच सौ रुपये कम दाम में बिक रहा है।

मेरी सरकार से मांग है कि समर्थन मूल्य पांच हजार रुपये क्विंटल करना चाहिए, लेकिन जो सूखा महाराष्ट्र में पड़ा है, जिसके कारण किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उसके लिए तुरंत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रीय आपदा घोषित करके वहां के किसानों की मदद करनी चाहिए। यह मांग मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से करता हूं।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): उपाध्यक्ष महोदय, बजट 2014 में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश के विभिन्न शहरों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैन्ट खोलने का प्रस्ताव किया था, जिसमें महाराष्ट्र का भी नाम शामिल हैं।

महोदय, पूरे देश में पुणे शहर को एजूकेशन हब के नाम से जाना जाता है। वैसे पूना-पिंपरी चिंचवड शहर एक ही माना जाता है। यह शहर महाराष्ट्र राज्य के पुणे महानगर क्षेत्र में से एक है। जो कि पुणे के ट्विन सिटी के रूप में माना जाता है। पिंपरी-चिंचवड में विभिन्न आटोमोबाइल कंपनियों, औद्योगिक कंपनियों के अतिरिक्त सभी जानी मानी आई.टी. कंपनियां भी हैं। पिंपरी-चिंचवड एशिया के मेजर इंडस्ट्रियल हब में से एक है। जबकि इसी एरिया में 200 एकड़ में इंडस्ट्रियल कन्वेंशन सैंटर बनने जा रहा है। पिंपरी-चिंचवड न्यू टाउनशिप डैवलपमैन्ट अथारिटी, जो कि महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत है, इस संस्था के पास सैक्टर 12 में 125 एकड़ जमीन उपलब्ध है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से पिंपरी-चिंचवड शहर में इंडियन इंस्टिट्याूट ऑफ मैनेजमैन्ट बनाये जाने की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मुथमसेती श्रीनिवास राव (अवंती) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर के लिए और साथ बजकर बीस मिनट पर भी धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, अतः कृपया मुझे एक मिनट और दें।

महोदय, हमारा राज्य एक नवगठित राज्य है। पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास न तो राजधानी है, न कोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और न ही कोई रेलवे जोन। इसलिए, अलग रेलवे जोन बनाना एक महत्वपूर्ण और ऐसा अनुरोध है जो पहले भी किया जा चुका है। वर्तमान में हमारे राज्य में चार रेलवे डिवीजन हैं: विजयवाड़ा, गुंटूर, गुन्तकल और विशाखापत्तनम। वाल्टेयर डिवीजन सही रूप से पूर्वी तटीय रेलवे का हिस्सा है। परंतु हमारे वाल्टेयर डिवीजन के साथ अन्याय किया जा रहा है। आय के मामले में, हम लगभग 7000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ सुविधाएं कम हैं और समस्याएं अधिक हैं। इसीलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि हमारे डिवीजन को पूर्वी तटीय रेलवे से अलग कर एक नया स्वतंत्र रेलवे जोन बनाया जाए। यह बात पहले से ही आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में भी निहित है।

इतना ही नहीं, हमने विशाखापत्तनम में रेलवे संपर्क, सड़क संपर्क और भवनों सहित बहुत अधिक अवसंरचना उपलब्ध कराया है, जिसमें कोई वित्तीय भागीदारी केंद्र सरकार की नहीं है। इसलिए, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि हमारे नए राज्य को एक अलग रेलवे जोन प्रदान किया जाए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद असरारूल हक (किशनगंज) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बालने का अवसर दिया। मेरा क्षेत्र किशनगंज, बिहार हिमालय के दामन में है। वहां का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। मेरा क्षेत्र हिमालय

के दामन में है, वहां नदियों का जाल बिछा हुआ है। वहां सात बड़ी नदियां हैं, जिसमें हर साल बहुत बाढ़ आती है और दर्जनों गांव और हज़ारों एकड़ खेती की जमीन जल में विलीन हो जाती है, जिससे वहां गरीबी बढ़ रही है। पिछली लोक सभा में भी हमने इस मसले को उठाया था और उस वक्त यूपीए सरकार ने वहां पर बांध बांधने के लिए महानंदा सब बेसिन स्कीम के नाम से एक प्रोजेक्ट मंज़ूर किया था। उसका सर्वे भी मुकम्मल हो चुका है। लेकिन तब तक इलैक्शन आ गए थे। अभी तक उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मुतालबा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उस स्कीम पर काम शुरू किया जाए।

श्रीमती प्रियंका सिंह रावत (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र बाराबंकी में उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था अत्यंत खराब है। प्रदेश सरकार की लचर कार्य प्रणाली के चलते बराबंकी जनपद की विद्युत व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अनेकों बार धरना प्रदर्शन किए गए तथा ज्ञापन के माध्यम से जनपद की विद्युत समस्या में सुधार लाने हेतु अनुरोध किया गया। परंतु समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। निकट भविष्य में इस समस्या के सुधार की कोइर् संभावना भी नहीं दिखाई पड़ रही है, जिससे क्षेत्र की जनता, कृषकों एवं व्यापारियों को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत आपूर्ति जीर्ण-क्षीर्ण होने के कारण क्षेत्र में अराजकता, चोरी, डकैती तथा हत्या जैसे कृतियों को बढ़ावा मिल रहा है। इस समस्या के निराकरण के लिए जनपद में वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से जनमानस को राहत दिलाए जाने की आवश्यकता है। अतः आपके माध्य्ाम से मेरा सरकार से निवेदन है कि जनपद बाराबंकी में अक्षय ऊर्जा लगाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री एस. सेल्वाकुमार चिन्नयन (ईरोड): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे एक अत्यंत आवश्यक सार्वजनिक मुद्दा उठाने का अवसर मिला।

आपके माध्यम से, मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी का ध्यान अपनी निर्वाचन क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण सड़कों के विकास की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले में पेरुंदुराई से

कंगयम और तिरुप्पुर से कंगयम तक की दो राज्य राजमार्ग सड़के हैं, जो क्रमशः राष्ट्रीय राजमार्ग 47 और राष्ट्रीय राजमार्ग 67 से जुड़ी महत्वपूर्ण लिंक सड़कों का कार्य करती हैं। कंगयम नारियल तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसके आसपास कई चावल की मिलें हैं। तिरुप्पुर शहर वस्त्र उद्योग, विशेषकर होजरी और बुनाई उद्योग के लिए विश्वभर में जाना जाता है। कंगयम के निकट चेन्निमलाई भी एक महत्वपूर्ण वस्त्र नगर है। इन दोनों सड़कों पर भारी यातायात है, परंतु वर्तमान में इन दोनों सड़कों की चौड़ाई केवल 7 मीटर है। बढ़ते यातायात की मांग को पूरा करने के लिए इन दोनों सड़कों को तत्काल 14 मीटर चौड़ा किया जाना आवश्यक है।

इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करता हूँ कि इस मामले की उचित जांच कराई जाए और इस संबंध में उपचारात्मक उपाय किए जाएं।

श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा (कोप्पल): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे कर्नाटक के कोप्पल संसदीय क्षेत्र तथा सिंधनूर (रायचूर), बेल्लारी और आस-पास के क्षेत्रों में बिन मौसम बरसात और उससे हुए नुकसान के विषय में बोलने का अवसर दिया। कोप्पल और आस-पास के क्षेत्रों में पिछले एक सप्ताह से भारी वर्षा हो रही है। इस बिन मौसम बरसात के कारण लगभग चार लाख एकड़ भूमि और लगभग दस लाख टन धान की फसल को भारी नुकसान पहुँचा है। इन क्षेत्रों में अधिकतर किसान जो धान की खेती करते हैं, वे 'सोना मसूरी' किस्म की खेती करते हैं, जो देशभर में उच्च गुणवत्ता वाली मानी जाती है। यह धान की कटाई का समय है और इसी समय हुई बारिश ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। इस बिन मौसम बरसात के कारण लाखों किसान आजीविका के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं।

अतः, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवज़ा प्रदान किया जाए तथा धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य को ₹1360 से बढ़ाकर ₹1600 किया जाए, ताकि इन किसानों को राहत मिल सके।

डॉ. प्रभाष कुमार सिंह (बारगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे नाबाकलेबर महोत्सव के संबंध में अवसर दिया।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, पुरी एक पवित्र नगरी है और भारत के चार धामों में से एक है। वर्ष 2015 में वहाँ नाबाकलेबर महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। यह एक अत्यंत पवित्र पर्व है जो प्रत्येक 15 वर्षों में एक बार मनाया जाता है, जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपनी नई मूर्तियों में अवतरित होते हैं। ओडिशा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में, इस ऐतिहासिक और धार्मिक पर्व के सफल आयोजन हेतु जोर-शोर से तैयारियाँ कर रही है। इस अवसर पर पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाओं, सड़क नेटवर्क के विस्तार सहित विभिन्न आधारभूत ढांचागत विकास परियोजनाएँ शुरू की जा रही हैं। ऐसा अनुमान है कि इस महोत्सव के दौरान देश और विदेश से 50 लाख से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक पुरी पधारेंगे। इस महत्त्वपूर्ण कार्य हेतु ओडिशा सरकार द्वारा ₹1,397 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता की माँग केंद्र सरकार को भेजी गई है।

अतः, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि नाबाकलेबारा महोत्सव के सफल आयोजन और सभी विकास कार्यों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए आवश्यक राशि को शीघ्र मंजूरी प्रदान की जाए।

†††††*__श्रीमती बनाम सत्यबामा (तिरूप्पुर):__ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तिरूप्पुर देश का 90 प्रतिशत वस्त्र उत्पादन करता है। तिरूप्पुर के मेहनती लोगों के कारण आज देश को प्रति वर्ष ₹18,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा की आमदनी निर्यात के माध्यम से हो रही है। औद्योगिक श्रमिकों को भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा तथा कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। किन्तु जिन श्रमिकों को ईएसआई की सुविधा प्राप्त है, उन्हें चिकित्सा सहायता प्राप्त करने हेतु 75 किलोमीटर दूर कोयम्बटूर जाना पड़ता है। लगभग 6 लाख श्रमिकों को चिकित्सा सहायता के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से यह आग्रह करता हूँ कि तिरुपुर में शीघ्र ही एक मल्टीस्पेशलिटी ईएसआई अस्पताल की स्थापना की जाए। तमिलनाडु की जनता की मुख्यमंत्री और प्रिय

†††††. मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

नेता, माननीया पुरात्ची थलाइवी अम्मा के माध्यम से, तमिलनाडु धार्मिक बंदोबस्ती विभाग द्वारा इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त भूमि भी प्रदान की गई है। अतः मैं केंद्र सरकार से श्रमिक वर्ग की ओर से आग्रह करता हूँ कि तिरूप्पुर में शीघ्र ही 100-बिस्तरों वाला मल्टीस्पेशलिटी ईएसआई अस्पताल स्थापित किया जाए और इसके लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करने का आदेश दिया जाए। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही कल, 19 दिसंबर, 2014 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>सायं 7.27 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 19 दिसंबर, 2014 / 28 अग्रहायण, 1936 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित